खण्ड-337, अंक-9
मंगलवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1901
(27 मार्च, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
हमीरपुर जनपद में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत कार्य की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1025
गोला गोकरननाथ, जिला खीरी के गन्ना किसानों में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1025–1026
हरदोई तथा सीतापुर के गन्ना किसानों को मिलने वाले मूल्य में अनियमितता के विषय को नियम 301 क अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1026
शासन के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा, सरकारी संस्थाओं में अपनी शाखायें लगाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1027
व्यवस्था के प्रश्न	1027–1029
देहरादून व पर्वतीय क्षेत्र में गैर शिक्षक कर्मचारियों व डिग्री कालजों के लिए पर्वतीय भत्ते की माँग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1030
बोर्ड की परीक्षाओं से पूर्व ही प्रश्न पत्रों को प्रकाशित किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1030–1031
सहकारी चीनी मिल, कायमगंज द्वारा क्षत्र के गन्ने की पेराई न किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1031–1032
जनपद इटावा के जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता न दिये जाने से कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1032
प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय थानों के क्षेत्रों में डकती तथा कत्ल की घटनाओं तथा पुलिस निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1032–1033
काशीपुर में वेयर हाउस कारपोरेशन द्वारा जमीन की खरीद में गोलमाल के सम्बन्ध में स्वीकृत नियम 49 की चर्चा के आज न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1033–1038
श्री राजनाथ सिंह द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको जान से मारने की धमकी तथा अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की माँग	1038–1039
बस्ती में नर्सों के साथ गुन्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में चर्चा की माँग	1039–1041
श्री राज नाथ सिंह की विशेषाधिकार की सूचना में उल्लिखित वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे पर आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ..	1041–1042
स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	1042–1043

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
स्वायत्त शासन मंत्री, श्री रामाधार पाण्डेय तथा हरिजन कल्याण मंत्री श्रीमती चन्द्रावती के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्न की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	1043
ग्राम्य विकास मंत्री श्री जमुना प्रसाद के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय . .	1043
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	1044–1045
गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित न किये जाने के कारण असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	1045–1046
प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध से उत्पन्न स्थिति तथा कानपुर में हरी भाई की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	1046
सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर करने के लिए शासन द्वारा गठित समिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	1046–1048
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु एक सामान्य प्रयोजन समिति के निर्मित किये जाने का प्रस्ताव	1049–1054
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) . .	1054–1080
नियम 51 अन्तर्गत सूचनायें .	1080
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978 . .	1080
कोयले की कमी से उत्पन्न परिस्थिति के विषय में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	1080
सम्भल, जिला मुरादाबाद में होली के अवसर पर साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा दंगा कराने की चेष्टा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1080–1081
उरई, जिला जालौन में बार एसोसियशन के सदस्यों पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1082–1090
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 .	
कार्यसूची की मद 15 पहले न लिये जाने पर आपत्ति . .	1090–1091
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित) . .	1092–1099
हिन्डालको, रेनूट, मिर्जापुर की विद्युत आपूर्ति में कटौती के विषय में दिनाँक 22 मार्च, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	1099–1104
बस्ती जिले में गुन्डों द्वारा नर्सों के साथ सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन	1104
सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव	1104–1105
नत्थियाँ	1106–1116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 27 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—382

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां,श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री

गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय,' श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर , श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभूदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री

बलदेव; श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा,श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरीज,' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही,' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री

मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली ; श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री

राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाँडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी श्री,
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरूद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नारायन, श्री (उर्फ मलई भाई)

श्री राम द्विवेदी, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाडेय,श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर वीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरीराम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 27 मार्च, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मण्डी समिति के सभापति के पद पर हरिजनों एवं अल्प संख्यकों का आरक्षण

**1—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन), डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर) तथा श्री बुद्धूराम (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों को मण्डी समिति के अध्यक्ष पदों पर उचित प्रतिनिधित्व न होने पर मण्डी समिति की समितियों की नियुक्तियों को रद्द करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 में मंडी समिति की तदर्थ समिति के सभापति के पदों पर नामांकन हेतु हरिजन तथा अल्प संख्यकों के लिये किसी आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

श्री कौशल किशोर—

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं भेजा गया है। पहले मुझे उत्तर की प्रतिलिपि भिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी भिजवा देंगे। अब माननीय मंत्री अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री कौशल किशोर---

इसी सदन में श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने यह घोषणा की थी कि जेल विजिटर्स की जो नियुक्ति की गयी थी उसमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये पहली वाली लिस्ट रद्द की जाती है । उसी तरह क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मंडी समिति में अध्यक्ष पद पर अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह---

यह सभापति मंडल के लिये है । सभापति के लिये कोई आरक्षण का प्राविधान नहीं है, जो पूरी लिस्ट है जिसमें सभापति और सदस्यगण सभी हैं, उनमें अल्पसंख्यकों का, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों सभी का समावेश है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जो अधिनियम हैं उसमें कोई प्राविजन नहीं है । तो क्या सरकार की यह नीति है कि जहाँ आरक्षण न हो वहाँ हरिजनों को स्थान न दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मंडी समितियों में सभापतियों को जहाँ लिया गया है, उनमें कितने हरिजन और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मंडी समितियों के अध्यक्ष के पद पर प्रदेश में जो नामांकन हुए हैं उनमें हरिजन और अल्प संख्यकों का न होने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मैंने निवेदन किया नियमों में कोई प्राविधान किसी जाति विशेष के लिये नहीं है । अब इस प्रकार के जो नामाँकन किये जाते हैं साधारणतः माननीय सदस्यों के नाम माँगे जाते हैं और ऐसी आशा की जाती है कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों के भी नाम भेजे जायेंगे, जिनका नामांकन कर दिया जायगा । मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई नाम नहीं आया होगा, इसलिये उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)---

पूरे प्रदेश में मंडी समितियों का चयन समाप्त हो गया है । अगर चयन नहीं हुआ है, तो यह प्रश्न कैसे उठ गया कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, अभी तक 139 मंडी समितियों का नामाँकन हो चुका है और 112 का होना शेष है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से राय ली गई थी और सुझाव माँगे गये हैं । क्या माननीय मंत्री जी अभी भी विधान सभा के सदस्यों की राय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, मैं अभी एक पत्र भेज रहा हूं सभी विधान सभा के सदस्यों को, संसद सदस्यों को जिसमें समितियों में नामाँकन होना शेष रह गया है उनके सुझाव माँगे गये हैं । उसके बाद निर्णय लेंगे ।

श्री कौशल किशोर---

उत्तर प्रदेश की जिन मंडी समितियों में अभी माननीय मंत्री जी ने जो नामांकन किया है, उसके बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें विधान सभा के सदस्यों की संस्तुति पर भी नामांकन हुये है या नहीं ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे और जो किसी सदस्य द्वारा संस्तुत नहीं हुई है उसे रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, जो नामांकन हुए हैं वह मेरे समय में नहीं हुये हैं इसलिये मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूं इसका तरीका यही है कि सदस्यों के भी सुझाव माँगे जाते हैं और उसमें जो उपयुक्त व्यक्ति होते हैं उनका नामांकन किया जाता है।

श्री कौशल किशोर---

माननीय मंत्री जी इसकी जाँच करवा लें।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है ये हरिजन भक्त हैं और ये गाँधी जी की तरह हरिजन बस्ती में विश्राम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन की परिभाषा क्या है ? हमारे पश्चिमी जिलों में हरिजन कहते है भंगी को, मेहतर को, वाल्मीकि को। [* * *] (व्यवधान)।

ये हरिजन किसे कहते हैं यह समझ में नहीं आता है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष---

यह कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

माननीय सदस्य ने एक जाति विशेष पर आक्षेप किया है तो क्या इस तरह से आक्षेप किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो उन्होंने कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

आपको उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वे आपको सम्बोधित न करके माननीय सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे वह गलती हुई।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री रियासत हुसैन ---

श्रीमन्, उधर फ्री स्टाइल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप लोग कृपया बैठें।

श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडी समितियों के नामांकन के लिये विधान सभा के सदस्यों द्वारा जो नाम दिये गये थे, उनको शामिल नहीं किया गया है ? यदि शामिल नहीं किया गया है, तो क्या इन सारे मामलों की जाँच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब वे दे चुके हैं।

नोट---[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायकों के पेन्शन अधिनियम में संशोधन की मांग

**2—श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1957 से 1962 तक के विधायकों को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पेंशन देने के बारे में अधिनियम में समुचित संशोधन करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

वर्तमान उपबन्धों के अनुसार केवल ऐसे भूतपूर्व विधायक, जिन्होंने विधान सभा अथवा विधान परिषद अथवा अंशत: विधान सभा और अंशत: विधान परिषद् के सदस्य के रूप में 5 वर्ष की न्यूनतम अविछिन्न या विछिन्न अवधि पर्यन्त कार्य किया है, पेंशन पाने के अधिकारी हैं। ऐसे भूतपूर्व विधायक जिन्होंने केवल 1957–62 की विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया किन्तु पूरे पाँच वर्ष की उक्त निर्धारित अवधि को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विचार कब तक पूर्ण हो जायेगा और जब विचार हो जायेगा तो इन विधायकों को किस तिथि से पेंशन दी जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि विचार किया जा रहा है और निर्णय लेने की बात है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माननीय सदस्य आज के ऐजेंडे को देखेंगे, तो उसमें मैं एक प्रस्ताव इस सदन में रखने जा रहा हूं, यह सारे प्रश्न इस समिति के समक्ष उपस्थित होंगे, जिनका विचार आ जाने के बाद शासन इस पर निर्णय लेने की शक्ति में हो जायेगा।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि 1957 और 62 के बीच का जो कार्यकाल था, उसमें शपथ ग्रहण करने और डिक्लेरेशन करने में सिर्फ 5 दिन की कमी थी, तो क्या इस मामले को सरकार अलग से विचार कर उसमें छूट देने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया कि इस सदन की एक कमेटी बनायेंगे।

श्री ऊदल—

यह समिति से अलग पूछ रहा हूं क्योंकि सिर्फ 5 दिन की कमी थी गजट होने और डिक्लेरेशन होने में इसलिए अलग से विचार करने के लिये कह रहा हूं। इस समिति को न भेज कर आप अलग से विचार करेंगे क्योंकि 5 दिन की केवल कमी थी, उसमें क्या छूट देंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

जी हाँ, यही प्रश्न है मेरा भी।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

आज जैसा एजेंडा पर देखेंगे एक संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्यों की उपलब्धि के बारे में संगठित की जा रही है। यह प्रश्न भी उसी समिति के सामने विचारणीय होगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—
यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—
अब मैं इजाजत नहीं देता, दूसरा सवाल ले रहा हूं ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—
जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि विधायकों की पेंशन समाप्त की जायेगी । क्या इस पर भी उस समिति में विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—
इस पर इजाजत नहीं देता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री श्यामदेव तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[19-3-79 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

खादी बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी बोर्ड कर्मचारियों की भर्ती के लिए कथित चयन समिति को 12 फरवरी, 1979 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन सरकार के आदेशानुसार भंग कर दिया गया तथा समिति द्वारा चयन हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया भी रद्द कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—
जी नहीं । सरकार के आदेशानुसार न तो खादी बोर्ड की चयन समिति भंग की गई और न ही समिति द्वारा चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया रद्द की गयी ।

शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने न सही उस समय के जो मुख्य मंत्री थे, जिनके पास यह उद्योग विभाग भी था और खादी बोर्ड के वे पदेन अध्यक्ष थे, क्या उनके आदेशानुसार चयन समिति भंग की गई ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह तो जबाव दिया जा चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मैंने यह पूछा था कि सरकार के आदेश से न सही पर चयन समिति किस के आदेश से भंग की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह कहते हैं कि भंग नहीं की गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
क्या यह सही नहीं है सरकार के आदेश से न भंग की गई हो लेकिन जो खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे और जो उस समय मुख्य मंत्री भी थे उनके आदेश से भंग की गई जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उस चयन समिति को भंग किया गया ?

श्री राम नरेश यादव---

यह सही है कि खादी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से वह चयन समिति भंग की गई और जो कुछ नियुक्ति होने वाली थी, उनको भी रोक दिया गया ।

श्री ऊदल---

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह चयन समिति इसलिए भंग की गई कि उसमें साम्प्रदायिक शक्तियों और आर0 एस0 एस0 का बाहुल्य था ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इजाजत नहीं है, यह आक्षेप है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे . . .

(व्यवधान)

श्री ऊदल---

इसकी इजाजत कैसे नहीं है, इसमें किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप नहीं है । यह आक्षेप कैसे है? (व्यवधान) तो मैं दूसरा प्रश्न पूछे लेता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत दूं, तब तो आप पूछेंगे । अब आप बैठें । जब मैं आपको बुलाऊं तब आप बोलें ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

क्या उप मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह चयन समिति किस आधार पर उन्होंने भंग की ?

श्री राम नरेश यादव---

इस चयन समिति में श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, विधायक, तथा श्री बसन्त लाल और श्री सुखबीर सिंह गैर सरकारी सदस्य थे और श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, विधायक इसके अध्यक्ष थे । मुझे इस बात की तमाम शिकायतें मिलीं कि इस चयन समिति के द्वारा पक्षपात होगा। अतः इस बात को ध्यान में रखकर कि इस संस्था का कार्य निष्पक्ष ढंग से सम्पादित होना चाहिए, मुझे इसको भंग करना पड़ा। यह भी प्रश्न सामने आया कि 10 दिन के अन्दर 3 हजार के ऊपर लोग बुलाए गए थे, उसमें से प्रतिदिन 300 लोगों के साक्षात्कार की बात थी, ऐसी स्थिति में इनके साथ न्याय नहीं हो सकता था, अतः यह विचार कर कि पूरे लोगों के साथ न्याय हो सके और खादी बोर्ड सही रूप से चल सके, यह कदम उठाया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब चयन समिति की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, और उसके द्वारा चयनित लोगों की सूची प्रकाशित भी नहीं की गई थी, तब उनको यह सूचना कैसे मिली कि लोगों के साथ पक्षपात होगा अर्थात् उनकी जानकारी का आधार क्या है ?

श्री राम नरेश यादव---

मैंने बता दिया कि शिकायत मिली थी कि पक्षपात होने जा रहा है, इस आधार पर यह हुआ . . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने कहा कि वह कौन से सूत्र थे ?

श्री राम नरेश यादव---

मैंने कहा कि जो जानकारी-शिकायत मिली थी, उसके आधार पर यह किया गया, क्योंकि मैं चाहता था कि उसका उद्देश्य पूरा हो सके और वह संस्था अपने कर्त्तव्यपालन में सफल हो सके, समर्थ हो सके तथा उसके कर्मचारी निष्पक्ष आ सकें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

क्या उन शिकायतों की उप मुख्य मंत्री या उद्योग मंत्री ने कोई जाँच कराई ? या उनको कोई सपना आ गया था और उन्होंने उसे भंग कर दिया ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री देव बहादुर सिंह---

क्या वह बतायेंगे कि चयन समिति भंग करने के बाद वह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन कर रहे हैं ? और यदि कर रहे हैं तो उसकी रुप-रेखा क्या है ?

श्री राम न रेश यादव---

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इस तरह की संस्था है जो चाहती है कि प्रदेश के अन्दर खादी का विकास हो। इसके लिए आवश्यक है, उसको सक्षम बनाने के लिए पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और उसको करने की प्रक्रिया जारी है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)---

क्या उप मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों सदस्य किसी खास दल-आर0 एस0 एस0 से सम्बद्ध थे, इसलिये इन्हें हटाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इजाजत नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

क्या इस प्रकार से हाउस में ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत इस तरह से नहीं देता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी----

मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने यह कदम उठाया। क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जो अनियमितताएं इन तीन सदस्यों ने खादी बोर्ड में की उसके अलावा उसकी जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव----

मान्यवर, यह जो प्रश्न उपस्थित है चयन समिति से संबंधित है। चुनाव समिति ने जो चयन का काम करन की सारी कार्यवाही की थी, चयन समिति को भंग कर दिया गया और जो साक्षात्कार होने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया गया, इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं उठती। इस बीच में कहीं भी पक्षपात किया होगा तो उसके बारे में ध्यान अवश्य दिया जायगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय उद्योग मंत्री ने समाचार पत्रों में यह बयान दिया था कि इस समिति को इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे,क्या ऐसा बयान उन्होंने दिया या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह अपनी जगह पर सही है कि उस चुनाव समिति में एक ही विचारधारा के लोग थे और इसीलिए यह समझ कर कि कहीं पर, उसमें काम करने वाले लोग जिनकी नियुक्ति के बारे में चयन समिति में चयन किया जायगा, कहीं पर यह स्थिति न आने पाये कि आने वाले दिनों में कि जिस ढंग से, जैसे कार्य करना चाहिए प्रभावी ढंग से न हो सके, दूसरे दस दिन के अन्दर तीन सौ लोगों का साक्षात्कार प्रति दिन होना था, यह किसी भी तरह से सम्भव नहीं था, उसको भी ध्यान में रखते हुए कि सारी प्रक्रिया को खानापूरी की जा रही है, इसलिए कदम उठाया गया ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक विचारधारा के लोग होने की वजह से चुनाव समिति भंग की गयी, तो क्या उद्योग विभाग में जो अन्य कमेटियां बनायी गयी हैं, और कोई नयी नियुक्तियां की हैं उद्योग मंत्री ने, क्या सब निरस्त की जायंगी या केवल खादी बोर्ड में की जा रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता ।

[कार्य सूची नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न 3 के लिए जाने पर]

श्री राम आसरे मौर्य (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । चार पांच बार खड़े होने के बाद भी आप इजाजत नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इधर भी नजर उठाइये । अगर आप इजाजत दें तो एक प्रश्न करना चाहूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर आप इनको इजाजत देंगे तो हमें भी देना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें । इसके ऊपर मैं अब किसी को इजाजत नहीं देता ।

(श्री मान सिंह आजाद के कुछ कहने पर सदन में उत्तेजना फैल गयी । कुछ सदस्य अपने स्थान से उठ कर श्री मान सिंह आजाद की तरफ बढ़े । इस समय सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री मान सिंह आजाद की सीट के पास तथा सदन के बीच खाली स्थान पर बहुत से सदस्य जमा हो गए)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

[इस समय 11 बज कर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित हुई । 11 बज कर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित रहने की सूचना मार्शल ने सदन को दी । तदुपरान्त 12 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।]

नोट—नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर न हो सके और प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । शेष प्रश्नोत्तर नियम 41 के अन्तर्गत छापे गये ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्र श्री अमर सिंह की हत्या

*3—श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28 फरवरी, 1979 को जनपद वाराणसी में स्थित काशी विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र अमर सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी और क्या इसकी रपट थाना भेलूपुर में भी दर्ज कराई गयी है? अगर हां, तो घटना क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-2-79 को थाना भेलूपुर (वाराणसी) पर श्री अजय कुमार सिंह छात्र ने यह सूचना दी कि उसी दिन राजा राम मोहन राय छात्रावास (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) की ओर आते हुए उनके चचेरे भाई श्री अमर नाथ सिंह को अमुक लोगों ने गोली मार दी और जब वे उन्हें सर सुन्दर लाल अस्पताल ले गये तो उन्हें वहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पर थाना भेलूपुर पर उसी दिन एक अभियोग धारा 147/148/149/302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु धारा 82/83 दं० प्र० सं० के अधीन कार्यवाही की गई है। अभियुक्तों की तलाश तत्परता से की जा रही है।

आरक्षण विरोधी अभियान और की गयी गिरफ्तारियां

*4—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी), श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम बख्श (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आरक्षण विरोधी अभियान में प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर गत तीन मास में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, किन-किन दफाओं में दर्ज हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक कितनी चार्ज शीट दाखिल हो चुकी हैं ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम

*5—श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर), श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में कुछ राज्य निगम घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से निगम कितने-कितने घाटे पर चल रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1106 पर)

आजमगढ़ जिले के ग्राम सरवनपुर के श्री लोकई राम के मकान में अग्निकाण्ड

*6—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में तहसील फतेहपुर के ग्राम सरवनपुर में आवंटित भूमि के विवाद को लेकर 26 फरवरी, 1979 को 3 बजे दिन में उसी ग्राम के 9-10 सवर्णों ने श्री लोकई राम हरिजन का मकान जला दिया और अपराधियों के विरुद्ध

कोई कार्यवाही स्थानीय पुलिस ने नहीं की, जिससे उस गांव में तथा आसपास के हरिजनों में भारी भय का वातावरण छाया हुआ है ? यदि हां, तो अपराधियों की गिरफ्तारी तत्काल क्यों नहीं की गयी तथा शान्ति व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास---

मकान जलाया गया और पुलिस की कार्यवाही के फलस्वरूप सभी अभियुक्तों ने न्यायालय मे समर्पण कर दिया। भय का वातावरण छाये जाने की बात सही नहीं है। धारा 107/116 की रिपोर्ट 4-2-79 को प्रस्तुत की गयी थी। घटना के अगले दिन से डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 तथा एक उप निरीक्षक व दो कांस्टेबिल 2-3-79 तक देखभाल करते रहे हैं। अब गांव मे एक उप निरीक्षक तथा दो कांस्टेबिल सुरक्षा हेतु मौजूद रहते हैं।

टाउन एरिया, राबर्टसगंज, मिर्जापुर की नजूल की भूमि का पट्टा

*7---श्री ईश्वर प्रसाद तथा श्री सूबेदार प्रसाद---

क्या आवास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, टाउन एरिया रावर्टसगंज में कितनी जमीन नजूल की है तथा उस जमीन पर कितने लोग आबाद है ? क्या उस जमीन को पट्टा या पजरवट पर देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

आवास मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम चन्द्रभान नगर में तेन्दू पत्ती के ठेकेदार श्री ओम प्रकाश शर्मा के साथ कथित मार पीट की घटना

*8---श्री राजनाथ सिंह---

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि ग्राम चन्द्रभान नगर, थाना दुद्धी, मिर्जापुर में दिनांक 12 जून, 1978 को तेन्दू पत्ती के ठेकेदार श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा उनके व्यक्तियों द्वारा गांव वालों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया, सामान लूट ले गए तथा गांव के लोग तीन दिन तक घर छोड़कर बाहर रहे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-6-1978 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

औद्योगिक विकास निगमों के प्लाटों का आवंटन एवं ऋण पर ब्याज की वसूली

*9---श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा), श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सत्य है कि यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 द्वारा प्लाट आवंटन होने के साथ ही ऋण पर ब्याज लगाना आरम्भ हो जाता है चाहे आवंटी को प्लाट पर अधिकार मिला हो या नहीं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आवंटियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्लाट पर कब्जा दिलाने की तिथि से ब्याज वसूल करने का प्राविधान करेगी ?

श्री राम नरेश यादव---

यह सही है कि प्लाट के बकाया प्रीमियम पर उसके आवंटन की तिथि से ही ब्याज देय होता है। इस विषय पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की नीति में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के जालौन आगमन पर बैरिकेडिंग पर व्यय की गई धनराशि

*10—श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन), श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन) तथा श्री कौशल किशोर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 22 फरवरी, 1979 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के जालौन जनपद आगमन पर उनकी उरई व कोंच की सभाओं की व्यवस्था में मन्च तथा बैरिकेडिंग का भारी इन्तजाम जिला प्रशासन के माध्यम से कराया गया, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था सहित लाखों रुपया राज्य सरकार का व्यय हुआ ? यदि हाँ, तो यह किस मद और नियम के अन्तर्गत किया गया और क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 22-2-79 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के जालौन जनपद आगमन पर उनकी उरई व कोंच की सभाओं में जिला प्रशासन द्वारा केवल बेरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। उरई व कोंच की सभाओं में बैरिकेडिंग की व्यवस्था जन सुरक्षा एवं भीड़, को नियंत्रित करने के लिये पुलिस ऐक्ट की धारा 31 के अन्तर्गत की गई जिस पर क्रमशः रु0 9,000 और रु0 6,000 व्यय अनुमानित हैं। मंच की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। यह कहना उचित न होगा कि उक्त व्यवस्था में राज्य सरकार का लाखों रुपया व्यय हुआ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर, बभनी रेंज के ग्राम पोखरा में बन कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों के बीच मारपीट की घटना

*1—श्री ईश्वर प्रसाद तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, वन प्रभाग दुद्धी बभनी रेंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनाँक 17 अगस्त, 1978, 18 अगस्त, 1978 को ग्राम पोखरा के वनवासियों, आदिवासियों तथा हरिजनों को बुरी तरह मारा पीटा गया तथा उसके साथ अमानवीय तथा पशुवत व्यवहार किया गया ? इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने तथा ग्राम के लोगों ने कई शिकायती-प्रार्थना पत्र भेजे, इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन)—

दिनाँक 17-8-78 को जब रेंज अधिकारी, बभनी, ग्राम पोखरा में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के विषय में मौके पर वस्तुस्थिति की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तब ग्रामवासियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच मार-पीट की घटना घटी। इसके बारे में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। इस पर जाँच करायी गयी। जाँच से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित राज अधिकारी तथा ग्रामवासियों द्वारा अलग अलग पुलिस थाना दुद्धी में दर्ज करायी गई है और मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतएव अलग से कोई विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

[मंगलवार, 27 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों को मोम का आवंटन

*2—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मोम बत्ती बनाने की मोम (वैक्स) का कोटा आवंटित करने की क्या नीति है और क्या मोम का कोटा प्राप्त करने की शासन ने कुछ अर्हताएं निर्धारित की है ? यदि हाँ, तो वह अर्हताएं क्या हैं ? क्या हाई स्कूल परीक्षा पास होना आवश्यक शर्त है, यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश में मोम बत्ती बनाने के लिए मोम का कोटा वर्ष 1978 में निम्नलिखित नीति से दिया गया:—

साँचों से मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों को 1.50 टन ।

मशीन से मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों को वर्ष 1977 में आवंटित मोम की मात्रा का आधा आवंटित किया गया । इसके पश्चात् पहली मशीन पर 2.50 टन । इसके बाद 1.50 टन प्रति मशीन की दर से आवंटित किया गया । आयातित मशीन पर उपरोक्त दर का दूना मोम आवंटित किया गया। वर्ष के अन्त में इन इकाइयों को आवंटित मात्रा का चौथाई पुनः आवंटित कर दिया गया ।

वर्ष 1978 में दिनाँक 9 नवम्बर, 1977 के पूर्व आयातित मोम के लिए पंजीकृत इकाइयों को 1.00 टन मोम का आवंटन किया गया ।

उपरोक्त नीति के अनुसार उन्हीं इकाइयों को मोम का आवंटन किया गया जिनका पंजीकरण 9 नवम्बर, 1977 के पूर्व किया था तथा जिनको वर्ष 1977 में मोम आवंटित किया गया था ।

जिन इकाइयों का पंजीकरण दिनाँक 1 जनवरी, 1976 तथा 9 नवम्बर, 1977 के मध्य हुआ था तथा जिन्हें वर्ष 1977 में, मोम का आवंटन नहीं हो सका था उन्हें वर्ष 1978 में केवल 1.00 टन साँचों से मोम बत्ती बनाने वाली इकाइयों को तथा मशीन की इकाइयों को उपरोक्त नीति के अनुसार देय मात्रा का आधा आवंटित किया गया ।

इसके अतिरिक्त कुछ अत्यन्त उपयुक्त इकाइयों को जिनका पंजीकरण दिनाँक 1 जनवरी 1976 के पूर्व तथा दिनाँक 9 नवम्बर, 1977 के बाद किया गया था, उन्हें 1.50 टन मोम आवंटित किया गया ।

देशी मोम का कोटा केवल उन्हीं इकाइयों को आवंटित किया गया जो देशी मोम के लिए पंजीकृत थीं ।

मोम के आवंटन के लिए हाई स्कूल परीक्षा पास होने की कोई शर्त नहीं है ।

गत फरवरी माह से भारत सरकार द्वारा देशी मोम तथा आयातित मोम का मूल्य समान कर दिये जाने और अब उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में मोम उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप मोम के आवंटन के लिए एक नई नीति अपनाई जानी है जिस पर विचार हो रहा है । फिलहाल जिन इकाइयों को वर्ष 1978 में मोम आवंटित किया गया था उन्हें त्रयमासिक अनुपात से उपलब्ध कोटे से वितरण किया जा रहा है ।

लखनऊ जिले के ग्राम डेहवा के श्री गनेशी द्वारा लिखाई गयी मारपीट की रिपोर्ट

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गनेशी, पुत्र गौरी व उसकी पत्नी, निवासी ग्राम डेहवा, थाना मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ की हत्या करने के उद्देश्य से प्राणघातक हमला किया गया । जिसकी रपट थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में दिनाँक 23 नवम्बर, 1978 को दर्ज कराई गई जिसमें हमलावरों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उपरोक्त गनेशी का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनाँक 2 दिसम्बर, 1978 को क्षेत्रीय

विधायक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गनेशी और उसके पुत्र राम बरायन के बीच भूमि विवाद को लेकर दिनाँक 23-11-1978 को मार-पीट हुई जिसकी दोनों पक्षों ने रिपोर्ट थाना मोहनलालगंज पर उसी दिन अंकित कराई। प्रथम सूचना में अहस्तक्षेपीय अपराध की थी तथा भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध 16-12-78 को धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई।

इस संबंध में श्री गनेशी का एक शिकायती पत्र दिनाँक 2-12-78 भी प्राप्त हुआ था जिसमें लगाये गये आरोपों की जाँच से पुष्टि नहीं हुई।

गोरखपुर जिले के थाना खजनी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप

*4---श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के खजनी थाने के इन्चार्ज द्वारा नवम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह में ग्राम गगटही, थाना खजनी के श्री अवधेश तिवारी, जो धारा 307 के अन्तर्गत वाँछित थे, को रिश्वत लेकर रिहा करने के विरुद्ध कोई जाँच वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस, गोरखपुर द्वारा कराई जा रही है ? यदि हाँ, तो जाँच में क्या तथ्य प्रकाश में आया ? क्या उपरोक्त मामले की शिकायत माननीय गृह मन्त्री से भी की गयी है ? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही किया ?

श्री बनारसी दास---

जी हाँ। जाँच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप तो प्रमाणित नहीं हुआ लेकिन उनकी कथित मामले की विवेचना में लापरवाही अवश्य पायी गयी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया है। रिश्वत की शिकायत की जाँच पुनः भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराने के आदेश दिये जा रहे हैं। संबंधित मुकदमे की विवेचना हो रही है। गृह मंत्री जी को शिकायती पत्र दिया जाना प्रतीत नहीं होता।

मेरठ जिले के ग्राम जागस के श्री रमेश शर्मा की हत्या

*5---श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 मार्च, 1977 की रात को लोक सभा के एलेक्शन में काँग्रेस के एजेन्ट श्री रमेश शर्मा, ग्राम जागस, थाना बड़ौत, जिला मेरठ की जनता पार्टी के एजेंट ने गोली मार कर हत्या कर दी थी और पूरे घर को लूट लिया गया था जिसकी रपट नामजद उक्त थाने में दर्ज है ? क्या यह भी सही है कि रमेश की चाची के भी छर्रा लगे और एक छोटी बच्ची की आँख छर्रे लगने से बेकार हो गयी है ? यदि हाँ, तो मुल्जिमान कौन है और सरकार ने अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश चन्द्र शर्मा की हत्या की घटना के संबंध में जिसमें एक महिला को आग्नेयास्त्र तथा एक छोटे बच्चे को भी चोटें आई, दिनाँक 21-3-78 को प्रातः थाना छपरौली, जिला मेरठ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई जिसमें दो अभियुक्त मुख्तयारे एवं श्री पाल, निवासी ग्राम गुबानपुर, जिल सोनीपत, हरियाणा नामजद किये गये एवं शेष अज्ञात बताये गये। इस सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 396 भा0दं0वि0 पंजीकृत करके पुलिस द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के उपरान्त उक्त दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनाँक 18-5-78 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

*6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राइस ब्रान (चावल की टूटी) का निर्यात

*7-श्री रामदत्त जोशी-

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि राइस पालिस अर्थात् चावल की टूटी के प्रदेश के बाहर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होने के परिणामस्वरूप प्रदेश की सोलवे एक्स्ट्रैक्शन उद्योग की सभी इकाइयाँ प्राय: बन्द पड़ी हुई हैं ? यदि हाँ, तो पंजाब, हरियाणा और आसाम राज्य की भांति उत्तर प्रदेश में राइसपालिश को प्रदेश से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है और ऐसी राजाज्ञा जारी करने में साधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हाँ ।

प्रदेश में राइस ब्रान के वितरण तथा उसके मूल्य निर्धारण एवं प्रदेश से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न खाद्य एवं रसद विभाग में विचाराधीन हैं ।

नैनीताल जिले के खालसा इण्टर कालेज की छात्रा कुमारी चन्द्रा पाण्डे की हत्या

*8--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 27 सितम्बर, 1978 को हल्द्वानी थाना, जिला नैनीताल में एक सूचना अंकित कराई गयी कि खालसा इंटर कालेज, हल्द्वानी की ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा कुमारी चन्द्रा पाण्डे जो उसी रात्रि के करीब दस बजे अपने कपड़े में लोहा कर रही थी उसी समय से गायब है और बाद में उसकी लाश हल्द्वानी नगर से काफी दूर नहर में पड़ी मिली ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है तथा छात्रा की मृत्यु का कारण क्या है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 28 सितम्बर, 1978 को थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर वादी श्री नवीन चन्द्र पाण्डे ने अपनी बहिन कुमारी चन्द्रा पाण्डे के अपहरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा 363/366 भा0दं0वि0 का अभियोग कायम किया गया। कुमारी चन्द्रा पाण्डे का शव दिनाँक 28 सितम्बर, 1978 को सायंकाल नहर के पास मिला। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण सदमा, अधिक रक्तस्राव एवं डूबने से दम घुटना पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अभियोग धारा 363/376/302/201 भा0दं0वि0 में परिवर्तित किया गया जिसकी विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है ।

विधान सभा के नाम निर्देशित सदस्य

*9--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 171 (खण्ड 5) के अन्तर्गत नवम्बर, 1978 में नाम-निर्देशित विधान परिषद् के सदस्यों की साहित्य, विज्ञान, कला सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ क्या हैं ?

श्री बनारसी दास--

नवम्बर, 1978 में विधान परिषद् में नाम-निर्देशित निम्नलिखित माननीय सदस्य अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तर्गत जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव

रखते हैं वह उनके नाम के सामने उल्लिखित हैं :—

नाम	विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव
1—श्री त्रिलोक चन्द्र त्यागी आत्मज श्री सागर सिंह त्यागी	सामाजिक सेवा
2—श्री अब्दुल रशीद आत्मज श्री सादुल्ला . .	सामाजिक सेवा
3—कुमारी दया बहन आत्मजा श्री ईश्वर दास . .	सामाजिक सेवा
4—श्री जगन्नाथ सिंह शास्त्री . .	सामाजिक सेवा
5—श्री ज्ञानी हरिन्द्र सिंह आत्मज श्री सद्या सिंह . .	सामाजिक सेवा
6—श्री श्यामा प्रसाद (प्रदीप) . .	साहित्य के क्षेत्र में
7—श्री बैजनाथ पाल, आत्मज श्री शीतल दीन . .	सामाजिक सेवा
8—श्री छेदी प्रसाद धोबी . .	सामाजिक सेवा

वाराणसी में आरक्षण विरोधी छात्रों द्वारा आगजनी

*10—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री कों इस बात की जानकारी है कि दिनाँक 5 दिसम्बर, 1978 को बनारस में छात्रों ने आरक्षण के विरोध में जलूस आदि निकाला तथा परिवहन विभाग की बसों को फूंक दिया ? यदि हाँ, तो इस घटना के वास्तविक तथ्य क्या हैं तथा सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 5 दिसम्बर, 1978 को वाराणसी नगर में लगभग 100–150 छात्रों द्वारा आरक्षण के विरोध में जलूस निकाला गया था। जलूस छात्रों ने परिवहन निगम की एक बस में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे बस की 5–6 सीटें जल गयीं। बस के परिचालक की रिपोर्ट पर धारा 147/436/336/427 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया, जिसमें जाँच के बाद पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है ।

*11—श्री शिवानन्द नौटियाल—

(मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया)

मन्त्रि परिषद् के सदस्यों पर प्रतिमास व्यय होने वाली धनराशि

*12—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के मंत्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री को दी जाने वाली सुविधाओं के ऊपर प्रति मास क्या खर्चा है और क्या-क्या सुविधाएं इस समय दी जा रही हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्रदेश के प्रत्येक मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री को दी जाने वाली सुविधाओं तथा उन पर प्रति मास होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण संलग्नक में दिया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1107–1108 पर)

*13—श्री झाम लाल अहेरवार—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

*14—श्री राज किशोर तिवारी—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*16—श्री पुरूषोत्तम कौशिक—
[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—
[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*18—श्री गनेशी लाल चौधरी—
[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के कस्बा फरेन्दा में छात्रों की हत्या

*19—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिनाँक 14 सितम्बर, 1978 को लगभग 3 बजे दिन में 3 छात्र नेताओं को कुछ अवाँछनीय तत्वों ने गोरखपुर जनपद के फरेन्दा थाने के पास गोली मारकर हत्या कर दी ? हत्यारे गोली मार कर किसी जनप्रतिनिधि के निवास स्थान में छिप गए और उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी जिससे आस-पास तथा नागरिकों में भय और चिन्ता का वातावरण व्याप्त है ? यदि हाँ, तो तथ्य क्या है और अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए ?

श्री बनारसी दास—
प्राप्त सूचना के अनुसार दो छात्र व फरेन्दा बाजार के एक चाय वाले के लड़के की फरेन्दा कस्बे में डाक बंगले के पास विपक्षी गुट के छात्रों द्वारा फायरिंग की गयी जिसके फल-स्वरूप मृत्यु हुई। जी नहीं। 7 अभियुक्तों को दिनाँक 14 सितम्बर, 1978 को ही बन्दी बना लिया गया था और एक को घटना की रात्रि को अन्यत्र बन्दी बनाया गया। नागरिकों में भय व चिन्ता का वातावरण व्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है।

*20—श्री नाथू राम शिक्षक—
[22-8-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित]

जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, रामापुरा, वाराणसी के विरुद्ध जांच

*21—श्री ऊदल—
क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर गृह निर्माण समिति लि0 डी0-47/187, रामापुरा, वाराणसी की जाँच सहायक निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ वाराणसी ने की थी और उक्त समिति में 16 प्रमुख अनियमितताओं को पकड़ा और उस पर कार्यवाही करने हेतु शहरी हाउसिंग सोसाइटी, उत्तर प्रदेश को भेजा है ? यदि हाँ, तो शहरी हाउसिंग सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही अब तक किया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—
जी नहीं।

जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, डी0/47/187, रामापुरा, वाराणसी के विरुद्ध सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा प्रश्नगत जाँच अपने अधीनस्थ सहकारी निरीक्षक से कराई गयी थी जिसके आधार पर सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी ने समिति के सम्बन्ध में एक आरोप-पत्र आवास आयुक्त तथा निबन्धक, सहकारी गृह निर्माण समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा था।

इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा कथित अनियमितताओं की आवश्यक जाँच करा ली गयी है और उनके द्वारा समिति के दोषी पाए गए पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सरचार्ज की कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ में प्रदेश के किसानों का प्रदर्शन एवं मांगें

*22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1 दिसम्बर, 1978 को लखनऊ में प्रदेश के कोने-कोने से आए गरीब भूमिहीन किसानों का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुआ और मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति पर उनका माँग-पत्र मुख्य मन्त्री कार्यालय पर चस्पाँ किया गया ? यदि हाँ, तो माँग-पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं और सरकार उनके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ । माँग पत्र की प्रति संलग्न† है । माँग-पत्र में उल्लिखित माँगें शासन के विभिन्न विभागों, (राजस्व, कृषि, खाद्य तथा रसद, सिंचाई, श्रम, सहकारिता, गन्ना विकास, विद्युत, गृह) से सम्बन्धित हैं और उन विभागों को विचार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है ।

फिरोजाबाद (आगरा) में बन्दूकों के फर्जी लाइसेन्स की जांच

*23—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के जिला अधिकारी ने क्या गत वर्ष जनपद बाँदा में मूल निवासियों को बन्दूक के लाइसेन्स फिरोजाबाद के पते पर दिए हैं ? क्या जिलाधिकारी, बाँदा ने आगरा के जिला अधिकारी को ऐसा पत्र लिखा है कि उच्छृंखल तत्व को लाइसेन्स नाजायज तरीके पर दिए गए हैं ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा जनपद बाँदा के मूल निवासियों को जिन्होंने फिरोजाबाद के पते दिए थे, बन्दूक के लाइसेन्स स्वीकृत किया जाना पाया गया ।

जी हाँ । जिला मैजिस्ट्रेट, बाँदा ने जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा को सूचित किया कि उनके जनपद के मूल निवासियों जिनका चरित्र संदिग्ध है, ने अपना सही पता छिपाकर तथा फिरोजाबाद का गलत पता बताकर आगरा जनपद से लाइसेन्स प्राप्त किए हैं।

प्रारम्भिक जाँचोपरान्त यह पाया गया कि ये लाइसेन्स बिना पुलिस द्वारा जाँच कराए स्वीकृत किए गये थे तथा अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के हस्ताक्षर भी फर्जी बताए गए। अतएव ये लाइसेन्स जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा निरस्त कर दिए गए ह तथा सन्देहात्मक स्वीकृति के सम्बन्ध में जाँच सतर्कता अधिष्ठान, आगरा को सौंप दी गयी है ।

मेरठ के श्री अमर दीप की हत्या

*24—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर दीप, पुत्र श्री नन्दू हरिजन (बाल्मीक) को 2 सितम्बर, 1978 को चाकू मार दिया गया और 6 सितम्बर, 1978 को मेडिकल अस्पताल, मेरठ में उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

†छापी नहीं गयी

श्री बनारसी दास--

जी हाँ। प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त सतीश उर्फ बब्बू निवासी मोहल्ला पुरवा अहिरान बुढ़ाना गेट, मेरठ के विरुद्ध धारा 30 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दिनाँक 27 सितम्बर, 1978 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। अभियोग सत्र न्यायालय के विचाराधीन है।

*25--श्री राम दत्त जोशी--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ शहर के सराय खिरनी निवासी श्री बहराम सिंह की हत्या

*26--श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को मालूम है कि दिनाँक 12 सितम्बर, 1978 को अलीगढ़ शहर की घनी आबादी के क्षेत्र खिरनी गेट पुलिस चौकी के पीछे प्रातः लगभग 10 बजे वरिष्ठ समाज सेवी ठाकुर बहराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी? यदि हाँ, तो इस हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ, श्री बहराम सिंह, निवासी सराय खिरनी की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना सासनी गेट, अलीगढ़ पर रिपोर्ट लिखाई गयी, जिसके आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है अतः कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचना प्रचलित है।

लखनऊ के डालीगंज रेलवे स्टेशन में अग्नि काण्ड

*27--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनाँक 17 दिसम्बर, 1978 को लखनऊ में डालीगंज रेलवे स्टेशन को कुछ आन्दोलनकारियों ने जलाने का प्रयास किया, जिससे काफी क्षति हुई? यदि हाँ, तो पूरी घटना क्या है? तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ। दिनाँक 17 दिसम्बर, 1978 को लखनऊ में डालीगंज रेलवे स्टेशन पर दिन में लगभग 12.30 बजे 10-15 नवयुवक सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुस गये और उन्होंने वहाँ 'छात्र एकता जिन्दाबाद' 'आरक्षण बन्द करो' के नारे लगाते हुए पाँच टेलीफोन तोड़ डाले व पेट्रोल से भीगी हुई डबलरोटी के टुकड़े फेंक कर उनमें आग लगा दी और भाग खड़े हुए। वहाँ मौजूद रेलवे स्टाफ व आर0पी0एफ0 कर्मचारियों द्वारा शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में लगभग 2,338 की कीमत की रेलवे सम्पत्ति की क्षति हुई।

इस मामले से सम्बन्धित एक मुकदमा संख्या 695 अन्तर्गत धारा 147 323/426/427 भा0दं0वि0 एवं धारा 121 रेलवे ऐक्ट थाना जी0आर0पी0 चारबाग में दर्ज किया गया। इस घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्त सतेन्द्र सिंह व दिलीप कुमार को दिनाँक 20 दिसम्बर, 1978 को बन्दी बना लिया गया।

पुलिस अत्याचार के विरोध में गोरखपुर जिले की सहजनवां बाजार की बन्दी

*28--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जनवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर जिले का सहजनवाँ बाजार पुलिस ज्यादती के विरोध में कई दिन तक बन्द रहा? यदि हाँ, तो पुलिस

पर क्या आरोप थे और क्या उनकी जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो किन्हें दोषी पाया गया और किनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सिंचाई राज्य मन्त्री के हस्तक्षेप व आश्वासन पर ही बाजार खुली थी ?

श्री बनारसी दास—

जनवरी, 1979 में तो नहीं परन्तु 30 व 31 दिसम्बर, 1978 को सहजनवा बाजार के कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें बन्द रखी थीं। प्रश्न के शेष बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है।

*29—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4थे सोमवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोण्डा जिले के थाना कटरा में श्री मसादुल हसन द्वारा लिखाई गयी चोरी की रिपोर्ट पर जांच

*30—श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1978 में मसादुल हसन ने एक चोरी की रिपोर्ट अपराध संख्या 155 थाना कहरा, जिला गोण्डा में लिखायी जो चोरी लगभग 25 हजार रुपए की थी ? क्या यह सही है कि उक्त चोरी में थाना कटरा, जिला गोण्डा की पुलिस ने गवाहों का बगैर बयान लिए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया जबकि गवाहों ने अदालत पर घटना की साक्ष्य का बयान हलफी लगाया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चोरी की जाँच सी0आई0डी0 द्वारा करायेगी। क्या यह भी सही नहीं है कि उक्त चोरी में नामजद मुल्जिमान ऐसे भी थे जिन पर पहले भी कई चोरी डकैती के मुकदमें चल चुके हैं ?

श्री बनारसी दास—

रिपोर्ट लिखाई गई थी परन्तु माल की कीमत नहीं बताई गई थी जो जाँचोपरान्त लगभग 15000 रु0 की पाई गयी। उक्त मामले में गवाहों के बयान लेने के बाद ही अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई थी। गवाहों द्वारा न्यायालय में कथित बयान हलफी लगाए जाने के कारण मामले की विवेचना पुनः थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है विवेचना पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी। नामजद अभियुक्तों में दो के विरुद्ध पहले भी चोरी डकैती के मुकदमें चल चुके हैं।

गोण्डा के थाना कटरा में श्री सजाउल खां के विरुद्ध लिखी गयी रिश्वत की रिपोर्ट पर जांच

*31—श्री दीप नरायन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सजाउल खां, ग्राम निदूरा, थाना कटरा, जिला गोण्डा ने एक रिपोर्ट दिनाँक 9 दिसम्बर, 1978 को 394 ता0हि0 का कुछ लोगों के खिलाफ किया था उक्त मुकदमें के सिलसिले में वादी सजाउल खां को थाना कटरा के बड़े दरोगा व नायब दरोगा 15 दिसम्बर, 1978 को थाने पर जाँच के लिए बुलाया तथा 715 रु0 छीन लिया और सामान छीन लिया ? जब वादी सजाउल ने विरोध जाहिर किया तो 200 रु0 की घूसखोरी दिखाकर फर्जी बन्द कर दिया जिसकी शिकायती दरख्वास्त सजाउल खां ने आई0जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को दिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सारे मामले की जाँच सी0आई0डी0 द्वारा करायेगी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराने की बात सत्य है परन्तु रुपया छीनने की बात असत्य है। प्रश्नगत मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाने पर प्रार्थी ने 200 रु0 की रिश्वत देनी चाही जिस पर प्रार्थी के ऊपर मुकदमा कायम किया गया। प्रार्थी ने शिकायती-पत्र भेजा था। इस मामले की विवेचना सर्किल आफिसर द्वारा की जा रही है। अतः सी0आई0डी0 द्वारा जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है।

बाराबंकी जिले के ग्राम मदारपुर मजरा अनवारी के श्री प्यारे लाल की हत्या

*32—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनाँक 30–31 मई, 1976 को ग्राम मदारपुर मजरा अनवारी, थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी के श्री प्यारे लाल हरिजन की हत्या हुई जिसकी एफ0आई0आर0, सी0 ओ0, बाराबंकी की इन्क्वायरी के बाद दिनाँक 17 सितम्बर, 1976 को दिए गए आदेशानुसार दिनाँक 18 सितम्बर, 1976 को थाना कुर्सी में केस नं0 156, 302/120 के अन्तर्गत अंकित हुई ? यदि हाँ, तो इस घटना के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई तथा 5 मुल्जिमान जो एफ0आई0आर0 में दर्ज हैं, उनको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना अभियोग संख्या 159 धारा 302/201 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दिनाँक 18 सितम्बर, 1976 को अंकित की गयी थी। अभियोग में नामाँकित व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तार नहीं किया गया। विवेचना जारी है।

वाराणसी जिले के थाना बलुआ में पुलिस एवं डकैतों की मुठभेड़ में श्री काशी राम की मृत्यु

*33—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या मुख्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि वाराणसी जनपद के थाना बलुआ के थानाध्यक्ष (श्री काशी नाथ यादव) श्री काशी राम, निवासी रामनगर को रामनगर थाने से जमानत पर छूटते ही दिनाँक 23 जुलाई, 1978 की शाम पकड़ कर बलुआ थाना ले गए। क्या इस गिरफ्तारी की सूचना काशीराम की पत्नी ने वाराणसी के पुलिस अधीक्षक को तार द्वारा तथा जिलाधिकारी को 24 जुलाई, 1978 को हलफनामें द्वारा दी और प्रशासन से प्राण रक्षा की माँग की ? क्या करीब 36 घंटे पूर्व सूचना के बावजूद वाराणसी प्रशासन काशी राम की रक्षा न कर सका और 24–25 जुलाई की आधी रात के बाद थानाध्यक्ष बलुआ ने फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर काशी राम की हत्या कर दी ? जिसकी जाँच जिलाधिकारी, वाराणसी कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 23 जुलाई, 1978 को थाना बलुआ (वाराणसी) के थानाध्यक्ष द्वारा श्री काशीराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही दिनाँक 23 जुलाई, 1978 को किसी मुकदमें में उनकी जमानत ली गयी।

श्री काशी राम की स्त्री का नहीं बल्कि उनकी माँ श्रीमती धनेश्वरी का एक तार दिनाँक 24 जुलाई, 1978 तथा एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 25 जुलाई, 1978 जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था जिस पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी तथा थाना राम नगर से सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि थाना रामनगर में काशीराम नामक व्यक्ति बन्दी नहीं है।

दिनाँक 24/25-7-78 की रात में थाना बलुआ वाराणसी की पुलिस एवं डकैती के बीच मुठभेड़ की घटना में एक डकैत, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, की मृत्यु हुई है। घटना के सम्बन्ध में थाना बलुआ पर धारा 399/402/307 भा0दं0वि0 तथा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किए गए हैं। जिनकी विवेचना प्रचलित है। पुलिस मुठभेड़ में डकैत की मृत्यु के सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की जा रही है।

गोरखपुर मण्डल में हत्या की घटनाएं

*34—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल में अगस्त, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक दो सौ से अधिक हत्यायें हो चुकी ह और बढ़ते हुए अपराध के कारण जन जीवन सुरक्षित नहीं ह ? यदि हाँ, तो रोकथाम के लिए कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

गोरखपुर मण्डल में प्रश्नगत अवधि में 170 हत्या के अपराध हुए हैं। इन हत्याओं के सन्दभ में यह कहना कि नागरिकों का जन जीवन सुरक्षित नहीं है, उचित नहीं प्रतीत होता है, निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है ।

*35—श्री हिम्मत सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*36—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय के छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति

*37—श्री सुखदराज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन कार्यालयों के छटनी शुदा कर्मचारियों को चयन समिति के माध्यम से पुन: नियमित लिपिक के पदों पर सेवा का अवसर नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

निर्वाचन कार्यालयों में छटनी शुदा कर्मचारियों को चयन समिति के माध्यम से नियमित लिपिक पदों में नियुक्ति के लिए अन्य विभागों के छटनी शुदा कर्मचारियों के समान ही अवसर प्राप्त है अर्थात आयु सीमा से निर्धारित सीमा तक छूट और शैक्षिक अर्हताओं में छूट का प्राविधान है। अन्य प्रकार कोई आरक्षण या प्राथमिकता देने का प्राविधान नहीं है ।

इसके अतिरिक्त जहां तक अस्थायी पदों का प्रश्न है, इनमें 50 प्रतिशत नियुक्तियां इन्हीं छटनी शुदा कर्मचारियों में से ही की जा सकती हैं ।

बांदा जिले के ग्राम दिवली पुरवा में डकैती

*38—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले के नरैनी थाना के अन्तर्गत ग्राम दिवली पुरवा में डकैतों ने हरिजनों के 13 व 14 घर 25 जुलाई, 1977 को लूटे थे और तत्कालीन थानाध्यक्ष पहले रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिए थे, परन्तु 28 जुलाई, 1977 को 3 दिन विलम्ब के बाद रिपोर्ट दर्ज की थी ? यदि हां, तो घटना के सम्बन्ध में उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्नगत मामले की 25 जुलाई, 1977 को सही प्रकार से रिपोर्ट थाना नरैनी पर दर्ज नहीं हुई थी, जो 28 जुलाई, 1977 को धारा 384/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुई विवेचना के पश्चात् इस अभियोग में दो अभियुक्तों का चालान किया जा चुका ह और तत्कालीन थानाध्यक्ष की त्रुटियों के लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

सेन्ट्रल स्टेट फार्म, बहराइच की भूमि के वितरण की मांग

*39—श्री नरेश चन्द्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच में दस हजार एकड़ वन विभाग की भूमि सेन्ट्रल स्टेट फार्म, बहराइच को किन परिस्थितियों में पांच वर्ष पूर्व दी गयी है और उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से क्या लाभ मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त भूमि को लेकर अन्त्योदय योजना को बल देने के लिए भूमिहीन कृषक मजदूरों में वितरित करेगी?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

सेन्ट्रल स्टेट फार्म, बहराइच को पूर्वी क्षेत्र में अच्छे एवं उन्नत बीजों के उत्पादन हेतु बहराइच वन प्रभाग में स्थित 9622.50 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया जिसमें से अब तक 9490 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है। राज्य सरकार को उक्त भूमि का मूल्य तथा वार्षिक लीज रेन्ट सेन्ट्रल स्टेट फार्म से प्राप्त होने के अतिरिक्त फार्म की स्थापना से उन्नत एवं अच्छे बीज भी प्रदेश की जनता को सुलभ होंगे।

अतः उक्त भूमि वापस लेकर अन्त्योदय योजना को बल देने के लिए भूमिहीन कृषक मजदूरों में वितरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उद्योग विभाग के दो उप-सचिवों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*40—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि दिनांक 23 जुलाई, 1978 ई0 राज्य मन्त्री उद्योग की संस्तुति के साथ उद्योग विभाग के दो उप सचिवों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र उनके पास प्राप्त हुआ है? क्या यह भी सच है दिनांक 1 जुलाई, 1978 को श्री वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सेल्समैन हैण्डीक्राफ्ट्स की अध्यक्षता में कोई प्रतिनिधि मण्डल उक्त शिकायतें पर बल देते हुए उद्योग मन्त्री जी से मिला था जिस पर उक्त मन्त्री जी ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिए थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं की गई तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

23 जुलाई, 1978 का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। किन्तु श्री वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी का एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1978 शासन को अवश्य प्राप्त हुआ जिसमें शासन के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए धारा 197 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की गयी थी जिसे विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया। तत्कालीन उद्योग मन्त्री से श्री त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मण्डल मिलने तथा उस सम्बन्ध में तत्कालीन उद्योग मन्त्री द्वारा दिए गए कथित आश्वासनों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों की लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा

*41—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा न लिए जाने के कारण उनको प्रोन्नत कर दिया गया था? अभी हाल में लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर/अवर सहायकों की परीक्षा में उनको बाहरी अभ्यर्थियों के साथ, बिल्कुल उन्हीं की तरह परीक्षा देनी पड़ी है और क्या यह भी सही है कि प्रोन्नत सचिवालय के अनुभवी कर्मचारियों को कोई छूट नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

जी हां, विभागीय अभ्यर्थियों को स्थानापन्न रिक्तियों में नियमानुसार प्रोन्नति दी जाती है और जब उक्त पदों पर नियमित अथवा उचित व्यवस्था हो जाती है तब उनको यथापूर्व स्थिति में आना पड़ता है। लोक सेवा आयोग द्वारा जून, 1978 में प्रवर वर्ग/अवर वर्ग सहायक के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित कराई गई है उसमें नियमानुसार उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया जो आये थे। नियमों में अनुभवी कर्मचारियों को छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है।

*42—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री नागर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, कृष्णानगर, कानपुर का चुनाव

*43—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नागर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, कृष्णा नगर, कानपुर का निर्वाचन कब से नहीं हुआ है? क्या यह सत्य है कि समिति की प्रबन्ध कमेटी को सन् 1974 में निलम्बित करके प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो अब चुनाव कराने में क्या कठिनाई है तथा शासन कब तक चुनाव करा देने का विचार कर रहा है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

श्री नागर जी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, कृष्णानगर, कानपुर का निर्वाचन वर्ष 1974 के पूर्व से नहीं हुआ है।

जी हां, यह सत्य है कि समिति की प्रबन्ध कमेटी को 1974 से निलम्बित करके प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था।

कि समिति की उप विधियां (प्रस्तावित संशोधन सहित) उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निबन्धन हेतु प्रेषित की गयी हैं अतः उनसे संशोधित उपविधियां निबन्धित होकर वापस प्राप्त होने के उपरान्त, शीघ्र ही समिति का चुनाव करा दिया जायगा।

उद्योग निदेशालय के श्री के० डी० राय के विरुद्ध शिकायत

*44—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 डी0 राय, वुड इन्सपेक्टर, उद्योग निदेशालय, स्टोर परचेज सेक्शन, कानपुर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के प्रमाणित होने एवं मंत्री जी द्वारा ट्रान्सफर के आदेश दिए जाने पर भी उनके विरुद्ध ट्रान्सफर एवं मुअत्तल किए जाने की कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या इस विषय पर बरेली जनपद के लकड़ी काटेज इण्डस्ट्री के अनेकों व्यापारियों ने भी शिकायतें 1978 में शासन को दी थीं?

श्री राम नरेश यादव—

उद्योग निदेशालय के श्री जे0 डी0 राय (न कि श्री के0 डी0 राय) के विरुद्ध बरेली के लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारियों से तथा उनकी ओर से जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्हें जांच करने के उपरान्त निराधार पाया गया। अतः श्री राय के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले के ग्राम मातीपुर के आम के बाग काटने का परमिट

*45—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद के ग्राम मातीपुर उर्फ मैनी, तहसील मुरादाबाद के एक कलमी बाग के काटने का परमिट वन विभाग द्वारा श्री रशीद को माह सितम्बर/अक्तूबर, 1978 में दिया गया था? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या इस बाग से सम्बन्धित 50 पेड़ों के काटने का परमिट हार्टीकल्चर विभाग द्वारा भी दिया गया था और उस बाग को काटने के समय ए0 डी0 एम0 (डी0), मुरादाबाद ने स्वयं स्थल का निरीक्षण करके उस बाग को काटने से रोक दिया था? यदि हां, तो ए0डी0एम0 (डी0) द्वारा उस बाग को काटने से रोके जाने के बाद भी किस आधार पर बाग काटने का परमिट दिया गया ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

ग्राम मातीपुर उर्फ मैनी, तहसील मुरादाबाद के कलमी बाग काटने का कोई परमिट वन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। बल्कि एक देशी आम के बाग के 40 देशी आम के खोखले तथा नाकारा वृक्ष काटने का परमिट प्रधान ग्राम सभा, मैनी की संस्तुति एवं लेखपाल के खसरा नकल के आधार पर दिनाँक 30 सितम्बर, 1978 को उप प्रभागीय वनाधिकारी मुरादाबाद द्वारा श्री रशीद खां को दिया गया।

उक्त प्रार्थी द्वारा आम के बाग को काटने की स्वीकृति हेतु उद्यान अधिकारी को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर जिसके साथ प्रार्थी ने खसरा खतौनी लगाई थी और उसके अनुसार बाग में 194 पेड़ उपलब्ध थे, जिला उद्यान अधिकारी ने केवल 50 पेड़ काटने की परमिट दिया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई जिसके निस्तारण हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) स्थल पर गये और प्रार्थी को आदेश दिए कि वह पेड़ परमिट के अनुसार ही काटें।

दो विभागों द्वारा दो भिन्न-भिन्न परमिट किस आधार पर दिए गये इसके बारे में जाँच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद जिले के ग्राम खेड़ी के श्री मुंशी लाल शर्मा की हत्या

1—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक मुन्शी लाल शर्मा, ग्राम खेड़ी, थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद की 24 सितम्बर, 1978 को चाकू लगने से मृत्यु हो गई है? क्या यह भी सही है कि मृतक ने मरने से पहले तीन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 307 में गोली मारने की रपट थाना पिलखुवा में दर्ज कराई थी? यदि हाँ, तो मुल्जिमान कौन हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुन्शी लाल शर्मा की हत्या के सम्बन्ध में दिनाँक 23 सितम्बर, 1978 को थाना पिलखुवा पर धारा 302 भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्तगण पप्पू पुत्र श्याम लाल, हरिओम पुत्र श्याम लाल, व हरिश चन्द्र पुत्र राम सरन निवासी ग्राम खेड़ी, थाना पिलखुवा तथा रामपाल त्यागी, निवासी मोहल्ला नासिरपुर गाजियाबाद प्रकाश में आए हैं। विवेचना प्रचलित है।

मृतक ने दिनाँक 7 जून, 1978 को उक्त अभियुक्त पप्पू तथा अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट थाना पिलखुवा पर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर धारा 506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अहस्तक्षेपीय अपराध पंजीकृत किया गया। जाँच के उपरान्त

अभियुक्त पप्पू हरिओम तथा श्याम लाल के विरुद्ध धारा 107/116 (3) द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिनाँक 12 अगस्त, 1978 को चालानी रिपोर्ट भेजी गयी थी, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

सेन्ट्रल जेल, बरेली के बन्दी श्री जुम्मन को प्रोबेशन पर छोड़ने की मांग

2—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री जुम्मन बेग जिनको धारा 396 में थाना पसगवाँ, जिला खीरी से 2 अगस्त, 1965 को 20 साल की सजा हुई थी और जो इस वक्त सेन्ट्रल जेल, बरेली में हैं को अब तक जेल से जमानत पर या प्रोबेशन पर न छोड़ने की क्या वजूहात हैं ?

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

भारतीय दण्ड विधान की धारा 396 के अधीन दंडित बन्दी प्रोबेशन ऐक्ट की धारा 2 के अन्तर्गत लाइसेन्स पर मुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इस प्रकार के बन्दी को 20 वर्ष सजा भुगतने पर सशर्त मुक्त करने पर विचार किया जाता है ।

खीरी जिले के रेंज आफिसर सम्पूर्णानगर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

3—श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि दिनाँक 9 जनवरी, 1979 को कोई शिकायती-पत्र खुली बेजीलेन्स जाँच हेतु शासन को प्राप्त हुआ है, जो वन विभाग के एक रेंज आफिसर सम्पूर्णानगर तहसील निघासन, जिला खीरी द्वारा लाखों की वन सम्पत्ति के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हाँ। उस पर विभागीय जाँच करवाई जा रही है। विभागीय जाँच का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त ही खुली सतर्कता जाँच कराने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के यात्रा भत्ते पर न्याय की गयी धनराशि

4—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि दिनाँक 23 जून, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक मुख्य मन्त्री, प्रत्येक मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री पर कितनी-कितनी धनराशि यात्रा-भत्ता पर व्यय की गयी ?

श्री बनारसी दास—

विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1109–1110 पर)

5—श्री सुखपाल पाण्डेय—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

(मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

कृष्णा काटेज, इंडस्ट्री, शिवाला तथा लक्ष्मी कैण्डिल वर्क्स, सोनिया रोड, वाराणसी को मोम का आवंटन

7—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी मोम (वैक्स) कृष्णा काटेज इण्डस्ट्री शिवाला, वाराणसी तथा लक्ष्मी कैण्डल वर्क्स सोनियाँ रोड, वाराणसी को एलाटमेंट क्यों

कम कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि विदेशी मोम के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें देशी मोम दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त दोनों फर्मों को उद्योग विभाग उनकी खपत से आधा भी स्वदेशी मोम नहीं दे रहा है ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1978 से मशीन से मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों को उनके कारखाने में स्थापित मशीनों की संख्या के आधार पर मोम आवंटित किया गया। सर्वश्री कृष्णा काटेज इंडस्ट्री शिवाला, वाराणसी तथा लक्ष्मी कैण्डिल वर्क्स सोनिया रोड, वाराणसी को भी इस प्रकार की इकाइयों को समान रूप से मोम आवंटित करने की नीति के अनुसार वर्ष 1978 में मोम दिया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में कम पड़ा। केवल उन इकाइयों को जो 9 नवम्बर; 1977 के पूर्व विदेशी मोम के लिए पंजीकृत थीं देशी मोम भी दिया गया क्योंकि उक्त तिथि के बाद प्रदेश में देशी मोम की कमी के कारण इकाइयों का पंजीकरण बन्द कर दिया गया था। चूंकि भारत सरकार से प्रदेश की वास्तविक आवश्यकता से काफी कम मात्रा में देशी मोम का कोटा प्राप्त होता है अत: मोम की इकाइयों को उनकी स्वदेशी मोम की खपत के आधे की मात्रा में देना सम्भव नहीं है।

8—श्री दीपनरायन—

(माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया)

उत्तरी वन प्रभाग गोंडा के ठेकेदारों की जमानत की धनराशि

9—श्री दीप नरायन—

क्या वन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरी वन प्रभाग, गोंडा के लाट नं0 161, 1977–78 की जमानत की धनराशि ठेकेदार को विभाग द्वारा वापस कर दी गई है ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ? क्या इसी प्रकार से लाट नं0 159/77–78 के ठेकेदार ने भी कोई प्रार्थना-पत्र जन प्रतिनिधियों की संस्तुति के साथ वन मन्त्री को तथा मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश तथा सचिव वन को 15 अक्तूबर, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हाँ। बिक्री सूची तथा मौके पर छपे पेड़ों में भिन्नता पाए जाने के कारण बिक्री को निरस्त करना पड़ गया तथा परिणाम स्वरूप ठेकेदार को लाट नं0 161/77–78 की जमानत की धनराशि वापस कर दी गयी। लाट नं0 159/77–78 के ठेकेदार का प्रार्थना-पत्र नवम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र कालवाधित था। फिर भी लाट नं0 159/77–78 में पेड़ों की गणना कराने हेतु विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थात 8,900 रुपए जमा करने के लिए ठेकेदार को दिसम्बर, 1978 में लिखा गया परन्तु ठेकेदार द्वारा यह धनराशि जमा नहीं की गयी। ठेकेदार द्वारा 5 मार्च, 1979 को एक दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया गया है जिसमें उन्होंने विक्रय मूल्य का 60 प्रतिशत, देय बिक्री-कर, मियाद फीस व ठूंठ मुहर्रिर का वेतन जमा करके मियाद लेकर उक्त लाट में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है तथा शेष धनराशि दो किश्तों में अन्तिम निवासों के पूर्व जमा करने की प्रार्थना की है। यह प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अरण्यपाल के विचाराधीन है।

पी0ए0सी0 में अल्प संख्यकों एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी

10—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी0 ए0 सी0 में अल्प संख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों की क्या संख्या है और यह संख्या किस आधार पर है ?

श्री बनारसी दास—

पी० ए० सी० में अल्प संख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है:—

	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या	मुसलिम जाति के कर्मचारियों की संख्या	सिख जाति के कर्मचारियों की संख्या	ईसाई जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
राजपत्रित अधिकारी	127	6	3	2	9
इन्सपेक्टर	202	8	1	1	10
सब-इन्सपेक्टर	631	42	1	0	43
मुख्य आरक्षी	3962	251	4	4	257
आरक्षी	17883	965	22	9	2930
लिपिक वर्ग	339	42	1	1	13

अनुसूचित जाति के लोगों की पी० ए० सी० फोर्स में भर्ती वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार की जाती है। शेष जातियों के लिये पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त आरक्षण का प्राविधान नहीं है ।

11—श्री श्रीराम द्विवेदी—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

विधान सभा सदस्यों के अंग रक्षकों पर व्यय होने वाली धनराशि

12—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के कितने सदस्यों के लिए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए अंग रक्षकों की नियुक्ति की है और उस पर कुल कितने रुपए माहवार खर्च पड़ते हैं ?

श्री बनारसी दास—

विधान सभा के 55 (पचपन) सदस्यों की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक नियुक्त किये गये हैं जिस पर लगभग रुपये 30645 माहवार खर्च होते हैं ।

गोरखपुर वन प्रभाग के सोनारी ब्लाक के अन्तर्गत गो सदन की भूमि

13—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में निचलौल रेंज, मघबलिया जंगल के समीप 1000 (एक हजार) एकड़ भूमि, भूमि गोसदन के नाम वर्ष 1957 में लावारिश पशुओं को रखने हेतु मघबलिया गोसदन के नाम देने का निर्णय लिया था? जिसमें केवल 500 (पाँच सौ) एकड़ जमीन गोसदन के नाम दी गयी है ? बाकी जमीन न देने का कारण क्या है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

गोरखपुर वन प्रभाग के सोनारी ब्लाक की 711 एकड़ भूमि, गोसदन के स्थापनार्थ पशु पालन विभाग को हस्तान्तरित करने के औपचारिक आदेश अप्रैल, 1969 में हुये थे। इसके विरुद्ध विभाग द्वारा वस्तुतः 500 एकड़ वन भूमि पर ही पशुपालन विभाग को जून, 1970 में सौंपी गई ।

इस गोसदन में केवल 100 से 150 पशु रखे जाते हैं। अतः हस्तान्तरित की गई 500 एकड़ भूमि ही आवश्यकता से अधिक है। इसी कारण शेष भूमि नहीं दी गयी।

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम कस्बे में उद्योग केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में आश्वासन

14—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बताएगी कि उद्योग राज्य मन्त्री श्री रेवती रमण सिंह ने गोरखपुर के कौड़ी राम कस्बे में उद्योग केन्द्र खोलने का आश्वासन प्रश्नकर्त्ता को वर्ष 1978 में दिया था? यदि हाँ, तो अब तक यह केन्द्र क्यों नहीं खोला जा सका? क्या सरकार इसे शीघ्र स्थापित करने पर विचार कर रही है?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, तत्कालीन राज्य मंत्री (लघु उद्योग) द्वारा प्रश्नकर्ताओं को मौखिक रूप से आश्वासित किया गया था कि उपयुक्तता के आधार पर भविष्य में योजना प्रसार लक्ष्य के तथा मापदण्डों के अनुरूप प्रश्नगत क्षेत्र में विकास केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकेगा। औपचारिक रूप से शासन के समक्ष यह प्रस्ताव नहीं आ सका। अतः उक्त कस्बे में विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

15—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री विक्रमा राय—

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत वर्ष की प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय और कितनी पूंजी निवेश करने का सरकार का इरादा है?

श्री बनारसी दास—

वर्ष 1976-77 में भारत वर्ष तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 1049 रु0 तथा 809 रु0 थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

जहां तक प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा पूंजी निवेशों के आकार का सम्बन्ध है कुछ प्रमुख सूचकांकों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को परिव्यय आवंटित करने हेतु विभिन्न विकल्पों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इस संबंध में यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सप्तम वित्त आयोग द्वारा प्रदेश को दी जाने वाली धनराशि

16—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री विक्रमा राय—

क्या सरकार बताएगी कि सप्तम वित्त आयोग ने प्रदेश को कुल कितना रुपया देने का निश्चय किया है और उसमें सरकार पूर्वी प्रदेश में कितना व्यय करने जा रही है?

श्री बनारसी दास—

सप्तम वित्त आयोग ने वर्ष 1979 से 1984 की अवधि के लिए राज्य सरकार को 3314.74 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि देने की संस्तुति की है। इसका आवंटन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नहीं किया जाता है। यह धनराशि राज्य सरकार की संहृत निधि में एकजाई रूप से जमा होती है तथा राज्य सरकार के आय-व्ययक के एक अभिन्न अंग के रूप में है।

कारागारों के बन्दी रक्षकों के वेतन में वृद्धि की मांग

17—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के कारागार के बन्दी रक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रदेश के अन्य राज्य कर्मचारियों के अलग बन्दी रक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने का कोई आधार नहीं है।

जिला कारागार, गोरखपुर के बन्दी रक्षकों का आवास गृह

18—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर जिला जेल में कितने बन्दी रक्षक सेवारत हैं ? कितने आवास गृह हैं ? क्या सभी बन्दी रक्षकों की आवास व्यवस्था के लिए सरकार प्रयास करेगी ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि विगत 3 वर्षों से कितना धन इन आवास गृहों की मरम्मत, सफाई आदि के लिए खर्च हुआ ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जिला कारागार, गोरखपुर में 93 बन्दीरक्षक सेवारत हैं । 41 आवास गृह तथा एक बैरक 20 अविवाहित बन्दी रक्षकों के लिये है । सभी बन्दी रक्षकों की आवास व्यवस्था के प्रश्न पर धन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा । विगत तीन वर्षों में जिला कारागार गोरखपुर में वार्षिक मरम्मत पर निम्नांकित धनराशि व्यय की गई। इस मरम्मत में बन्दी रक्षक आवास गृह भी शामिल है—

	रु0
1976–77	1,000
1977–78	1,000
1978–79	2,000

पी0ए0सी0 के नाई का वर्दी एलाउन्स

19—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि पी0 ए0 सी0 में नाई का काम कर रहे लोगों को सप्ताह में कोई अवकाश नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन लोगों को वर्दी तथा पी0 ए0 सी0 अलाउन्स भी मिलता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके काम को देखते हुए इनका वेतन तथा उपरोक्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही हैं ? अगर हां, तो यह सुविधाएं कब तक मिल जायेगी ?

श्री बनारसी दास—

पी0 ए0 सी0 में नाई को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलता है । इन्हें वर्दी तथा पी0 ए0 सी0 एलाउन्स अनुमन्य नहीं है । यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अनुरूप ही वेतन पाते हैं । इसके अतिरिक्त बालों की कटिंग आदि पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु इन्हें 75 पै0 प्रति माह प्रति कर्मचारी की दर से भुगतान किया जाता है ।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम हथगवां में श्री विजय चन्द्र, सिपाही एवं नक्सलपंथियों द्वारा आत्महत्या

20—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में कुन्डा थाने के अन्तर्गत ग्राम हथगवां में दिनांक 21 अगस्त, 1978 को श्री विजय चन्द्र सिपाही तथा दिनांक

29 अगस्त, 1978 को उसी ग्राम में तीन तथा कथित नक्सलियों की आत्महत्या के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट रही ?

श्री बनारसी दास—

घटनाओं की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली में श्री सचीन्दर सिंह के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट

21—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 2 अक्तूबर, 1978 को प्रतापगढ़ जनपद कोतवाली थाना के अन्तर्गत संजय होटल में युवा जनता के मन्त्री (श्री सचीन्दर सिंह) तथा एक और युवक को लाइन के पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा तथा उल्ट उन्हीं युवकों के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट लिखी गई ? यदि कोतवाली में रिपोर्ट लिखी गई तो रिपोर्ट में कुल कितने मुलजिम करार दिये गये ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सचीन्दर सिंह को पुलिस लाइन के लोगों द्वारा पीटने की बात सही नहीं पाई गई है । दूसरे युवक के संबंध में सूचना माँगी गई है । हाँ दिनाँक 2–10–78 को थाना कोतवाली में दो नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग धारा 147/284/342/332 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना में उनका तथा अन्य का होना पाया गया था ।उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में 6 अभियुक्तों का उल्लेख किया गया है ।

प्रतापगढ़ जिले में सरकार बनाम लाल सिंह का मुकदमा

22—श्री विद्याशंकर—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सरकार बनाम लाल सिंह, के मुकदमा उठाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना–पत्र श्री वानिराम सिंह कार्यवाहक प्रधानाचार्य सेवा श्रम इन्टर कालेज, ठिढई प्रतापगढ़ ने उनको सम्बोधित कर भेजा जो उनके कार्यलय में दिनाँक 3 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त भी हुआ ? यदि हाँ, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जी हाँ, प्रश्नगत अभियोजन-सरकार बनाम लाल सिंह के वापिस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री बलिराम सिंह प्राचार्य सेवाश्रम इन्टर कालेज, ढिढ़ई प्रतापगढ़ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । गुणावगुण के आधार पर विचार करने के पश्चात अभियोजन की वापसी हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृत शासन ने प्रदान कर दी है और आवश्यक निदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रतापगढ़ जिले के सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकील का मनोनयन

23–श्री विद्या शंकर–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रताप गढ़ में सरकारी वकील, स0 सरकारी वकीलों तथा नोटरी के मनोनयन की क्या प्रक्रिया रही है ? उपरोक्त पदों की नियुक्ति करने के क्या आधार रहे?

श्री श्रीचन्द्र–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के प्राविधानों के अनुसार फौजदारी पक्ष के तथा विधि परामर्शी निदेशिका के पैरा 7.03 के प्राविधानों के अनुसार दीवानी एवं माल पक्ष के सरकारी वकीलों एवं सहायक सरकारी वकीलों के मनोनयन हेतु जिला न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट पैनल गठित करके शासन को प्रेषित करते हैं और शासन द्वारा उक्त

बैनल में गुणावगुण के आधार पर उपर्युक्त पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। जिला प्रतापगढ़ में भी इसी आधार पर नियुक्तियां की गई।

24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(3रे गुरूवार में अतारांकित प्रश्न सख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

तहसील अकबरपुर के मुख्यालय पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अनशन

25—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद तहसील के मुख्यालय पर जनता पार्टी तथा कुछ अन्य नागरिकों ने कुछ माह पूर्व कस्बे में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निरन्तर आतंक फैलाने के तरीके तथा स्थानीय पुलिस की अकर्मण्यता पर क्रमिक अनशन किया था और दो नोटिसें वितरित कर उनके द्वारा की गई अनेकों घटनाओं का हवाला भी दिया था? यदि हाँ, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। नोटिसों में उल्लिखित मामलों में तथा स्थिति पर नियन्त्रण रखने हेतु यथोचित कार्यवाही की गई है।

पोलीथीन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, फैजाबाद का आवेदन-पत्र

26—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पोलीथीन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, फैजाबाद का आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 28 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ माननीय उद्योग मन्त्री को मिल गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

प्रश्नकर्त्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है?

श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, फैजाबाद का भूमि आवंटन के सम्बन्ध में पत्र

27—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि व्यवस्थापक, श्री गाँधी आश्रम खादी भवन, फैजाबाद का नजूल भूमि के आवंटन के बारे में आवेदन-पत्र प्रश्नकर्त्ता के 1 मई, 1978 के पत्र के साथ उद्योग मन्त्री को मिला है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

हाँ, व्यवस्थापक, गाँधी आश्रम, खादी भवन, फैजाबाद का प्रार्थना पत्र नजूल भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता तथा उद्योग मंत्री जी के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी को प्राप्त हुआ है जिस पर आवास विभाग के नजूल अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इसके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

यू०पी० स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी, अकबरपुर के कर्मचारियों के चरित्र का सत्यापन

28—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में स्थित यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी नं0 1 में अब तक कितनी नियुक्तियाँ की गई हैं? क्या उन सबको नियुक्त पत्र देने से पूर्व उनके चरित्र का पुलिस द्वारा वेरीफिकेशन कराया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

इस मिल में 12-3-1979 तक 995 व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गई हैं। अभी तक कम्पनी के नियमों में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने का प्राविधान न होने के कारण किसी के चरित्र का सत्यापन नहीं कराया गया है।

गोरखपुर के रामगढ़ वन विश्राम गृह व चीतल पार्क का क्षेत्रफल व जानवरों के पालन तथा रखरखाव पर खर्च, उसका विकास तथा जलपान गृह खोलने की मांग

29—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर का रामगढ़ बन विश्राम गृह कितने एकड़ में है ? यहाँ कितने जानवर प्रदर्शन के तौर पर पाले गए हैं ? इनके रख-रखाव, खाने आदि में प्रतिमास कितना धन खर्च किया जाता है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

गोरखपुर का रामगढ़ वन विश्राम गृह व इससे लगा हुआ चीतल पार्क का कुल क्षेत्रफल करीब 11 हे0 है। इसमें 10 हेक्टर में तारबाड़ घेरकर पाँच हिरन प्रदर्शन के तौर पर पाले गये हैं। पार्क तथा इनके रख-रखाव, खाने आदि में प्रतिमाह औसतन वर्तमान समय में रु0 2,500.00 खर्च हो रहा है।

30—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुकरैल, जिला लखनऊ की भांति गोरखपुर के रामगढ़ बन विश्राम गृह को भी विकसित करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कितने खर्च की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

रामगढ़ विश्रामगृह को कुकरैल जिला लखनऊ की भांति तो विकसित करने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है बल्कि लघु पैमाने पर इसे मनोरंजन वन के रुप में विकसित करने का कार्यक्रम चल रहा है। जिस पर वर्ष 1975–76 से 77–78 तक 94,972 रु0 व्यय किये गये तथा वर्ष 1978–79 में 30,000 रु0 के व्यय से चीतल पार्क तथा उसमें पाले गये हिरणों का रख-रखाव किया जा रहा है। 1979–80 से 1982-83 तक इस पार्क पर 1,50,000 रु0 व्यय करने का प्रस्ताव है।

गोरखपुर जिले के जंगल तिकोनिया, सूबाबीर एवं रामगढ़ के जंगली जानवरों द्वारा फसल को क्षति

32—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि दिसम्बर, 1978 में गोरखपुर के जंगल तिकोनियाँ, सूबाबीर एवं रामगढ़ रेंज के जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में शेरबहादुर कार्यकर्ता जनता पार्टी खोराबार-गोरखपुर का कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित, मिला था ? क्या कार्यवाही करने के आश्वासन के साथ वन मन्त्री ने दिनाँक 15 दिसम्बर, 1978 को पत्रोत्तर भी दिया था ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हाँ।

अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को लावारिस सहराई पशुओं को पकड़वाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

ताड़-बाड़ खिचवाने का हल व्यवहारिक नहीं है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे खेत और वन की सीमा के बीच एक अच्छी खाई खोदें और मिट्टी खेत की ओर इकट्ठा करके उस पर काँटेदार झाड़ी की बाड़ लगाकर अच्छी दशा में रखे। विभाग बाड़ लगाने में बीज आदि देकर उनकी पूरी मदद करेगा।

मिर्जापुर जिले के दुद्धी व अगोरी वन प्रभाग के तेन्दू पत्ती ठेकेदारों के गोदाम की जांच

33—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, वन प्रभाग, दुद्धी व अगोरी के अन्तर्गत तेन्दू पत्ती ठेकेदारों की पत्ती गोदामों की जाँच बिजिलेन्स द्वारा करायी गयी थी ? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हाँ। बिजीलेन्स अधिष्ठान के जाँच के फलस्वरूप दुद्धी व अगोरी वन प्रभाग के 91 तेन्दू पत्ती के इकाइयों के ठेकेदारों पर अतिरिक्त राजस्व निर्धारित किया गया। जब इन ठेकेदारों को अतिरिक्त राजस्व जमा करने हेतु नोटिस दी गई तो इन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि विवाद को आरबीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत करके तय किया जाय। इस पर 23 इकाइयों के ठेकेदारों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी है तथा शेष मामले आरबीट्रेटर में है। सारांश में, सभी मामले सब जुडिस होने के कारण, वसूली स्थगित है।

मिर्जापुर जिले के अगोरी व विजयगढ़ वन प्रभाग के ठेकेदारों से बकाए की वसूली

34—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगोरी विजयगढ़ वन प्रभाग में कितने ऐसे ठेकेदार है जिनके जिम्मे वन राजस्व अर्थात् ठेके का धन अभी तक बकाया है और उसकी वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

अगोरी विजयगढ़ वन प्रभाग के 37 ऐसे ठेकेदार है जिनके जिम्मे वन राजस्व अर्थात् ठेके का धन अभी तक बकाया है। इस बकाये की वसूली हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:—

(1) 14 ठेकेदारों से वसूली हेतु जिलाधिकारी को लिखा गया है। इनमें से 2 ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। शेष 12 ठेकेदारों से वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

(2) 5 ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनसे बैंक गारन्टी प्राप्त की जा रही है।

(3) 6 ठेकेदारों के माल की जाँच करवाकर उसे नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) 2 ठेकेदारों को बकाया धनराशि जमा करने हेतु नोटिस दिया गया है।

(5) 10 ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा ये मामले आरबीट्रेशन में हैं।

प्रादेशिक सिविल सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में रिक्त पद

35—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एस0 के सीनियर, सेलेक्शन ग्रेड में इस समय कितनी वैकेन्सीज हैं और उनको भरे न जाने का क्या कारण है तथा सीनियर

स्केल की पोस्टस पर कितने जूनियर स्केल के अधिकारीगण सीनियर स्केल तथा सेलेक्शन ग्रेड का कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में स्वीकृत 190 पदों में से इस समय 50 पद रिक्त हैं। ज्येष्ठ वेतनमान में 190 पद वर्ष 1976 में इस सेवा के संवर्ग की तत्कालीनक कमी तथा भविष्य की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति के लिये स्वीकृत किये गये थे। इसके अलावा शासन के अधीन स्वायत्त शासन सस्थाओं आदि में 41 ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही आवश्यकता तथा उपलब्धता के अनुसार की जाती है । इस सेवा के साधारण वेतनमान के 3 अधिकारी, अस्थाई रूप से , अपने ही वेतनमान में रहते हुए, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ज्येष्ठ वेतनमान के तीन पदों पर कार्य कर रहे हैं। प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा में कोई सेलेक्शन ग्रेड नहीं है ।

शासन के नियुक्ति विभाग में पी0सी0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

36—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन में जब अधिकतर तादाद पी0 सी0 एस0 आफिसर्स की है तो शासन के नियुक्ति अनुभाग में किसी पी0सी0एस0 आफिसर के न होने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

शासन के विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार ही अधिकारी तैनात किये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति विभाग में कोई पी0 सी0 एस0 अधिकारी अवश्य तैनात रहे ।

37—श्री झामलाल अहेरवार—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

आजमगढ़ के खलीफतपुर हौथा, निवासी भी सन्तू की हत्या

38—श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनाँक 28 अगस्त, 1978 को सन्तू हरिजन पुत्र जैपाल, निवासी खलीफतपुर हौथा, थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ का कत्ल हुआ ? इसमें किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है ? शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित हत्या का एक अभियोग थाना कंधरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसमें सर्वश्री कालीचरन, मुरली, निन्हकू तथा सोहन नामजद किये गये। सभी मुल्जिमान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के पी०सी0एस० अधिकारियों की प्रोन्नति

39—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान शासन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण किये जाने की घोषित नीति के 'आधार पर इस समय प्रदेश में कितने ऐसे डिप्टी कलेक्टर्स हैं जिन्हें सामान्य वेतन-मान से उच्च वेतन-मान में पदोन्नति किया गया है ? उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जाति के अधिकारियों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री बनारसी दास—

जनवरी सन् 1978 से अब तक तीन पिछड़ी जाति के तथा 9 अनुसूचित जाति के अधिकारी उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के साधारण वेतनमान से उक्त सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति किये गये ।

थाना राम सनेही घाट, बाराबंकी में श्री गोपाल नारायण एवं श्री हृदय नारायण के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट

40—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में दिनाँक 28 नवम्बर, 1978 को श्री रामसागर प्रधान ने धारा 395/504 के अन्तर्गत सर्वश्री गोपाल नारायण एवं हृदय नारायण पुत्रगण श्री इकबाल नारायण तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई एफ0 आई0 आर0 लिखायी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम सागर प्रधान ने 15 किलो उरद गोपाल नारायन व अन्य द्वारा छीन लेने के रिपोर्ट अंकित कराई थी जिसमें विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

बाराबंकी के श्री गोपाल नारायण एवं श्री हृदय नारायण व अधिकारियों के विरुद्ध श्रीमती सूर्यमुखी श्रीवास्तव का शिकायती-पत्र

41—श्री रामपति—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सूर्यमुखी श्रीवास्तव विधवा स्वर्गीय श्री गुरुचरन लाल, निवासी आजाद नगर, कानपुर ने जनपद बाराबंकी के निवासी सर्वश्री गोपाल नारायण एवं हृदय नारायन पुत्रगण श्री इकबाल नारायण एवं वहाँ के अधिकारियों के विरुद्ध दिनाँक 20 नवम्बर, 1978 को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। आयुक्त से जाँच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

42—श्री रामपति—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जाँच के उपरान्त कौन-कौन व्यक्ति एवं अधिकारीगण दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

शिकायत की जाँच कराई जा रही है।

43—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में जिलेवार हरिजन व पिछड़े वर्ग के थानाध्यक्ष

44—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के प्रत्येक जनपद में कितने-कितने थानाध्यक्ष और सहायक थानाध्यक्ष वर्ष 1978 में नियुक्त रहे हैं और जिलेवार ऐसी नियुक्ति में हरिजन और पिछड़े वर्ग की नियुक्ति का प्रतिशत क्या है ?

श्री बनारसी दास—

प्रदेश के थानों पर सहायक थानाध्यक्ष का कोई पद नहीं है। थानाध्यक्षों से सम्बन्धित वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1111–1114 पर)

45—श्री राज किशोर तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

थाना विनोली, जिला मेरठ में पंजीकृत श्री सईद की हत्या की रिपोर्ट

46––श्री मन्जूर अहमद––

क्या मुख्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि सईद को जान से मारने की कोई रिपोर्ट 17 जनवरी, 1979 को थाना विनोली, जिला मेरठ में दर्ज हुई है जिसकी एस0आई0ए स0 जाँच कर रहा है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बनारसी दास––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लेखानुसार श्री सईद की हत्या के संबंध में दिनाँक 17–1–1979 को कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, बल्कि श्री मजीद पुत्र श्री लाला, निवासी ग्राम विटावदा, थाना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर के प्रार्थनापत्र दिनाँक 18–12–78 के आधार पर चार नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध श्री सईद की हत्या आदि करने के संबंध में दिनाँक 19–12–78 को थाना बिनोली, जिला मेरठ पर धारा 394, 302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध की प्रारम्भिक विवेचना स्थानीय पुलिस तथा एस0 आई0 एस0 द्वारा की गई। अपराध की विवेचना अब राज्य अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

47––श्री रामदत्त जोशी––

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल के ग्राम लालढांग में वन्य जन्तुओं के आतन्क के विरुद्ध शिकायती पत्र

48––श्री रामदत्त जोशी––

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम मंगलवार (दिनाँक 22–8–78) के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जून तथा जुलाई, 1977 तथा दिसम्बर, 1977 में और 1 जनवरी, 1978 से लेकर 31 दिसम्बर, 1978 तक नैनीताल जनपद की रामनगर तहसील के लाल डाक नामक गाँव में वन्य जन्तुओं द्वारा फसलों, किसानों के घरों तथा पशुधन को क्षति पहुचाने सम्बन्धी कितनी लिखित शिकायत माननीय मन्त्री, मुख्य अरण्यपाल तथा डी0 एफ0 ओ0 रामनगर अथवा वाइल्ड लाइफ वार्डेन, रामनगर को प्राप्त हुई ? क्या उपरोक्त गाँव टाइगर, प्रोजेक्ट की सीमा पर घने जंगलों के बीच में आबाद हैं ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन––

माह जून तथा जुलाई, 1977 तथा दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी से दिसम्बर, 1978, तक नैनीताल जनपद की रामनगर तहसील के लालढांग नामक ग्राम में वन्यजन्तुओं द्वारा फसलों, किसानों के घरों तथा पशुधन को क्षति पहुंचाने सम्बन्धी कुल 10 शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुईं ।

जी हाँ, उपरोक्त गाँव घने जंगलों के बीच आबाद हैं।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रीय पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाएं

49––श्री रवीन्द्र सिंह––

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कार्य करने वाले पत्रकारों की भांति, इन्हीं पत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकारों को दवा, यातायात तथा दूसरी सुविधायें देने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक आदेश दिये जायंगे ? यदि नहीं, तो नगरीय व ग्रामीण पत्रकारों में भेदभाव करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास––

पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का कोई भेदभाव नहीं है । दवा एवं चिकित्सा की सुविधा जिले के सभी श्रमजीवी पत्रकारों को समान रूप से उपलब्ध है । यातायात की सुविधा केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही दी जाती है, चाहे वह जिले के मुख्यालय पर (अथवा किसी नगरीय क्षेत्र में) कार्यरत हों, या किसी ामीण क्षेत्र में ।

फैजाबाद जिले के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मांग

50—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था है ? क्या फैजाबाद जनपद में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री बनारसी दास—

उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद हैं।

फैजाबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

फैजाबाद जिले में हरिजनों द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट

51—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक फैजाबाद जनपद के विभिन्न थानों मे हरिजनों द्वारा कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? हरिजनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री बनारसी दास—

138 दस्तन्दाजी तथा 303 गैर-दस्तन्दाजी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई ? हरिजनों की सुरक्षा हेतु शासन ने निम्न कदम उठायें:—

(1) हरिजन सेल स्थापित है ।

(2) गैर-दस्तन्दाजी अपराधों की तफतीश करने के आदेश हैं।

(3) आवंटित भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु कठोर दंड का प्राविधान किया गया ।

(4) सवर्णों द्वारा क्षति पहुंचाने पर आर्थिक सहायता देने का प्राविधान किया गया है ।

फैजाबाद के अमानीगंज में थाना बनाए जाने की मांग

52—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में अमानीगंज में थाना बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? क्या अमानीगंज थाना निर्माण के लिए जिलाधिकारी, फैजाबाद ,पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद, डी0 आई0 जी0, फैजाबाद परिक्षेत्र ने अपनी संस्तुत 1978 में दी है ? यदि हाँ, तो स्वीकृति और शीघ्र निर्माण में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसी दास—

वर्ष 1977–78 में पुलिस अधीक्षक फैजाबाद, जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र द्वारा थाना खण्डासा का मुख्यालय खन्डासा से हटाकर अमानीगंज में स्थापित करने की संस्तुति पुलिस मुख्यालय की संस्तुति सहित प्राप्त हुई थी। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि थाना खन्डासा का मुख्यालय खन्डासा म ही रखा जाय तथा इसका भवन खन्डासा में ही इस हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि पर बनाया जाय और जब तक थाने का भवन बनकर तैयार न हो जाय तब तक थाना खन्डासा का मुख्यालय अमानीगज में अस्थाई रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाय '

थाना खन्डासा का मुख्यालय खन्डासा में हो अथवा अमानीगंज में इस प्रश्न पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को ध्यान में रखकर पुन: विचार किया जा रहा है।

53—श्री रेवती शरण मौर्य—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग

54—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978 के अक्तूबर से जनवरी, 1979 तक पुलिस ने कितनी जगह फायरिंग किया तथा इस फायरिंग में कितने लोगों की मौतें हुईं ?

श्री बनारसी दास—

सुचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद जिले के गोसाईगंज व बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली

55—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1979 में गोसाई गंज, जिला फैजाबाद व राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी में पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाने की घटना की मजिस्टीरियल जाँच कराई गई है ? यदि हाँ, तो जाँच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आए, क्या जाँच के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थानान्तरित भी कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जनवरी, 1979 में गोसाईगंज, जिला फैजाबाद व रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इन दोनों घटनाओं की मजिस्टीरियल जाँच की जा रही है तथा अभी तक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।

जनपद फैजाबाद में थानाध्यक्ष, अकबरपुर का स्थानान्तरण जनपद बहराइच तथा उप निरीक्षक का स्थानान्तरण थाना टाँडा जनपद फैजाबाद किया जा चुका है।

जनपद बाराबंकी में परगना मजिस्ट्रेट रामसनेही घाट एवं मौके पर तैनात पुलिस फोर्स के कर्मचारियों का कार्य परिवर्तन/स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले के ग्राम रमपुरवा के श्री राजमंगल शुक्ल की हत्या

56—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के खजनी थानान्तर्गत रामपुरवा गाँव के एक युवक की हत्या करके नवम्बर, 1978 में लाश गायब कर दी गयी ? क्या इस घटना के पीछे थानाध्यक्ष खजनी का भी हाथ बताया जाता है ? लाश प्राप्त करने के लिए पुलिस ने क्या-क्या प्रयास किया ? जनवरी, 1979 तक लाश के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजमंगल शुक्ल की हत्या करके अभियुक्तगण उसकी लाश उठा ले गये। थानाध्यक्ष खजनी का इस संबंध में हाथ नहीं पाया गया। लाश का पता लगाने में पुलिस प्रयत्नशील है।

गोरखपुर जिले के थाना खजनी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

57—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिसम्बर, 1978 में गोरखपुर जिले के खजनी थाने के इन्चार्ज ने अकारण किसी एडवोकेट को बन्द कर दिया था ? क्या इस घटना की शिकायत गोरखपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन व सरकार से तत्काल किया है ? यदि हाँ, तो तुरन्त जाँच करा कर थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

कथित घटना के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायती पत्रों की जाँच कराई गई जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो सही पायी गई लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा थाने में कुछ अभियुक्तों की पिटाई करना औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया। जिसके लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी ।

आगरा नगर में कृषि यन्त्र बनाने हेतु लोहा प्लेट्स का आवंटन

58—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1978 में आगरा नगर में कृषि यन्त्र बनाने हेतु लोहा, प्लेट्स का कोटा आवंटित किया गया? यदि हाँ, तो कितनी उद्योग इकाइयों को यह कोटा आवंटित किया गया है? क्या लोहा प्लेट्स आवंटित की गयी इकाइयाँ कार्यरत हैं? अथवा नहीं? यदि कार्यरत हैं तो कृषि यन्त्र का उत्पादन वर्ष 1978 में उनके यहाँ कितना हुआ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद जिले के थाना करारी के भवन का किराया

59—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत तहसील मंझनपुर में थाना करारी किराए के मकान में चल रहा है? यदि हाँ, तो अब तक कितना धन किराए के रूप में दिया गया? और क्या थाने के स्थायी भवन निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो यह कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। अब तक 8,616 रु0 की धनराशि किराये के रूप में दी जा चुकी है एवं इसके स्थायी भवन निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रतापगढ़ के परगनाधिकारी, कुण्डा द्वारा छात्रों की जूते से पिटाई

60—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में थाना लालगंज में दिनांक 6 जनवरी, 1979 को परगनाधिकारी कुन्डा ने पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कुछ छात्रों को जूता से मारा? क्या यह सही है कि दिनाँक 12 जनवरी, 1979 को कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हथियारों से लैस थे क्रान्तिकारी ओंकार नाथ के घर पर जाकर जान से मारने की धमकी दी? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री ओंकार नाथ ने कोई रपट लालगंज में की, यदि हाँ, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसी दास—

जिला स्तर पर ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जाँच जिला मजिट्रेट द्वारा कराई जा रही है। दिनाँक 12-1-79 की कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओंकार नाथ क्रांतिकारी द्वारा लिखाई गई है। अपराध अप्रसंज्ञेय होने के कारण इसमें विवेचना नहीं हुई।

प्रतापगढ़ जिले में आरक्षण के विरोध में की गयी गिरफ्तारियां

61—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास जनवरी, 1979 में आरक्षण के विरोध आन्दोलन के सम्बन्ध में जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितने छात्र गिरफ्तार किये गये और इस आन्दोलन में प्रतापगढ़, जनपद में कितनी बसें जलाई गयीं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ?

श्री बनारसी दास—

माह जनवरी, 1979 में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के संबंध में जनपद प्रतापगढ़ में कुल 33 छात्र गिरफ्तार किए गये तथा इस आन्दोलन में दो बसों में आग लगाकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार माह जनवरी, 1979 में 15,900.00 रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति की रिपोर्ट मिली है ।

इस संबंध में विभिन्न विभागों से भी सूचना मांगी गयी थी जनके अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति निम्नलिखित प्रकार रिपोर्ट की गई है:—

डाकतार अधीक्षक	..	..	700·00 रुपये
इंचार्ज रोडवेज (बस)	..	..	25,800·00 रुपये
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	..	..	1,500·00 रुपये
विकास कार्यालय (कृषि सहकारिता आदि)	..	..	5,000·00 रुपये
योग	..	..	33,000·00 रुपये

बहराइच जिले में अपराध में वृद्धि एवं पुलिस फोर्स की कमी

62—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को ज्ञात है कि बहराइच जिले में पुलिस फोर्स की संख्या कम होने के कारण पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के क्राइम में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो थानावार पुलिस फोर्स वर्तमान क्या है और कितनी होनी चाहिए ? फोर्स की कमी को कब तक पूरा कराकर क्राइम पर नियन्त्रण करने की शासन कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

बहराइच जिले में वर्ष 1976 में 5,112, 1977 में 4,794 तथा 1978 में कुल 5,483 हस्तक्षेपीय अपराध अंकित हुये हैं । इस प्रकार जनपद बहराइच में पिछले एक वर्ष में अपराधों में वृद्धि हुई है जिसका एक मात्र कारण पुलिस फोर्स की कमी नहीं है ।

बहराइच जिले के थानों का वर्तमान स्वीकृत नियतन का विवरण संलग्नक में अंकित है । दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार इस स्वीकृत नियतन के विरुद्ध कुल 23 हेड कान्सटेबिल व 29 कान्सटेबिल की रिक्तियां थीं जिनका चयन व भर्ती की जा चुकी थी और प्रशिक्षण चल रहा था । इन रिक्तियों की वर्तमान स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1115 पर)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन सघर्ष समिति, लखनऊ द्वारा प्रधान मन्त्री को भेजा गया पत्र

63—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन संघर्ष समिति, लखनऊ द्वारा प्रधान मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 4-11-77, 3-10-77 तथा 13-1-78 को लिखे गए सभी पत्रों या किसी पत्र की कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें समिति ने प्रदेश के पुनर्गठन की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

औडिहार में पकड़ी गयी केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की दवा

64—श्री मित्रसेन यादव (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 गत वर्ष जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन जखनिया, गाजीपुर में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की सरकारी दवाइयों की चोरी पकड़ी गयी है और मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें सम्बन्धित मेडिकल अधीक्षक श्री एस0 एन0 राय का हाथ बताया जाता है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया है कि दिनांक 11-10-78 को राजकीय रेलवे पुलिस, औडिहार के कर्मचारियों द्वारा शिवशंकर दुबे नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके कब्जे से लगभग एक हजार रुपये की कीमत की ऐसी दवाइयां बरामद हुयी थीं जिन पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की मोहर लगी हुयी थी। इस सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, मऊ पर एक दरियाफ्तहाल विवेचना अन्तर्गत धारा 41, 411 भा0 दं0 वि0 आरम्भ की गयी और घटनास्थल थाना कैन्ट, जनपद वाराणसी का पाये जाने पर समस्त अभिलेख अग्रिम विवेचना हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को भेजे गये ह। अभी तक की विवेचना से इस मामले में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में दवाई चोरी होने तथा उसमें मेडिकल अधीक्षक श्री एस0 एन0 राय का हाथ होने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है।

जी०आर०पी0, लखनऊ के कर्मचारियों का जी०पी0एफ० एवं पेंशन

65—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग की जी0 आर0 पी0 शाखा, लखनऊ के कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी है जो कि दिनांक 1 जून, 1977 से 31 दिसम्बर 1977 तक की अवधि में सेवा निवृत्त हो चुके हैं परन्तु उन्हें अभी तक पेंशन नहीं प्राप्त हो सकी है तथा फण्ड आदि का पैसा भी नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 1 जून, 1977 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि में जी0 आर0 पी0 शाखा लखनऊ के कुल छः अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये जिनमें से केवल एक कर्मचारी की पेंशन व दो कर्मचारियों के जी0 पी0 फन्ड में जमा धनराशि के भुगतान आदेश जारी किए जाने शेष हैं। इनके मामले महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के यहां विचाराधीन हैं।

एटा जिले में दिए गए आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स और प्राप्त प्रार्थना पत्र

66—श्री मान पाल सिंह (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में 15 नवम्बर, सन् 1977 से 25 अक्तूबर, सन 1978 तक कुल कितने अस्त्र-शस्त्रों के लायसेन्स प्रत्येक थाने में दिए गए ? क्या यह सत्य है कि थाना मारहरा तथा निधौली एवं पटियाली में ऐसे व्यक्तियों को भी बन्दूक व राइफल के लाइसेन्स दिये गये हैं जिनके नाम कोई भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति नहीं है अथवा उनके नाम थाने के हिस्ट्री शीटर सूची में दर्ज है ? यदि हां, तो ऐसे लाइसेन्सदार कौन-कौन हैं तथा उनको लाइसेन्स दिए जाने का आधार क्या है ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

67—श्री मान पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में ऐसे कितने अस्त्रों के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं जिनके घरों में डकैती पड़ चुकी है या कत्ल हो चुके हैं या परिवार के किसी सदस्य का अपहरण हो चुका है और जीवन सुरक्षित नहीं है और उनको पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद भी लाइसेन्स की स्वीकृति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स दे दिये जायेंगे ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के थाना घुघली के थानाध्यक्ष, श्री डी० के० सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र

68—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के घुघली थाना के इंचार्ज श्री डी0 के0 सिंह के विरुद्ध उक्त थाना के न्याय पंचायत गोपाला के सरपंच श्री अवधेश पाण्डेय ने गम्भीर आरोप लगाए हैं तथा शासन को अक्तूबर, 1978 से 15 जनवरी, 1979 तक अनेक आरोप पत्र प्रेषित किये हैं। यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध कौन-कौन से गम्भीर आरोप हैं तथा शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। जिले स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुयीं। शासन को शिकायती पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं हुआ है। शिकायती पत्रों में थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। आरोपों की जांच कराई गयी। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1116 पर)

69—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4 थे मंगलवार के लिए स्थगित]

मिर्जापुर के औड़ी वन प्रभाग में मजदूरों की बकाया मजदूरी और रेंजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

70—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, वन प्रभाग दुद्धी, पिपरी, आड़ी रेन्ज के अन्तर्गत सन् 1975 से अब तक लगाये गये प्लान्टेशन में महीनों कार्यरत बनवासी मजदूरों का लगभग 10,000 रु0 मजदूरी बकाया है तथा वहां के रेन्जर के खिलाफ कई बार प्रश्नकर्त्ता तथा क्षेत्र की जनता ने शिकायत पत्र दिया ? उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी नहीं। केवल औड़ी (सिंगरौली) रेंज का, 1978 रोपावनी के निस्बत, 231 रु0 मजदूरी के वितरित करने हेतु अवशेष हैं। इस विषय में अगस्त 1978 में प्राप्त शिकायत पर छानबीन की गई। इस मजदूरी का भुगतान इस माह किया जा रहा है। जैसे ही मजदूरी के अवशेष होने का तथ्य प्रकाश में आया रेंज आफिसर को चार्ज से हटा दिया गया तथा उनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

71—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित वन प्रभाग, आड़ी रेन्ज के रेन्जर के खिलाफ सन् 1975 से अब तक भ्रष्टाचार, गलत कटान एवं ठेकेदारी स्वयं कराना आदि के सम्बन्ध में स्वयं तथा क्षेत्र की जनता ने कई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन---

सिंगरोली (औड़ी) रेंजर के विरुद्ध 5 शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिसमें दो प्रश्नकर्त्ता के और 3 क्षेत्रीय जनता के थे। पाँचों शिकायतों पर पूरी जाँच की गयी, दो शिकायतों में दिये गये तथ्य आँशिक रूप से सत्य पाये गये जिसके फलस्वरूप रेन्जर को चार्ज से हटा दिया गया है और अन्य कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इलाहाबाद जिले के थाना कर्नलगंज में पंजीकृत मुकदमा राज्य बनाम श्री एस० सी० गर्ग की जांच

72---श्री रेवतीशरण मौर्य (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० सं० 175/76, दिनाँक 15 जुलाई, 1975, धारा 309, भा० दं० वि०, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद, राज्य बनाम एस० सी० गर्ग में पुलिस जाँच में बिलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि न्यायालय में आरोप-पत्र भी नहीं भेजा गया है ? क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार 17-7-75 को सहायक अभियन्ता प्रथम शारदा सहायक खण्ड, 30 इलाहाबाद द्वारा थाना कोतवाली (जिला इलाहाबाद) पर ठेकेदार के विरुद्ध 1641 बोरी सरकारी सीमेन्ट वापस न किए जाने की सूचना दिये जाने पर धारा 409, भा० दं० वि० के अधीन सूचना दर्ज करके कागजात थाना जी० आर० पी०, इलाहाबाद भेजे गये जहाँ 21-7-75 को अपराध संख्या 550/75 धारा 409, भा० दं० वि० का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना से घटनास्थल थाना सोराँव अथवा कर्नलगंज ज्ञात हुए, अतः कागजात उक्त थानों पर भी भेजे गये, अन्ततोगत्वा 14-3-76 को थाना कर्नलगंज पर धारा 409, भा० दं० वि० के अधीन अपराध संख्या 175 कायम किया गया। विवेचना से इस घटना के अभियुक्त वादी एस० सी० गर्ग, सहायक अभियन्ता एवं एस० सी० त्रिपाठी, जूनियर इन्जीनियर प्रकाश में आये। प्रश्नगत मामले में विवेचना जारी है। विवेचना में बिलम्ब के निम्न कारण हैं:---

1---घटनास्थल से संबंधित थाने पर मुकदमा न कायम कराया जाना।

2---घटनास्थल से संबंधित थाना ज्ञात होने में बिलम्ब होना।

3---वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजे गये एस० सी० गर्ग के नमूना हस्ताक्षर का अपर्याप्त होना।

4---दोनों अभियुक्तों के पुनः नमूना हस्ताक्षर व नमूना हस्तलेख लेने हेतु अभियुक्तों का न मिलना।

अब न्यायालय के समक्ष उक्त अभियुक्तों के नमूना हस्ताक्षर एवं नमूना हस्तलेख लेकर वैज्ञानिक शाखा को 2-3-79 को मिलान हेतु भेजे गये हैं मिलान का परिणाम प्राप्त होते ही विवेचना को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रतापगढ़ जिले के थाना जठवारा की पुलिस के विरुद्ध श्रीमती सरभू देवी के पति के हत्या का आरोप

73---श्री विद्या शंकर---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, थाना जठवारा क्षेत्र के पूरे मनामजरे मनालपुर डोमीपुर की निवासी श्रीमती सरभू देवी के पति को जेठवारा थाने के तीन पुलिस दिनाँक 7 नवम्बर सन् 1978 ई० को उसके घर से पकड़ ले गये और उसे मारते-मारते मार डाला ? क्या यह सही है कि मृतक की पत्नी श्रीमती सरभू देवी ने इस सम्बन्ध में जाँच के लिए प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, आई० जी०, जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया ? यदि हाँ, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

कथित घटना के संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच अभी चल रही है।

प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की घटनाएं

74—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 महीने के अन्दर जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत तथा नगर में कितनी चोरियाँ हुई ? क्या उन चोरियों में से किसी चोरी का पता चला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 1-7-78 से 31-12-78 तक कुल 126 चोरी की घटनायें हुईं। उक्त घटनाओं में से 20 का पता चल गया है तथा 20 मामले अभी विवेचनाधीन है। शेष मामले लापता रहे।

राजकीय कार्यालयों, मार्गों एवं वाहनों के हिन्दी में सूचना पट

75—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की राजभाषा हिन्दी होने के बाद भी राजकीय कार्यालयों, मार्गों तथा वाहनों में सूचना पट अंग्रेजी भाषा में लिख कर लगे हुये है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस आशय का आदेश तुरन्त निर्गत करने की कृपा करेगी कि समस्त राजकीय, अर्धराजकीय तथा निगमों के कार्यालयों, भवनों, वाहनों तथा मार्गो पर लगी सूचनाएं तथा पट्टिकाएं राजभाषा में लिखी जायं ?

श्री बनारसी दास—

राजकीय कार्यालयों तथा मार्गों आदि में सूचना पट्ट हिन्दी में लगाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं और प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार कार्यालयों तथा मार्गों के सूचना पट्ट हिन्दी में लगे हुये हैं। जहाँ कहीं पर्यटकों आदि की सुविधा के लिये हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी सूचना पट्ट लगाये गये हैं वहाँ भी हिन्दी को प्रथम स्थान दिया गया है।

जहाँ तक वाहनों का प्रश्न है इनके सूचना पट्ट (डेस्टीनेशन बोर्ड) हिन्दी में लगाये जाते हैं। किन्तु मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेट अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लिखवाने की छूट है। प्रतिबन्ध यह है कि यदि नम्बर प्लेट हिन्दी में लिखी जायं तो उसे साथ ही साथ अंग्रेजी में भी लिखा जाय।

तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा के अन्तर्गत डाकुओं द्वारा महिला व पुरुष का अपहरण

76—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में सन् 1978 में कितने अपहरण डाकुओं द्वारा किये गये और प्रत्येक थाने (पुलिस) में यह संख्या क्या है ? क्या किसी महिला का अपहरण भी किया गया ? अगर हाँ, तो अपहृत पुरुष तथा महिलाएं अब भी डाकुओं के शिकन्जों में हैं ? अगर हाँ, तो यह संख्या कितनी है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा के अन्तर्गत थानों में अपहरण के कुल 19 अपराध पंजीकृत किये गये, जिनमें से थाना फतेहाबाद पर 6, थाना शमशाबाद पर 5, थाना डौकी पर 3 एवं थाना निबोरा पर 5 अपहरण के अपराध पंजीकृत हुये। थाना फतेहाबाद के अन्तर्गत एक स्त्री के अपहरण के संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया। आहृत स्त्री को बदमाशों से छुड़ाया गया। अब कोई अपहृत पुरुष या महिला डकैतों के शिकन्जे में नहीं है।

राजेन्द्र नगर, लखनऊ स्थित आरा मशीन को हटाने का आदेश

77—श्री रामदत्त जोशी—

क्या आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र नगर, लखनऊ में स्थित आरा मशीन उद्योगों को वहाँ से हटाकर अन्यत्र नजूल भूमि दिये जाने के लिए जी0 ओ0 नं0 4536/एम–36–57 (एच)–62, दिनाँक 24 अक्तूबर, 1963 जारी किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत एस0 के0 खन्ना नामक व्यक्ति को एलाटमेंट आदेश सं0 1243/एन0 एस0–207–5–1362, दिनाँक 14 मार्च, 1973 के द्वारा प्लाट नं0 3 एलाट किया गया था और उपरोक्त व्यक्ति (एलाटी) द्वारा प्रीमियम और लीज की रकम भी जमा कर दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उपरोक्त एलाटमेंट आर्डर अवैधानिक रुप से खारिज कर दिया गया है ?

श्री मुहम्मद मसूद खां—

शासनादेश, दिनाँक 24 अक्तूबर, 1963 के आधार पर आदेश दिनाँक 14–3–1973 के द्वारा प्लाट नं0 3 श्री एस0 के0 खन्ना को एलाट किया गया था और एलाटी ने नजराने व किराये की धनराशि जमा कर दी थी। किन्तु मामला विवादास्पद होने के कारण बाद में यह आवंटन निरस्त कर दिया गया, परन्तु श्री एस0 के0 खन्ना द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः आवंटन की वैधानिकता के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित न होगा।

आज सदन में घटित घटना के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा खेद प्रकाशन

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि अभी आज जो कुछ इस सदन में हुआ वह इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। माननीय मान सिंह आजाद और माननीय सोहनवीर सिंह तोमर जी जैसे लोग तो मान्यवर, स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं, मगर मुझ जैसे कमजोर सदस्य की रक्षा के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? आप मान्यवर, कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि सदन सुचारु रूप से चल सके और इस सदन की गरिमा भी कायम रह सके। कृपा करके आप बतायें कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा भी निवेदन सुन लें। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में व्यवस्था सुन्दर रूप से चले इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप बराबर यह देख रहे हैं, अब से नहीं वर्षों से कि जब-जब यहाँ वाद-विवाद हुआ है, हम लोगों का यह कटु अनुभव हो रहा है कि बहुधा ऐसे समय में ऐसा व्यवधान होता है, एक तो सुन्दर व्यवधान होता है और एक ऐसा होता है कि हम लोग बोल तक नहीं पाते, बावजूद माननीय नेताओं के बीच बचाव के, यहाँ ऐसा चीतकार होता है, मेजें थपथपाई जाती हैं और उसके लिए दाद दिया जाता है, ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी नागवार लगती हैं।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर यहाँ विचार होना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी विरोधी दल की तरफ से कोई भी ऐसा अनुचित काम करे तो उसके कान पकड़े जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी अशोभनीय बात हम विरोधी पक्ष के लोग करने को तैयार नहीं हैं। यह जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इनको ही चाहिए कि ये लोग अपने को व्यवस्थित करें। मैं माननीय नेता सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसी व्यवस्था करायें ताकि सदन की गरिमा और शोभा रहे और ऐसी अशोभनीय बातें, जैसी कि हो रही हैं, हाथा-पाई तक की नौबत आ रही है, यह न होने पायं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कुछ समय पहले जो यहां वातावरण उत्पन्न हुआ यह संसदीय प्रणाली में उचित नहीं कहा जा सकता। इस सदन के अन्दर दो रूप हैं—एक सत्ता पक्ष का है और दूसरा विरोधी पक्ष का है। संसदीय प्रणाली में, सत्ता पक्ष को एक रूप में देखते हैं, उसके दो रूप नहीं देख सकते, और जब प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष में ऐसी बातें होंगी तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रणाली किस तरह से कार्य करेगी ? इसका आप कुछ न कुछ समाधान करें, सत्तारूढ़ दल के नेता कुछ समाधान करें, अगर सदन के नेता ही सदन को वह नेतृत्व न दे पा रहे हों तो क्या यह सदन फिर चल सकेगा या नहीं ? इस पर मैं आपका समाधान चाहता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)

मान्यवर, इस माननीय सदन में जो घटना आज घटी है इसके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जैसा अभी माननीय सेठी जी ने कहा इस सदन के दो स्वरूप हैं—एक सत्ता दल का और दूसरे विरोध पक्ष का है। यहाँ माननीय सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और तर्कों से काटते हैं, मार-पीट से नहीं, तर्कों से काटा जाता है। पौने दो वर्ष तक श्रीमन् जो हालत रही है, जैसा कि हमारे माननीय श्यामधर जी ने जिक्र किया आप देख रहे हैं कि जब हम लोग बोलते हैं, तो उधर से व्यवधान डाला जाता है और उस व्यवधान डालने वालों को बढ़ावा मिलता रहता है। अब दुर्भाग्य से श्रीमन्, वह सत्तारूढ़ पक्ष के दुर्भाग्य से और हम लोगों के सौभाग्य से यह स्थिति पैदा हो गई है कि आपस में काफी खींचातानी है। लेकिन इस खीचतान का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि इस माननीय सदन का प्रयोग अपने अन्दरूनी झगड़े को तय करने के लिए या सुलझाने के लिए किया जाय। यह बहुत ही अनुचित है। और संसदीय परम्पराओं के विपरीत है। मैं आज ही की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। प्रश्न में आप आगे बढ़ गए और इस तरह से जब आगे बढ़ जाते हैं, तो किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। माननीय राजमंगल पाण्डेय प्रश्न करना चाहते थे, आपने जब कहा कि आपको समय नहीं दिया जायगा, वह बैठ भी गए। माननीय मान सिंह आजाद ने जो कुछ कहा, उत्तेजित बात कही, उससे घटना बढ़ गयी। तो मैं समझता हूं कि यह कन्ट्रोल करने की जिम्मेदारी आप पर है। कल ही माननीय मिश्रा जी बोल रहे थे, तो मानसिंह आजाद जी चीतकार कर रहे थे। अन्य माननीय सदस्य भी बोलते हैं, तो वह चीतकार करते हैं। माननीय राज मंगल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो हम लोगों का काम मुश्किल हो गया था, उस काम को उन्होंने आसान कर दिया।

एक काम की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले साल एक घटना घटी थी और माननीय दिघे जी से मैंने बहुत प्रार्थना किया था कि श्रीमन्, आप इस तरह का प्रस्ताव यहाँ मत पेश कीजिए। कुछ माननीय सदस्यों का नाम लेकर इन्होंने एक कमेटी बनाई, प्रिविलेज कमेटी को, इन्होंने उसको भेजा। माननीय अकबर अली साहब जब राज्यपाल थे, तब माननीय दिघे जी ने इस तरह की घटना किया। तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज की जो घटना है, इसको मैं बहुत अशोभनीय समझता हूं। अगर मार-पीट करना है, तो उसके लिए विधान सभा के अन्दर नहीं, उसके लिए खेत, मैदान आदि हैं। यहाँ पर मार-पीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो संसदीय परम्पराएं जो हैं, वह नेस्त-नाबूत हो जायंगी और जो हम लोगों के अधिकार हैं, वह भी नष्ट हो जायेंगे। आप इस पर गम्भीरता से सोचें और माननीय नेता सदन से, जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव पर हैं, हम लोगों के मुकाबिले में बहुत अनुभव है। सरकार चलाने का भी अनुभव है और उस कुर्सी पर बैठने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, राज्य सभा में भी रहे। इसलिए मैं इनको अनुभवी व्यक्ति मानता हूं। यह माननीय सदन कैसे चलेगा शान्तिमय तरीके से, तर्कों से ? लोग अपनी बातों को कहें, तर्कों से जवाब दें। यहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज सदन में घटित घटना के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा खेद प्रकाशन

अगर हिंसा का रूप होगा, तो मैं समझता हूं कि जो प्रजातांत्रिक परम्पराएं हैं, वह नष्ट हो जायेंगी और डिमाक्रेसी को हम बचा नहीं पायेंगे, न तो उसकी रक्षा कर पायेंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन आप से यह भी है और माननीय सदन से भी है कि इन अहम और गम्भीर प्रश्नों पर विचार करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं यह अपेक्षा करता था कि जो अभी दुःखजनक प्रकरण हुआ, नेता सदन कृपया पहल करेंगे और स्वय इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस सदन का कार्य पार्लियामेन्ट्री पद्धति और प्रक्रिया व नियमावली के अन्तर्गत ही होगा और इसमें वे अपनी पार्टी के, विधान मण्डल के सदस्यों को इस सम्बन्ध में उत्प्रेरित करेंगे। शायद उन्होंने यह उचित समझा है कि वे अन्त में बोलें। पहले जब कभी ऐसे प्रकरण आए हैं, नेता सदन ने पहल की है और फिर अन्य सदस्यों ने अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं। श्रीमन्, मुझे केवल इतना कहना है कि आज जो हम लोग यहां चनाव लड़ कर प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आते हैं, मुझे लगता है कि इन सब मान्यताओं को एक ऐसा खतरा पैदा होता जा रहा है जिससे कि पार्लियामेंट्री पद्धति और प्रक्रिया में लोगों का विश्वास ही कम हो जाय। यह बुनियादी प्रश्न है जोकि विचारणीय है। श्रीमन्, अगर हमारी मन-मर्जी की बात होती है तो इस हम प्रसन्न हो जाते हैं और अगर मन-मर्जी की बात नहीं होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। श्रीमन्, इस तरह हम में सहिष्णता, टालरेंस की पावर कम होती जा रही है। वैमनस्यता, दुर्भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सत्तारूढ़ दल में ही यह बातें पैदा हों।

कई विचारों के लोगों को दबा कर के और एक बे-मेल विचारों को कोई संगठन बहुत दिन तक प्रेरित नहीं कर सकता है। मैं सत्तारूढ़ दल को ही नहीं कहता अपने को भी कहता हूं। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति भी बड़ी मजबूती के साथ हो सकती है परन्तु इसमें गाली नहीं होनी चाहिए। यह विधान सभा गालियों के लिए नहीं बनी है। यह इतना पवित्र मन्दिर है कि जहाँ गालियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में ही कई पेज हैं। दूसरी किताबों में यह दिया हुआ है कि कौन सी बात असंसदीय है। हम यह नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमें कहना चाहिए कि यह असत्य है। चर्चिल ने जिसके स्थान पर टार्मनीलिजिकल इनऐक्जेक्टीट्यूड शब्द का प्रयोग किया था।

अगर हमें विरोध ही करना है तो हमारी शब्दावली में, संस्कृति में, उर्दू में, हिन्दी में ऐसे शब्द हैं जिनसे हम कड़े से कड़ा कटाक्ष पार्लियामेंट्री शब्दों में कर सकते हैं। फिर विवाद क्या रह जाता है इसके सम्बन्ध में। इसके लिए केवल नेता, सदन जिम्मेदार नहीं हैं या कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है।

श्रीमन्, पार्लियामेंट्री पद्धति और प्रक्रिया की जानकारी यहीं पर आकर होती है। इसका कोई पोलिटिकल स्कूल नहीं है जहाँ लोगों को इसकी जानकारी होती। जब लोग चुनाव लड़कर यहाँ आयें तो हमें स्वयं इसका ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट्री पद्धति या प्रक्रिया क्या है।

हमें विरोध प्रकट करना चाहिए पार्लियामेंट्री पद्धति से। विरोधी दल के किसी सदस्य को गुस्सा आ जाये तो मेरी समझ में आता है क्योंकि विरोध पक्ष के लिए सदन के अलावा कोई जगह ही नहीं है जहाँ वह अपनी आवाज उठा सके। इसलिए विरोध पक्ष का यहाँ अग्रेसिव होना, आक्रामक होना स्वाभाविक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप संक्षेप में कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो म अन्त में निवेदन कर रहा था कि इसके लिए आचार संहिता बनी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज यह सदन शायद उठ रहा है और फिर हम बजट सेशन में मिलने जा रहे ह। इसलिए कोई व्यवस्था करें जनता पार्टी विधान मण्डल दल की बैठक बुलाएं उसके अन्दर मामला तय हो या हम आपस में तय करें लेकिन इसका कोई निर्णय होना चाहिए और यह सदन, सदन के नियमों के आधार पर चलना चाहिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, हमारे ही दल के श्री मान सिंह जी को इसका पश्चाताप हो या न हो लेकिन सदन में जो कुछ हुआ मुझे निश्चित रूप से उसका पश्चाताप है। हमारे एक मित्र भी इससे सम्बन्धित रहे, भले ही उनकी गलती न भी रही हो लेकिन उनकी गलती इतनी ही है कि उनको अपनी सीट से आगे नहीं जाना चाहिए था। हमें संसदीय परम्पराओं को कायम रखना है, म सारे सदन से क्षमा चाहता हूं कि भविष्य में हमारे दल के लोग जो किसी भी रूप से मुझसे सम्बन्धित हैं उनकी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि कोई यह कह सके कि हमने ऐसा गन्दा आचरण किया है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का दोष नहीं है मान सिंह जी जिसको खुश करना चाहते हैं, बदकिस्मती से वह खुश नहीं हो रहा है। इसमें उनका क्या दोष ह ?

(हंसी)

इसलिए श्यामधर जी को भी नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब किसी आदमी की कोई गलत भाषा या आदत सीख गया है, तो वह अपने मालिक के मित्र को भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि श्यामधर जी हमारे नेता सदन के बहुत बड़े मित्र हैं। जरा उन्हें तो बख्श देना चाहिए।

(हंसी)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री श्यामधर मिश्र--

यह तो पहले के मुख्य मन्त्री के समय से आक्रामक थे।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, अगर मैंने कही है तो क्षमा मैं चाहता हूं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी हूं। मैंने सन 42 का सत्याग्रह किया था इसी सदन की मर्यादा के लिए। मैंने कभी जिन्दगी में हिंसा नहीं की। गांधी जी के साथ रह कर मैंने यही सीखा और जो वातावरण इस सदन में हुआ मेरी तरफ से हिंसा नहीं हुई। मैं गाँधी जी का पुजारी हूं और मैं सदन की मर्यादा रखना चाहता हूं और मर्यादा रखूंगा। अगर कोई बात दिल में रखे कि मैं किसी को खुश रखना चाहता हूं तो यह भावना दिल से खत्म हो जाय। मैं फिर सदन में कहना चाहता हूं कि अगर कोई दिल में भावना रखे कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूं, तो वह गलत है। मैंने सदस्यों के साथ रह कर सीखा है, हमारे जो सदन के नेता हैं उनके साथ रह कर सीखा है, आज से मैं इस सदन की मर्यादा रखूंगा इतना मैं वचन देता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूगा कि कम से कम मान सिंह जी हर गन्दे काम के लिए गाँधी जी का नाम इस्तेमाल न करें। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, कभी मेरा भी नाम आएगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मान सिंह जी ने और पाण्डेय जी ने क्षमा याचना कर दी है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को समाप्त करके कार्यवाही आगे बढ़ाई जाय।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आज जो कुछ भी इस सदन में हुआ, मान सिंह जी का नाम आया, मान सिंह जी अपने स्वभाव के मुताबिक, आज से नहीं, पहले से ऐसा करते रहे हैं। हाँ, फर्क इतना जरूर पड़ा, कि पहले जनता पार्टी के सब लोग इसके लिए एक होकर चाहते थे कि मान सिंह विरोधी पक्ष के साथ वैसा करें। इसलिए कोई नहीं बोलता था। आज आपस में ही बंटवारा हो गया और जब जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही गढ़ा गया हथियार उनके ऊपर चलाया गया तो वह तिलमिला उठे। असली बात यह है।

एक सदस्य---

जब दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी गलती महसूस कर लिया है तो इसको समाप्त किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यहाँ कहा जाता है कि हाउस नहीं चलने दिया जायेगा। तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं वह ठीक नहीं है। विरोध पक्ष एक छोटा पक्ष है। उनके साथ जनता की मर्यादाएं जुड़ी हैं। इसलिए उसको रक्षा करना विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का काम है। मैं आपसे इस बात की गारन्टी चाहूंगा कि कम से कम जो मान मर्यादाएं लेकर आए हैं उनकी आप रक्षा करें।

मान्यवर, दूसरी बात जो अशोभनीय घटना अब तक होती रही, विरोध पक्ष की ओर से श्री सुन्दर लाल दीक्षित खड़े हो जाते तो इनको इंगित करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जनता पार्टी की ओर से चाहे वह कुश्ती लड़ने लगें, कोई बात उनको नहीं कही जाती। इसलिए सजा देने में माप दण्ड समान होने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अनुरोध करूंगा कि इस सदन की मर्यादा की रक्षा की जिम्मेदारी जनता पार्टी या विरोध पक्ष के सभी लोगों की है। सबकी मिलकर मर्यादा को रक्षा करना है। इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना आगे न घटे।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं इस सम्बन्ध में उठना चाहता था लेकिन देखा कि नेगी जी खड़े हो गये इसलिए मैं पहले न कह सका। इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले विरोध पक्ष से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों पर कोई परम्परा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो एक-एक दल की ओर से 2--3 व्यक्ति विचार प्रकट करें, तो ज्यादा उचित तो यह है कि संसदीय प्रणाली की कुछ परम्पराएं हैं, नेता विरोधी दल या अन्य दल जो मान्यता प्राप्त हैं या श्री राज मंगल पाण्डेय का प्रश्न था, श्री मान सिंह का प्रश्न था, वह अपनी बात कहते। लेकिन संसदीय प्रणाली के अनुसार यदि कोई गलत घटना भी हुई है तो उसकी भर्त्सना या उसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त उसी तरह होने चाहिए। ज्यादा अच्छा हो कि ऐसे मौके पर जो हमारे भाषण हों उस पर भी संयम रहे। जहाँ तक नियमावली का सम्बन्ध है तो नियम 286 में क्या नियम पालन करना चाहिए, वह उसमें दिए गये हैं। जैसे चीत्कार नहीं करना चाहिए, किसी के भाषण पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उपाध्यक्ष जिस समय अपनी बात कहें तो मौन पूर्वक सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जैसे अन्य क्षेत्रों के अन्दर मान्यताओं का ह्रास हुआ है उसी तरह संसदीय प्रणाली का भी ह्रास होता चला जा रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सदन का

[श्री बनारसी दास]

जो टेम्पर है वही आज मुल्क का एक प्रतिबिम्ब है। हिंसा केवल मारने से ही नहीं होती, हिंसा दिल और शब्दों से भी होती है। चूंकि मेरा भी उत्तरदायित्व है, इसलिए इस सदन से नहीं बल्कि प्रदेश की समस्त जनता के सामने मैं शर्म के साथ अपना सिर झुकाता हूं कि जो लोग विभूति सम्पन्न व्यक्ति हैं, दो लाख का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, वे यहाँ पर इस तरह का आचरण करें। यह सही है कि कभी-कभी जब संख्या बहुत हो जाती है तो सत्ता पक्ष भी विरोधी पक्ष की भूमि का निभाने लगता है। लेकिन वह भी मर्यादित होता है। मैं जब 52 में चुन कर आया था, तो माननीय तिवारी जी हमारे सामने बैठते थे। हमारी संख्या 386 थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--
हम लोग 18 थे।

श्री बनारसी दास--
44 लोग विपक्ष में थे। तो हम लोगों के दल में विरोध होता था लेकिन यहाँ विधान सभा में नहीं, हम दल की मीटिंग में उन नीतियों की कटु आलोचना करते थे। लेकिन आज जो सदन के अन्दर घटना हुई, वह अत्यन्त निन्दनीय है और सभी लोगों के लिए आत्म निरीक्षण का विषय है। तो मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि विरोधी पक्ष का जहाँ तक सवाल है, विरोधी पक्ष ने अब तक बहुत कुछ संयम से और संसदीय प्रणाली से काम लेने का प्रयास किया है।

श्री देव बहादुर सिंह--
हम तो उसमें पारंगत हैं।

श्री बनारसी दास---
हाँ, कुछ अवसरों पर, यहाँ की भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि जिसको कहते हैं प्लेयिंग टु दि गैलरी, उसके लिए कुछ उधर से हो जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--
बात समझ में नहीं आई।

श्री बनारसी दास--
मैं जानता हूं। जहाँ तक नारायण दत्त तिवारी का सवाल है, अगर स्वयं ही उनके विवेक का सवाल हो, तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उस पक्ष से भी कभी-कभी गैलरी के लिए या प्रेस के लिए और बाहर के लिए कभी-कभी नाटक हो जाता है।

तो, श्रीमन्, आज जो घटना हुई, वह उत्तेजना में हुई और उसके लिए सदन के सभी सदस्य दुखी हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि इससे सदन की गरिमा गिरी है। तो मैं समझता हूं कि इस पर अधिक विवाद की अब आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह तो हमारे खुद की भर्त्सना है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा कि पाण्डेय जी ने कहा--इसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। अगर कुछ सदस्य अपने को स्वभाववश नियन्त्रित नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि लोग गाँधी जी का नाम लेते हैं---गाँधी जी जब राउन्ड टेबिल में जाते थे, तो एक अंग्रेज रोज उनको गाली देता था और गाँधी जी उस पर हंसते रहे। एक दिन उसने 8--10 पृष्ठ में कुछ वैसी ही बातें उनको लिख कर दे दिया। फिर गाँधी जी से पूछा कि क्या आपने उसको पढ़ लिया। गाँधी जी ने जवाब दिया कि काम की चीज जो उसमें थी, पिन, उसको निकाल लिया और चिट्ठी को चिराग अली के सुपुर्द कर दिया। तो कुछ व्यक्ति जो अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकते, तो उसको उनका मानसिक रोग समझना चाहिए। उनके साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। किसी की बीमारी से नाराज नहीं होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

लेकिन बीमारी का इलाज भी तो होना चाहिए।

श्री बनारसी दास---

वह नेगी जो सायकेटिक ट्रीटमेन्ट कर सकते हैं।

तो जो आज की घटना हुई, वह अत्यन्त खेदजनक है और उसके लिए मुझे बहुत दुख है। अब, मान्यवर, इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आज जिस घटना को लेकर सदन की कार्यवाही में अवरोध हुआ और मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा वाकई बहुत ही अफसोस की बात है। माननीय सदस्यगण यहां पर लाख-डेढ़-लाख लोगों का वोट लेकर आते हैं और एक जिम्मेदारी लेकर आते हैं। उनको यहां पर बैठकर वाद-विवाद द्वारा बातों को तय करना चाहिए। अगर हम किसी को सख्त बात कहें तो हमारा यह भी फर्ज है कि सख्त बात सुनने का हमको साहस होना चाहिए और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि सदस्यों में उत्तेजना पैदा हो। एक माननीय सदस्य के कुछ कहने से दूसरे माननीय सदस्य को क्रोधित होना या उत्तेजित होना यह उनके लिए शोभा नहीं देता। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण जैसा हमारे नेता सदन ने कहा, उसका पालन करेंगे और संयमित ढंग से बैठकर अपने वाद-विवाद को करेंगे और भविष्य में कोई अशान्ति नहीं पैदा करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। अब मैं नियम 301 के अन्तर्गत. . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, नियम 304 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में इस घटना के दौरान जो भी असंसदीय शब्द बोले गए हैं और जिन्हें माननीय सदस्यों ने सुना है और मैंने भी सुना है, मेरा निवेदन है कि उनको नियम 304 के अन्तर्गत कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कार्यवाही में ऐसे शब्द आये होंगे जोकि असंसदीय हैं तो उनको मैं निकाल दूंगा।

फैजाबाद में शारदा सहायक नहर में पानी बन्द किए जाने से किसानों के समक्ष गंभीर संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान फैजाबाद में गत 22 मार्च, 79 से शारदा सहायक नहर में पानी बन्द कर देने के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय गन्ने की बोआई बड़े पैमाने पर की जा रही है तथा रबी की फसल में भी अभी पानी की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में नहरों में पानी बन्द किए जाने से किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। हजारों एकड़ गन्ने की बुआई रुक जाने की सम्भावना है जिससे किसानों का बहुत काफी नुकसान होगा।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि कम से कम 15 दिन और शारदा सहायक नहर में पानी चालू किया जाय। यह भी सम्भव हो सकता है कि सुहावल पम्प हाउस से शारदा सहायक नहरों को पानी देने की व्यवस्था कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जिला सहकारी बैंक के सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकयत के विषय को नियम 301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

बस्ती जिला सहकारी बैंक में देवरिया से एक सचिव आये हैं जिन्होंने पहले दो वर्षों में कई लाख रुपए का घपला किया है। बस्ती में एक अरोरा इंडस्ट्रीज, लकड़ी के फर्नीचर की फर्म है जिसे बैंक ने फर्नीचर सप्लाई का आदेश दिया था किन्तु अरोरा इंडस्ट्रीज ने सभी सामान की लकड़ी का होना लिखा है किन्तु अरोरा इंडस्ट्रीज ने सभी सामान कुर्सी, मेज, रैक, काउन्टर आदि आम की या कच्चे शीशम की लकड़ी का सप्लाई किया है। यही नहीं आदेश में काउन्टर विद-केबिन के लिए लिखा था जिसे सचिव ने आदेश में विद-काटकर काउन्टर एन्ड केबिन करके केबिन का अलग से 20 रु0 प्रति स्क्वायर फिट भुगतान किया जा रहा है जबकि इसी फर्म ने मण्डी समिति, बस्ती को रैक पक्की लकड़ी का 75 रु0 में सप्लाई किया है उसी फर्म ने बैंक को कच्ची लकड़ी का 308 रु0 में सप्लाई किया है। इसी बैंक ने उसी फर्म को उसी आदेश पर काउन्टर विद-कैबिन का पुराने सचिव ने भुगतान किया है और वर्तमान सचिव ने काउन्टर और केबिन का अलग-अलग भुगतान किया है। यही नहीं वर्तमान सचिव ने अरोरा फर्म को 88 हजार रु0 बैंक से एडवान्स भी किया है। बैंक के संचालक मण्डल ने अभी तक कोई एफ0 आई0आर0 तक सचिव के विरुद्ध नहीं दर्ज कराया जबकि कई लाख रुपए का घपला साबित है। इसी सचिव ने देवरिया के बिना हाथ वाले आदमियों को आर्म गार्ड तक रुपया लेकर, नियुक्त किया है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी किया किन्तु उत्तर अब तक नहीं दिया गया। पूरे जिले में जिला सहकारी बैंक में हो रहें लाखों रुएये के घोटाले की चर्चा है और क्षोभ, असन्तोष एवं अविश्वास फैल रहा है। अत: तत्काल उचित कार्यवाही एवं जाँच की माँग करता हूं।

एग्रो इंडस्ट्रिल कारपोरेशन में व्याप्त अनियमितताओं से कर्मचायिों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में व्याप्त अनियमितताओं एवं नौकरशाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण वहाँ के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। वहाँ कर्मचारियों के कल्याणार्थ एक एम्पलाइज प्राविडेंट फंड की स्थापना की गयी थी जिसके लिए मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी आदि कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाता है। परन्तु आज पाँच वर्ष बीतने के बाद भी एक भी बैलेन्सशीट नहीं तैयार की गयी है जिसके कारण कर्मचारियों को अग्रिम आदि लेने में बड़ी असुविधा होती है। अब बड़ी संख्या में कर्मचारी अपना फंड यहाँ से हटाकर कानपुर में ले जा रहे हैं।

मान्यवर, वहाँ लाखों रुपए के डबल पेमेन्ट का मामला प्रकाश में आया है परन्तु इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बजाय उन कर्मचारियों को ही कोप का भाजन बनाया जा रहा है जो उस मामले को प्रकाश में लाए हैं।

मान्यवर, वहाँ के एक ज्येष्ठ लेखाकार को इसी प्रकार के निजी कारणों से तरह-तरह से तंग किया जा रहा है। वे पिछले तीन महीने से अधिक समय से बिस्तर पर पड़े हैं परन्तु उन्हें न तो अभी तक अवकाश स्वीकृत किया गया न वेतन या चिकित्सा अग्रिम ही दिया गया है जिसके कारण उनका परिवार भूखों मरने की हालत में हो गया है। हर प्रकार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

औपचारिकता पूरी करने के बाद भी अभी तक उन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

मान्यवर, स्टाफ कार का प्रयोग निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी यात्राओं के नाम पर दूरदराज के स्थानों जैसे नैनीताल, काशीपुर गोरखपुर, आदि के लिए हो रहा है जबकि वहां के लिए रेल और बस की सुविधा उपलब्ध है। वहां सचिव महोदय ने इसी प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाकर अभी एक कार खरीद ली है जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है। इससे कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है। ज्ञात हुआ है कि उक्त सचिव के विरुद्ध राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग करने का आरोप सत्य पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश शासन ने काफी समय पहले दिया था परन्तु उक्त आदेशों का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शासन उपर्युक्त तथ्यों की शीघ्र जांच कराये तथा पीड़ित कर्मचारी को तुरन्त समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

मऊनाथ भंजन में राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मैं आपका ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा शासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं :—

मऊनाथभंजन (आजमगढ़) पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यहां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय पर 3 मार्च से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। अनशनकारियों की गम्भीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन उन्हें जेल भेज रहा है। अब तक 21 भूख हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जेल भेजे जा चुके हैं। इस समय 4 हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं जिनकी स्थिति चिन्ताजनक हो चुकी है। शासन या विद्युत् परिषद् की ओर से भूख हड़ताली मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थिति और गम्भीर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् मऊ-नाथ भंजन के कर्मचारियों में रोष व क्षोभ बढ़ता जा रहा है। वहां के मजदूर काली पट्टियां बांधकर इस समय काम पर जा रहे हैं। यदि सरकार ने तुरन्त हस्तक्षेप करके मजदूरों की समस्या का निदान नहीं किया तो वहां पर व्यापक स्तर पर हड़ताल हो जायेगी, जिससे वहाँ का जनजीवन त्रस्त हो जायगा। कृषि कार्य को क्षति पहुंचेगी सभी उद्योग ठप हो जायेंगे। औद्योगिक उत्पादन बन्द हो जाने से औद्योगिक मजदूरों के सामने भी समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

मान्यवर, मजदूरों की मांग है कि 203 मस्टर रोल मजदूरों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, 1947 के अनुसार नियमित किया जाय।

अत: निवेदन है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जाय ताकि अनशनकारी मजदूरों के प्राणों की रक्षा हो सके और उनकी न्यायोचित मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में सी०पी०एम०टी० परीक्षाओं में अनियमितता तथा आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, माननीय महोदय, सी०पी०एम०टी० परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं, इन परीक्षाओं में पैसे का दौर रहता है जिसके कारण अनेकानेक प्रकार की अनियमितताओं का बढ़ावा हुआ है और हो रहा है। स्मरण होगा कि इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार ने इस परीक्षा प्रणाली को बदलने के लिए लिखा। मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वर्ष 1978 में जो भ्रष्ट तरीके अपनाए गए उसके कुछ ज्वलन्त उदाहरण निम्न प्रकार है—

(1) श्री विनोद कुमार बन्सल रोल नं० 21352, (2) श्री दयाल राम गुप्ता, रोल नं० 20685, (3) श्री लोकेश कुमार गुप्ता, रोल नं० 10602, (4) श्री अशोक कुमार गुप्ता, रोल नं० 20627 आदि।

उपरोक्त छात्रों का प्रारम्भ से अन्तिम इन्टरमीडिएट तक का परीक्षाफल तृतीय रहा है परन्तु पैसे की ताकत से उपरोक्त चारों छात्रों का चयन सी०पी०एम०टी० में कर लिया गया।

इस वर्ष सी०पी०एम०टी० की परीक्षाएं आगरा विश्वविद्यालय के अधीनस्थ की जावेंगी, वर्तमान समय में आगरा विश्वविद्यालय में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। लम्बी लम्बी धनराशि को लेकर विभागीय अधिकारियों द्वारा छात्रों की श्रेणियां बदली जाती हैं तथा अयोग्य छात्रों को पैसे के प्रभाव से पास कर दिया जाता है। इस कार्य के करने या कराने में 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की रकम का आदान प्रदान होता है। यह सामाजिक दृष्टि से बुरा ही नहीं बल्कि समाज और शिक्षा जगत का एक प्रभावी कलंक है। इस प्रकार के उदाहरण निम्न प्रकार के हैं—रोल नं० 831, बी०ए० द्वितीय वर्ष को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में कर दिया गया। रोल नं० 5482 एम०ए० फाइनल फिलास्फी का परीक्षाफल के नतीजे में (0) नं० था जिसे 39 नं० देकर पास कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 1976 में आगरा कालेज के विभागाध्यक्ष द्वारा छात्रों की मूल पुस्तिका के बदलने का आरोप लगाया गया था जो कि सत्य भी है। इतना होने के बावजूद भी इन्हीं कथित छात्रों को वर्ष 1978 में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। अवलोकनार्थ 1977–78 की वास्तविक पुस्तिकायें जो आगरा विश्वविद्यालय के कार्यालय में होनी चाहिये थीं, वह किन दशा में तथा कैसे बाहर आ गई। मैं आपके पास संलग्न कर रहा हूं और उन पुस्तिकाओं के स्थान पर दी गयी मूल कापी भी अवलोकनार्थ संलग्न है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि आगरा विश्वविद्यालय का सारा स्टाफ भ्रष्ट कार्यों में बढ़ावा दे रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हमारा आपसे यह अनुरोध है कि सी०पी०एम०टी० की परीक्षाओं को सरकार मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए जाने के आदेश पारित करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अवश्य ही पूर्व की तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति आगरा विश्वविद्यालय में अवश्य होगी। साथ ही साथ यह भी कहना अनुचित न होगा कि जिन अधिकारियों द्वारा यह भ्रष्ट कार्य करने में बढ़ावा दिया गया है उनके प्रति अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे जिससे उच्च कोटि की शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। अयोग्य छात्र को योग्य घोषित करना शिक्षा जगत का कलंक है तथा योग्य छात्र को उसके अनुसार श्रेणी न मिलना सामाजिक दृष्टि से अभिशाप है।

उपरोक्त सत्य तथ्यों को देखते हुए सी०पी०एम०टी० की होने वाली परीक्षा की प्रणाली के बदलने का कष्ट करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से यह कापियाँ जो 1978 में इम्तहान दिए गए हैं, एक बी0ए0 पार्ट–2 तथा एक एम0बी,0बी0एस0 की तथा अन्य डाक्यूमेन्ट्स सदन के पटल पर रख रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप सीधे उच्च शिक्षा मन्त्री को भेज दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इतना गम्भीर मामला है, सी0पी0एम0टी0 की परीक्षाएं इस वर्ष आगरा विश्वविद्यालय कराने जा रहा है। उच्च शिक्षा मन्त्री जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस भ्रष्टाचार को रोकें, जिससे जो योग्य छात्र हैं उनको मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैंने भी 301 में सूचना दी है, मुझे भी विषय परिवर्तन होने से पूर्व मौका दिया जाय। क्या 301 के अन्तर्गत सूचना का समय आप समाप्त कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी विषय परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी इसके बाद आपको 301 में मौका दिया जायगा। आज लगभग 50 माननीय सदस्यों ने 301 में सूचना दी थी, चूंकि अन्तिम दिन था इसलिए जहाँ ओला वृष्टि हुई है उसमें सम्बन्धित सूचना को ले लिया है मैंने ।

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने शिक्षा जगत में सुधार लाने के विषय में अपना सुझाव दिया। जो विषय इन्होंने उठाया है, हम भी इस दिशा में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने 685 नम्बर की कापी की बात कही, यह कापी मैंने भी मंगा ली है और यह बिल्कुल सही बात है कि आगरा विश्वविद्यालय में पिछले दिनों बहुत घोर अपराध हुए हैं। मैं इतना ही यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने जितने विषयों के बारे में यहाँ पर कहा है उसको मुझे दे दें, मैं उस पर तो विचार करूंगा ही, इस सम्बन्ध में इतना बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार का वहाँ से तबादला कर दिया गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार जो इससे सम्बन्धित है, उनके तबादले का भी हम शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कर रहे हैं। इसमें एक आदमी ऐसा है जिसका नाम है बी0 एन0 भार्गव। बी0 एन0 भार्गव ने पिछले वर्ष अपनी पत्नी के नम्बर बढ़वाए और इस वर्ष अपनी लड़की के नम्बर बढ़ाए और यह जो कापी 685 नम्बर की है, यह उसी व्यक्ति की लड़की है। तो हमने तत्काल विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ बुलाया है और उनसे मिल कर के यह तय कर लिया है कि जितने भी अधिकारी इससे सम्बन्धित हैं, जिन्होंने परीक्षा में इस तरह की गड़-बड़ी की है, उनको तत्काल निलम्बित कर दिया जाय और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों से मैं पूर्णरूप से अपेक्षा करता हूं सहयोग की कि इस दिशा में जो भी विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको सुधारने के लिए सबका सहयोग अपेक्षित है। हम इस दिशा में पूर्ण कदम उठाकर कहीं भी इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए कृत संकल्प हैं। जो भी इस प्रकार की गड़बड़ी करेगा उसे दण्डित किया जायगा ।

छापे नहीं गए ।

ग्राम अनूपगंज, जिला बाराबंकी निवासी श्री मुशीर की सआदतगंज बाजार के कतिपय दुकानदारों द्वारा हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मुशीर, ग्राम अनूपगंज थाना मसौली का रहने वाला था जो छेदू नामक व्यक्ति के यहाँ पर दुकान पर नौकरी करने जा रहा था। रास्ते में सआदतगंज बाजार में राम आसरे की दुकान के सामने ज्यों ही पहुंचा त्यों ही अशोक पुत्र केदार, राधे, केदार तथा अलोपी सेठ आदि ने मुशीर को पकड़ कर अपनी दुकान में बन्द कर लिया, मारा पीटा। उक्त लोगों की निर्दयतापूर्ण पिटाई से मुशीर की मृत्यु हो गई जिसकी रिपोर्ट थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 304 के अन्तर्गत दिनाँक 13/14-3-79 को पंजीकृत हुई। खेद की बात यह है कि थाना मसौली के उप निरीक्षक अन्य कर्मचारियों सहित होली की ड्यूटी के संबंध में मौजूद थे जिन्होंने इस घटना की जाँच के बजाय अभियुक्त अशोक, केदार, राधे तथा अन्य से मिल कर मामले को दबाने का प्रयास किया। अभी तक घटनास्थल पर पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। अभियुक्तों ने जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिल कर भारी मात्रा में घूस देकर पोस्टमार्टम में गड़बड़ी कराई। इस पर पोस्टमार्टम के पहले ही जिलाधिकारी को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुशीर के शव परीक्षण में बाराबंकी में घपला होगा इसलिए लखनऊ में करा दिया जावे जिस पर परगनाधिकारी, नबावगंज ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि मुशीर का शव परीक्षण बाराबंकी में न करा कर लखनऊ में कराया जावे लेकिन पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाने पर वायरलेस करके अभियुक्त अशोक को बुला कर दस हजार रुपये घूस लेकर परीक्षण रिपोर्ट खराब करा दी और अभियुक्तों को खुली छूट दे रक्खी है कि जब तक मैं पुलिस अधीक्षक हूं तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। मैं इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूं कि इसकी जाँच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा कराई जावे।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रीडर इन-बायोकेमिस्ट्री का पद रिक्त रहने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आप के माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनीखेज एवं हृदयविदारक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रीडर-इन-बायो कैमिस्ट्री का पद रिक्त पड़ा है। जिसके कारण मरीजों की जाँच, इन्वेस्टीगेशन कार्य एवं विद्यार्थियों के शेष कार्य में व्यवधान उपस्थित हो रहा है। एम0 बी0 बी0 एस0 के छात्रों के पठन पाठन में भारी शैक्षणिक कठिनाई अनुभव की जा रही है। मुझे खेद है कि सम्पूर्ण प्रदेश में केवल यही एक कालेज है जिसमें प्रोफेसर के अलावा न रीडर है और न लेक्चरर है जबकि प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की संख्या 140 है। इस पद पर किसी व्यक्ति के न होने से छात्रों, मरीजों एवं शोध कार्यों का भारी नुकसान हो रहा है जिससे एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के छात्रों में भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसी भी क्षण कालेज में हड़ताल हो सकती है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में एक अशाँति का वातावरण पैदा हो सकता है।

मान्यवर, बड़ा खेद है कि प्रधानाचार्य के अनेक बार राज्य सरकार को लिखने के बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। मान्यवर, यही नहीं इस पद के लिए सन् 1975 में सेलेक्शन भी किया जा चुका है। लेकिन नियुक्ति इस कारण नहीं हो रही है कि संयुक्त निदेशक, मेडिकल उत्तर प्रदेश अपने रिश्तेदार के चयन में इन्टरेस्टेड हैं जो कि सक्षम नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रीडर-इन-बायोकेमिस्ट्री का पद रिक्त रहने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना

मान्यवर, श्री डा0 आर0 एस0 बघेल जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त हैं की नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य ने अनेक बार लिखा है लेकिन चयन के बाद भी सरकार ने सहमति नहीं दी है जिससे छात्रों में उत्तेजना पैदा हो रही है और कालेज का वातावरण किसी भी समय दूषित हो सकता है ।

अस्तु सरकार से माननीय सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ बन्द करे और तुरन्त लेक्चरर की नियुक्ति करे जिससे जन असंतोष समाप्त हो। और चन्द दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो ।

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। एक मिनट मे ी बात सुन लें। इसमें डा0 आर0 एस0 बघेल की नियुक्ति के आदेश नहीं हुये हैं। उनको चेन्ज कर दिया गया था क्योंकि पिछड़े वर्ग के हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद भी एक आदमी की नियुक्ति एक अधिकारी की वजह से नहीं हो रही है। प्रधानाचार्य ने कई बार पत्र लिखे कि उनको हमें दे दीजिए। आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप कर वहाँ के जो छात्र हैं उनके जीवन को बचाने की कृपा करें ।

प्रदेश में पत्रकारों व समाचारपत्रों के संवाददाताओं पर किए जाने वाले हमलों तथा मुजफ्फरनगर के पत्रकार श्री जनार्दन प्रसाद शर्मा को जिन्दा जलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

महोदय, प्रदेश के पत्रकारों व समाचार पत्रों के संवाददाताओं के जीवन की असुरक्षा और उन पर किये जाने वाले हमलों की संख्या में होने वाली निरन्तर वृद्धि से सम्पूर्ण पत्रकार जगत में घनघोर भय एवं असन्तोष का वातावणरण व्याप्त है। स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता प्रजातंत्र का वास्तविक प्रहरी होता है और देश और समाज में घटित होने वाली घटनाओं से जनता को अवगत कराते हुए देश की प्रगति की दिशा इंगित करना उसी का पुनीत कर्त्तव्य है । इस भय एवं अशान्ति के कारण पत्रकार जगत की निर्भीकता एवं निष्पक्षता में भारी व्यवधान उपस्थित हो रहा है। बस्ती में नर्सों के साथ हुये घृणित काण्ड की उजागर करने वाले दैनिक जागरण के संवाददाता श्री श्रीवास्तव को दी जाने वाली धमकियाँ, रायबरेली जनपद में लालगंज गोली काण्ड को प्रकाश में लाने वाले दैनिक "आज" व "जागरण" के संवाददाताओं को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया जाना व उनकी गिरफ्तारी व सम्पत्ति की कुर्की, वारेन्ट निकालना और लखनऊ की घनी बस्ती में पिछले दिनों एक पत्रकार की की गयी हत्या व इसी प्रकार की अन्य घटनाओं से पत्रकार जगत भय ग्रस्त था ही कि मुजफ्फरनगर में पिछले सप्ताह कुछ बदमाशों द्वारा वहाँ के जाने-माने पत्रकार श्री जनेश्वर प्रसाद शर्मा को जिन्दा जला देने की दर्दनाक घटना ने पूरे पत्रकार जगत में भय व आतंक उत्पन्न कर दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मु0 नगर की घनी बस्ती आनन्द पुरी में उक्त बदमाशों ने श्री शर्मा को पकड़ कर जिन्दा जला दिया और उनको बचाने का प्रयास करने वाले दो अन्य व्यक्तियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के पीछे कुछ उच्चाधिकारियों, सफेदपोश नेताओं और सम्पन्न व्यक्तियों का हाथ बताया जाता है। खेद का विषय है कि पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है। इस घटना से जहाँ एक ओर पूरे मु0 नगर में आतंक और अराजकता की सी स्थिति है, वहीं पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने जिला प्रशासन की अक्षमता पर रोष और जघन्य हत्या काण्ड के भय का वातावरण बना हुआ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी]

अस्तु इस मानवीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा के लिये भविष्य में प्रभावी कदम उठाये जाने और इस हत्या कांड के अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की जोरदार माँग करता हूं जिससे कि प्रजातंत्र के नागरूक प्रहरी समाचार पत्रों की निष्पक्षता और निर्भीकता अक्षुणता बनी रहे ।

प्रदेश में चलने वाली मिनी बसों द्वारा नियमों का उल्लंघन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्पूर्ण प्रदेश में मिनी बसों द्वारा कानूनों का उल्लंघन कर सवारियाँ भारी होती हैं जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को लाखों रुपए की प्रतिमाह हानि होती है । नियमानुसार यह बसें काँट्रैक्ट कैरिज हैं अतः इनके द्वारा विभिन्न मार्गों या व्यक्ति सवारियाँ उठाना कानून का खुला दुरुपयोग है । कानपुर-लखनऊ मार्ग पर इन मिनी बसों के चलने से जहाँ रोडवेज को आर्थिक हानि होती है वहीं प्रति मास अनेक मार्ग दुर्घटनाएं होने से सैकड़ों यात्री घायल होते हैं तथा अनेक अपनी जान भी खो बैठते हैं । इसी प्रकार की एक मार्ग दुर्घटना कल दिनाँक 26 मार्च को पूर्वाह्न बनी के निकट हुई जब कि एक मिनी बस की टक्कर ट्रक से हो गई । प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार मिनी बस के तीन यात्री घटनास्थल पर ही मृत हो गए तथा लगभग 35 यात्री घायल हो गए जिनमें 6 की दशा गम्भीर है । इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है मिनी बस ड्राइवरों द्वारा बसों का अनियंत्रित स्पीड से चलाना तथा क्षमता से कहीं अधिक सवारियाँ भरना । कानपुर–लखनऊ मार्ग पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं ।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि वह सम्पूर्ण प्रदेश में चलने वाली मिनी बसों के विषय में एक निश्चित नीति निर्धारित करे जिससे जहाँ यात्रियों के जीवन की सुरक्षा हो सके वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को आर्थिक हानि से बचाया जा सके । मैं शासन से यह भी माँग करता हूं कि वह कानपुर–लखनऊ मार्ग पर यात्रियों की भारी संख्या को देखकर रोडवेज बसों की संख्या में वृद्धि करे जिससे यात्रियों की मिनी बसों का सहारा लिए बिना ही, यात्रा सुलभ हो सके ।

विधायक निवासों में व्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यानविधायकों की आवासीय तथा अन्य कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पुराना विधायक निवास व रायल होटल के कुछ कक्ष शासन द्वारा आवास के लिए अनुपयुक्त घोषित किये जा चुके हैं । जुलाई सन् 1977 में पुराना विधायक निवास हाल का बरामदा रात्रि में अचानक गिर गया, सौभाग्य की बात थी कि इसके नीचे सोये हुये कुछ व्यक्ति थोड़ी देर पहले हट गये थे । इसलिए एक भयानक दुर्घटना भगवान की कृपा से टल गयी । तुरन्त ही सभी विधायकों को आदेश मिला कि वे नये आवंटित कक्षों में पहुच जायें ।

मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक तीन-तीन बार एक के बाद दूसरा एलाटमेंट हुआ लेकिन विधायकों को आवास नहीं मिल पाये । क्योंकि इनमें भूतपूर्व मंत्रियों, विधायकों या उनके मित्रों का अवैध रूप से कब्जा है और शासन आज तक इनको खाली नहीं करा पाया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी ओर हम लोग अपने मित्रों और परिवार जनों को मौत के साये के नीचे रखे हुए हैं। इन दिनों कुछ मंत्रियों को उनकी सुविधानुसार एक आवास से दूसरे आवासों में भेजा गया। यहाँ तक कि मंत्रियों ने इच्छानुसार अपने मंत्री कक्षों की छीना झपटी की।

श्रीमन्, आप स्वयं भुक्तभोगी हैं आज तक आपको भी आवास नहीं दिया जा सका, कल ही हमें नये कक्षों के एलाटमेन्ट का पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ है रिक्त होने की प्रत्याशा में। मैं समझता हूं कि इस प्रत्याशा में यह पूरा कार्यकाल बीत जायेगा। यही स्थिति विधायकों को की गयी जलपान व भोजन की व्यवस्था की है। कैन्टीन में जो भोजन मिलता है उससे जेल की याद ताजा हो जाती है। विधायक आवासों में भोजनालयों व सहकारी समिति द्वारा दिये जा रहे दूध की दुर्व्यवस्था के विषय में जो कुछ न कहा जाय वह अच्छा।

मान्यवर, आपसे मेरा आग्रह है कि तुरन्त इस व्यवस्था को ठीक करने का उपाय किये जायें और आगामी सत्र से पूर्व उपयुक्त व्यवस्था करने की कृपा की जाये। जिससे हम विधायकों, हमारे परिवार जनों व मित्रों तथा क्षेत्र से आने वाले गरीब जनता व साथियों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

अत: उपरोक्त ऐसे गंभीर विषय पर तुरन्त ध्यान देते हुए इस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय। मैं उक्त बात को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष; इस पर ध्यान दें।

मैं एक दूसरा प्रश्न भी आपकी इजाजत से उपस्थित करना चाहता हूं। स्वतंत्र भारत में छपा है जो मेरठ कालेज की व्यवस्था के सम्बन्ध में है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। आप इसे न पढ़ें।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में उपल वृष्टि से हानि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बाँदा जनपद की नरैनी तहसील में हुई उपल वृष्टि से धन एवं जन के नुकसान की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर; बाँदा जनपद की तहसील नरैनी में दिनाँक 6 मार्च, मंगलवार, 1979 को भीषण ओला वृष्टि हुई जिससे धन एवं जन का बेहद नुकसान हुआ। पता चला है कि कहीं-कहीं कुछ लोगों की मौतें हुई एवं जानवर बड़ी संख्या में मरे हैं। पहले भी इन्हीं क्षेत्रों में उपल वष्टि हुई। फिर बाढ़ की विभीषिका ने तहसील को चरमराकर बेघर, बेसहारा बना दिया था। इधर ओला वृष्टि से तहसील के किसान पूर्णतया असहाय है और उनके सामने रोटी का भयंकर संकट पैदा हो गया है। वैसे तो पूरी तहसील प्रभावित है परन्तु दक्षिण पूर्व क्षेत्र करतल से लेकर कलिंजर तक के गाँव की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है। इधर कुछ किसान एवं मजदूर घर-बार छोड़कर रोटी के लिये दूसरे क्षेत्रों में मजदूरी से पेट भरने के लिये निकल पड़े हैं। ओला वृष्टि से नष्ट हुई फसल के दाने पेट भरने के लिये किसान बीन रहे हैं जिसके खाने से बीमारी फैलने की आशंका है।

अत: कृपया ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के खाने के लिये चारे की व्यवस्था की जाय। खाने के लिये गल्ला वितरण तथा मालगुजारी एवं फीस माफ किये जायं। समस्त सरकारी ऋण माफ किया जाय। पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ की जाय। तन ढकने के लिये ओला प्रभावित क्षेत्रों में कपड़े बाँटे जायं तथा भविष्य के लिये मुफ्त बीज एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र पाल]

खाद की व्यवस्थाकी जाय तथा दैनिक प्रयोग में होने वाली वस्तुओं का प्रयोग मुफ्त किया जाय। घर बनवाने एवं जानवर खरीदने के लिये सरकारी सहायता मुफ्त दी जाय तथा जगह-जगह पर टेस्ट वर्क चलाये जायं ।

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री को आप यह निर्देश दें कि ओलावृष्टि से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ आश्वासन दें ।

श्री उपाध्यक्ष —

जहाँ ओला वृष्टि हुई है, उनको मंत्री जी सहायता देंगे ।

मैनपुरी जनपद के वेवर कस्बे में श्री राम स्वरूप गुप्ता को पुलिस द्वारा पीटे जाने तथा गुण्डों से आतंकित कराए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मैनपुरी जनपद के वेवर कस्बे में पुलिस और गुन्डों की साँठ-गाँठ से भयंकर आतंक व्याप्त है । गरीब और आतंकित जनता की आवाज उठाने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री रामस्वरूप गुप्त पर उनकी दुकान में घुसकर पुलिस और गुन्डों की साजिश से दिनाँक 24–3–79 को हमला किया गया और उनको बुरी तरह पीटा गया । जब कि यह घटना थाने के सामने ही हुई । किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, वरन् घटना के समय पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही ।

इस घटना से कस्बे की जनता ने क्रुद्ध होकर सर्वदलीय समिति गठित की और पूरे कस्बे में और बाद में मुकम्मिल हड़ताल की और धारा 144 के बावजूद सभा की तथा पुलिस जुल्म के खिलाफ आन्दोलन का निश्चय किया ।

स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई है । शासन से आग्रह है कि वेवर थाने के थानाध्यक्ष ब्रजपाल सिंह राठी को उसकी अपराधपूर्ण कार्यवाहियों के लिये कठोर दन्ड दिया जाय ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और शासन का ध्यान आकृष्ट करता हुआ मैं उक्त मामले में तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं । एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस द्वारा हो तो इसकी जाँच अवश्य की जानी चाहिये । मुख्य मंत्री जी इस विषय में आश्वासन दें ।

नियम 301 की अधिक सूचनाएं स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, नियम 301 के तहत इस सदन में घोषणा हुई थी और यह तब हुई थी जब मुख्य मंत्री जी उस कुर्सी पर बैठते थे जहाँ आप बैठें हैं, उस समय सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ था कि नियम 301 के अन्तर्गत 5 सूचनायें और कभी-कभी बहुत जरूरत हुई तो 6 सूचनायें आयेगी । लेकिन मान्यवर, इधर मैं देख रहा हूं कि लगभग रोज 16, 18, 20 सूचनायें तक आ रही हैं । दूसरी यह परम्परा रही है कि जब मुख्य मंत्री उस कुर्सी पर बैठते थे तो जो सूचनायें उनकी समझ में ठीक लगती थी, उनकी समझ में आवश्यक होती थी, उनके सम्बन्ध में वे आवश्यक निर्देश दे देते थे, यह अनियमित है कि सूचना पढ़ने के बाद लोग भाषण भी करते हैं और माननीय सदस्यों की इस बात की आपकी पीठ से भी अनदेखी की जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। तो मैं आप से इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि नियमों के अन्तर्गत जो इस सदन के फैसले होंगे, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होगी अथवा आप अपने मन से कोई प्रक्रिया नहीं चलायेंगे और जिस दिन जितनी सूचनायें ग्रहण करना चाहेंगे, उतनी स्वीकृत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। पहले भी 15; 16 तक सूचना यहां आई हैं जो बहुत आवश्यकीय होती हैं उनको लिया गया है। आज चूंकि सदन उठ रहा है और लगभग 50 सूचनायें मेरे पास आई हैं तो जिनको मैंने बहुत आवश्यकीय समझा उनको लिया है। अब अगर माननीय सदन यह निश्चय करता है कि आगे न लिया जाय तो हम आगे भी कार्यवाही करेंगे। इस लिए सदन निश्चय कर सकता है, उनको सरकार को केवल भेज देंगे।

श्री गौरीशंकर भैया—

मान्यवर, एक सूचना हमने भी दी थी बलिया जिले में ओला पड़ने के संबंध में।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गौरी शंकर भैया—

दिनाँक 23/24 मार्च को लगभग 12 बजे बलिया जनपद में लगभग एक घंटे तक भयंकर ओलावृष्टि हुई जिसके कारण विकास क्षेत्र सोहांव, गड़बार, हनुमानगंज, दुवहर....

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भैया—

सैकड़ों गाँवों में रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि लगान की वसूली स्थगित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

जिला एटा के अलीगंज क्षेत्र में डाकुओं द्वारा कत्ल, डकैती तथा राहजनी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अलीगंज, जिला एटा में डाकुओं द्वारा किये जा रहे प्रतिदिन के कत्ल, डकैती और राहजनी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद एटा के अलीगंज क्षेत्र में पन्द्रह दिन के अन्दर लगभग पाँच डकैती और राहजनियाँ हो चुकी हैं। पाँच व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी है और लाखों रुपयों की सम्पत्ति लूटी जा चुकी है। इस क्षेत्र में डाकुओं और बदमाशों का 10 किलोमीटर के घेरे में कालीनदी के किनारे एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया है। इस क्षेत्र के चारों ओर छोटे-छोटे नगलों में अलबरा गैंग का सक्रिय सदस्य सुलतान मय अपने गिरोह के पनाह पाता है। फरवरी माह के प्रारम्भ में इसी क्षेत्र के नगला खटुलिया व नगला मुरली व देवतरिया के बीच दस बारह राहगीरों को घायल करके लूट लिया और एक मूलचन्द्र नामक व्यक्ति को पकड़ लिया और एक माह बाद 10,000 रु0 लेकर छोड़ दिया। दिनाँक 8—3—79 को ग्राम शकरई, थाना अलीगंज में डकैतों ने मदन लाल को उनके घर में मार डाला और घर लूट लिया। उनके लड़के महाबीर को गोली मार दी और उनकी जवान लड़की को पकड़ कर बदमाश ले गये और

[श्री गेंदा लाल गुप्त]

एक दिन अपने पास रख कर सामूहिक बलात्कार करके उसको भी मारकर डाल दिया। दिनाँक 11/12-3-79 को इसी गैंग ने राजाराम कहार के घर डकैती डाली और उसके लड़के को पकड़ कर ले गये, जिसे आज तक नहीं छोड़ा।

दिनाँक 20/21 मार्च, 1979 को रूपधनी गाँव के जगदीश के यहाँ डकैती पड़ी और एक व्यक्ति को जान से मार दिया और एक दस बारह साल के बीमार लड़के को पकड़ कर ले गये और मार कर कुएं में डाल दिया। इससे पूर्व इसी क्षेत्र में एक महिला को मोटर साइकिल से उतार कर लूट लिया और बेईज्जत किया, नामजद एफ0 आई0 आर0 लिखाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनाँक 23/24-3-79 को ग्राम लेवडईया में राम प्रकाश के घर डकैती पड़ी, उनको गोली से मार दिया। ग्राम बझेरा तथा देवतारा में भी डकैतियाँ पड़ी हैं, जिसमें डकैत घर लूट कर ले गये। इस क्षेत्र की जनता में भयंकर आतंक और भय व्याप्त हो गया है। पुलिस कुछ राजनैतिक लोगों के प्रभाव में आकर बदमाशों को पकड़ने में असफल है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं तथा अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूं।

नियम 301 की अधिक सूचनाएं स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि आज सदन उठ रहा है। इसलिए काफी संख्या में 301 की सूचनायें मेरे पास आई हैं और माननीय सदस्यों को मैंने इजाजत दी है। मैं भविष्य में जैसा अभी श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने कहा कि इस तरह का कोई फैसला हुआ है। तो उसे देख कर इजाजत दूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आज तो जो मंजूर किये हैं जैसा कि आपने फरमाया 50 सूचना आई है उसमें जो मंजूर किये हैं उनके लिए मेरा निवेदन है कि इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह मैं आज के लिए दे रहा हूं। भविष्य के लिए मैंने बताया कि जैसा अभी बताया गया इस तरह का कोई सदन का निर्णय है या कोई निर्देश है अध्यक्ष का, तो उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं जो भी माननीय सदस्य यहाँ दे रहे हैं। यह हर विभाग से संबंधित है। कुछ सूचनायें जिनका कानून विभाग से संबंध है, गृह विभाग से संबंध है जो कि मुख्य मंत्री जी के पास हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उनको यहाँ सुनना चाहिये। हो सकता है कि वह जवाब न दें, किन्तु उनको सुनने के लिए मौजूद होने का यहाँ कष्ट करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

उप मुख्य मंत्री तो यहाँ बैठे हैं और दूसरे मंत्री भी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य मंत्री जी स्वयं यहाँ मौजूद हों।

हमीरपुर जनपद में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत कार्य की मांग के विषय का नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमीर पुर जनपद में ओलावृष्टि से तबाह लोगों को सहायता व राहत कार्य चलाने के अविलम्बनीय लोकमहत्व के मसलों पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले माह 19-2-79 के लगभग हमीरपुर जनपद के लगभग 40 गाँव में भयंकर उपल वृष्टि हुयी थी। दो-दो दिन तक ओला खेतों में जमा रहा था। किसानों की रबी की फसल तहसनहस हो गयी थी। बाढ़ के बाद इस भीषण ओला वृष्टि से वे हजारों असहाय परिवार दाने दाने को मोहताज हो गये गाँव छानीखुर्द, बजहरा, अछपुर, स्वासा, खड़ेही, भवईनदेहरा, कलोली जार, पलरा बाँकी आदि गाँव के हजारों गरीब किसान परिवारों की रोजी रोटी इस भीषण ओलावृष्टि से छिन गई है। दुःख तो इस बात का है कि इस प्रशासन ने उन गरीब हजारों विपन्न भाइयों के लिये अब तक न तो राहत कार्य प्रारम्भ कराया न सहायता बाँटी। उल्टे कर्मचारियों से लगान आदि सरकारी देयों की जबरन वसूली करायी जा रही है। अतः मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से इस पर वक्तव्य देने, उक्त प्रभावित क्षेत्र में भारी पैमाने पर शीघ्र राहत कार्य शुरू कराने, प्रचुर सहायता बंटवाने, सभी राजकीय देयों की वसूली रुकवाने व लगान माफी करने आदि की माँग करता हूं।

गोला गोकरन नाथ, जिला खीरी के गन्ना किसानों में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि गोलागोकरन नाथ जिला खीरी में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है फिर भी उस क्षेत्र के गन्ना किसानों में घोर असंतोष व्याप्त है। दिनाँक 25 मार्च से गन्ना सहकारी समिति के प्रांगण के सामने हजारों गन्ना किसान क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं और यदि उनकी माँगों पर ध्यान न दिया गया तो हजारों किसान आमरण अनशन पर भी बैठने का संकल्प ले रहे हैं। इससे जो विस्फोटक स्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। महोदय, इस क्षेत्र में गन्ना किसानों में व्याप्त असंतोष का कारण यह है कि इस बार हजारों ऐसे किसानों के भी सट्टे नहीं किये गये जिन पर गन्ना सहकारी समिति का कर्जा बाकी है तथा जो विधिवत् कई वर्षों से मेम्बर हैं। कई ग्रामों में सटटे तो हुये हैं पर उन किसानों को आज के दिन तक एक भी पर्ची नहीं मिली है। किसानों का काफी मात्रा में पुराना गन्ना शेष है उसका ठीक से सर्वे नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त हजारों किसानों के पास पुराने गन्ने की पर्चियाँ भी हैं। पर शुगर मिल ने 12 माह से ज्यादा हुआ पुराना गन्ना लेना बन्द कर दिया। महोदय, गोला क्षेत्र के किसान गन्ना ग्राम सेवकों के भ्रष्टाचार एवं निरंकुश व्यवहार से भी अत्यन्त क्षुब्ध हैं।

महोदय, गोला क्षेत्र के किसानों के असंतोष का यह भी कारण है कि पलिया में यद्यपि चीनी मिल है फिर भी पलिया चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना गोला आता है तथा गोला मिल के अधिकारी गोला गन्ना सहकारी समिति के अधिकारियों से साँठ गाँठ कर पलिया क्षेत्र को वरीयता देते हैं। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि गोला क्षेत्र के किसानों का अभी भी चौथा पखवारा चल रहा है। जबकि पलिया क्षेत्र के किसानों का ग्यारहवाँ पखवारा चल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघव राम मिश्र]

महोदय, इसके ऊपर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि गोला मिल में इस बार पुराने गन्ने की कीमत साढ़े आठ रुपया कुन्तल दिया तथा नये गन्ने की कीमत केवल दस रुपये छन्नसठ पैसा दे रहे हैं।

महोदय, उस क्षेत्र के किसानों पर इतना घोर अत्याचार हो रहा है उनका पुराना तथा नया तीन चौथाई गन्ना खेतों में खड़ा है। मिलवाले ठीक दाम भी नहीं दे रहे हैं। उस क्षेत्र के समस्त गन्ना संचालकों ने मंत्री महोदय को भी प्रतिवेदन दिया है। पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महोदय, आपके माध्यम से माँग करता हूं कि गोला क्षेत्र के किसानों का दस लाख कुन्तल का आफर बढ़ाया जाय तथा उनको ठीक दाम दिलाने की शीघ्र व्यवस्था की जाय। पलिया मिल क्षेत्र का गन्ना गोला मिल में आना बन्द कराया जाय तथा गन्ना ग्राम सेवकों, प्रर्यवेक्षकों एवं निरीक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना केन्द्र बना कर रहने को बाध्य किया जाय।

हरदोई तथा सीतापुर के गन्ना किसानों को मिलने वाले मूल्य में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र में गन्ना किसानों के साथ हो रहे अन्याय की ओर आकृष्ट कर शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब इस समस्या की ओर ध्यान देकर किसानों को, उनके द्वारा बेचे गए गन्ने का अविलम्ब भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय।

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई के गन्ना क्रय केन्द्र परसौली (मिश्रिख), वर्मा, कैराना तथा मछरेहटा जो गन्ना सहकारी समिति सीतापुर के अन्तर्गत हैं पर किसानों का लाखों रुपया बकाया है। किसानों से सरकारी तथा अर्ध सरकारी देयों, रकमों की वसूली में सख्ती की जा रही है इससे किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है।

मौजूदा सीजन में किसानों से खरीदे गये गन्ने के मूल्य भुगतान में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। एक ही तिथि में खरीदे गये गन्ने का मूल्य दो रेटों में मनमाने ढंग से गन्ना सहकारी समिति, सीतापुर द्वारा किया जा रहा है। किसी को 10.06 रु0 प्रति कुंटल तथा किसी को 11.68 रु0 प्रति कुन्टल की दर से भुगतान दिये गये।

उदाहरण के लिए परसौली केन्द्र की दो पर्चियों का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं जिसका भुगतान भिन्न-भिन्न दरों से किया गया है। 29-11-78 को श्री डिप्टी सिंह वृन्दावन विक्रम द्वारा बेचे गये गन्ने का मूल्य जो मिल पर्ची नं0 213540 पर 11.68 रु0 की दर से भुगतान अंकित है का भुगतान 10.06 रु0 की दर से किया गया है तथा इसी क्रय केन्द्र पर श्री बाबू सिंह वृन्दाबन मिश्रिख जिसका मिल पर्ची नं 224762 दिनाँक 21-12-78 जिसमें दर 11.68 रु0 लगी है का भुगतान लगी कीमत की दर के अनुसार किया गया है।

हमें यह भी बताया गया है कि गन्ना सहकारी समिति, हरदोई द्वारा किसानों को पर्चियों पर लगायी गयी दर से ही भुगतान किया जा रहा है जबकि गन्ना सहकारी समिति, सीतापुर द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और किसानों को मनमाने ढंग से किसी को 11.68 रु0 के बजाय 10.06 रु0 की दर से तथा किसी को 1 1.68 रु0 की दर से किया जा रहा है। हमारा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इस समस्या का तत्काल निराकरण किया जाय तथा किसानों को उनसे खरीदे गये गन्ने का मूल्य पर्चियों पर लगी दर से ही कराया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा सरकारी संस्थाओं में अपनी 1027 शाखाएं लगाए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

शासन के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा, सरकारी संस्थाओं में अपनी शाखायें लगाए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, दिनाँक 13 फरवरी, 1979 को उत्तर प्रदेश शासन ने एक शासनादेश द्वारा यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्थाओं को शाखा आयोजित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जब कि सम्प्रति शाखाएं बगैर अनुमति से लगायी जा रही हैं।

मुझे यह निजी तौर पर जानकारी मिली है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेषकर जनपद वाराणसी, लखनऊ आदि में नगरमहापालिका के उद्यानों एवं सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा शाखाएं लगायी जा रही हैं जो कि स्पष्ट तौर पर शासन के आदेश का उल्लंघन है। इस व्यापक पैमाने पर शासनादेश के उल्लंघन होने से प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है और जन मानस में असंतोष व्याप्त है।

कौमी एकता सम्मेलन का लक्ष्य भी शासनादेश की मूल भावना से जुड़ा हुआ है कि अमन चैन और कौमी सद्भाव बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर शाखाओं का आयोजन तत्काल रोका जाय ताकि शासनादेश का कड़ाई से पालन हो सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन से वक्तव्य की अपेक्षा है।

मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो उप मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं इस गम्भीर मसले पर कोई बयान दें। शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जाय।

व्यवस्था के प्रश्न

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 300 को देखें। आपने जिस सूचना को स्वीकार किया था और विधान सभा में सूचना प्रस्तुत की गयी, मुझे ऐसा लगा जैसे संविधान का उल्लंघन है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 19, मूल अधिकारों को भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सम्बन्ध में...(व्यवधान) मान्यवर, सुन लीजिये, व्यवस्था का प्रश्न ह, जन मानस उद्वेलित है। आज माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि संगठनों के प्रतिबन्ध के लिए आयोग गठित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं इस राय का हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप अपनी राय बता रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

[* * * *]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--
यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
आप बिना इजाजत बोल रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। श्री देवेन्द्र शास्त्री अपनी सूचना पढ़ें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो आप बहस की बात कर रहे हैं। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
मैंने कह दिया कि जो आप कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
यह लिखा नहीं जायगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--
मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--
वर्मा जी, मैं आपको अनुमति नहीं देता हू।

श्री शतरुद्र प्रकाश--
[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--
यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--
मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--
शास्त्री जी, आप शुरू करें।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--
माननीय उप मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप उनको कहने दें।

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता हूं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत नहीं दी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। वह कुछ कहना चाहते हैं तो एक मिनट में कह दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको मना कर दिया है। आप व्यवधान न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मुनासिब नहीं समझा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। मैं माननीय देवेन्द्र शास्त्री को बुला चुका हूं। जिस सूचना को मैंने नियम 301 में स्वीकार किया है, उसको वे पढ़ेंगे।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, आपने अभी यह कहा कि जो मैंने कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा .....

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय चतुर्वेदी ने कहा था वह सब कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

(पुनः श्री देवेन्द्र शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, आप सुन तो लीजिए। नियम 302 के अन्तर्गत पुनः व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए, अन्यथा मुझे इंगित करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। मुझे अफसोस होगा अगर मुझे आपको इंगित करना पड़ा। आप बैठ जाइये, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, आप मुझे अपनी बात कहने की और व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देते हैं और जो कुछ कहा गया है उसको कार्यवाही का अंग न मानने का आपने निर्णय कर दिया है। तो आप मुझे बाहर ही कर दीजिए।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

देव बहादुर जी, आप कृपया बैठिए, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। मैंने देवेन्द्र दत्त शास्त्री जी को बुला लिया है।

देहरादून व पर्वतीय क्षेत्र में गैर शिक्षक कर्मचारियों व डिग्री कालेजों के लिए पर्वतीय भत्ते की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व की समस्या पर कार्यवाही हेतु दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, जिला देहरादून तथा पर्वतीय जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर (गैर शिक्षक) कर्मचारियों तथा देहरादून जनपद के स्नातक व स्नातकोत्तर कालेजों को पर्वतीय विकास भत्ता न मिलने के कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई व वार्षिक पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने गत वर्ष 15 सौ फुट की ऊंचाई के समस्त पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता 15 प्रतिशत शासकीय कर्मचारियों व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को देना स्वीकार किया है। यह नियमतः सब को मिल रहा है। केवल शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व देहरादून जनपद के डिग्री कालेजों को ही पर्वतीय विकास भत्ते से वंचित रखा गया है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कलम बन्द व साँकेतिक हड़ताल के बाद 22 मार्च से अनिश्चित कालीन कार्य बन्द हड़ताल की सूचना विभाग को दी थी। शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी थी। मान्यवर, क्षेत्र के हजारों बच्चों की वर्ष भर की पढ़ाई, बच्चों के समय की हानि और माता पिताओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी तथा शासन के प्रति जनता में असंतोष बढ़ेगा। ऐसी अवस्था में मेरा शासन से आग्रह है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व जिला देहरादून के डिग्री कालेजों को पर्वतीय विकास भत्ता की स्वीकृति की अविलम्ब घोषणा करें जिससे हजारों बच्चों की पढ़ाई समय से हो व आर्थिक हानि न उठानी पड़े और शासन के प्रति जनरोष भी न बढ़े। [* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठिए। यह जो आपने कहा है बाद में, वह नहीं लिखा जायगा।

बोर्ड की परीक्षाओं से पूर्व ही प्रश्न-पत्रों को प्रकाशित किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)---

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आज कल प्रदेश में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड द्वारा हाई स्कूल की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अब तक जिन विषयों यथा हिन्दी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंक गणित प्रथम व द्वितीय विषयों की परीक्षायें हो चुकी हैं, इन सब के ही प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व प्रकाशित हो चुके थे। विधिवत् रूप से प्रश्न पत्र छपवा कर परीक्षा से एक दिन पूर्व 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बेचे गये। दूसरे दिन जब उपरोक्त परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्रों में वितरित किए गये तो शत-प्रतिशत उनकी नकल थे।

नोट---[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह कार्य पूर्ण सुनियोजित ढंग से प्रदेश में कुछ एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। जो प्रश्न-पत्र बाजार में बेचे गये उनमें मेरठ व मुजफ्फरनगर के प्रकाशकों के नाम तक अंकित हैं।

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है। प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अन्धकार में हो गया है। जो प्रतिभावान व तेजस्वी छात्र हैं उनको अत्यन्त क्षति पहुंचने की सम्भावना है।

मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन आज ही वक्तव्य दे तथा इस सम्पूर्ण काण्ड की जाँच गुप्तचर विभाग द्वारा कराये जाने की कृपा करें।

(श्री गिरीश चन्द्र तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, इस समय इम्तिहान चल रहे हैं और इम्तिहान पेपर्स बाजार में बिक रहे हैं। अभी डा0 कौशल जी ने जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया उस पर एक वक्तव्य छोटा सा दिलवा दें कि सरकार क्या करने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया इसे देख लें।

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, सदन के सामने जो बात आयी है इसमें जाँच कराने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी, शासन इस ओर सजग है। जाँच पड़ताल करने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

सहकारी चीनी मिल कायमगंज द्वारा क्षेत्र के गन्ने की पेराई न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, सहकारी चीनी मिल, कायमगंज इस सत्र के प्रारम्भ से अब तक 980 घंटे बन्द रह चुका है जिसमें 700 घंटे केवल गन्ने के अभाव में बन्द रहा है। इस वर्ष गन्ने का जो सर्वे और सट्टा हुआ है उसमें अनेक अनियमिततायें की गयी हैं। गन्ना उत्पादकों की आपत्तियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अभी तक आधा गन्ना खेतों में खड़ा है। किसान पुनः सर्वे के लिये बेचैन है और अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है। किन्तु मिल के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि यही रवैया रहा तो हजारों एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा। गत वर्ष भी शासन ने आश्वासन दिया था कि सारे गन्ने की पेराई करने के बाद ही मिल बन्द होगी, किन्तु गन्ना खड़ा रह गया और मिल बन्द कर दिये गये। इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हो रही है।

गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं किया गया है। केवल एक माह अर्थात् 21 नवम्बर से 29 दिसम्बर तक के गन्ना मूल्य का भुगतान करने के आदेश हुये हैं। किसानों से जबरिया सरकारी वसूली की जा रही है। उनके बैल और भैंस कुड़क किये जा रहे हैं। किन्तु उन्हें अपने गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान भारी संकट से गुजर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

गत वर्ष गन्ने के मूल्य में से किसानों का एक लाख उन्तीस हजार रुपया अल्प बचत में काटा गया था। उसे भी किसानों के खातों में जमा नहीं किया गया है। हर किसान से शेयर मनी काटी जा रही है। उसे भी किसानों के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है।

अनेक बार शासन का ध्यान इन अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया, किन्तु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है और उसमें कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। झूठे आश्वासनों से किसान को सन्तोष नहीं हो रहा है।

अस्तु माननीय गन्ना विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना है कि मिल की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिये कदम उठायें जायें अन्यथा किसानों को अपनी खड़ी फसल में आग लगानी पड़ेगी और किसान के बढ़ते हुये रोष का उत्तरदायित्व शासन पर होगा।

जनपद इटावा के जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता न दिए जाने से कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद इटावा में लगभग 36 प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को इस वर्ष मान्यता न मिलने से एक भयंकर संकट पैदा हो गया है। शिक्षा क्षेत्र एवं जनता तथा छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। लगभग पाँच हजार छात्रों एवं दो सौ शिक्षकों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। दिनाँक 31 मार्च जो कि वित्तीय वर्ष का अंतिम दिवस है, मात्र 4 दिन शेष हैं। यदि सरकार ने शीघ्र ध्यान न दिया तो इन छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का भविष्य अन्धकार में होगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद की यह एक स्मरणीय घटना है। पाँच हजार छात्र छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति एवं अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जावेंगे। साथ ही दो सौ शिक्षकों की जीविका भी समाप्त हो जावेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से वक्तव्य की माँग करता हूं तथा साथ ही निवेदन करता हूं कि 31-3-79 के पूर्व इन छात्रों, शिक्षकों के भविष्य को बचाने का सदन को आश्वासन देने की कृपा करें।

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका लिखा नहीं जायगा। जो आपने पढ़ा है, वह सब उसी में आ गया।

प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय थानों के क्षेत्रों में डकैती तथा कत्ल की घटनाएं तथा पुलिस निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज, कंधई एवं पट्टी थानों में व्याप्त अराजकता, आतंक, डकैती एवं हत्याओं की ओर आकृष्ट करता हूं। रानीगंज थाने में गत अंधेरी में अनेक डकैतियाँ, हत्यायें एवं लूटें हुईं। खमपुर, दुबे पट्टी ग्राम में

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पाँच घर लूट लिये गये तथा एक स्त्री की निर्मम हत्या कर डाली गयी। कुंभापुर, बुढ़ौस ग्राम में अनेक घर डकैतों ने लूटा और गृह स्वामियों को अमानुषिक रीति से मार पीट कर घायल कर दिया। यह लूट लाखों की थी। ग्राम कोठरा, पठवा, कोराम तथा पटहरिया खुर्द जो एक दूसरे से लगे हुए गाँव हैं, में भीषण डकैतियाँ, डाली गयीं। कोठरा ग्राम में तो डकैतों ने श्री गिरजा शंकर मिश्र के यहाँ उस रात को डकैती डाली जिस रात को उसी घर में थानाध्यक्ष श्री राम शिरोमणि पाण्डेय तथा दो कॉंस्टेबिल सर्वश्री राम दुलार सिंह एवं राजनारायण पाठक लेटे थे तथा विश्राम कर रहे थे। डकैत लूट रहे थे और सिपाहियों समेत थानेदार बंद कक्ष में सो रहे थे। शाहपुर में नृशंस एवं हृदय विदारक हत्या कर डाली गयी। कलीमुराव-पुर ग्राम में उदय प्रताप सिंह तथा भगवानदीन मिश्र की दो हत्यायें कर डाली गईं।

श्रीमन्, आपका ध्यान इस आश्चर्यमयी स्थिति की ओर बरबस आकृष्ट करना पड़ता है कि रानीगंज थाने के जिन गाँवों में डकैतियाँ पड़ी हैं या पड़ रही हैं वहाँ कोई न कोई थानेदार या कॉंस्टेबिल अवश्य टिके हुए पाये गये हैं अथवा गश्त करते हुये बताये गये हैं। जनता कहती है कि थानेदार और सिपाही ही डकैती डाल रहे हैं या डलवाने का षडयंत्र कर रहे हैं।

मान्यवर, यही स्थिति कंधई और पट्टी थानों की भी है। डंडवा महाखरो ग्राम की लाखों की डकैती एवं अनेक हत्यायें अपने में अभूतपूर्व हैं। सराय नानकार एवं ताला ग्रामों की डकैतियाँ अत्यन्त भीषण थीं। किन्तु आश्चर्य एवं खेद है कि आज तक उक्त डकैतियों एवं हत्याओं का रहस्योद्घाटन नहीं हो सका। डकैत अहर्निश कथित थानों में सशस्त्र दौड़ रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। जनता पूर्णतया आतंकित है तथा उसमें हाहाकार व्याप्त है। वह पूर्णतः किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर अपने को अरक्षित अनुभव कर रही है।

महाशय, यह अराजकता की स्थिति आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर माँग करता हूं कि कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से, सरकार तत्काल डकैतियों एवं हत्याओं को रोकने की व्यवस्था करे। प्रभावित क्षेत्रों में पी0 ए0 सी0 तैनात करे तथा डकैतों एवं हत्यारों को पकड़ कर अविलम्ब उन्हें जेल भेजे। साथ ही साथ मेरी माँग है कि सरकार मेरी इस सूचना के परिपेक्ष्य में वक्तव्य दें और कृत कार्यवाही से मुझे अवगत करायें।

काशीपुर में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा जमीन की खरीद में गोलमाल के सम्बन्ध में स्वीकृत नियम 49 की चर्चा को आज न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 49 के अन्तर्गत एक सूचना मैंने दिया था। चर्चा का दिन आज के लिए निश्चित है। मान्यवर, मुझे यह चर्चा के लिए प्रश्न, माननीय सदस्य राम देव सिंह के प्रश्न पर उठाना पड़ा। उक्त प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 3 एकड़ भूमि रु0 8,70,328। मान्यवर, यह श्री गोविन्द सिंह की जमीन है। मैंने आपसे निवेदन यह किया था कि इसमें बड़ा गोलमाल है। आपने उसे स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आपने सूचित किया कि आज 27 तारीख को विचार होगा। आज प्रातःकाल दूसरा पत्र आपका मुझे मिला, कल कार्य-मंत्रणा समिति में भी निर्णय हुआ कि नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा होगी। आज आपका पत्र आया कि मैंने यह चर्चा स्थगित कर दिया है। मैंने सचिव साहब से पूछा, उन्होंने भी वही बताया। मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा निश्चित रूप से सदन में दिये गये प्रश्नों पर होती है। और जब प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाना स्वीकृत है तो यह समझा जाता है कि सरकार के सामने सभी सूचनायें उपलब्ध हैं। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप इसको ऐसे नहीं स्थगित कर सकते। दो बातें हैं या तो कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग से पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

आपने पत्र लिख दिया तब तो कार्य-मंत्रणा समिति ने आपकी आज्ञा को निरस्त कर दिया क्योंकि कार्य-मंत्रणा समिति ने निश्चित रूप से एजेण्डा में रखा है और अगर आपने उसके बाद में किया हो तो मान्यवर, किस नियम के अनुसार ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति इस को नहीं निश्चित करती है। इसको तो अध्यक्ष निश्चित करते हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, आप नियम 49 देखें। नियम 49 में मान्यवरों प्रश्नोत्तरों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर चर्चा के संबंध में है। इसमें जो नियम (1) है उसमें मान्यवर, अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घण्टे का समय नियत कर सकेंगे। इसी प्रकार मान्यवर, जो नियम (2) है, उसमें है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यह नियतन साधारणतया सदन के उपवेशन के दौरान किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायगा।

यह मान्यवर, जो परन्तुक (2) है, यह इस बात के लिये नहीं है कि आप दिन बदल दें। यह सदन की कायवाही के बाद होगा और यह आपके एजेण्डा में आ चुका है और आप स्वयं निश्चित कर चुके हैं तो मान्यवर, समय निश्चित करने के बाद समय का परिवर्तन करना, शासन को सुविधा देना है, हमारे अधिकारों का हनन है। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर, जहाँ घोटाला हुआ हो, एक रिश्तेदार नेता ने जमीन खरीदी हो, उस पर आप द्वारा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हम को एजेण्डा मिला है, उस एजेण्डा के अनुसार आप नियम 49 में चर्चा करायें और सरकार के बहाने को स्वीकार न करें। उन्होंने कहा है श्रीमन्, कि उनके रिश्तेदारों के लोगों ने भी कुछ गलती की है तो हमारे दल के साथी सदस्यों की भी स्थिति स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(आबकारी मंत्री को बुलाने पर तथा उनके खड़े होने पर)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप इनको सुन लें।

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, इस पर चर्चा की कोई गुन्जाइश ही नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर,.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले बैठ जायं।

(श्री रमा शंकर कौशिक से)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आप तो सरकार में हैं इसलिये पहले आप मुझे सुन लें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या म इस सदन का सदस्य नहीं हूं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, हमारे भी दस्तखत हैं इस पर। इसलिये हमें भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

वे पहले खड़े हुए। मैंने उनको बुला लिया। अब आप लोग बैठें। मैं आपको को भी सुन लूंगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सारे देश की जनता को यह जानकर ताज्जुब है कि वित्त मंत्री के रिश्तेदारों ने 3 एकड़ जमीन 9 लाख रुपये में खरीदी। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसलिए इस मामले की जाँच की जानी चाहिए।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक इस नियम का सवाल है, नियम 49 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "किन्तु अध्यक्ष सम्बद्ध मंत्री की सम्मति से सूचना की अवधि संबंधी अपेक्षा को हटा सकेंगे।"

तो मान्यवर, आपको अधिकार है कि आप संबंधित मंत्री से, अगर सूचना न मिली हो, कोई मजबूरी हो, तो ऐसी बात नहीं है कि शासन इस सवाल को छिपाना चाहता है, आधे घंटे की चर्चा का मलतब होता है कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उनकी सारी की सारी सूचना शासन के पास उपलब्ध होनी चाहिये, ऐसी गुन्जाइश इतने कम समय में नहीं थी कि कि इन सारे तथ्यों को एकत्रित किया जा सके, इसलिये संबंधित मंत्री की सम्मति लेकर आपने अवधि बढ़ा दी है इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं है।

*श्री गुलाब सेहरा—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को इसमें सूचना की आवश्यकता क्या है? श्रीमन्, अगर आप देखें तो उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 8 लाख रु0 70 हजार 328 रुपये की जमीन वेयर हाउस कापोरेशन ने खरीदी है। इसको स्थगित करने का कारण जैसा कि बताया गया कि सूचना लेना है, तो मेरा कहना है कि सूचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले ही श्री राम दत्त जोशी के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 8 लाख 70 हजार 328 रुपये की जमीन खरीदी गयी। यह मामला राज्य सभा में कल उठ चुका है और आज चौधरी चरण सिंह का वक्तव्य आ गया कि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य नही हैं। श्रीमन्, इतने बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। इसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। हम कहते है कि इसमें कोई कमीशन बैठाना चाहिये, कोई उच्च अधिकारियों की कमेटी बनानी चाहिये जो जाकर जांच करे कि वहां वैल्यूएशन भूमि की इतनी हो सकती है। इतनी वैल्यूएशन में नरीमन प्वाइंट बम्बई में होटल फेरिडान की जमीन भी नहीं खरीदी गयी तो काशीपुर में कैसे खरीदी गयी? श्रीमन्, बम्बई में भी जमीन की इतनी कीमत नहीं है। तो इसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(अनेक सदस्य साथ-साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके ऊपर कई सदस्यों को बोलने की इजाजत दी जाय। मुझे अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री निवेदन करता है कि अभी हम पूरी सूचना नहीं दे पायेंगे तो नियमों के अन्तर्गत उसको स्थगित कर दें। नियमों के अन्तर्गत उसको मैंने आज स्थगित किया। अब इसके ऊपर मैं कोई विवाद को इजाजत नहीं देता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर निर्णय ले चुका हूं। इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं नियम 224 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 224 में कार्य-मंत्रणा समिति के कृत्य दिये हुये हैं। उसमें है कि समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश करें जिन्हें अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें।'

मान्यवर, अभी जो सूचना माननीय सोहनवीर सिंह तोमर ने दिया कि कार्य-मंत्रणा समिति को नेता सदन से सलाह करके आपने एक कार्यसूची बनाने के लिये निर्देश किया था। मान्यवर, नियमावली की अवहेलना यदि स्वयं आपकी पीठ से होने लगेगी तो इस सदन की व्यवस्था कैसे होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 49 में आधे घंटे की चर्चा को निर्धारित करने के बारे में मुझे पूरा अधिकार है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, नियम 49 का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो, कार्य-मंत्रणा समिति को उस पर विचार करन के लिये समय निर्धारित करने के लिये निर्दिष्ट करने के पहले आपको नेता सदन से परामर्श करना पड़ेगा तभी आप उसको कार्य-मंत्रणा समिति के पास भेजेंगे। मैं सूचना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न को बहस के लिये समय निर्धारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट करने से पहले नियमावली का पालन किया था कि नहीं ? नेता सदन से परामर्श लिया था कि नहीं ? यदि लिया था, तो उस समय मांग उन्होंने समय की, किया कि नहीं ? आपने किस नियम के अन्तर्गत एक बार नेता सदन से परामर्श लेने के बाद, इसको कार्य-मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट करने के बाद, फिर से स्थगित किया है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने सही कहा कि कार्य-मंत्रणा समिति ने समय निश्चित किया है, उसमें नियम 49 के लिए समय का प्राविधान है और वह सदन से भी स्वीकृत है। कार्य-मंत्रणा समिति ने, शासन के लोगों की सहमति से, सिफारिश किया है और उस कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को विधान सभा ने स्वीकृत किया कर दिया। उसको टालने का आपको अधिकार नहीं है। यदि टालते है तो सदन के अधिकारों का हनन है। श्रीमन्, 1974 में लोकनायक के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन इस देश में शुरू हुआ उसी के फलस्वरूप जनता पार्टी का जन्म हुआ और जनता सरकारें कायम हुई। इसलिये जनता पार्टी में अन्याय के विरोध की भावना है। जो भी मामला हो, चौधरी चरण सिंह के लड़की या रिश्तेदार का मामला हो या बाबू जगजीवन राम के पुत्र का मामला हो, जनता पार्टी के लोगों ने उसके सवाल उठाये हैं। मुझे खुशी है कि इस मसले को भी पार्टी के लोगों ने उठाया है, वह ठीक है। यह जनतांत्रिक पद्धति में एक नई परम्परा है। इसलिये जब अपने लोगों के संबंध में भ्रष्टाचार के मामले उठाये जायेंगे तभी जनतंत्र चलेगा। इसलिये इस सदन के निर्णय को आप बदल नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 49 (1) को मैं पढ़ दूं—"अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय

नियत कर सकेंगे।" तो इसमें कोई कार्य मंत्रणा समिति की आवश्यकता नहीं है और न इसमें नेता सदन की परामर्श की ही आवश्यकता है। यह तो अध्यक्ष स्वयं तय करते हैं और उसमें नियम में यह है कि मंगलवार को रखा जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नियम 49 में बनता था और केवल अधिकार आपको था। तो आपने उसको कार्य मंत्रणा समिति के पास क्यों भेजा ?

श्री उपाध्यक्ष---

कार्य मंत्रणा समिति के पास नहीं गया और न इसको भेजने की आवश्यकता थी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति के एजेन्डे में है। अगर स्थगित करना था तो ऐजेन्डे में शामिल करने से पहले स्थगित करते। इसलिये यदि कार्य मंत्रणा समिति के ऐजेन्डे में शामिल किया गया तो नियम 224 एप्लाई करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐजेन्डे में कहां शामिल है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति का ऐजेन्डा मेरे पास है जिसमें लिखा है कि इस सचिवालय के पत्र सं0 691/16/79, दिनांक 30 मार्च, 1979 के क्रम में मुझे आपको सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुति पर सदन के दिनांक 26 मार्च, 1979 के निश्चय के अनुसार विधान सभा के दिनांक 27 मार्च, 1979 के उपवेशन का कार्यक्रम, आपकी सूचनार्थ संलग्न है।" यह उस पत्र में लिखा है।

इस पत्र के साथ विधान सभा का सदन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम (दिनांक 27 मार्च, 1979) संलग्न है जिसमें लिखा है---

मंगलवार 27 मार्च, 1979

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।

(2) नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य और नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जो 27 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित है) के पश्चात् .....

श्री उपाध्यक्ष---

इसके पश्चात पढ़ें। यह विधेयक के लिये है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जो 27 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित है)। नियम 49 की चर्चा के पश्चात विधेयक पर विचार यह है। ऐजेंडा में जिसको मैंने उठाया।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 49 के बाद विधेयक पर चर्चा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

इसमें कोई चर्चा नहीं है। नियम 49 में है।

श्री रमा शंकर कौशिक---

आप कृपया कार्यसूची का आइटम 15 तो पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा थी। पन्द्रहवें आइटम को देखें जो हिन्डालको, रेनूकूट, मिर्जापुर की विद्युत आपूर्ति में कटौती के विषय में दिनांक 22 मार्च, 1979 को पूछे गये अल्प-सूचित प्रश्न के संबंध में है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मान्यवर, आप एजेंडा पढ़कर सुना रहे हैं। एजेंडा तो निर्णय नहीं है कार्य-मंत्रणा समिति का। यह तो कार्य-मंत्रणा समिति ने पहले से लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दुबारा फिर उसको उठा रहे हैं। मैने निर्णय दे दिया। मैं नियमों के अन्तर्गत ही स्वीकार कर सकता हूं। अब इस पर मैं इजाजत नहीं देता।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मान्यवर, मैं शासन की इस तरह की नीति के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सोहन वीर सिंह तोमर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजनाथ सिंह---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है . . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, आपकी इस व्यवस्था से हम समझते हैं कि शासन ने अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। शासन जानबूझकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहता है। इसलिये हम शासन की प्रवृत्ति के विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, नियम यह है कि जब माननीय अध्यक्ष कोई निर्णय देते है तो उस निर्णय के विरोध में कोई सदस्य वाक आउट नहीं करता। लेकिन मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के विरोध में माननीय सदस्यों ने वाक आउट किया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

मान्यवर, यह स्वच्छ प्रशासन पर धब्बे को छिपाने का प्रयास है। इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रश्न उठाया उसके विषय में अपना निर्णय दे रहा हूं। माननीय सदस्यों ने सदन के सामने जो वाक आउट किया है, उसमें उन्होंने अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध में नहीं वाक आउट किया बल्कि उन्होंने यह कहा है कि शासन ने जबाव नहीं दिया, इसके विरोध में वाक आउट किया है।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको जान से मारने की धमकी तथा अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की मांग

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैने एक विशेषाधिकार की अवमानना का प्रश्न उठाया था और आपने अस्वीकृत कर दिया था। मान्यवर, मैं इस सदन का एक सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों का समुचित रुप से निर्वहन करता हूं और जो भी मामला उसमें उठाया गया है उसमें श्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ईश्वर प्रसाद, विधायक वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे के चरित्र हनन का प्रयास कर रहे थे। मान्यवर, यह सारा जो कुछ भी विशेषाधिकार अवमानना का प्रश्न उठाया गया था उसे आपने अस्वीकृत कर दिया और वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गया। इससे संबंधित एक व्यक्ति श्री एच0 एन0 लाल शर्मा जिन्होंने पूरे दस्तावेज और कागजात का विवरण बताया था, दिनाँक 21 को अशोक मार्ग के काफी हाउस के सामने एक इम्पाला जैसी कार आई। गाड़ी रुकी और मि0 सक्सेना को बुलाकर जान से मार डालने की धमकी दी और कहा कि सदन में जिस विधायक ने यह प्रश्न उठाया है उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। मान्यवर, जो भी सदस्य समुचित रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है अध्यक्ष-पीठ से अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन को यदि किसी भी प्रकार का खतर होता है तो समुचित रूप से उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। लेकिन आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को स्वीकार नहीं किया और मुख्य मंत्री.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी जानमाल की हिफाजत की बात कहें। मैं शासन को निर्देश देता हूं कि मुख्य मंत्री जी देखे और आपकी जान की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। अब आप कृपा कर बैठें।

श्री राम जी---

मान्यवर, सदस्यों की जान व माल का खतरा हो और उसके विरुद्ध अगर आवाज उठाता है.....

श्री राजनाथ सिंह---

यह मसला बहुत अहम है। इसलिये आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री ईश्वर प्रसाद के खड़े होने तथा कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिना अनुमित के बोल रहे हैं। अब आप बैठें, आप बैठें नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा। कृपया बैठें।

बस्ती में नर्सों के साथ गुण्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक दूसरे विषय में व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 19 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने श्री राम मिलन सिंह की सूचना पर बस्ती नर्स काण्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। माननीय तिवारी जी और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने चर्चा की माँग की और मुख्य मंत्री जी ने उससे अपनी सहमति व्यक्त की कि एक घन्टे की चर्चा होगी। आपने भी आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐजेन्डेमें कहीं उसका जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में मैं शासन से पूछूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। शासन की ओर से जो आश्वासन दिये जाते है यह उनकी जिम्मेदारी है कि उसका पालन करायें। श्रीमन्, पार्लियामेंटरी पद्धति में यह उनकी अहम भूमिका है। लेकिन सरकार का इस ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ध्यान नहीं है। आज दूसरे सदन में इसकी चर्चा भी हो चुकी है। इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आश्वासन भी दिया जा चुका है। मेरा कहना है कि फिर सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से क्यों कतराती है? मेरा आपसे आग्रह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को आप निर्देश दें। अब नियम 301 के अन्तर्गत आने वाली नोटिसों को ले लिया जाय। भूतपूर्व अध्यक्ष, जो अब मुख्य मंत्री हैं, ने यह निर्णय लिया था कि एक रजिस्टर बनाया जायगा। कहाँ है वह रजिस्टर? 301 के अन्तर्गत इतनी सूचनायें दी जाती हैं पता ही नहीं चलता कि उन पर क्या हो रहा है। बस्ती काण्ड के बारे में दूसरे सदन में चेयरमैन ने वहाँ के नेता सदन को आदेश दिया कि वे स्वयं बस्ती जायं। वे गये और तीन बार चर्चा हो चुकी है। यहाँ बार बार यह उठाया जा रहा है लेकिन चर्चा के लिए समय ही नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ कहा जाय तो बुरा मानते हैं। मेरा आग्रह है कि इस पर आज चर्चा होनी चाहिए। चूंकि चर्चा के लिए यह स्वीकार कर लिया गया है, चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता सदन को ज्ञात ही है बस्ती में जो घटना हुई उसके बारे में उस सदन में और इस सदन में जब भी चर्चा हुई, शासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि पूरी जांच के पश्चात उचित कार्यवाही की जायेगी। यहां पर जब यह प्रश्न उठाया गया तब भी यह आश्वासन दिया गया था। इतना ही नहीं, शासन के एक वरिष्ठ सदस्य और उस सदन के नेता श्री रामाधार पाण्डेय स्वयं मौके पर गये और वस्तु-स्थिति की जानकारी की। सारी परिस्थिति की जानकारी करने के बाद शासन का जैसा आश्वासन था, आवश्यक कार्यवाही की गयी और की जा रही है। उसके अनुसार सी० ओ० (सिटी) डी-वाई० एस० पी० जिनके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि समय के अन्दर जो कार्यवाही उनको करनी चाहिये थी, वह उन्होंने नहीं किया, उनको हटा दिया और अन्य जो संबंधित अधिकारी थे, उन्हें निलम्बित कर दिया गया और यह कार्यवाही की जा रही है। अब मैं नहीं समझता कि नेता विरोधी दल यह कैसे कह रहे हैं कि शासन ने जो आश्वासन दिया, उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

संसदीय कार्य मंत्री जी, उनका कहना है कि इस पर एक घन्टे की चर्चा का समय नियत किया गया था और आज सदन उठ रहा है, इसलिए चर्चा नहीं हो पायेगी। उसके सम्बन्ध में वह चाहते हैं कि यदि आपके यहां पूरी जानकारी हो और आज व्यवस्था करा सकें तो चर्चा का समय दे दिया जाय।

श्री मधुकर दिघे---

मैं जानकारी प्राप्त कर लूं। उसके बाद बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, विशेष परिस्थितियों और समस्या की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए आपने स्वयं निर्देश दिया कि बस्ती में जो अमानुषिक बलात्कार हुआ था, उस पर चर्चा की जाय। अभी आपने कहा कि यदि उनके पास सामग्री हो तो। आप स्पष्ट रूप से निर्देश देने की कृपा करें कि आज निश्चित रूप से उस काण्ड पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके बारे में निर्देश हो चुका। अब क्रम संख्या .....

श्री राम जी—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री रामजी—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आवेश में आकर बातें कहना उचित नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह की विशेषाधिकार की सूचना में उल्लिखित वित्त मन्त्री, श्री मधुकर दिघे पर आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

(वित्त मंत्री) श्री मधुकर दिघे—

यहां पर माननीय सदस्यों में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मुझ पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मान्यवर, मैं माननीय राजनाथ सिंह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक गलत काम करने वाले के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। मैं नहीं जानता उनके मन में क्या भावना रही। उन्होंने प्रश्न उठाया और हंसी की। भारतीय संस्कृति में ओत प्रोत लोगों ने हंसी की। मेरी माता की उम्र की एक स्त्री के प्रति मेरे जैसे सार्वजनिक कार्य में लगे हुए आदमी का कुछ आदर है। लव एण्ड एफेक्शन, प्यार मोहब्बत की बात है। जैसा मैंने उस सदन में कहा था, मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि भारतीय महिलाओं के प्रति और अपनी बहनों और माताओं के प्रति अगर साधारण भी आदर और भावना हो तो उनको यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था जिस तरीके से उठाया गया। मैं गर्व करता हूं इस बात पर कि मैं न तो गुन्डा हूं और न ही नपुंसक हूं। मान्यवर, भारतीय महिलायें न किसी नपुंसक से और न किसी गुन्डे से मुहब्बत करती हैं, वे भले आदमी से मुहब्बत करती हैं जैसे एक माता अपने पुत्र से मुहब्बत करती है।

मान्यवर, मैं तीस साल से एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हूं। माताओं और बहनों के प्रति मेरे लिए आदर है। मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ हूं जहां भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। मेरी खुश किस्मत है कि मैं शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र में पैदा हुआ जहां पर आज भी भारतीय संस्कृति पनपती है। वहां महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि रहती है यह जानकारी है जिन को भारतीय संस्कृति से प्रेम है। इसके बावजूद अगर हिम्मत हो तो प्रश्न उठायें। मैं भी उठाऊंगा। बलरामपुर की रानी ने किस प्रेम और मुहब्बत के कारण मेरे मित्र जिनके लिए आज भी मेरे मन में आदर है श्री माधव राव सदाशिवराव गोलवालकर को पचपेड़वा, तुलसीपुर, बलरामपुर में लाखों लाख की सम्पत्ति बाग, बगीचा, हिस्सा दान कर दिया। यह लाखों लाख रुपए की जायदाद है सम्पत्ति किस प्रकार दी थी? मान्यवर, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता के पास, मेरा दावा है, न कोई जमीन है और न कोई खेत है। मेरे पास न किसी तरह की जायदाद है। मैं महाराष्ट्र से सन् 1943 में इस प्रदेश में आया अपना घर जायदाद छोड़ कर, जागीरदारी छोड़कर। मान्यवर इस प्रदेश में महिलायें हैं मैं उनको माता स्वरूप मानता हूं। 19 वर्ष की उम्र में मैं अपनी माता की गोद को छोड़ कर निकला हूं। मैं जेल में था मेरी माता मर गयी.....(व्यवधान).....पिता मर गये.....(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत हो किसी को जो लगाये भ्रष्टाचार का चार्ज(व्यवधान) वो इनमें किसी में नहीं है। कांच के मकान में रहने वाले फूस की झोपड़ी पर ईट पत्थर नहीं फेके वरना चकनाचूर हो जायेंगे।

नोट—[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामजी---

जमीन के बारे में स्पष्टीकरण दें, रजिस्ट्री हुई कि नहीं जमीन किस से खरीदी, किस खाते से खरीदी .... (व्यवधान).....

एक सदस्य---

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया बैठें। यह अशोभनीय है कि जब मैं खड़ा हूं तो माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं। कृपया बैठें। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज अन्तिम दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सदन का समय इस प्रकार से नहीं लेंगे।

श्री राजनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता। आप व्यवस्था के प्रश्न का दुरुपयोग कर रहे हैं।

(श्री राजनाथ सिंह के बार-बार खड़े होने तथा कुछ बोलने पर)

कई दफा आपको टोक चुका हूं मैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको इंगित करूं। मना करने पर भी आप खड़े होते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आपरेटर्स के सम्बन्ध में था। 5 दिन हो गये उसे ग्राह्य किये हुए लेकिन उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

उसे सरकार के पास कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

स्वास्थ्य एवं आबकारी मन्त्री के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने श्री रमाशंकर कौशिक, सदस्य, विधान सभा एवं स्वास्थ्य तथा आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी ह। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय स्वास्थ्य तथा आबकारी मंत्री ने श्री पद्माकर लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा 22 मार्च, 1979 को वर्ष 1978-79 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर दिये गये मतदान को असंसदीय तथा अनैतिक बतलाते हुए उनका जबाव तलब किया है कि उनको विधान मण्डल दल से क्यों न निष्कासित न कर दिया जाय। माननीय श्री देव बहादुर सिंह ने अपनी सूचना के साथ जो श्री रमाशंकर कौशिक द्वारा कारण बताओ नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है, उससे मालूम पड़ता है कि श्री रमाशंकर ने महामंत्री, जनता विधान मंडल दल की हैसियत से दल के सदस्य श्री पद्माकर लाल के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही करने का नोटिस दिया है और उनसे यह पूछा है कि वे कारण बतायें कि उन्हें जनता विधान मंडल दल से क्यों न निकाल दिया जाय।

श्री कौशिक ने श्री पद्माकर लाल को विधान सभा की सदस्यता से निष्कासित करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। अप्रैल, 1952 से 6 मार्च, 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन के पृष्ठ 338 पर दिये गये निर्णय संख्या 60 के अनुसार किसी भी दल के अन्तर्गत अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस निर्णय की पुष्टि अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 529 पर उक्त निर्णय संख्या 83 से भी होती है।

अत. मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रुप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पाण्डेय तथा हरिजन कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव , सदस्य, विधान सभा ने माननीय श्री रामाधार पांडेय, स्वायत्त शासन मंत्री तथा श्रीमती चन्द्रावती, हरिजन कल्याण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि 22 मार्च, 1979 को जब तृतीय अनुपूरक अनुदान के अनुदान संख्या 3 पर हाथ उठा कर मतदान हुए उस समय उपर्युक्त दोनों मंत्रियों ने जो विधान परिषद के सदस्य है, हाथ उठा कर सरकार के पक्ष में मतदान किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक मंत्री को दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है किन्तु उन्हें इस सदन में मतदान देने का कोई हक न होगा, जिसके वे सदस्य नहीं है। यदि कोई माननीय मंत्री उस सदन में मतदान करें जिनके वे सदस्य नहीं है तो असंवैधानिक होने के कारण उनका मत निरस्त किया जा सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है और न ही इसके कोई दृष्टान्त ही हैं। अत: मै इस प्रश्न को सदन में उठाने अथवा विधान परिषद को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता।

ग्राम्य विकास मन्त्री श्री जमुना प्रसाद के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हेमराज लोधी, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि 26 मार्च, 1979 की कार्यसूची में नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने यह कहा कि क्षेत्र विकास अधिकारी, नबावगंज, उन्नाव एवं अन्य कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और जिला विकास अधिकारी उन्नाव का स्थानान्तरण कर दिया गया है। माननीय सदस्य का कहना है कि यह उत्तर भ्रामक और सदन को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसे आदेश जिला स्तर पर प्रकाश में नहीं आये हैं और उपरोक्त कर्मचारीगण यथावत कार्यरत हैं।

माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने एक नोट भेजकर बताया है कि श्री सेंगर, वी0 ओ0 (पी0 वी0 डी0) को निलंबित करने के आदेश तार द्वारा जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को 26 मार्च, 1979 को भेज दिये गये हैं। श्री हरपाल सिंह चावला, सहायक विकास अधिकारी (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) को निलंबित करने के आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनाँक 24 मार्च, 1979 को भेजे जा चुके हैं।श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, खन्ड विकास अधिकारी को भी दिनाँक 24 मार्च, 1979 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है। श्री राधा मोहन अग्निहोत्री, जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को आजमगढ़ स्थानान्तरित करने के आदेश तार द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को भेज दिये हैं। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि जिलाधिकारी, उन्नाव को तार द्वारा आज पुन: यह आदेश दिये जा रहे हैं कि इन आदेशों का तुरन्त पालन कराकर शासन को अविलम्ब सूचना भेज दें। अत: इसे मैं सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना के रुप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का नर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है और यह प्रार्थना की है कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

माननीय श्री तोमर का कहना है कि 24 मार्च, 1979 को मेरठ में जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक में माननीय मुख्य मंत्री ने कार्यकर्त्ताओं को इस बात के लिये उकसाया कि वे उन्हें विधान सभा से त्याग-पत्र देने के लिये विवश करें क्योंकि कि वे मुख्य मंत्री के विरुद्ध असन्तुष्ट ग्रुप के साथ हैं और उन्होंने सरकार के विरुद्ध सदन में मतदान किया है। इस कार्य के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने श्री सोहन वीर सिंह तो मरके विरुद्ध लोगोंको प्रदर्शन तथा घेराव आदि करने के लिये कहा है। माननीय श्री तोमरने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि मुख्य मंत्री के उत्तेजनात्मक भाषण के बाद कार्यकर्त्ताओं में झगड़े आदि होने प्रारम्भ हो गये हैं तथा उनके घर पर भी कुछ लोगों ने उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दी है।सूचना के अन्त में श्री बेनी प्रसाद माधव, सदस्य विधान सभा ने यह अंकित किया है कि "मैं आरोपों की पुष्टि करता हूं।" श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने अपनी सूचना के साथ श्री जगत सिंह के तार तथा दैनिक समाचार-पत्र "आज" दिनाँक 25 मार्च, 1979 के नगर संस्करण की एक प्रति संलग्न की है।सूचना की दूसरीप्रति में श्री बेनीप्रसाद माधव ने केवल हस्ताक्षर किये हैं और उसमें यह नहीं लिखा कि "मैं आरोपों की पुष्टि करता हूं।" क्योंकि संलग्नकों की केवल एक-एक प्रति प्राप्त हुई है, अतः मा0मुख्य मंत्री को सूचना की प्रतिलिपि जैसी श्री तोमर से प्राप्त हुई है भेजी गयी है और उसके साथ संलग्नकों की प्रति भेजना सम्भव न हो सका है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने अपनी सूचना के साथ जो तार संलग्न किया है उसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री ने श्री तोमर को जनता पार्टी से निष्कासित करने की धमकी दी है। उनके परिवार के सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री के समर्थकों द्वारा धमकी दिये जाने की बात कही है।

सूचना के साथ समाचार-पत्र "आज" की प्रतिलिपि संलग्न की गई है उसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री ने जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की बैठक में पार्टी के कार्यकर्त्ताओं से यह कहा कि वे श्री कैलाश प्रकाश, साँसद और श्री सोहन वीर सिंह तोमर,विधायक से इस्तीफा माँगे क्योंकि ये दोनों व्यक्ति असन्तुष्ट की गतिविधियों में शामिल हैं। श्री जगत सिंह के तार और उक्त समाचार में विरोधाभास है, यदि उक्त समाचार का भी आशय यह न लगाया जाय कि माननीय मुख्य मंत्री ने भी सोहनवीर सिंह तोमर का त्याग-पत्र जनता पार्टी से माँगने की बात कही थी। उक्त विरोधाभासको तथा अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1977 तक उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 520 पर निर्णय संख्या 83 को देखते हुए, जिसके अनुसार किसी भी दल के अंतरंग अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः इस सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना का भी कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है और मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने अपनी सूचना में और सदन में 26 मार्च, 1979 को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में आशंका व्यक्त की और उन्होंने बताया कि उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को धमकियाँ दी जा रही हैं। अतः मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आप पीठासीन होकर "कृपा" की बात करते हैं, यह असंगत है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह संसदीय तरीका है। ऐसा कहना निर्देश देना है।

गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित न किए जाने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

मान्यवर, रबी खाद्यान्नों के खरीद मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग की संस्तुति पर तथा राज्य सरकारों से विचार विमर्श के पश्चात् किया जाता है।

आगामी रबी मार्केटिंग वर्ष 1979–80 के गेहूं के खरीद मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व कृषि मूल्य आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के विचार माँगे थे, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कृषि मूल्य आयोग द्वारा दिनाँक 21 अक्टूबर, 1978 को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में गेहूं की खरीद के विषय में आवश्यक संस्तुति की गयी। कृषि मूल्य आयोग ने कुछ सदस्यों की असहमति की टिप्पणी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 115 प्रति क्विन्टल तथा चने का समर्थन मूल्य रु0 140 प्रति क्विन्टल निर्धारित करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने उसके पश्चात आयोग की उक्त सिफारिश पर विचार करने हेतु मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें दिनाँक 2 दिसम्बर, 1978 को इस राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन खाद्य मंत्री जी सम्मिलित हुए। भारत सरकार ने चने का तो समर्थन मूल्य रु0 140 प्रति क्विन्टल घोषित कर दिया है किन्तु गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है।

राज्य सरकार द्वारा, नई दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक के बाद से ही, गेहू का समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने की माँग की जा रही है तथा भारत सरकार को स्मरण कराया गया है। इस सम्बन्ध में अंतिम बार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनाँक 24 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को गेहूं का समर्थन मूल्य तुरन्त घोषित करने हेतु स्मरण कराया गया है। आशा है कि गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा शीघ्र कर दी जायेगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक स्पष्टीकरण का मौका दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुझे एक स्पष्टीकरण करना है।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने गेहूं का मूल्य निर्धारित करने के बारे में वक्तव्य दिया है। चूंकि भारत सरकार से कीमत मुकर्रर नहीं हुई है। तो उस समय तक जब तक तय न हो जाय इस बात को विशेष तौर पर देख लेंगे कि जो परचेजिंग सेंटर हैं उनमें सारा सामान जैसे बोरे आदि का प्रबन्ध करने की कोशिश करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं जैसा कि माननीय सदस्य पश्चिमी जिले के हैं वहाँ 15 अप्रैल से फसल कटनी शुरू होगी और जो पूर्वी जिले के है वहाँ अप्रैल के पहले सप्ताह से कटने की शुरूआत हो जायेगी। इसी हिसाब से पूरे प्रदेश में व्यवस्था की जायेगी। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो माननीय सदस्य जो सूचित करेंगे, उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

यह सब को मालूम है कि यह समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार कृषि मूल्य कमीशन की संस्तुति के आधार पर तय करती है। दूसरे सूबों के--राजस्थान या हरियाणा आदि के कृषि मंत्रियों ने वहाँ केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा की है कि पिछला जो समर्थन मूल्य था, उससे ज्यादा इस बार दिया जाय, इस संबंध में उन्होंने शायद कोई संस्तुति भी भेजी होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कृषि मंत्री या मुख्य मंत्री ने भी अपनी ऐसी कोई संस्तुति कृषि मूल्य आयोग को भेजी है और उसमें उनकी अपनी क्या राय है ?

श्री मलिखान सिंह---

भारत सरकार इसका निर्णय करेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक मूल्य किसान को मिले। इस समय उसके बारे में बताना ठीक नहीं है। इतना अवश्य है, कि इस बारे में दोनों सरकारों के बीच बात हुई होगी, उससे तय होगा। माननीय सदस्य कृपया दो-एक दिन का इन्तजार करें, शायद घोषणा ही हो जाए।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध से उत्पन्न स्थिति तथा कानपुर में हरी भाई की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, श्रीमती शाँति देवी ने अपने पुत्र हरीभाई की हत्या के सम्बन्ध में दिनाँक 20-3-79 को थाना अनवरगंज, कानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। हत्या का आधार पूर्व शत्रुता दर्शाया गया था और यह भी कहा गया था कि घटना से एक दिन पूर्व रज्जन आदि अभियुक्तों ने रोशनलाल नामक एक व्यक्ति को पानी लेने से रोका था, जिसका पक्ष मृतक द्वारा लिये जाने पर अभियुक्तों ने उसे धमकी दी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में थानाध्यक्ष व बासमंडी चौकी के उप निरीक्षक का हाथ कत्ल में होने का भी उल्लेख किया गया था क्योंकि मृतक बहुधा क्षेत्र में होने वाले अपराधों की शिकायत करता था। उक्त सूचना के आधार पर अपराध संख्या 166 के अन्तर्गत धारा 147/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया व विवेचना आरम्भ की गई। अभियुक्तों को घटनास्थल पर ही घेर लिया गया था जिन्हें पुलिस ने बन्दी बनाकर जेल भेज दिया।

हरी भाई के कत्ल के सम्बन्ध में प्रदर्शन हुये और प्रदर्शनकारियों ने जिले के अधिकारियों से थानाध्यक्ष के निलम्बन की माँग की। मृतक व विपक्षीगण के बीच पहले से शत्रुता थी व रज्जनलाल नामक अभियुक्त ने घटना से एक दिन पूर्व रोशनलाल से नल के प्रश्न को लेकर हुये विवाद के सम्बन्ध में थाना अनवरगंज पर एक आवेदन पत्र भी दिया था जिसकी उप निरीक्षक हरीशंकर मिश्रा द्वारा जाँच की गई व स्थानीय व्यक्तियों की मदद से मामला तय कर दिया गया। इस बिन्दु पर जाँच किये जाने के दौरान कि क्या थाना अनवरगंज द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही करने से हत्या की घटना टल सकती थी थानाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा व उप निरीक्षक हरीशंकर मिश्रा को 21-3-79 को निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन के आदेशों की प्रतिक्रिया हुई व स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। निलम्बन के आदेशों के बाद थाना कर्मचारियों में दुख की भावना दृष्टिगोचर हुई परन्तु कोई अन्दोलात्मक स्वरूप नहीं रहा।

हरी भाई की हत्या के मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सुपुर्द कर दी गयी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर करने के लिए शासन द्वारा गठित समिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

मान्यवर, प्रदेश में किये जा रहे विकास कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कें तथा पुल प्रदेश का एक ऐसा

(Infra Structure) है जिस पर प्रदेश का बहुमुखी विकास निर्भर है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अन्य विभागों के लिये भवन निर्मित किये जाते हैं और इन के निर्माण पर उन विभागों के विकास के कार्य कलाप निर्धारित होते हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा इस समय विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा की जाती है और समय समय पर मंडलीय स्तर पर मंडलीय आयुक्तों द्वारा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर भी कार्यों की समीक्षात्मक बैठकें होती हैं इस समीक्षात्मक प्रक्रिया में जनता के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व शून्य रहा है। जनता की भावनाओं को जानने के लिये तथा विभाग के अधिकारियों एवं जनता से उत्तर सम्बन्ध स्थापित होने के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रगति समीक्षा समिति का गठन किया जाय। यह समितियां अपने-अपने जनपदों में सा0 नि0 विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगी तथा अपनी संस्तुतियाँ मुख्य अभियन्ता एवं शासन को भेजेंगी। अतः निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जनपद में गैर सरकारी सदस्यों की सा0 नि0 विभाग की जिला प्रगति समीक्षा समिति का गठन किया जाये। उक्त समिति का प्रारूप निम्नलिखित है:—

(इस समय 2 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

(1) समस्त विधायक और संसद सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरे या आंशिक रूप में जिले में पड़ता है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियन्ता जिनका कार्यक्षेत्र जिले में पड़ता हो।

(3) जिले के समस्त उप खंड अधिकारी।

2—समिति के अध्यक्ष के विषय में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे तब तक समिति के सचिव बैठक संयोजित करेंगे और प्रत्येक बैठक के आरम्भ में उपस्थित सदस्यगण उस बैठक के लिये अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे।

3—जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी अभियन्ता समिति के सचिव होंगे।

4—कार्य संचालन नियमावली:—

(क) समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, यदि उसे इसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय तो दो वर्ष का होगा।

(ख) समिति की सदस्यता की अवधि तीन वर्षों तक या उस समय तक रहेगी जब तक कि सद य अपने अपने पद पर बने रहें या राज्य विधान मंडल या संघ संसद के निर्वाचित सदस्य का पद धारण किये रहें। इसमें से जो भी पहले समाप्त हो, उसी तक सदस्यता रहेगी।

(ग) समिति के सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(घ) समिति को केवल विशेष मामलों पर विचार करने के लिये सदस्यों को आमे लित (कोआप्ट) करने का अधिकार होगा और सदस्यता उस दशा में समाप्त हो जायगी जब कि उक्त विशेष मामलों पर समिति विचार करना बन्द कर दें।

(ङ) समिति का कार्य जिले में स्वीकृत कार्य की समीक्षा करना होगा। बैठक की कार्य सूची सचिव द्वारा तैयार की जायगी। सचिव समिति के समक्ष ऐसे सभी कागज पत्र रखेगा जिनकी कार्यसूची की प्रत्येक मद पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता हो। बैठक की कार्यवाहियाँ कार्यसूची में सम्मिलित मदों तक ही सीमित रहेंगी सिवाय उस दश में जबकि अध्यक्ष अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दें दें।

[श्री त्रिलोक चन्द]

(च) समिति के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित मामले नहीं जायेंगे:

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनका संबंध कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण या विभाग के सामान्य प्रशासन से हो और

(2) ऐसे मामले जिनका समिति के समक्ष रखा जाना सार्वजनिक हित में न हो।

(छ) समिति की बैठकें उस स्थान पर होंगी जिसे अध्यक्ष निश्चित करें।

(ज) सचिव समिति की बैठकें जब-जब आवश्यक हो, किन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये दिनाँकों को बुलायेगा।

(झ) समिति की सभी बैठकों के दिनाँक इस प्रकार निश्चित किये जायेंगे कि उससे सदस्यों को उनमें सम्मिलित होने में असुविधा न हो। इसके लिये आवश्यक है कि समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये सदस्यों को सात दिन पूर्व सूचना दे दी जाय।

(ञ) समिति की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतिलिपियाँ संबंधित अधिकारी अभियंता तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, उ0 प्र0, लखनऊ को उपर्युक्त कार्यवाही के लिये भेजी जायेगी। उसकी एक प्रतिलिपि सचिव, सा0 नि0 विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को भी भेजी जायगी।

(ट) सचिव समिति की पूर्व बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही में समिति को अवगत करायेगा।

(ठ) सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला प्रगति समीक्षा समिति की बैठक के लिये कोरम समिति की तत्कालीन सदस्यता का पाँचवा अंश मात्र होगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका क्या स्पष्टीकरण है

श्री रामदत्त जोशी—

जो वक्तव्य दिया गया है उसके नं0 दो पर यह है कि समिति के अध्यक्ष के नामाँकन के लिये आदेश अलग से जारी किये जायेंगे और अंत में यह है कि समिति की मीटिंग अध्यक्ष द्वारा निश्चित स्थान पर बुलायी जायेगी। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन मीटिंग बुलायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह तो बिल्कुल साफ है। अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी पहली मीटिंग सचिव बुला लेगा।

श्री रामदत्त जोशी—

यह इसमें ओमीशन है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मेरा एक स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप छोड़ें। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। आप जानते हैं कि मैं सदन को बहुत नियम से चलाता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

शर्मा जी यह आपका ट्रायल है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु एक सामान्य प्रयोजन समिति के निर्मित किए जाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक सामान्य प्रयोजन समिति निर्मित की जाय जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा के 15 सदस्य और सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 6 सदस्य हों और जो समय-समय पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियाँ प्रतिवेदित करें। अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से संबंधित उपबन्ध लागू होंगे।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज प्रातः काल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया था। यह प्रस्ताव आया है। इससे ऐसा लगता है कि कोई स्टेंडिंग कमेटी बनायी जा रही है जो वेतन, भत्ते और उपलब्धियों पर विचार करेगी। यह दोनों सदनों की स्थायी समिति होगी। इस प्रकार की समिति जो केन्द्र में है वह वेतन भत्ते और उपलब्धियों के सम्बन्ध में नहीं है। जितनी आवास सम्बन्धी है कठिनाईयाँ है और जो पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं और उनको कक्ष वगैरा आवंटित होते हैं उनके सम्बन्ध में लोक सभा और राज्य सभा की अलग-अलग समितियाँ हैं। अगर वेतन सम्बधी समिति बनायी जायगी तो लोग समझेंगे कि अपने वेतन पर विचार करने के लिये बनाया है। ये सदन की गरिमा के अनुकूल न होगा। जो दूसरे प्रश्न हैं उनको लेकर बनें तो ठीक होगा। इससे जन साधारण में गलत फहमी होगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि इसका आधार क्या है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी कमेटी की आवश्यकता है कि जिन माननीय सदस्यों को आवास नहीं मिल रहा है, उसको वह देखें। माननीय सदस्य अपने आवासों के लिए कहाँ-कहाँ जायं किसके पास दौड़ें। इसके लिए एक स्टेंडिंग कमेटी है जो विधायकों के आवास को देखती है, लेकिन वेतन भत्तों के लिए एक समिति का गठन हो जो समय समय पर संस्तुतियाँ दें, उचित नहीं है।

***श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)**--

मान्यवर, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि जो बात माननीय तिवारी जी ने सदन में उठायी, वह प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं लेकिन उसको मैं दूसरे ढंग से सदन में रख रहा हूं। केन्द्र में दोनों सदनों की हाउस कमेटीज है, वहाँ पर एक जनरल परपज कमेटी भी है और भी कार्यों के लिए वहाँ पर कमेटियाँ हैं जिसमें उपलब्धियों आदि सुविधायें आती हैं। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का विचार यह है कि उनके इस प्रस्ताव में दोनों बातें ही निहित है, तो ठीक है लेकिन इसमें बिना संशोधन किए बात समझ में नहीं आती है, बात स्पष्ट होनी चाहिए। केन्द्र की जो बात है, इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुये है, वे थोड़े दिन पहले ही वहाँ से आये हैं, वहाँ पर एक हाउस कमेटी है और एक जनरल परपज कमेटी भी है। इस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामवर मिश्र]

यहाँ पर हाउस कमेटी जनरल परपज क रूप में एक कमेटी बन रही है जिसको आप उपलब्धि कमेटी कहते हैं। अगर इसके लिए कोई दूसरे शब्द आप रखना चाहते हैं तो हम स्वीकार करेंगे। इस पर पहले विवाद हो चुका है। हमारी माँग पर सरकार ने विचार किया। 4 दिन पूर्व यहाँ पर माननीय तोमर जी का प्रस्ताव आया, मैं भी उस पर बोला था कि क्या उपलब्धियाँ हों और क्या और भत्ते होंगे और आवास के सम्बन्ध में, पार्लियामेंटरी वर्क के सम्बन्ध में और संसदीय कार्य में क्या-क्या कठिनाई इस समिति को सुपुर्द की गयी।

दूसरी बात जो इस प्रस्ताव में स्पष्ट है वह यह है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। अगर आप केन्द्र से तुलना करते हैं तो मुख्य मंत्री जी बता देंगे कि वहाँ पर क्या बात है। वहाँ पर मंत्री लोग नहीं, सदस्य होते हैं। तो आखिर कोई निर्णय करके हमको बता दें और अध्यक्ष कौन होगा इस बात को तत्काल भी कर दें, हम स्वीकार कर लेंगे लेकिन इस पर कोई राय तो बननी चाहिए। जो बात यहाँ पर कही गयी है उसकी स्प्रिट से हम सहमत हैं, वह आज की माँग है और उचित भी है लेकिन बात स्पष्ट होनी चाहिए, सरकार की दिशा हम लोगों को मालूम होनी चाहिए।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव का आवास समिति अथवा जनरल परपज कमेटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोक सभा और राज्य सभा में आवास समिति अलग होती है और जनरल परपज समिति वहाँ पर पृथक होती है। इस प्रस्ताव को लाने का मकसद यह है कि माननीय तोमर जी ने अभी एक विधेयक इस सदन में इस तरह का पेश किया था जिसमें वे चाहते थे कि सदस्यों की पेन्शन का जो प्राविधान है उसे निरस्त किया जाये। इसके साथ ही समय-समय पर बहुत से माननीय सदस्य कभी टेलीफोन की माँग उठाते रहे, कभी आवास की सुविधाओं के बारे में माँग करते रहे, कभी फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था की माँग होती रही, यह भी सुझाव दिया कि दैनिक भत्ता पर्याप्त नहीं है। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये यह दोनों सदनों की एक कमेटी संगठित की जा रही है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इसमें वेतन तथा उपलब्धियों का जिक्र करने से भ्रान्ति होगी। बहरहाल जो भी प्रश्न हम लोगों के मनमें है या माननीय सदस्य रखना चाहते हैं उनको जनता से छुपाने से कोई लाभ नहीं है और यह समिति जो संगठित होगी वह उस दृष्टिकोण को भी सामने रखेगी। इस सदन में प्रथम श्रेणी में चलने और कूपन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही यहाँ रखा गया जब कि मैं संसदीय कार्य मंत्री था। उस वक्त इस पक्ष के बहुत से लोगों ने कहा कि न हम वेतन में वृद्धि चाहते हैं और न फर्स्ट क्लास में चलना चाहते हैं....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह कब की बात है ?

श्री बनारसी दास—

यह सन् 64 की बात है। माननीय तिवारी जी उस वक्त हमारे साथ आ चुके थे, सदन में नहीं थे। (व्यवधान) उस वक्त भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। कुछ लोग भोगी हैं, कुछ त्यागी हैं, इस वक्त भी काशीपुर के एक माननीय सदस्य, हमारे जोशी जी सेकेन्ड क्लास में चलते हैं और 500 रुपये माहवार ही लेते हैं। तो इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप कम लेना चाहते हैं तो कम लें। तो यह जो कमेटी है वह सदन की भावनाओं पर विचार करने के लिये ही होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहाँ तक आवास की व्यवस्था का सवाल है इस पर पृथक से विचार करने के लिये कमेटी बने, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं जब अध्यक्ष था, तब भी कई मर्तबा यह प्रश्न मेरे सामने आया, पर मैंने कहा कि ऐसा उत्तरदायित्व मैं नहीं ले सकता और जिसमें अधिकार न हो। तो मैं तो स्वयं इसपर विचार कर रहा हूं कि सदन की एक आवास कमेटी भी हो जो पूरी तरह से आवास आवंटित करने की व्यवस्था करे ताकि माननीय सदस्यों की कठिनाइयाँ दूर हो सकें। यह प्रस्ताव इस सब पर विचार के लिये है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया।

श्री बनारसी दास--

सदन की भावनाओं का अहसास करके ही यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय नेता सदन ने काफी विस्तार से इसका उल्लेख किया है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर शायद नहीं आ सका, मैंने केवल यह निवेदन किया था कि आजकल क्या स्थिति है, उसमें विचार करने के लिये स्थायी समिति बने, यदि एक कमेटी बने, जिसकी रिपोर्ट हो जाय। यह स्टैंडिंग कमेटी बनने जा रही है, जो हमेशा हमारे नियमों में रही, जैसे और स्थायी समितियाँ होती हैं, वेतन-भत्ते की कोई कमेटी नहीं बनी है। मैं यह कह रहा हूं कि इसका नामकरण जो है, उचित नहीं है---"वेतन-भत्ता"। अगर स्थायी समिति बनाना है, तो यह वेतन-भत्ता नामकरण उचित नहीं है। जो फर्स्ट क्लास की बात थी, मुझे याद आता है, जब 52 में मैं चुनकर आया था, उस समय सदस्य किसी भी क्लास में चलें, वह थर्ड क्लास में चलें, उन्हें फर्स्ट क्लास का किराया मिलेगा। पहले से यह नियम था। कूपन आया, कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में, इसका नियमन 72-73 में हुआ। फर्स्ट क्लास का किराया, तो सदस्य को 1952 से ही मिलता रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी, यह कूपन 63-64 में ही आ गया। आपकी जानकारी सही नहीं है। मैं स्वयं कूपन से चलता था। उस समय कूपन थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह सचिवालय सही सूचना दे सकता है। मैं यह कहता हूं कि इसके लिए स्थायी समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बनारसी दास--

अधिष्ठाता महोदय, तिवारी जी की जानकारी सही नहीं है। सन् 40 और 53 में यह था कि केवल सदन के कार्य के लिए जब सदस्य आयेंगे, तो वह प्रथम श्रेणी में चल सकते हैं। लेकिन जो सन् 64 में, जो इसका विधेयक पारित किया, जो कि अधिनियम बना, उसमें यह था, कूपन्स पहली मर्तबा लागू किया गया और जिसमें वह व्यवस्था की गयी कि वह प्रथम श्रेणी में कभी भी सफर कर सकते हैं और यह व्यवस्था की गयी, जो आज कल है। जब वह सदन के कार्य से आयेंगे तो अतिरिक्त उनको एक फर्स्ट क्लास का और भत्ता मिलेगा, तो पहले से यह था और फिर वेतन भी बढ़ा। तो आप इसमें फर्क नहीं समझते। आजकल तो जब सदन नहीं होता, तो सदस्य तमाम प्रदेश में जा सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हमारा किया हुआ क्या है ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जब दोनों एक थे, तब का यह किया हुआ है।

श्री बनारसी दास---

यह विधेयक पास मैंने कराया। . आपने जाकर उसमें कुछ संशोधन बाद में किया। हाँ, बाहर जाने के लिए कुछ और कूपन्स बढ़ाने थे, उसमें जैसे स्पाउस में जाने की या एक व्यक्ति की यात्रा में आपको था, संशोधन किया। यह जो आपने कहा मुख्य आपत्ति कि यह स्थायी है कि अस्थायी है, तो यह वास्तव में देखा जाय, मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत हूं, यह कोई मुस्तकिल कमेटी नहीं है, यह केवल इस वक्त में जो मौजूदा उपलब्धियाँ हैं और जो मौजूदा व्यवस्था है, केवल इसका विश्लेषण करे और जो उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट करे, तो तदनुसार ही इसको संशोधित कर दिया जायगा।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपूर)---

मान्यवर, सूचना के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी नेता, विरोधी दल ने कहा कि केन्द्र में इस तरह की कोई कमेटी नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वहाँ 2 तरह की कमेटियाँ हैं। एक तो हाउसिंग कमेटी है और दूसरी का नाम है मेम्बर्स सैलरी एण्ड एलाउन्सेस कमेटी। ये कमेटी है और बाकायदा दोनों हाउसेज के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और स्पीकर द्वारा उसके अध्यक्ष मनोनीत किये जाते हैं। उसका काम यह है कि वह समय-समय पर मेम्बर्स की सैलरी बढ़नी चाहिए, एलाउन्सेस में क्या बढ़ोत्तरी होनी चाहिए इसके साथ ही साथ जैसा कि अभी हुआ, हवाई जहाज से ट्रेवेल करने के लिये, पहले सिर्फ आने जाने के लिए होता था और उस कमेटी ने रिकमेन्ड किया कि बजट सेशन में 4 बार मेम्बर हिन्दुस्तान भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उसको आज जाना होता और कल फिर आ जाना होगा तो फिर वह कमेटी जो मेम्बर्स की एलाउन्सेस कमेटी है वह परमानेन्ट बनी है और उसका काम होता है कि वह बराबर देखती रहे कि अगर कहीं पर भत्ता गलत तरीके से ले लिया जाये तो उसका भी वह कमेटी असेसमेन्ट करती ह। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि यह कमेटी रहे या न रहे, जैसा कि अभी माननीय नेता सदन ने कहा, वह ठीक है, लेकिन केन्द्र में यह कमेटी है और अगर यहाँ बनती है तो कोई ऐसी बात नहीं है जो अनुचित हो और अगर बनती है तो वह प्रक्रिया के तहत है और हाउस की मर्यादा इससे कहीं भंग नहीं होती।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव है कि विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने के संबंध में एक समिति गठित करने के सिलसिले में, आया है, जिसका समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि इसके स्थाई स्वरूप के बारे में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 'समय-समय पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियाँ प्रतिवेदित करें।' मान्यवर, समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, यह साफ-साफ इस बात की ओर संकेत करता है कि कमेटी का स्वरूप स्थायी है।

नेता सदन ने जो बात कही कि हमारे मन में कुछ और है और जनता के सामने दिखाने के लिए कुछ और, कहीं। यह नहीं होना चाहिए। जो मन की बात हो, वही जनता के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो कठिनाइयाँ हमारे सामने पैदा होती है वे दूर नहीं होती तो वह दूर होनी चाहिए। इन चीजों पर विचार जरूर होना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अभी आज ही एक प्रश्न आया। प्रश्न यह नहीं है कि माननीय सदस्यों का वेतन बढ़ा दिया जाये, भत्ता बढ़ा दिया जाये। प्रश्न यह था कि सन् 57 से लेकर 62 तक जो विधायक चुन कर यहाँ आये, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था और सिर्फ 5 दिन गजट होने में रह गये थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

5 दिन नहीं 26 दिन।

श्री ऊदल—

हाँ, 26 दिन रह गये थे, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है एक टर्म की। उसके बारे में पूछा तो वित्त मंत्री ने कहा कि यह मामला शासन के विचाराधीन है और एक कमेटी बनने वाली है जो इस मसले पर विचार करेगी। श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से और भी कई प्रश्न हैं जो सब इस कमेटी के बनने के बाद तय करने के लिये निर्दिष्ट किये जा रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम अपना वेतन ही बढ़ा लें, भत्ता बढ़ा लें। इसका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समिति का बनना जरूरी है। मेरे पास 5–7 ऐसे माननीय सदस्य आये जो बेचारे 57 से 62 तक थे। उन्होंने कहा कि मैं तो 5 साल के लिए चुन गया, असेम्बली भंग हो गयी और मैं पेंशन पाने से वंचित रह गया। गजट होने का 26 दिन का अंतर पड़ गया इसलिये पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव है, तो कमेटी बननी चाहिये और सभी मदों पर विचार होना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि समय-समय पर कास्ट आफ लिविंग बढ़ती भी है घटती भी है। इसलिये यह समिति बने और परमानेंट तरीके से बने। जब भी जरूरत हो इस समिति की रिकमेंडेशन आ जाय। इसलिये यह प्रस्ताव बिल्कुल सही है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाने का विचार किया गया तो इसके पूर्व सदन के माननीय सदस्यों को माननीय नेता विरोधी दल को और सभी लोगों को ज्ञात है कि इसी सदन में विभिन्न अवसरों पर माननीय सदस्यों ने इसी सम्बन्ध में प्रश्न उठाये थे। जैसा अभी माननीय ऊदल जी ने कहा है कि कतिपय सदस्य जो 57 से 62 तक थे उनके 26 दिन कम होने पर जो उनको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिये नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से तोमर जी ने एक प्रस्ताव रखा था, उस वक्त माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावना प्रदर्शित की थी, उन प्रश्नों पर अलग-अलग तरीके से विचार करने के बजाय या उसके अलावा इस पर सम्पूर्ण तरीके से विचार हो और जो सुविधायें बढ़ानी हों या अन्य जो प्रश्न हों उस पर विधान मंडल के सदस्यों की एक कमेटी में विस्तार से चर्चा कर लें। विचार करने के बाद वह शासन के सामने आये और शासन उनके विचारों से अवगत हो ताकि सदस्यों को जो भी आवश्यक सुविधायें चाहियें उनके कार्यों की दृष्टि से उस पर संस्तुति हो और शासन उस पर कार्यवाही करे।

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही कि इसको परमानेंट बनाने की क्या आवश्यकता है। अगर वे चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। वह चाहें तो उसमें यह कर दें।

(नहीं, नहीं की आवाजें)।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह बात साफ रहनी चाहिये कि समय-समय पर वह प्रतिवेदन देगी। कमेटी परमानेंट हो। या तो प्रस्ताव वापस करके दूसरा लायें।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब भी कोई समिति इस सदन द्वारा बनायी जायगी तो सदन को पूरा अधिकार है तो जब भी चाहे समाप्त कर दें। एक दूसरा प्रस्ताव लाकर समाप्त किया जा सकता है।

[श्री मधुकर दिघे]

लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यह था कि विभिन्न अवसरों पर जो प्रश्न उपस्थित होते हैं जैसा कि कूपन वाला मामला था तो माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के विचार रखे। शासन के लिये कई बार कठिनाई उपस्थित होती है कि अन्य लोगों के मामले में निर्णय लेने में आसानी होती है, लेकिन माननीय सदस्यों की गरिमा को ध्यान में रखते हुये, सदन की भावनाओं को ध्यान में रख कर शासन को निर्णय लेना होता है। इसलिए उनके विचार हम सुन लेंगे और जिन संस्तुतियों पर हमें कोई कठिनाई होगी वह उनके सामने रख देंगे और समग्र दृष्टि से निर्णय होगा।

एक सदस्य—

चेयरमैन कौन होगा ?

श्री मधुकर दिघे—

माननीय अध्यक्ष नाम निर्देशित कर देंगे। इसमें लिखा नहीं है, यह कर दिया जायगा। जब समिति बन जायगी तो माननीय अध्यक्ष को अधिकार दे दिया जायगा कि वह अध्यक्ष पद का नाम निदशन कर दें। तो अगर समय समय पर उपलब्धियों आदि के संबंध में विचार हो तो शासन को कोई कठिनाई नहीं है। माननीय सदस्यों को जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी यह समिति बनने दें और जब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो दूसरा प्रस्ताव आयेगा और उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। इसलिये अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्त एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक सामान्य प्रयोजन समिति निर्मित की जाय जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा के 15 सदस्य और सभापति, विधान परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 6 सदस्य हों और जो समय-समय पर उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदित करें। अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से संबंधित उपबन्ध लागू होंगे।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, कई दिन से सदन में इधर और उधर के माननीय सदस्यों की महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सुनी। मान्यवर, बड़ा अफसोस है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चूंकि सदन उठने जा रहा है और माननीय सदस्य देहातों और शहरों में जायेंगे तो पूरे भाषण में 2 वर्ष में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में किन कारणों से अनुशासनहीनता हुई, कैसे ला एन्ड आर्डर खराब हुआ और कहां-कहां गोलियां चली, कितने व्यक्ति मरे, कहां-कहां माइनारटीज पर, हरिजनों पर, छात्रों पर गोलियां चलीं तथा किसानों की क्या दुर्दशा हुई इस पर कोई रोशनी नहीं डाली। मान्यवर, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज ऐसा नहीं है कि यह नई सरकार है। आप स्वयं जानते हैं कि इसमें बहुत से माननीय सदस्य वही पुराने मित्र हैं और एक बड़ा अन्याय हमारे नेता सदन ने अपना पुराना दाँव दिखाकर अर्थात् अपनी खलीफागीरी दिखाकर माननीय रामनरेश जी को उधर से इधर बिठा दिया। इस हिन्दुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अध्यक्ष स्वयं मुख्य मंत्री की कुर्सी पर विराजे हुए हों। मान्यवर, कल नेता सदन कह रहे थे कि हमको विरासत में कूड़ा करकट मिला है उसको हटाने में देर लगेगी।

---

†26 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

देश और प्रदेश की जनता है कि माननीय नेता सदन जो अब हैं वह जब कांग्रेस में थे तो वहाँ रहते हुये इनके द्वारा कितनी गंदगी, भ्रष्टाचार, कोआपरेटिव मूवमेन्ट को चौपट करने और इनकी वजह से चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा था। मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश और इसमें कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाती है यह जिले के बारे में नहीं सोच पाते और अपने क्षेत्रों से नहीं निकल पाते हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम ने बाढ़ में 75 करोड़ रूपये मकान बनाने वालों को दिया। मेरठ में हस्तिानापुर, बागपत तहसील में बाढ़ आयी और हजारों मकान मेरठ सिटी में गिरे परन्तु एक भी मकान बनाने वाले किसी गरीब को, भूमिहीन किसान को कोई सहायता नहीं दी गयी और न ही तकावी बाँटी। तकावी जो बटी उसको दूसरे लोगों ने ले लिया जिनके मकान नहीं गिरे। यह सरकार पर मेरा इल्जाम है। इस बात की जाँच करायें और अगर मेरी बात गलत हो तो हम सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। इस्तीफा दे देंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने कहा कि गंदगी साफ कर रहे हैं। कहते हैं कि किसानों के लिये नयी योजनायें बनायेंगे। छात्रों के लिये व्यवस्था करेंगे। वे ये व्यवस्था क्या करेंगे ? आज छात्रों की बेकारी दूर करने के नाम पर समस्त उत्तर प्रदेश को चौपट कर रहे हैं। आज भी कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जिनमें इम्तहान नहीं हो पाये। पढ़ाई में दाखिला कब होगा, इसका पता नहीं। इधर के और उधर के सभी जानते हैं कि मेरठ विश्वविद्यालय के 23 कालेजों के इम्तहान इन्होंने रद्द किये। इस सरकार ने दो प्रकार का बर्ताव किया कहा कि 53 कालेजों में से 23 कालिजों में नकल सब जगह हुयी। अब तीस-मार खां बन रहे हैं। लेकिन शराब पुरानी है, केवल बोतल नई है। आर0 एस0 एस0 का कोई जिक्र नहीं करना है, कोई जिक्र नहीं। ये जो नेता सदन में बैठे हैं, ये स्वयं चौधरी चरण सिंह को जनतंत्र का दुश्मन कहते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने भी इन के बारे में क्या कहा। ये जो नेता सदन हैं, केवल कुछ दिनों के लिये हैं। इनके बारे में स्वयं चौधरी चरण सिंह ने 67 में कहा आम सभा में कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ी श्री बनारसी दास गुप्त की वजह से। ये भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, करेप्ट हैं और अनुशासनहीन हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। वही कह रहा हूं जो उन्होंने कही थी।

इन्होंने किसानों की बात कही, विद्यार्थियों की बात कही। मान्यवर, मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के जमाने में जो पहले सरकार द्वारा जमीन दी गयी थी, समस्त उत्तर प्रदेश में उनके पट्टे छीन लिये गये।

इसी तरह से आज ला एण्ड आर्डर का क्या हाल है ? ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना है कि मेरठ नगर में 75 डकैतियाँ पड़ चुकीं और कत्ल की तो कोई सीमा नहीं। तो ये क्या ला एण्ड आर्डर की दशा को ठीक करेंगे ? श्री राम नरेश यादव को उन्हीं के मकान पर चाकू मारा गया जहाँ पर कि बीसों मन्त्री मौजूद थे, बीसों पुलिस वाले मौजूद थे। उन की तो हिफाजत कर नहीं सके, आप झोपड़ी वालों को क्या हिफाजत करेंगे ?

अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मयखाना,
अगर अहले जर्फ के हाँथों में पैमाने नहीं आते।

एक कता और पढ़ कर इसी के बाद मैं भाषण समाप्त करता हूं:--

गरीबे शहर के तन पर लिवाज बाकी है,
अमीरे शहर के अरमाँ अभी कहाँ निकले ?

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

अभी मन्जूर साहब बोल रहे थे। उन्होंने बात सही कही। लेकिन मैं एक बात अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता सदन ने जो बात कहीं गलत नही कहीं कि तुमने जो कबाड़ा इकट्ठा किया था, उसको साफ करने में काफी समय लग रहा है। आपने क्या किया ? आपकी सरकार ने अमीरों को गहने पहनाये, भाई भाई को लड़ाया और विद्वान और मनीषियों को कारागार में बंद कर दिया। इन तीन कामों के अलावा और क्या किया ? जो गंदे लोग हैं वहीं ऐसा कर सकते हैं। तुमको चरण सिंह और बनारसी दास जी के विरुद्ध यह बातें कहने की हिम्मत कैसे हो गई ? तुम अपनी देखो तुमने क्या किया है। बाढ़ आई, तुमने कहा कि पैसा नहीं बटा, सहायता नहीं पहुंची। मैंने खुद और अधिकारियों के साथ जाकर गरीबों को रुपया बाँटा है और मदद का काम किया है। इतना अवश्य है कि सहायता कम हुई है। बाकायदे उनकी सहायता की गई है—चाहे वह कम की गई हो। एक बात मानता हूं कि आप अगर यह कहते कि इस प्रदेश को बांटों, इस प्रदेश के हिस्से करों तो शायद मुझे खुशी होती।सिर्फ आपने गाली देना ही सीखा है। तुमने उस भूमि में जन्म लिया है जहाँ दिन भर युद्ध करते थे और रात को एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। मुझे अफसोस इस बात का है जो जनता पार्टी का भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ उसने तो फिर भी इतना काम किया जो तुम्हारी इंदिरा सरकार नहीं कर पाई।

श्रीमन्, आपके सामने जितना बाढ़ में काम किया गया है, किसानों को अलबत्ता हानि हुई, गन्ना किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, आलू की फसल को नुकसान हुआ। छोटी जगहों पर इन्डस्ट्री फैलनी चाहिए। जो काम आप लोग नहीं कर सके वह जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखिये की जिले में कितनी सड़कें और पुल बने हैं और तुम्हारी काँग्रेस के जमाने में एक भी नहीं। बना है तो बताओ ? मंजूर भाई, आप लोग तो जितने सोशलिस्ट थे 1952 और 1957 में, आज वे सारे काँग्रेस के हिमायती बैठे हैं और जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उनकी बुराई करने के लिये तुले हो। तुम्हें उनसे शिक्षा लेनी-चाहिए और जहाँ काम में कमी हो वहाँ उसे बताना चाहिए। यह हमने माना कि अभी मशीनरी साथ नहीं दे रही है, यहाँ का शासन अभी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है लेकिन उसमें दोष सरकार का या हमारे नेताओं का नहीं है। किस किस्म का हुल्लड़ आज मचता है सदन में, आपने देखा है कभी इस सदन में इतना हुल्लड़ मचा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश को बाँटो, इसके 4 हिस्से करो और हरिजनों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे दूर करो, तभी कल्याण होगा नहीं तो कभी कल्याण नहीं होगा। अभी तो काँग्रेस ने जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करने में ही समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रवीन्द्र सिंह, 5 मिनट में अपनी बात कहें।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मैं निश्चित राय का हूं कि जनसाधारण की बेहतरी की दिशा में काँग्रेस सरकारों के मुकाबले जनता सरकार की नीयत अच्छी है। चाहे अन्त्योदय का कार्य हो, लघु सीमान्त कृषक योजनायें हों, गाँवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का प्रश्न हो, यह सब सबूत है जनता सरकार की नीयत के। लेकिन मान्यवर, जितनी उम्मीद थी जनता पार्टी की और जितने वचन दिये थे हमने जनता को, उसकी तुलना में यह कोशिश, यह प्रयास, नगण्य है। जनता सरकार को इस कोशिश और प्रयास से आत्मसंतोष भी नहीं करना चाहिए और गर्व भी नहीं करना चाहिए। मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण अक्षरशः पढ़ा है। इसकी शुरुआत है बाढ़ की विभाषिका से। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं बाँटने की और 73 करोड़ रुपये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तकावी और भवन निर्माण आदि के लिये देने की बात कही गई है। मुझे उम्मीद थी कि कि आग लगा कर कुआँ खोदने वाली प्रवृत्ति को बदल कर जनता सरकार एक मुस्तकिल बीमारी जो इस प्रदेश की है, जो तरक्की में एक बाधक है, उसके बारे में एक निश्चित घोषणा महामहिम राज्यपाल के भाषण में करती। मान्यवर, रोग में मरहम्म लगा कर सरकार चलने वाली नहीं है, निश्चित उपाय किये जाने चाहिए। गंगा की बाढ़, सरजू की बाढ़, यमुना की बाढ़ जिसका खतरा चार महीने के बाद ही आने वाला है सरकार के सामने जो एक व्यापक ससस्या बन चुकी है, उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ जिक्र होना चाहिए था।

मान्यवर, मैं संक्षेप में खेती के प्रश्न को लेता हूं। कृषक सदैव सत्ता के सिर पर है। राजनेता जब भी गाँव में जाता है, कृषक के महत्व की बात करता है। किसान से सरकार चल रही है। उसे बीज में छूट मिले, बिजली में छूट मिले, कृषि यन्त्रों पर छूट मिले इस प्रयास के साथ-साथ सबसे बड़ी बात तो यह ह कि उसकी महीनों की गाढ़ी कमाई का उचित मूल्य उसको मिले। मुझे उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों की निश्चित घोषणा होगी। गन्ने की स्थिति जो पिछले साल देखने में आई वही इस साल देखने में आ रही है, गेहूं, अरहर दाल सब का वही हाल है। मान्यवर, आप भी डाक्टर लोहिया के चेलों में है, डाक्टर लोहिया ने इसी नीति को प्रतिपादित किया था कि खेत में पैदा होने वाली वस्तु और खाने की वस्तु में समन्वय किया जाय। आज खेतिहर मजदूर, मेहनतकश किसान पूंजीपतियों की मर्जी पर अपनी गाढ़ी कमाई को बेचने के लिए बाध्य है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

शिक्षा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। मान्यवर, राजनेता जब भी विद्यार्थियों के बारे में भाषण देते हैं तो उनको समाज का कर्णधार कहते हैं। समाज का अगुआ कहते हैं लेकिन सामान्य जीवन में उन्हें अनुशासनहीन कह देते हैं। मैं जनता सरकार से कहना चाहता हूं कि एक दिन वह था जब आपने विद्यार्थियों का आवाहन किया था, सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप के कहने पर तमाम नेताओं के कहने पर मैंने विद्यार्थियों का आवाहन किया, स्कूल से पढ़ाई छुड़ा दी गयी, जिसका परिणाम हुआ जनता सरकार के गठन में। मैं अपेक्षा करता था कि सरकार शिक्षा नीति में परिवर्तन की घोषणा करेगी, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जायगा, नवजवानों को रोजगार दिया जायगा। क्या किया जनता सरकार ने ? मैं अपेक्षा करता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस विषय पर कुछ जिक्र होता, एक सुनिश्चित योजना की बात होती। मान्यवर, विद्यार्थियों में तबदीली का एक कारण है वह है सामाजिक और आर्थिक कारण। मान्यवर, मैं सरकार से माँग करता हूं कि शिक्षा का एक सुनियोजित सत्र का प्रतिपादन किया जाय, एक एकेडेमिक कलेन्डर का प्रतिपादन किया जाय.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें.....

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुन कर आता हूं। नौ और दस करोड़ करीब की आबादी है। क्षेत्रीय असंतुलन है। आबादी का अधिभार इस सूबे के दूसरे हिस्सों के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक हो गया है। पिछड़ा हुआ इलाका है, उपेक्षित इलाका है। लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सकता। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है तब कामरोको प्रस्ताव उन दिनों नहीं लिया जायगा। प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की सेचुएशन का हाल यह है कि सारा प्रदेश आन्दोलित हो रहा है। उरई में वकीलों के शान्त प्रदर्शन पर लाठी चार्ज हो गया.....

श्री अधिष्ठाता---

आपको समय मिलेगा.....

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

आप मेरा नाम भूल जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपको चर्चा करने के लिये समय मिलेगा। नाम भूला नहीं जायगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, एक कहावत है रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ-साथ। यह सही है कि जनता पार्टी से जनता ने जो आशायें की थीं वे धीरे-धीरे कुछ निराशा में बदलती जा रही हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो धीरे-धीरे मंहगाई बढ़ती जा रही है। दूसरे जरायम भी बढ़ते जा रहे है और सर्वसाधारण को जो सुविधायें जीवन में मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसके विभिन्न कारण हैं। एक तो नौकरशाही धीरे-धीरे बहुत मजबूत होती जा रही है। नौकरशाही के मजबूत होने का कारण सिर्फ जनता पार्टी नहीं है, वह मजबूत होती आ रही है, काँग्रेस के जमाने से। कैसे मजबूत होती चली गयी इसमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन यह एक असलियत है कि काँग्रेस ने नौकरशाही को जो मजबूत किया उसका नतीजा आज जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। नौकरशाही पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है और अगर यह अंकुश न लगा तो फिर इस सूबे को इससे भी बुरे दिन भुगतने होंगे। नौकरशाही पर अंकुश इसलिये नहीं लग पा रहा है कि हम आपस में ही झगड़ रहे हैं। नौकरशाही यह देख रही है कि सरकार में एक अस्थिरता बनी हुई है, स्थायित्व नहीं आ पा रहा है। सब लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के लोग उनका भाषण सुनें, कार्यवाही में पढ़ें और वह बहुत खुश हों कि उनके लिये बहुत अच्छी बात कही गयी। और अखबार में भी उनका नाम छप जाय कि हम जनता के सबसे बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन सबसे बुनियादी चीज यह है कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसे हम पूरी कर रहे हैं या नहीं तथा वह उस पर कितना अमल करते हैं और मैं समझता हूं कि हम में से कोई भी सदस्य उसे पूरी नहीं कर रहा है। एक सरकार गठित हुई है। मैं देख रहा हूं कि आज मानसिंह जी का एक प्रकरण हुआ। जब वे सरकार के विरोध में हल्ला मचाते थे तब मैं देखता था कि आज के नेता सदन जब माननीय अध्यक्ष थे तब माननीय मानसिंह कितने असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे, उसको सब सहन कर लिया करते थे। जिनको ऐतराज होता था उन्हें आज खुशी होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो वायदे हमने जनता के सामने किये हैं, उन्हें हम पूरा करें। हमें संकल्प वद्ध होना चाहिए और खासकर आज के दिन जबकि हमारे लोक नायक जय प्रकाश जी इतने दुखदायी क्षणों से गुजर रहे हैं हम सब उनके नेतृत्व में बैठे हुये हैं। उनके नेतृत्व में यह सरकार गठित हुई है इसलिये ऐसे क्षणों में ये सब बातें शोभनीय नहीं है।

मैं जनता पार्टी के सदस्यों से आशा करूंगा कि यदि आप प्रदेश की हालत में सुधार चाहते हैं तो अपने कर्त्तव्य और फर्ज का ईमानदारी से पालन करें और संकल्प लें। अगर आपको सही मानों में जनता का दुख दर्द है तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। इतनी बड़ी संख्या में हम यहां पर चुनकर आये हैं कि प्रदेश की जनता का हित करेंगे और अपने घोषणा पत्र के अनुसार चलेंगे। इसलिये जनता पार्टी के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) –

मान्यवर, यह धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय शम्भूनाथ जी चौधरी ने प्रस्तुत किया और उन्होंने यह कहा कि वे डाक्टर लोहिया के शिष्य हैं और साथ ही इस धन्यवाद के प्रस्ताव को

रख कर जो प्रशस्ति गायान वे कर रहे है वही इस बात का सबूत है कि वे डाक्टर लोहिया के शिष्य हैं या नहीं। जो प्रशस्ति गायन हो रहा है उससे लगता है कि मुख्य मंत्री जी उन्हें कुछ लालच दिखा रहे हैं---मंत्री बनाने की सोच रहे हैं जिससे वे अपने सिद्धान्त से विचलित हो रहे हैं। प्रस्ताव में बहुत सी बातें कही गई हैं। हालांकि यह धन्यवाद का प्रस्ताव सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ है लेकिन इस पर चर्चा हो रही है।

मान्यवर, यह जनता पार्टी की सरकार 1977 में जनता के एक प्रयोग द्वारा स्थापित हुई थी। देश में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई और जून में यहां विधान सभा के चुनाव हुए तो यहां भी जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक प्रयोग इस प्रदेश में होने शुरू हो गये। यहां की तथाकथित प्रगतिशील जनता पार्टी ने एक नये आदमी को जिसको इस सदन और सरकार का अनुभव नहीं था उन्हें मुख्य मंत्री बना दिया और 19 महीने तक उनके मुख्य मंत्रित्व काल में अनुभव होते रहे जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी योग्य और अनुभवी लोगों को मंत्रिमंडल में रखे। तो जब नया व्यक्ति मुख्य मंत्री हो सकता है तो यही रीतिनीति 19 महीनों में चलती रही जिसमें इन्होंने हिन्दुओं को हिन्दुओं से लड़ा दिया, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया, सिक्खों को सिक्खों से लड़ाया, तमाम प्रदेश में अराजकता की स्थिति रही जिसका परिणाम हुआ कि उनको मुख्य मंत्री से हटा कर उप-मुख्य मंत्री बना दिया गया।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय देव बहादुर जी, कोई नई बात कहिये।

श्री देव बहादुर सिंह---

क्योंकि आप जनता पार्टी के हैं इसलिए आपको नई नहीं लगेगी। जनता पार्टी का जो नया प्रयोग हुआ है उसमें मुख्य मंत्री किस प्रकार से अपना काम करते हैं इसमें सारे देश की निगाह लगी हुई है। नये मुख्य मंत्री जो, निवृत्तिमान मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया है वह भी प्रभावहीन है, उस पर क्या रख लेंगे। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जब 1971 में लोक सभा का चुनाव हुआ था जिसमें महागठबंधन हुआ उसमें संगठन कांग्रेस जिसके सदस्य मुख्य मंत्री थे, आर0 एस0 एस0, सोशलिस्ट पार्टी वाले भी थे, सब ने मिल कर एक महागठबन्धन बनाया था और आज फिर 19 महीने तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मिल कर सरकार बनाई है। मैं आज मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि उनकी आर0 एस0 एस0 के संबंध में में क्या नीति है। वह इस संगठन पर कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे, या वही प्रभावहीन आदेश जो जारी हुआ था वह चलता रहेगा? और उसका डंका पीटते रहेंगे। यह नीति संबंधी प्रश्न है इस पर मुख्य मंत्री जी कुछ अवश्य कहें।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। शिक्षा के संबंध में दो बातें महामहिम राज्यपाल महोदय ने कही हैं। सबसे प्रथम तो शिक्षा की नीति पर परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मान्यवर, जो शिक्षित व्यक्ति है वे सभी सम्पन्न नहीं है लेकिन सभी सम्पन्न व्यक्ति शिक्षित हैं.....

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री देव बहादुर सिंह---

तीन चार मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नेता सदन बोलना चाहते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

दो मिनट और दे दें। मैं शिक्षा के बारे में कह रहा था। इसमें हमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए अभिभाषण में लिखा है कि उसका विकेन्द्रीकरण करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि जिला परिषद और स्थानीय निकायों में उनका काम होगा लेकिन उनके चुनाव अभी नहीं हुए हैं...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री देव बहादुर सिंह—

दो मिनट में समाप्त करता हूं। जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें डूअल सिस्टम है एक निजी व्यवस्था है और दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था है.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें क्योंकि समय बहुत कम है। माननीय नेता सदन को बोलना है।

श्री देव बहादुर सिंह—

इसलिये मेरी मांग है कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दें। जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, तब तक मैं यह समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य, जिसकी प्राप्ति के लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में संकेत किया है, पूरा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं विरोध पक्ष की तरफ से जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं।

(मुख्य मन्त्री के बुलाए जाने पर)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, सूचना में मेरा भी नाम था, लेकिन आपने मुझे....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

पर्वतीय क्षेत्र का कोई नहीं बोला है, आप मुझे भी मौका दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से सदन नहीं चलेगा। सब माननीय सदस्य बैठें। मैं इसको नहीं मान सकता हूं। परम्परा यह है कि जब नेता सदन खड़े होंगे, तो मुझे उनको बुलाना होगा। यदि वह खड़े न हों, समय बढ़ावें तो मैं माननीय सदस्य को बुला सकता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

अधिष्ठाता महोदय, आज नियम 51 के भी दो-तीन प्रश्न हैं और यदि सदन चाहता है कि मैं इस अभिभाषण पर, आप सबने जो विचार रखे हैं, उन पर अपनी बात रखूं तो मुझे इस पर बोलना आवश्यक है। अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन के माननीय सदस्यों और माननीय नेता विरोधी दल ने जो आलोचना की है, जो सृजनात्मक सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं हृदय से उन सबका आभारी हूं। आलोचना ठीक इस प्रकार से, आलोचना जैसा कि उपवन को सुरक्षित रखने के लिए उसकी बाड़ की प्रूनिंग करके रखना। कोई सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि वह पूर्ण है, लेकिन सरकार का यह कर्तव्य अवश्य है कि वह उत्तरोत्तर सुधार करे और जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें विनम्रतापूर्वक और बिना किसी प्रैस्टिज का प्रश्न बनाए हुए कार्यान्वित करने की कोशिश करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महामहिम का अभिभाषण कोई विश्वकोष तो हो नहीं सकता है और न उस भाषण के द्वारा सरकार की सभी नीतियों का सिंहावलोकन या आगे होने वाले सारे कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाला जा सकता है। नेता विरोधी दल ने सर्वप्रथम तो आपत्ति यह की कि यह महामहिम का अभिभाषण वैध नहीं है, क्योंकि इसको मन्त्रि परिषद् ने नहीं स्वीकार किया। उनकी यह इत्तिला ठीक नहीं है। सर्वप्रथम, मेरे पहले मन्त्रि परिषद् ने अभिभाषण पर विचार किया और 28 फरवरी को शपथ लेने के बाद मैंने मंत्रि परिष की बैठक को बुलाया और राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार किया और उसे अन्तिम रूप देने के लिए परिषद् के तीन सदस्यों की एक उप समिति बैठाई, जिसको पूर्ण तरह से अधिकार थे। तो तिवारी जी तो संसदीय परम्पराओं की बात जानते हैं. . . .

(इससमय 4 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए)

उसके बावजूद यह आपत्ति करना कि मन्त्रिपरिषद् से स्वीकृत नहीं था, यह ठीक नहीं है; उनका दूसरा आक्षेप है कि मन्त्रि परिषद में 27 सदस्य हैं। ऐसा लगता है कि तिवारी जी अखिल भारतीय नेता हो कर अपनी दृष्टि स्वयं अपने संगठन की, कभी-कभी जानबूझ कर नहीं डालना चाहते हैं। आंध्र की जन संख्या एक तिहाई है। वहाँ पर कैबिनेट स्तर के मन्त्रियों की संख्या 21 है और मन्त्रियों की संख्या 32 हैं। अगर आंध्र की तुलना में यहाँ मन्त्रि परिषद् होती तो कैबिनेट की संख्या 63 होती, तो भी उनको आपत्ति करने का कारण नहीं था।

(हंसी)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

नेता विरोधी दल गलती करेंगे तो नेता सदन को गलती नहीं करने देंगे हम लोग।

श्री बनारसी दास—

आप आश्वस्त रहिए। मैं तिवारी जी का अनुकरण नहीं करने वाला हूं, उनके दल का। कर्नाटक में जहाँ पर संसद सदस्यों की संख्या केवल 25 है जबकि हमारे यहाँ पर 85 है। वहाँ पर मन्त्रियों की संख्या 15 है और पाँच अन्य, 20 हैं। इंग्लैण्ड जो लोकतन्त्र की जननी कहलाती है, उसकी आबादी हमारे प्रदेश की तुलना में दो तिहाई है। लेकिन वहाँ पर मन्त्रियों की संख्या 80 है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में शान्ति रखिए।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, तिवारी जी कृपया सुनें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं सुन नहीं पाया, कहाँ कुवैत का बताया ?

श्री बनारसी दास—

इंग्लैण्ड में। कृपया आप लोग शान्त रहें। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने और ऐंटी डिफेक्शन कमेटी ने जिसके अध्यक्ष श्री चव्हाण थे उसने सिफारिश की कि मन्त्रियों की संख्या जहाँ पर एक सदन है वहाँ पर दस प्रतिशत और जहाँ पर दो सदन हैं 11 प्रतिशत। तो यहाँ पर चूंकि श्री नारायण दत्त तिवारी प्रतिनिधित्व करते हैं काँग्रेस का, काँग्रेस मन्त्रि परिषद् में यहाँ 57 तक सदस्य रह चुके हैं और जब चौधरी चरण सिंह और श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मिली-जुली मन्त्रि परिषद् थी तब भी संख्या 55 थी। तो आज 27 है।

श्री श्यामधर मिश्र—

इन्दिरा गाँधी की ओर जा रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

श्यामधर जी को बड़ी निराशा हुई। बहुत दिनों तक इश्क चलता रहा। तो श्रीमन्, तीसरी आपत्ति विभागों के बारे में थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेह ी गढ़वाल)—

सबका नम्बर आ सकता है ?

श्री बनारसी दास—

अवश्य आ सकता है। आपकी तीसरी आपत्ति थी विभागों के बटवारे के बारे में। मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी यहाँ पर अपनी आलोचना को सीमित रखते परफारमेन्स तक। कौन विभाग किसके पास है, हमारा संयुक्त दायित्व है। यह सही है कि मन्त्रि परिषद् का विस्तार होगा। आपका भी था और कमलापति जी का भी था और भी काँग्रस के मन्त्रि परिषद् थीं। श्रीमन्, यह तो सभी जानते हैं कि मेरा जीवन स्वतन्त्रता संग्राम के प्रारम्भ से शुरु हुआ है और 1969 तक काँग्रेस में रहा, लेकिन काँग्रेस का विभाजन हुआ। काँग्रेस की बुनियादी रक्षा करने के लिए, लोकतन्त्र की परम्पराओं की रक्षा करने के लिए और अधिनायकवाद का विरोध करने के लिए मैं अलग हुआ था। महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जय प्रकाश नारायण और पंडित जवाहर लाल अधिनायकवाद के विरोधी थे। आपने कहा कि इस सरकार में स्थायित्व नहीं है। यह परमानेन्ट नहीं है, सरकार अस्थिर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह मैंने कहा, आपके प्रधान मन्त्री जी ने कहा है।

श्री बनारसी दास—

आप धैर्य रखिये तिवारी जी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप उस दिन नहीं थे।

श्री बनारसी दास—

था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कहाँ थे?

श्री बनारसी दास—

अपने कमरे में था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो मैं कमरे में चला जाऊं।

श्री बनारसी दास—

यह तो आप निर्णय करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कमरे की राजनीति में गड़बड़ है।

श्री बनारसी दास—

तो आपको आपत्ति यह है कि प्रगति में कमी आ गयी है। आपने अपने भाषण में यह भी शिकायत की है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आर0एस0एस0 पर प्रतिबन्ध का जिक्र नहीं किया गया है। आपने यह भी आपत्ति की कि मेरे पूर्वाधिकारी मुख्य मन्त्री ने जो प्रतिबन्ध परेड और ड्रिल पर लगाया था वह कृत्रिम था और उस पर प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जहाँ तक आर0एस0एस0 का सवाल है वह तो 1969 में काँग्रेस में आया नेहरू जी के समय में यही प्रश्न आया, महात्मा गाँधी के बध के समय भी प्रतिबन्ध लगा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बध न कहिए, हत्या कहिए।

श्री बनारसी दास—

कुछ समझने में फर्क है। तिवारी जी साहित्यिक भी हो गए हैं। हत्या मैं कहता हूं। कम से कम अरुण कुमार जी के लिए यह काम छोड़ देते। तो उनकी हत्या के बाद प्रतिबन्ध लगा, वह हटा लिया गया और बार-बार लोक सभा में यह प्रश्न आया और फिर यह प्रतिबन्ध एमर्जेन्सी में लगाया गया। तो मेरा यह निश्चित मत है कि पंडित नेहरू ने कई दफा कहा कि किसी भी संस्था पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कमीशन द्वारा निर्णय करना आवश्यक है। मेरा आर0एस0एस0 से मतभेद है, हो सकता है लेकिन मैं सरकारी प्रतिबन्ध के द्वारा किसी विचारधारा का गला घोटना कायरता समझता हूं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

विचारधारा का मुकाबला विचारधारा से किया जा सकता है।

मैं जानता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जब हम स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते थे, फांसी का उतना ही बड़ा प्रचार किया गया। मेरे पूर्वाधिकारी की जो निषेधाज्ञा थी, वह यह थी कि सरकारी भवनों में या सरकारी स्थानों पर आर0एस0एस0 की ड्रिल्स नहीं हो सकती थी और यह जो निषेधाज्ञा केवल आर0एस0एस0 पर ही लागू नहीं थी बल्कि प्रत्येक संगठन पर है। किसी के मकान पर कोई आदमी ड्रिल नहीं कर सकता है। आपने कोई निषेधाज्ञा निकाली थी। यह आज भी है। आपने कहा कि इस पर अमल नहीं होता है। कानून मौजूद है, जो आदमी सरकारी भवनों में ड्रिल करता है, वह ट्रेसपास करता है, लेकिन एक्जीक्यूटिव का काम है कि वह उस पर अमल करे। आज जाब्ता फौजदारी है, डकैतों को पकड़ने का कानून मौजूद है लेकिन फिर भी उनका उल्लंघन होता है। सरकार उन्हें पकड़ती भी है। इस तरीके से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी स्थान हैं, चाहे आर0एस0एस0 हो, चाहे माननीय नारायण दत्त तिवारी की जमात हो, चाहे जनता पार्टी के लोग हों सभी को बिना इजाजत वहाँ पर परेड करने का या सभा करने का अधिकार नहीं है और इसका सख्ती से पालन कराया जायगा।

उन्होंने वर्तमान कन्ट्रोवर्सी का भी जिक्र किया। मेरी यह धारणा है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी राज्य में एक साम्राज्यवादी मोर्चा था, उसमें समाजवादी विचारधारा के लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, पूंजीपतियों की विचारधारा के लोग थे डाक्टर रणे की विचारधारा के लोग थे जोकि स्वतन्त्र व्यापार में विश्वास रखते थे, उन सबका एक मोर्चा था। कुछ लोग चाहते थे कि काँग्रेस के स्वराज की व्याख्या होगी। गाँधी जी के कुछ विचार थे।

देहरादून में ए0आई0सी0सी0 में जय प्रकाश नारायण ने आर्थिक डेमोक्रेसी का प्रस्ताव रखा था। काँग्रेस में विचारों का आघात प्रतिघात हुआ। जय प्रकाश जी पटेल को पूंजीवादी कहते थे, उनको कन्जर्वेटिव कहते थे, तो काँग्रेस में पोलेराइजेशन हुआ तो ऐसे ही मेरा मतलब है कि जनता पार्टी इमरजेन्सी विरोधी एक मंच था जिसमें चौधरी चरण सिंह, काँग्रेस

[श्री बनारसी दास]

के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग तथा अन्य लोग थे जो सही मानों में जवाहर लाल जी और गाँधी जी की परम्पराओं को जीवित रखना चाहते थे और इसके लिए काँग्रेस (इंदिरा) के अधिनायकवाद के विरोध में एक मोर्चा बना क्योंकि हमारा विचार था कि लोकतन्त्र की सही माने में स्थापना हो, लोगों की जुबान की आजादी हो, लेखनी की आजादी हो, और हमारे तिवारी जी की सरकार ने जो यह कर रखा था कि नो वकील, नो दलील और नो अपील, यह अधिकार वापस जनता को मिले।

(हंसी)

यह आजादी जनता पार्टी की सरकार आने पर जनता को मिली।

जनता पार्टी में जनसंघ और समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई। जनता पार्टी में उसी तरह विचारों का आघात प्रत्याघात चलता है जिस प्रकार से कि पहले काँग्रेस में चला करता था। उस जमाने में काँग्रेस समाजवाद की ओर जाना चाहती थी और राजा जी दूसरी विचारधारा के थे। उस समय सन् 51 में जनसंघ का जन्म हुआ था, मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्था के विरोध में उनके मुकाबले में। उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थीं।

(व्यवधान)

17 वर्षों के बाद माननीय अटल बिहारी और अन्य नेताओं ने यह विश्वास व्यक्त किया कि साम्प्रदायिकता की राजनीति सफल नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ एस0 वी0 डी0 बनी, सन् 1971 में। उसी प्रकार से इन्दिरा गाँधी की अवसरवादिता का मुकाबला करने के लिए यहाँ इस पार्टी का जन्म हुआ, जिस प्रकार से इंगलैण्ड में चर्चिल और एटली का मोर्चा बना था। यहाँ पर भी तानाशाही का अन्त करने के लिए सन् 77 में जनता पार्टी का एक मोर्चा बना, यह जनता पार्टी बनी, तानाशाही का अन्त करने के लिए, प्रेस की आजादी के लिए, जनता की आजादी के लिए. . .

(व्यवधान)

हमारी विजय हुई। अब पार्टी के अन्दर यह विचारों का आघात प्रत्याघात तो चलता ही रहता है। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था रहे, वह सामाजिक कार्य करे, पर राजनीति में उसका दखल न हो। और स्वयं उसके संचालक भी यही कहते हैं कि जनता पार्टी से आर0 एस0 एस0 का कोई सम्बन्ध नहीं है, हमारा भी यही कथन है जैसा कि वह कहते हैं। आज बहुत सी भ्रांतियाँ हैं लोगों में। हम चाहते हैं कि जनता पार्टी एक सेक्युलर, धर्म निर्पेक्ष पार्टी के रूप में रहे। यह एक लोक तांत्रिक और समाजवादी पार्टी रहे।

उस समय जे0 पी0 सरदार पटेल को कन्जरवेटिव कहा करते थे। तो विचारों की स्वतन्त्रता रहना चाहिए। वह हमारा अधिकार है। सन् 67 में इसी सदन में मैं यहाँ बैठता था। फिर उधर गया। इसी सदन में चुनाव हुआ। मानसिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जनसंघ के थे, हमने उनको हराया। उस वक्त श्री अब्बास अली, मौजूदा जनता पार्टी को अध्यक्ष, वह संसोपा में थे, राज्य सभा के लिए खड़े हुए, लेकिन पराजित हुए तो श्रीमन्, यह तो विचारों का घात-प्रत्याघात है। तो इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जब कोई संक्रामक स्थिति होती है, जब आप देखते हैं, जैसे संगम हैं, गंगा और जमुना का जल कुछ दूर तक अलग-अलग नजर आता है और कुछ दूर चल कर वह गंगा, यमुना एक होती हैं। तो हमारा यह प्रयास है. . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

आर0एस0एस0 के लोग तो जनसंघ के टिकट से ही लड़ते हैं।

श्री बनारसी दास—

आज यह कौन नहीं जानता है कि संजय की सेना में जो यूथ काँग्रेस के लोग थे, उस कितने आर0 एस0 एस0 के लोग थे। आज आप इस तरह कहते हैं। हमने कहा, जनता

पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ऐसा नहीं है कि यह सूबेदार मकर्रर कर दिए गए, ऐसा नहीं है कि ग्रेंड मैकाले दिल्ली में रहते थे, उसने सूबेदार मुकर्रर कर दिया ।

(हंसी तथा मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, यह कहा जाता है, इस पर आरोप लगाया जाता है कि हमने चुनाव नहीं कराया। 1969 के बाद क्या कांग्रेस में कोई चुनाव हुआ है, नगर महापालिकाओं का कोई चुनाव हुआ है, नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ है ?

लघु सिंचाई मन्त्री (श्री ख्यालीराम शास्त्री)---

25 साल से चुनाव नहीं हुआ ?

श्री बनारसी दास---

जिला परिषदों का चुनाव हुआ ? वह चुनाव, जिसको आप चुनाव कहते हैं, वह चुनाव नहीं था, वह नामिनेटेड लोगों की जमात थी। वह आप वहम करते हैं। उसमें अधिकरियों ने वोट दिया, वह अप्रत्यक्ष चुनाव था, वह डायरेक्ट चुनाव नहीं था। मैं उसको चुनाव नहीं मानता। तो श्रीमन्, आज इस प्रदेश में 14-14 वर्ष से नगरपालिका सुपरसीडेड है, टाउन एरिया सुपरसीडेड है। यहाँ पर यह कहना कि हम लोकतांत्रिक नहीं हैं, कोआपरेटिव में जो हमने एक ऐक्ट बनाया था, उसमें कहा था कि दो से ज्यादा उसमें व्यक्ति नामिनेट नहीं होंगे और यदि सरकार का शेयर 60 परसेंट होगा, तो 5 साल के अन्दर अनिवार्य चुनाव होगा। श्री तिवारी की सरकार ने उसको भी डाइलूट कर दिया और कोआपरेटिव्स का चुनाव यह पहली मर्त्तबा जनता सरकार के मन्त्री श्री मुलायम सिंह जी ने कराया ।

श्रीमन्, आपने यह आपत्ति की कि कोई शासन नहीं है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं; मैं फिर कहता हूं कि, मैं मानता हूं कुछ हद तक अपराधों में, कत्ल में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आप सन् 1974 से तुलना करें, तो आप देखेंगे कि कत्ल, डकैती, रेप लूट-मार, इन सब में, कमी हुई है । मैं अभी पेश करूंगा।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह जी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कुछ पूछ रहे हैं ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फजाबाद)---

अगर इस तरह का व्यवहार किया गया तो मैं सदन को चलने नहीं दूंगा, ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय भगवती सिंह जी, आप इधर देखें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मैं तो एक बात पूछ रहा था माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि वह तो कहते हैं कि कमी आई है सब में तो मैं आप को बताऊं अभी-अभी जहाँ सूचना दी जाती है प्रश्न की, वहाँ मैं गया। उपाध्यक्ष जी, आज तक मेरी अपराध की एक भी सूचना नहीं ली गयी। माननीय मुख्य मन्त्री जी के यहाँ भी बीसों दरखास्त दीं। आपसे भी मैंने अर्ज किया जिसकी सारी लिस्ट मेरे पास है। हरिजनों के साथ क्या हो रहा है, मुझे कहने के लिए मौका नहीं दिया गया वरना मैं बताता कि कितने हरिजनों को हमारे क्षेत्र में पुलिस ने सताया है ।

श्री बनारसी दास—

तो श्रीमन्, आज प्रदेश के अन्दर जो घृणा, द्वेश और हिंसा का वातावरण है इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व श्री नारायण दत्त और उनके दल पर है। उन्होंने कानून के प्रतिस्थापित संस्थाओं के प्रति अपमान और अवज्ञा की भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। श्रीमन्, इन्दिरा गाँधी ने संविधान में संशोधन किया। 5 साल के टर्म को 6 साल कर दिया और चुनाव याचिका को, अपने को कामयाब बनाने के लिए रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट्स से परिवर्तन कर दिया। वह तो ठीक था, लेकिन मैं उस समय राज्य सभा में मौजूद था और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को जब 6 साल के लिए निकाला गया तो मैंने सदन के नेता श्री कमलापति जी से कहा था पंडित जी यह सत्ता के मद में इस प्रकार स्वामी जी निकाले जा सकते हैं, परन्तु कल को यह हथियार इन्दिरा गाँधी और कमलापति जी पर इस्तेमाल होगा। वह अब संसद में ब्रीच आफ प्रिविलेज में हैं।

(कई सदस्य बोलने लगे)

शैतान शास्त्र की दुहाई नहीं दे सकता।

(शोर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुन्लशहर)—

आप रिजाइन कीजिए। मैं भी करूंगा।

श्री मन्जूर अहमद—

एक जानकारी चाहता हूं. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं सिर्फ. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं सुनूंगा।

श्री मन्जूर अहमद—

कल को मुख्य मन्त्री चुनाव लड़ना चाहें तो मैं श्री आरिफ से चुनाव लड़ा दूंगा।

श्री बनारसी दास—

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि लोक सभा के निर्णय पर न्यायाधीश बनकर कोई मत देने का मुझे न तो अधिकार है, उससे लोक सभा का अपमान भी होगा और न उसको मैरिट डिमेरिट पर जाना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोक सभा से निष्कासित किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसका राज्यपाल के अभिभाषण से क्या ताल्लुक है ?

श्री बनारसी दास—

प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की गयी और हजारों की तादाद में लोग जेल गये। तो इस तरीके से जब आपने कानून तोड़ा, एक संसद की आपने भर्त्सना की और आप कहते हैं कि आज यहाँ पर न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, आप कहते हैं कि शासन ठप हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हो गया है।

(हंसी)

श्री बनारसी दास—

अगर ठप हो गया होता तो तिवारी जी आप यहाँ कैसे बैठे होते ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—
अध्यक्ष के शासन में बैठे हैं।

श्री बनारसी दास—
पिछले एक साल में 2 हजार मुठभेड़ें डकैतों से हुई हैं। 360 डकैत मारे गए। 7616 डाकू गिरफ्तार किए गए। 40777 अवैध आग्नेय अस्त्र बरामद किए गए और 149 नाजायज आग्नेय अस्त्र बनाने के कारखाने पकड़े गए। इस साल केवल दो माह में करीब पौने पाँच सौ मुठभेड़ें हुई जिनमें 74 डाकू मारे गए और 2 हजार डकैत गिरफ्तार हुए। 1270 आग्नेय अस्त्र बरामद किए गए। पुलिस के बहुत से जवान शहीद हुए। अपराध सन् 74 में जब यहाँ पर काँग्रेस का शासन था तो 4583 डकैतियाँ पड़ीं। सन् 75 में जब श्रीमान जी थे तो 4084 डकैतियाँ पड़ीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मुख्य मन्त्री कौन था ?

श्री बनारसी दास—
आप श्रीमान जी थे।

(हंसी)

श्री बनारसी दास—
सन् 1974 में लूट 8536 हुयीं ।1975 से लेकर 31 दिसम्बर, 1975 तक 4084 हुयीं। श्री नारायण दत्त तिवारी—
श्रीमन्, सन् 1974–75 में मैं मुख्य मन्त्री नहीं था।

श्री बनारसी दास—
1974 में श्री नारायण दत्त तिवारी जी मन्त्री थे। संयुक्त जिम्मेदारी थी।

(हंसी)

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

एक सदस्य—
नारायण सिंह जी भी मन्त्री थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मुझे बड़ा सौभाग्य है कि सन् 1974–75 में मुख्य मन्त्री न होते हुए भी मुझे माने लेते हैं।

श्री बनारसी दास—
1975 में आप आ गए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
1976 में मैं था।

श्री बनारसी दास—
तो इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में मीसा का इस्तेमाल था। इमरजेंसी में मीसा को ऐसा समझिए जैसे एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करना।

तो अब हमने आ करके मीसा के ऐंटीबायोटिक को समाप्त किया और शुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं से काम लिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—
इमरजेंसी में मान्यवर, क्या डकैतियाँ इसलिए कम हो गयी थीं कि जनता पार्टी वाले सब जेल में बन्द थे ?

(हंसी)

श्री बनारसी दास—

"तो इमरजेन्सी के दौरान पुलिस शासन को बिल्कुल इमरजेन्सी कानून का आदी बना दिया गया। उसमें जुडीशियरी समाप्त हो गयी, जमानत मिलना बन्द हो गया। श्रीमन्, अब आजादी आई तो जो लोग अपराध करते हैं न्यायालय उनको जमानत पर छोड़ देता है। इसके बावजूद भी जब आपका राज्य था उसके मुकाबले में अपराधों की संख्या कम हुई है।

श्रीमन्, आपने जिक्र किया सिंचाई के बारे में। तो मैं मानता हूं कि इसमें मैं भी शरीक हो सकता हूं और 1951 से लेकर 1974 तक 23 सालों में सिंचाई पर 303 करोड़ रुपए व्यय हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना जो बनने जा रही है उसमें 1100 करोड़ रुपए का प्राविधान है। केवल एक साल में जो वृहत सिंचाई की योजनाएं उसमें हैं, पर 148 करोड़ रुपए और लघु योजना पर 33 करोड़ रुपए व्यय रखा गया। बाढ़ से सूबा इतना त्रस्त हुआ, जिसको आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति से पूछ लें, तो जितनी सहायता और राहत बाढ़ पीड़ितों को इस शासन ने पहुंचाई है उतनी कभी नहीं पहुंचाई गयी है। तो आज जिस तरह किस्सा कुर्सी का है उस तरह मेरा यकीन झूठा प्रचार करने में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सूर्य को रौशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। काम सर पर चढ़ कर बोलता है।

श्रीमन्, नारायण दत्त तिवारी जी का कथन है कि 1978-79 की जो योजना थी वह 755 करोड़ रुपए की थी और इस साल कम होने जा रही है। तो पहले सदन को धन्यवाद देना चाहिए कि जो गाडगिल फार्मूला था उससे जो डिवैल्यूशन होता था और प्रदेश को केवल 17 प्रतिशत मिलता था लेकिन अब हमारे प्रदेश को पहली बार यह जनता पार्टी को श्रेय है कि इस सूबे को 21 प्रतिशत मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप गलत कह रहे हैं। मैं सही बात आपको बता रहा हूं कि गाडगिल फार्मूला कायम है, डिवैल्यूशन सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम है।

श्री बनारसी दास—

17 प्रतिशत से हमको 21 प्रतिशत मिला है। अब मान्यवर, जहाँ तक योजना का सवाल है तो 690 करोड़, प्लस 100 करोड़ कुल 790 करोड़ रुपए इस साल योजना में हमको मिलने वाला है। अब की मर्तबा जो देर हुई है उसका मुख्य कारण है कि पहले जो केन्द्रीय योजनाओं के मद थे, उन पर अधिक व्यय होता था। हमने और हमारे पूर्वाधिकारी ने आपत्ति की कि केन्द्र की योजनाएं छोटी होनी चाहिए और प्रदेश का भाग अधिक होना चाहिए। तो केन्द्रों की योजनाओं पर दो हजार काट दिया। उसमें से हमको सवा चार करोड़ रुपया मिला, चार साल के लिए। एक साल तो पहले ही बीत गया। तो 100 करोड़ रुपया मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

89 करोड़ मिलेगा।

श्री बनारसी दास—

नहीं, 100 करोड़। यह योजना 790 की हुई और जो हिल डिवलपमेंट के लिए, पर्वतीय विकास के लिए 33 करोड़ अलग से मिलेगा और जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा जो रेवेन्यू मद था जो डिवैल्यूशन फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक हुआ है, उससे केन्द्र का जो डिविजिवल पूल था, वह पहले कम हो गया है। उसके बावजूद हमारी जो योजनाएं हैं, पहले जो 755 करोड़ की थी, यह 790 करोड़ की है और पर्वत का 33 करोड़ अतिरिक्त हैं।

इसके अतिरिक्त बाढ़ से जो क्षति हुई है, उस क्षति पूर्ति के लिए सन् 1978 में भी हमारे प्रयास से धनराशि मिली और अब भी कुछ जगहों पर जहाँ सड़कें टूटी हैं, या जो इलाका क्षतिग्रस्त है, उसके लिए रहेगा। यह बात सही है कि जहाँ तक पंच वर्षीय योजना का

सवाल है, उसमें पहले की बनिस्बत खर्चीली हैं और अन्य जो उत्पादन के साधन हैं, उनमें अधिक व्यय होगा। इस पर सभी जानते हैं, फूड-फार-वर्क प्रोग्राम में जितनी लिंक रोड्स बनी हैं, उतनी कभी नहीं बनीं।

श्री देव बहादुर सिंह—
वे सभी कच्ची हैं।

श्री बनारसी दास—
पहले कच्ची बनी हैं बाद में वही पक्की बनेंगी।

मान्यवर, कुछ दिन पहले यह देखते थे कि रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनाएं, या होज पाइप काट देने की घटनाएं एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया हो गयी थीं लेकिन पिछले एक हफ्ते में कई हजार व्यक्ति टिकटलेस गिरफ्तार किए गए और जंजीर खींचने की घटनाएं कम हो गयीं।

श्री देव बहादुर सिंह—
जंजीर खींचने की घटनाएं तो कम हुयीं, लेकिन अब जंजीर उतारने की घटनाएं शुरू हो गयी हैं।

श्री बनारसी दास—
वह और चीज है। जब आप कानून तोड़ने को प्रोत्साहन देगें तो और क्या होगा ?

श्री देव बहादुर सिंह—
लेकिन सरकार का काम तो है कि उसको देखें।

श्री बनारसी दास—
सरकार का काम ऐक्शन लेना है। सरकार दिमागी हिंसा को दूर नहीं कर सकती। हिंसा करने पर दण्ड दे सकती है और इस मामले में मुझे एक बात याद आती है। जैसा कि आज कल फैशन हो गया है, जो लोग शिकायत करते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। एक लड़का खड़ा होकर मूत रहा था तो उसके बाप से शिकायत करने गए। लेकिन देखा कि बाप भी खड़ा मूत रहा था। यही हालत आप लोगों की है।

श्रीमन्, आपने चुनाव का जिक्र किया। मैंने कहा कि कल विधेयक पास हुआ है। 6 महीने में निश्चित रूप से नगरपालिकाओं/महापालिकाओं में चुनाव होंगे और गाँव सभाओं के चुनाव भी स्थगित नहीं किए जायेंगे।

आपने सुझाव दिया कि बेसिक शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण हो। हम इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण किया जाय। समय आने पर आपकी राय से . . . .

श्री देव बहादुर सिंह—
और माध्यमिक शिक्षा के बारे में ?

श्री बनारसी दास—
अब माध्यमिक शिक्षा और डिग्री कालेज के बारे में मेरे लिए कहना शायद उपयुक्त न हो। अभी आपने जिक्र किया कि विद्यालयों के अन्दर परीक्षायें समय से नहीं हुयीं। यह सब परम्परा तो जसे अभी कल मैंने कहा था कि नया मकान बनाना बड़ा आसान काम है एक जीर्ण-शीर्ण मकान पर पहले तो सबसे बड़ा श्रम लगाना है उसको गिराने में, उसके मलबे को उठाने में। तो अभी श्री तिवारी जितना जीर्ण-शीर्ण मकान छोड़ गए हैं, उसका मलबा छोड़ गए हैं, तो हमको पहले तो उसका मलबा दूर करना है। जब जैसे शिक्षा पद्धति है, आज विद्यार्थियों में आक्रोश है। मैंने कभी नहीं देखा कि नारायण दत्त जी ने या उस पक्ष ने कभी कहा हो कि बसों का जलाना, क्या यह राष्ट्रीयता के अनुकूल है। क्या स्कूल में,

[श्री बनारसी दास]

यूनिवर्सिटी में आग लगाने की कभी आपने भर्त्सना की है ? आरक्षण के प्रश्न को लेकर प्रदेश के अन्दर आन्दोलन खड़ा हुआ था। जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, जनता पार्टी ने सत्याग्रह का उसूल माना है। जो आरक्षण के विरोधी हैं उनको सत्याग्रह करने का अधिकार है लेकिन सत्याग्रह में व्यक्ति दूसरों को आतंकित नहीं करता है, वह स्वयं अपने पर अंकुश रखता है और अपने आप कष्ट सहन करता है। यह प्रश्न देव बहादुर जी का भी है। मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को जो कि दलगत राजनीति से ऊपर हैं, आप जानबूझ कर क्यों उलझाते हैं ? जहाँ तक इस सरकार की नीति का सवाल है, मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो स्वयं नारायण दत्त जी श्रेय लेते हैं कि आरक्षण हमने किया और हमने उसका कार्यान्वयन किया। तो आरक्षण का जो विरोध हो रहा है तो इसमें आपकी आवाज क्यों खामोश है ? कभी आपने काम-रोको प्रस्ताव रखा कि बसें जल रही हैं, कभी आपने काम-रोको प्रस्ताव रखा कि कालेजों में आग लगाई जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप अध्यक्ष थे, आपने मंजूर ही नहीं किया।

श्री बनारसी दास--

यह कह कर तो आप अपने पक्ष को हल्का ही कर रहे हैं। कभी आपने नेता विरोधी दल के नाते यह कहा कि यह सब गलत हो रहा है ? यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हरिजन, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड, इन सबका आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और हाई कोर्ट ने फैसला भी किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण यह वैलिड है लेकिन इसके सर्वेक्षण नहीं हुए हैं कि कौन जाति बैकवर्ड है। अब उच्च न्यायालय में यह मसला पेश ह इसलिये मैं इस पर कुछ कहना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन मैं आपके माध्यम से यह अपील जरूर करना चाहता हूं कि आरक्षण के प्रश्न को लेकर देश में हिंसा और उत्तेजना न पैदा की जाए। सत्याग्रह करना हो, शांतिमय ढंग से कीजिये, लोकमत जागृत कीजिये। लेकिन सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, बसों में आग लगाना, स्टेशन्स पर आग लगाना, डाकखानों को टारगेट बनाना, यह समाजविरोधी कार्य है। मैं यह समझता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ व्यक्ति यहां ऐसे बैठे हैं जिनको मुझे राजनीति की ए0 बी0 सी0 डी0 भी पढ़ाने की जरूरत है। सन् 42 में अंग्रेजी शासन था तो जब महात्मा गांधी से कहा गया तो महात्मा गांधी ने कहा, "मैं जानता हूं। मैं आपके साथ में खेल रहा हूं लेकिन सिवाय यह खतरा मोल लेने के हमारे पास कोई चारा नहीं है।" जो आज देश का नागरिक है आज जो यहां बैठे हैं उनके लिए सन् 42 की क्रान्ति पर टीका करना अत्यन्त लज्जाजनक और अपने की भर्त्सना करना है।

श्रीमन्, शिक्षा का जहां तक प्रश्न है मैं माननीय नेता विरोधी दल और इस पक्ष के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यह केवल जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है। इसमें बड़े कमिशन्स बैठे और गवर्नर के अभिभाषण में भी इसका जिक्र है। इस सीमित समय में मेरे लिए इस विषय पर प्रकाश डालना इस विषय के प्रति न्याय नहीं होगा। मैं जानता हूं कि शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरा है। मैं जानता हूं कि एक साल से विद्यार्थियों का समय नष्ट हुआ है। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां शिक्षक लोग राष्ट्र निर्माता थे, आज स्कूल और कालेजेज लोगों के पढ़ाने की फैक्टरियां बन गयी हैं। वहां पर ट्रेड यूनियनिज्म अधिक है। आज हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षायें शांतिपूर्ण ढंग से हो रही हैं। शिक्षकों का यह कहना कि इनविजीलेटर नहीं बनेंगे। मैं यह समझता हूं विद्यार्थियों के लिये न्याय नहीं है। वे उनके संरक्षक हैं और उन्हें उनका जीवन निर्माण करना है। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटी कैम्पस, विद्यालयों के प्रांगण में पढ़ने लिखने का वातावरण हो और विद्यार्थियों को राजनीतिक शोषण का माध्यम न बनाया जाय।

श्रीमन्, आपके द्वारा और इस सदन के माध्यम से यह भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास जैसा मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं राम नरेश जी ने तो डेढ़ साल देखा--माननीय सदस्यों की इतनी मांगें हैं थाने कायम किये जाने की और मैं यह समझता हूं कि यह पुलिस का क्रेडिट है कि लोग चाहते हैं कि और थाने जबकि वातावरण हिंसा और पारस्परिक दोषारोपण और प्रत्येक प्रश्न में राजनीतिकरण का व्याप्त हो, अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं मैं उनको उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक तरफ तो आप चाहते है कि शांति व्यवस्था हो दूसरी तरफ जिस हथियार का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी समय-समय पर निन्दा करते हैं। यह पुलिस मैन की वर्दी 62 करोड़ भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। उस वर्दी का अपमान करना भारतीय गणतंत्र का अपमान करना है।

मैं मानता हूं आग लगती है। आग लगने का कोई मीटर नहीं है। अगर कहीं पर शांति व्यवस्था के लिए लाठी प्रहार होगा तो उसकी जांच भी हो सकती है, जो दोषी हैं उनको सजा भी दी जा सकती है। अभी हमारे डाकू मारे गये और यही नहीं पुलिस में पहले विद्रोह भी हुआ। इस तरह से यह ऐसा विषय है जिस पर हमको गंभीरता स विचार करना चाहिए। अब आप देखते हैं मैंने तो बाहर के देशों में देखा जो देश इतने पिछड़े है मुझे लगता है वहां सारे के सारे काम में छूट है। पुलिस को कोई छूट नहीं है। होली, दिवाली में नौकरी करते हैं। मैं मानता हूं कि यह उनकी परीक्षा है। वे अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। तो मैं स्वतंत्र भारत में जिन लोगों के प्रति ला एण्ड आर्डर सुपुर्द किया है उनके प्रति थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये। जो डाकुओं से लड़ते हुए मारे गये उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को समुचित सहायता दी जायगी। आपने जो सुझाव दिये हैं जिनको उचित समझा जायगा उनको कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी। आपने जो कमियां बतलाई हैं उनके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं क्योंकि इससे हमको शशक्त होने में सहायता मिलेगी। एक बात यह है कि हमको विरोधियों की नजरों से अपनी कमियों को देखना चाहिये ताकि हम उनका समाधान कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उसके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। नेता विरोधी दल ने कहा कि गंगा तथा जमुना की धारायें कुछ दूर तक तो भिन्न-भिन्न नजर आती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक हो जाती हैं। यहां कुछ भ्रम हो रहा है। हमारे जनसंघी मित्र बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि गंगा तो नेता सदन हैं और जमुना जनसंघ। तो क्या दोनों को कुछ दूर चलने के बाद मेल होगा? दूसरे हमारे श्याम धर जी हैं उनको भी यह भ्रम हो रहा है कि कहां उनके वास्ते तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं कि हम कुछ दूर जायंगे और कुछ दूर जाने के बाद एक हो जायंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

हमको भ्रम नहीं है। नेता सदन और माननीय पांडेय जी एक हो रहे हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैंने स्पष्टीकरण नेता सदन से मांगा क्योंकि उनके भाषण से बड़ा भ्रम हो रहा है। एक तरफ आर0 एस0 एस0 तथा जनसंघ को ऐसा मालूम हो रहा है कि आर0 एस0 एस0 जमुना हो गया और जनसंघ समझता है वह जमुना हो गया और श्यामधर जी समझते हैं कि वह जमुना हो गये। नेता सदन बतलायें कि जमुना से उनका मतलब किधर है?

श्री बनारसी दास—

जिस तरह कालिदास ने एक संकेत किया और पंडितों ने उसका अर्थ लगा लिया उसी तरह से राज मंगल जी बड़े सक्षम पंडित है स्वयं उसका अर्थ वह लगा सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

श्यामधर जी ने कहा कि आप तथा राज मंगल पांडेय जी एक हो रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई दीख रही है ?

श्री बनारसी दास—

मैं तो वेदान्त का मानने वाला हूं। विभिन्नता में एकता पसन्द करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह आशा करता था कि इस प्रदेश के पुराने राजनीतिज्ञ तथा धुरन्धर नेता सदन की, मुख्य मंत्री होने के बाद छवि में निखार आयेगा लेकिन आज वह जब सामने बैठे हैं तो वह बड़ी परेशानी में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको इतने विरोधाभासों का समन्वय करना है। इतने अन्तर्विरोधों को कैसे एक किया जाय इस कठिनाई में वह थे। एक बात के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज सबसे पहले यह स्वीकार किया कि जनता पार्टी नहीं है, एक मोर्चा है। यह बात बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर; लेकिन अध्यक्ष के पद से मुख्य मंत्री बन कर जब वह आये तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि एक मोर्चा है और अब इस मोर्चे में विचारों का एक संघर्ष हो रहा है।

श्री रामदत्त जोशी—

एक मोर्चा था। यह मुख्य मंत्री ने कहा। यह नहीं कहा है कि एक मोर्चा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यहां बनारसी दास जी ने पिछले 10-15 दिनों में जितने बयान दिये हैं और आज जो बयान उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने बहुत कुछ लीपा-पोती कर दी है। लीपा-पोती इस माने में की है कि उन्होंने प्रतिबन्ध लगाया है आर0 एस0 एस0 पर श्री रामनरेश यादव का 14 फरवरी का नोटिफिकेशन जनता पार्टी के लिये था, कांग्रेस (आई) के लिये भी वही था। और कम्युनिस्ट पार्टी और आर0 एस0 एस0 के लिये भी वही था मान्यवर, वह नोटिफिकेशन आप मंगा लें और देखें कि क्या वह नोटिफिकेशन राजनीतिक पार्टियों के लिये था। उसमें दफा 144 नहीं है उसमें कोई कानून नहीं है। कहीं भी कोई साफ बात नहीं है। मैं मांग करूंगा कि राजनीति में स्पष्टता होनी चाहिए और उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि उल्लेख किया है, अधिनायकवाद, जिसे वे एक मोर्चा कहते हैं जिसके लिये उन्होंने एन्टीबायोटिक भी कहा है और इसे स्वीकार किया है कि राजनीति में सफाई लानी है या नहीं। अगर आप प्रगतिशील शक्तियों का आवाहन करते हैं तो लीपा-पोती न कीजिये और जो माननीय सदस्य इस सदन में हैं और जो बनारसी दास घटक में शामिल हैं, उनके दिमाग भी साफ हो जाने चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मन्थरा का रोल बड़ी कुशलता से निभा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है 1974-75 में मुझे मुख्य मंत्री बना दिया। आंकड़े उन्होंने नहीं दिये। मेरे मुख्य मंत्रित्वकाल के आंकड़े उन्होंने नहीं दिये। जो मेरे आंकड़े नहीं थे, वे उन्होंने पेश किये। आप उस समय के आंकड़े पेश करते जब आप भी मंत्री थे। आप भी 1952 से लेकर 1967 तक मंत्री थे, कांग्रेसी राज में मंत्री थे। 16 साल तक रहे। मेरे आंकड़े उन्होंने दिये, अपने आंकड़े नहीं दिये। मैं तो उनकी बातों की रक्षा कर रहा हूं, उनके कामों की रक्षा कर रहा हूं।

वे कहते हैं कि मैंने तो अभी शासन ग्रहण किया है। लेकिन जिन बातों पर जनता पार्टी विधान मंडल दल ने अविश्वास व्यक्त किया है, वे बातें अभी भी बनी हुई हैं जिनकी वजह से आप मुख्य मंत्री बने हैं। श्रीमन्, बनारसी दास जी तो अध्यक्ष थे। तो वह कौन से हालात थे जिनकी वजह से आज नेता सदन बन गये। तो यह उन्हीं नीतियों की वजह से है जिनका विरोध भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने किया और आप अपनी पार्टी की उस कहानी की वजह से मुख्य मंत्री हुए भला क्या आपकी बलिहारी है क्या उसे आप भूल गये हैं ?

श्री बनारसी दास---

हम कैसे भूल गये हैं श्री कमलापति त्रिपाठी जी को हटाकर कांग्रेस सरकार को अस्पताल में दाखिल कर दिया उसके बाद फिर दूसरे मुख्य मंत्री हुए फिर आप आये। तो वह क्या था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सरकार अस्पताल में कभी दाखिल नहीं होती वह तो आप होते हैं।

श्री ऊदल----

वही उदाहरण आप प्रस्तुत करना चाहते ह जो तिवारी जी ने रखा था ? तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, मंत्रि परिषद् की बात माननीय बनारसी दास जी ने स्वीकार कर ली कि 7 मार्च को जो मंत्रिमंडल बना उसके सामने राज्यपाल का अभिभाषण नहीं आया। जो 6 मंत्री थे उनके सामने ही वह आया। मेरा कहना यह है कि 8 मार्च को जो अभिभाषण हुआ है वह उस कैबिनेट के सामने आना चाहिये। 27 मंत्रियों प्रत्येक में अधिकार होना चाहिये था कि वह अपनी नीतियों को इसमें रखते। माननीय रेवती रमण जी के ऐलीवेशन की मैंने प्रशंसा की है। बिजली के बारे में जो पैराग्राफ लिखा है उसे वह देखते। नारायण सिंह जी राजस्व मंत्री है उनके विभाग के बारे में जो एक पैराग्राफ इसमें है उसको वह मंत्री होने के नाते देखते। इसी तरह से वन मंत्री को भी यह मौका मिलना चाहिये कि वह अपनी राय इस अभिभाषण में दें। तो जो यह कैबिनेट बैठी है इसका यह अभिभाषण नहीं है। यह इन 27 मंत्रियों का अभिभाषण नहीं है बल्कि केवल 6 मंत्रियों का है।

श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कितना बड़ा मंत्रिमंडल बनाने की ठान ली है। मैं तो आशा करता था कि वह अपने अनुभव के नाते कहते कि मंत्रिमंडल बड़ा नहीं होगा। मेरी यह मंशा नहीं है कि मैं सारे रिकार्ड तोड़ कर इंग्लैण्ड, आंध्र, कर्नाटक आदि से बड़ा मंत्रिमंडल रखूंगा।

श्री ऊदल---

माननीय मुख्य मंत्री जी भारी भरकम आदमी है उसी हिसाब से मंत्रिमंडल बनायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुझे तो उनके भाषण से लगा कि इंग्लैण्ड से बड़ा मंत्रिमंडल वह बनाना चाहते हैं जिसका उन्होंने निर्णय कर लिया है। नहीं तो कहना चाहिये था.....

श्री रामदत्त जोशी---

शायद आपने सुना नहीं उन्होंने कहा है कि मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

आपकी गाड़ी का क्या हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वह चोरी चली गई। वह मेरी निजी गाड़ी है सरकारी गाड़ी नहीं है।

श्री खान मुहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं—

लक्ष्मण का दिल सितमगम से पटा हुआ है
दर पै रामचन्द्र के रावण डटा हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

किसी जर्फ से बढ़कर न कर मेहरो वफा हरगिज इसी बेजा शराफत से नुकसान होता है
तो बेजा शराफत नहीं करनी चहिये ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

तो मेरा भी एक शेर सुन लीजिए....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यहां सदन में आप फिर एक मुशायरा करवा दीजिए ।

श्री बाबू बदरे—

बहार चाहे तो हमसे ले जाए रंगे हयात,
हमारा खूने जिगर है हर एक के लिए ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

शिकवाये दारों रसन बाईसे रूसवाई है,
हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है ।

एक सदस्य—

मेरी भी शायरी सुन लीजिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस तरह का कुछ नहीं लिखा जाएगा । आप लोग शान्ति रखिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मंत्रिमंडल के सिद्धान्त क्या होने चाहिए ? उसके अनुसार मुख्य मंत्री न करें, कोई एतराज नहीं । रिफार्म कमीशन का नाम लिखा होता तो समझ में आता कि उसने कहा है कि जहां दोनों चेम्बर्स है, वहां 11 प्रतिशत मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो आबादी का भी हिसाब लगा लिया । अगर आबादी के हिसाब से मंत्री होने लगे तो यह तो कुछ ठीक नहीं लगता । आप एक तरफ चलें । ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन के हिसाब से चलें या फिर अपनी चलाएं । उनको एक बात अवश्य मालूम है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ा देने से ही कोई सरकार स्थिर नहीं रहती । आप जितनी संख्या बढ़ाएंगे, इतिहास बताता है कि जितनी संख्या बढ़ाएंगे, उनमें उतना ज्यादा असन्तोष होगा और उतनी ही जल्दी मंत्रिमंडल का पतन होता रहेगा । उसके लिए अनुभव होना चाहिए और कार्य अच्छा होना चाहिए । उस दिन मैंने हैलेंस्की और लास की बात कही थी तो उस दिन मुख्य मंत्री ने ज्यादा जोश में आकर दृढ़तापूर्वक कहा, उस दिन उनके मुखारविन्दु से दृढ़ता टपकती थी जब उन्होंने कहा कि मैं इस प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने को तैयार हूं, बशर्ते नेता विरोधी दल इसका प्रस्ताव लाएं । उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, उसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में मुख्य मंत्री को अधिकार होता है कि वह समझें तो मध्यावधि चुनाव करायें, लेकिन उन्होंने नेता विरोधी दल को अधिकार दे दिया । मैं जानता हूं कि वह इतनी जल्दी में प्रस्ताव को मानने वाले नहीं है । (व्यवधान)

यदि मुख्य मंत्री जी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने बाहर मेरठ में, दिल्ली में की और प्रधान मंत्री जी के साथ भी की और इस सदन में भी कहा, तो हम मध्यावधि चुनाव का स्वागत करते है, वह उसे करायें। कांग्रेस दल, जिसकी शोभा उन्होंने जीवन भर बढ़ाई, (व्यवधान) इसके लिए प्रस्ताव की जरूरत नहीं ह, संकल्प की जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने हमें आमन्त्रित किया और हम उनके आमन्त्रण को स्वीकार करते हैं, वह मध्यावधि चुनाव करायें।

एक सदस्य—

यह राजमंगल पाण्डेय से कहा गया था, हमसे नहीं।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

ऐसी बात है तो मेरा ही प्रस्ताव मान लीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब और रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री जी राजी, मैं राजी और वह भी राजी, तो अब देर काहे की। माननीय मुख्य मंत्री के कथन से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि सदस्यों को प्रभावित करने के लिए मध्यावधि चुनाव की धमकी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर धमकी की ध्वनि आती है, तो अनुचित है। अगर हृदय से निकली आवाज है तो मैं उनकी बात समझ सकता हूं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अमेंडमेंट जो है, आप उसके ऊपर बोल रहे हैं न ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं उसी पर आ रहा हूं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं। देखते हैं उनके दल की शक्ति उनके साथ नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी कहा। विचार भिन्न-भिन्न हैं। अपने विचारों को कार्यान्वित कराना उनके लिए बड़ा कठिन है। दस प्रकार के दबाव हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंदिरा जी का सूबेदार रहा हूं। बड़ा अनुग्रह किया..... (व्यवधान) मैं कैसे कहूं कि वह चरण सिंह जी के सूबेदार हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बोलने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजनीति में सफाई लानी है उत्तर प्रदेश में अपने विचारों की, सरकार चाहे जिस पक्ष की हो, आपकी हो, जनसंघ की हो, सफाई लानी है, तो मध्यावधि चुनाव कराइये। हम तैयार हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता इस सदन के द्वारा, आपके द्वारा जानना चाहेगी कि जो आपने बार-बार ऐलान किया मध्यावधि चुनाव का, दिल्ली में किया, मेरठ में किया और इस सदन में किया है, क्या उसके लिए तत्पर हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर साफ करेंगे।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के बैठ जाने पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मेरे धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो....

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो उनका जवाब मांग रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह जबाव देना चाहते तो दे देते।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मध्यावधि चुनाव के बारे में माननीय मुख्य मंत्री को जबाव देना चाहिए कि वह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हाउस को भंग कराएं, मध्यावधि चुनाव कराएं, एक सीधा प्रश्न है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बोल रहा हूं अभी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप और बोलना चाहते हैं, तो बोलिये फिर। लेकिन थोड़ा समय लें केवल। मैंने यह समझा, आप बोल चुके तब श्री शम्भूनाथ चौधरी को बुलाया। शम्भूनाथ जी, आप अभी बैठ जायं। अभी तिवारी जी बोल रहे हैं। (श्री नारायण दत्त तिवारी से) इसमें थोड़ा संक्षेप में कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बात स्वीकार किया था कि इंदिरा जी का नाम अकारण विवाद में न आये। उन्होंने खुद कहा था कि यह बात आपकी सही है। मैं सहमत हूं, बुनियादी तरीके से अगर इंदिरा जी अधिनायकवादी होतीं तो लोक सभा का चुनाव इतना फ्री, सेंसरशिप हटाकर, 1977 में नहीं करातीं। आप सहमत थे।

(व्यवधान)

श्री बनारसी दास—

मैं औचित्य का प्रश्न उठाता हूं। माननीय तिवारी जी अपने भाषण में पुनरावृत्ति कर रहे हैं और नये-नये विषयों का समावेश कर रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि संक्षेप में कहें और जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सदन साक्षी है कि इन्दिरा जी का उल्लेख उन्होंने किया है। 1977 का चुनाव उन्होंने कराया और सेंसरशिप जो थी उसको हटाकर कराया। मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। काँग्रेस ने चुनाव कई बार नहीं करवाया, यह ये कह रहे हैं। यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब मंत्री रहे हों तो चुनाव न हुए हों। श्रीमन्, कोआपरेटिव के चुनाव का जिक्र उन्होंने किया। मुलायम सिंह जी यहाँ पर हैं या नहीं। 27 हजार सोसाइटीज को मर्ज करके 9 हजार सोसाइटीज में ले आये। तो चूंकि 27 हजार सोसाइटीज को 9 हजार में परिणित करना था। वही चुनाव मुलायम सिंह ने कराया है। हमारी नीति को उन्होंने सही माना और उन्होंने चुनाव कराया। काम हमने किया, फल आप खा रहे हैं। वाह!

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी, आप इसको समाप्त करें। आप अपने अमेंडमेंट पर बोल चुके हैं। आधा घन्टा हो चुका है। अब आप समाप्त करें। उत्तर इतना लम्बा तो नहीं होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप इस समय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं मुझे इस बात की आज्ञा दें कि मैं अपना भाषण पूरा कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिए।

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, मैं कुछ स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहता हूं। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि अगर इस प्रकार का डिफायन्स होगा तो मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर सदन में इस प्रकार का डिफायन्स होता है तो और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने 1968 में, आपको मालूम होगा, मध्यावधि चुनाव का प्रस्ताव रखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि आप आतुर हैं, अगर आपका दल इस्तीफा दे दें, तो 1/3 ही चुन कर आयेंगे, अगर चुनाव कर दूं। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना चाहिए। या यह कहिए कि जमीन खिसक रही है अब।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस्तीफा दे दें, उनका दल इस्तीफा दे दे और हमारा दल भी दे दे, तब देखें।

श्री उपाध्यक्ष---

न आप इस्तीफा दें, न आपका दल और न माननीय मुख्य मंत्री जी और न उनका दल इस्तीफा दें।

श्री बनारसी दास---

दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के बारे में कुछ कहा। मैंने उनकी आलोचना नहीं की थी। मैंने कहा था कि अधिनायकवादी और अधिनायक में फर्क है। उनकी एमरजेन्सी क्या थी, तानाशाही थी। कहा गया कि अगर वे पूर्णतः डिक्टेटर होते तो चुनाव कैसे होता। चुनाव कराने में उन्होंने पहल नहीं की। उनकी इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव हुए थे। सारे लोगों को उस समय नपुंसक बना दिया गया था। कहने में हमारे तिवारी जी बड़े ही चतुर हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके जमाने के इतने बड़े पाप रहे हैं कि उनको धोने में ही हमें समय लग रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी ---

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए उन सबके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। विशेषकर मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति आभार प्रकट करता हूं इसलिए कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। उनके एक घंटे के भाषण को मैंने सुना लेकिन एक घंटे की अवधि में से 45-50 मिनट केवल हमारे मंत्रिमंडल के आकार का क्या होगा, विभागों का कैसे बंटवारा होगा, किस-किस को मंत्री बनाया जायगा, इस पर ही उनका भाषण सीमित रहा। मालूम होता था कि नेता विरोधी दल हमारी सरकार के सलाहकार का काम करने की इच्छा रखते हैं। मैं उनसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे संसदीय नियमों के ज्ञाता हैं, संविधान को जानते हैं। यह मुख्य मंत्री का विवेक होता है कि किसको मंत्री बनाये, किसको क्या विभाग सौंपे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्रिमंडल का आकार प्रशासनिक आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ही होगा। यदि उन्हें उस समय चिन्ता होती जब श्रीमती इंदिरा गाँधी ने उनको मुख्य मंत्री बनाया था कि कौन मंत्रिमंडल में लिया जायगा, किस प्रकार से विभागों का बटवारा होगा, तो उचित था। हमारा तो ख्याल है कि उस समय सारे निर्णय ही दिल्ली में इंदिरा जी द्वारा हुआ करते थे और हमारे वर्तमान नेता विरोधी दल उन आदेशों को शिरोधार्य करके यहाँ पर लागू करते थे।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जबाव तो नेता सदन दे चुके हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अन्त में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि हमारी जनता पार्टी की सरकार के समय में विकास की दर ही घट रही है। आप देखेंगे कि 1969-77 तक प्रति वर्ष राष्ट्रीय

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]
आमदनी आपकी 1.44 थी और हमारे समय में एक वर्ष में इसमें 5.7 की वृद्धि हुयी है। जहाँ तक महंगाई बढ़ाने का प्रश्न है, आपने कहा कि वह हमारे कार्य काल में बढ़ रही है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कारण मुद्रास्फीति है। जनता पार्टी की सरकार जबसे आयी है मुद्रास्फीति घट रही है और विकास की दर बढ़ रही है (व्यवधान) लगता है माननीय तिवारी जी को यह ज्ञान नहीं रहा कि उनकी सरकार क्या कर रही थी। (व्यवधान) मेडिकल विश्वविद्यालय के लिये कर्नाटक की सरकार ने विचार किया है

(व्यवधान)

एक सदस्य—

खड़े होकर बोलें। (हंसी—माननीय सदस्य खड़े होकर ही बोल रहे हैं)

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं माननीय देवबहादुर सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया कि माननीय मुख्य मंत्री ने लालच दे दिया। आप जैसे लोग ही भोग और लालच में फंसते रहे हैं, हमने कभी किसी के आगे माथा नहीं टेका (व्यवधान)। इन्दिरा गाँधी ने तानाशाही व्यवस्था को लागू किया, आपने क्या उसका विरोध किया? किसी ने नहीं किया। (व्यवधान) मुझे विश्वास है यह सदन सर्व सम्मति से हमारा प्रस्ताव पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

1—प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों, अल्प संख्यकों एवं निर्बल वर्गों के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने में इस सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया और न इन अत्याचारों से संबंधित दोषी व्यक्तियों को कानून की परिधि के अन्तर्गत प्रताड़ित करने की कोई ठोस योजना प्रस्तुत की।

2—प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों व बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया।

3—सत्तारूढ़ दल की गलत नीतियों के फलस्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया।

4—प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादकों को उनका बकाया मूल्य न मिलने और निर्धारित मूल्य से भी सामान्यत: आधा मूल्य मिलने के कारण होने वाली अरबों रुपयों की हानि का उल्लेख नहीं किया।

प्रदेश के आलू उत्पादकों को निर्धारित मूल्य से आधा ही मूल्य मिलने तथा सरकार द्वारा वैगनों तथा कोल्ड स्टोरेज में जगह उपलब्ध न कराने और निर्धारित मूल्य पर खरीद न करने के फलस्वरूप होने वाली लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि का उल्लेख नहीं किया।

5—प्रदेश के छात्रों पर गोली काण्ड और लाठी चार्ज तथा उसमें कई छात्रों की मृत्यु होने और हजारों छात्रों को बन्दी बनाये जाने जैसे दमनात्मक कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया।

6—पन्त नगर विश्वविद्यालय में हुए नर-संहार के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने तथा कुछ असामाजिक तत्वों की कार्यवाही के फलस्वरूप उस विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा परिणाम स्वरूप छात्रों और शोध कार्य की हानि का कोई उल्लेख नहीं किया।

7—प्रदेश के अनेक भागों में काँग्रेस (इं) के कार्यकर्त्ताओं की हत्या तथा उन पर झूठे मुकदमे चलाये जाने तथा बदले की भावना से की गयी कार्यवाहियों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया।

8—दिसम्बर, 1978 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध जनता पार्टी द्वारा बदले की भावना से प्रेरित कार्यवाही के फलस्वरूप हुए सत्याग्रह के समय बीसों जेलों में कांग्रेस सत्याग्रहियों पर अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

9—हाल में मुजफ्फरनगर में हरिजनों पर भीषण रविदास जयन्ती के अवसर पर हुए अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

10—अलीगढ़ तथा अन्य जगहों में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए भीषण अत्याचारों तथा उसके लिए जिम्मेदार साम्प्रदायिक फासिस्ट तत्वों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया ।

11—पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण में की गयी घोषणाएं तथा शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न किए जाने का स्पष्टीकरण नहीं दिया।

12—प्रस्तावित छठी योजना के उद्देश्यों एवं आकार-प्रकार के बारे में कुछ नहीं बताया।

13—सप्तम वित्त आयोग (सेविन्थ फाइनेन्स कमीशन) की संस्तुतियाँ लागू हो जाने के बाद भी शासन का दृष्टिकोण लागू संस्तुतियों के बारे में क्या है, नहीं बताया।

14—प्रदेश के वर्ष 1979–80 की वार्षिक योजना के बारे में क्या आकार-प्रकार होगा, इस सम्बन्ध में भी कोई सूचना नहीं दी।

15—केन्द्रीय बजट द्वारा लगाये गये विभिन्न टैक्सों के कारण जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में जो मनमानी वृद्धि हाल में हुई है और वस्तुएं बाजार से गायब हो गयी हैं, इससे प्रभावित किसान, मजदूर, मध्यम व निर्बल वर्ग को राहत दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया ।

16—प्रदेश के कारखाने, बिजली घरों एवं विकास की समस्त योजनाओं के लिए कोयला, सीमेंट आदि उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन व योजना गति में जो भारी कमी हुई है, उसका उल्लेख नहीं किया और स्थिति का समाधान करने वाले उपायों का भी कोई उल्लेख नहीं किया ।

17—पूर्वी, पर्वतीय, बुन्देलखंड, पश्चिम एवं मध्य भागों एवं पिछड़े भागों की विशेष समस्याओं का कोई हल ढूंढ़ने का कोई उल्लेख नहीं किया है। देश के लाखों बुनकरों को सही कीमत पर सही नम्बर का सूत न मिलने तथा हैण्डलूम के कपड़े की बिक्री की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं किया ।

18—प्रदेश में विभिन्न निगमों द्वारा स्थापित किये गये औद्योगिक आस्थानों (इंडस्ट्रियल इस्टेट्स) में स्थापित लघु उद्योगों की विगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख नहीं किया।

19—प्रदेश की ऐसी अनेक बड़ी योजनाएं जिन पर कार्य आरम्भ हो गया था, जैसे कि राजघाट बाँध, गण्डक परियोजना, द्वितीय चरण, लखवार-व्यासी योजना, शारदा सहायक योजना, द्वितीय चरण, सुल्तानपुर, सम्पूर्ण नगर, सितारगंज, इंस नवाबगंज, पूरनपुर, गजरौला, अकबरपुर आदि स्थानों में चीनी मिलों का निर्माण प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना, लालकुंआ में कागज का कारखाना, छितौनी व गाजीपुर के बड़े पुल आदि पर काम तेजी से चालू करने का कोई आश्वासन नहीं दिया ।

20—सार्वजनिक स्थानों एवं शिक्षण संस्थाओं के स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार व प्रदेशीय सरकार के भिन्न-भिन्न नेताओं द्वारा जो परस्पर विरोधी बयान दिये गये हैं, उनको देखते हुए स्पष्ट नहीं किया कि प्रदेश की तत्सम्बन्धी नीति क्या है और कोई पाबन्दी है या नहीं।

21—सरकार द्वारा अध्यापकों, चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा विद्युत् परिषद् जैसे सरकारी निगमों के कर्मचारियों की जायज माँगों के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा उनकी कठिनाइयों का समाधान न कर पाने का कोई उल्लेख नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

22—सरकार की अक्षमता के कारण विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग न होने तथा उससे विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया ।

23—कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को बहाल रखने एवं लागू करने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को दिनाँक 8 मार्च, 1979 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम 51 की 7 सूचनायें आयी हैं । इन सभी को मैंने अस्वीकृत किया है क्योंकि इनका उत्तर नहीं आ सकता इसलिये कि आज यह सदन उठ रहा है ।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कोयले की कमी से उत्पन्न परिस्थिति के विषय में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

क्रम संख्या 12 पर प्रदेश में कोयले की कमी के बारे में जो वक्तव्य आज दिया जाने वाला था उसके संबंध में मेरे पास माननीय खाद्य मंत्री का निवेदन आ चुका है कि अभी उसकी पूरी सूचना एकत्र नहीं हो पायी है, इसलिये उसको स्थगित कर दिया जाये, इसलिये उसको मैंने स्थगित कर दिया है ।

सम्भल, जिला मुरादाबाद में होली के अवसर पर साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा दंगा कराने की चेष्टा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तगत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष सम्भल, जिला मुरादाबाद में होली धूमधाम से मनाई गई । यह सही नहीं है कि दिनांक 14 मार्च, 1979 को होली के अवसर पर सम्भल में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक दंगा करने की नीयत से मजिस्द एवं मजार पर रंग फेंका गया । होली खेलने वालों का एक जुलूस गुजरते समय कोतवाली के समक्ष रुका और कोतवाली पर तैनात पुलिस एवं पी० ए० सी० के अधिकारियों व कर्मचारियों से होली खेलना चाहता था लेकिन पुलिस एवं पी० ए० सी० वाले अपनी वर्दी में थे उन्होंने होली खेलने से मना किया जिस पर भीड़ से कुछ आदमी कोतवाली के अन्दर घुस गये । पुलिस ने सूझ बूझ से काम लिया और उनको बिना बल प्रयोग किये कोतवाली से बाहर कर दिया । भीड़ में से कुछ लोगों ने प्रशासन विरोधी व साम्प्रदायिक नारे लगाये तथा पुलिस अधिकारियों को होली खेलने के लिये विवश करना चाहा । सूचना मिलने पर शहर में गश्त पर गये हुए परगना मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं इन्सपेक्टर, कोतवाली सम्भल मौके पर पहुंचे । समझाने बुझाने पर भीड़ पूर्व निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ गई । इसके उपरान्त लगभग 25–30 व्यक्तियों की एक टोली आई । उन्होंने हुल्लड़बाजी की और उत्तेजनात्मक नारे लगाये

उनको भी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने समझा बुझाकर हटा दिया। इस प्रकार अधिकारियों की सतर्कता, संयम एवं विवेकशीलता से कोई भी साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ और न ही कोई साम्प्रदायिक उपद्रव हुआ। नगर की किसी सड़क या स्थान पर कोई भगदड़ या पत्थरबाजी नहीं हुई।

यह सही नहीं है कि होली के पूर्व पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ। कुछ साम्प्रदायिक प्रकृति के नारे भीड़ में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों ने लगाये लेकिन माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तुत सूचना में उल्लिखित नारे नहीं लगाये गये।

उक्त घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप सम्भल नगर में किसी भी प्रकार की कोई साम्प्रदायिक दुर्भावना या तनाव परिलक्षित नहीं हुआ। नगर में जन-जीवन सामान्य ह और 15 मार्च को बाजार खुला रहा। कुछ दुकानें प्रारम्भ में आंशिक रूप से बन्द थीं लेकिन वे भी खुल गयीं। उसी दिन संभल में ध्वजा का मेला हर वर्ष की भांति धूमधाम से मनाया गया। स्थिति पूर्णतया शान्त और नियंत्रण में ह।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस होली के अवसर पर जो साम्प्रदायिक लोगों ने वहां कोई दंगा करना चाहा, इसलिए कि पिछले वर्ष होली के बाद ही सम्भल में झगड़ा हुआ था और पुलिस ने इसी वजह से इस साल बहुत माकूल इन्तजाम किया। पुलिस का इन्तजाम निहायत माकूल था। लेकिन उन साम्प्रदायिक लोगों ने फिर भी इस बात की कोशश की। मेरी इस जानकारी को सही मान कर, एक मस्जिद, एक मजार पर रंग डाला और यह देख कर चूंकि पुलिस का इन्तजाम माकूल है और कोई कम्युनल रायट नहीं हो सकता और पुलिस से मुठभेड़ की।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

कोतवाली के अन्दर घुस कर उस कमरे के ताले तोड़े और पी0 ए0 सी0 के ऊपर झपटे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो सूचना दे रहे हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

इस सिलसिले में पुलिस ने क्या ऐक्शन लिया. और इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से एक एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई और वह रिपोर्ट क्या है? अब तक मैं नहीं जानता।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने सूचना मांगने के बजाय, मुझे सूचना अधिक दी है। यह मैंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि पहले बर्दी में सिपाहियों पर रंग डालना चाहा, उनको हटा दिया और बाद में 25--30 आदमी आये, वह थाने के अन्दर चले गये, उन्होंने वहां पर बाधा डाला। उनको भी समझा-बुझाकर हटा दिया। यह सही है कि सम्भल में गत वर्ष 78 में होली के बाद वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हो गये। जिसमें काफी क्षति पहुंची थी इसीलिए पहले से सतर्कता बरती गयी थी। इस मामले को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से क्या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है और यदि दर्ज हुई है तो वह क्या है?

श्री बनारसी दास---

पुलिस की रिपोर्ट है और वह भी इन्हीं वाकयात पर आधारित है जिनका मैंने जिक्र किया है कि होली खेलने वाले कुछ साम्प्रदायिक तत्व जिन्होंने साम्प्रदायिक नारे लगाये और जिन्होंने रंग डालना चाहा, उनके बारें में ही उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी है।

उरई, जिला जालौन में बार-एसोसिएशन के सदस्यों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री उपाध्यक्ष)---

यह बहुत बड़ा है। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये। (मुख्य मंत्री से) आप पहला और आखिरी पैरा पढ़ दें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

मान्यवर, दिनांक 14 मार्च, 1979 को होली के दिन पुलिस कोतवाली, उरई में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या---145 हेड कांस्टेबिल श्री राम सिंगार राम, 12 बटालियन पी0 ए0 सी0, फतेहपुर ने 12 बजकर 55 मिनट के अपराह्न इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई कि जब वह अपनी पार्टी के साथ स्टेशन रोड, उरई पर शान्ति व्यवस्था की ड्यूटी पर गश्त पर रह थे तो उन्होंने देखा कि श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट के मकान के सामने कुछ सिन्धी लोगों के बीच लड़ाई-झगड़ा हो रहा है उन्होंने उन लोगों का बीच बचाव किया। लड़ाई-झगड़ा करने वाले भाग गये। इसी दरमयान श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट एवं उनका लड़का मौके पर आये और उन्होंने उसकी बांह पकड़ ली और उसकी उंगली मरोड़ दी और उसको अपशब्द कहे। उसके साथ पी0 ए0 सी0 की गश्त करने वाली पार्टी के लोगों ने उसे और अधिक चोटें पहुंचाने से बचाया। इस प्रथम रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 148 जेरे जुर्म दफा 332/353/504 ता0 हि0 का अभियोग दर्ज किया गया।

[2---उक्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा एवं उनके लड़के श्री महेन्द्र पाल कुशवाहा एडवोकेट को कोतवाली पर पूछताछ के लिये ले आये। श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को वहां से टेलीफोन पर बताया कि उन्हें थाना कोतवाली पर लाया गया है और ऐसी सम्भावना है कि उन्हें हिरासत में ले लिया जायेगा। श्री कुशवाहा ने यह भी बताया कि उन्होंने केवल विवाद को शान्त करने हेतु बीच बचाव किया था और उनका तथा उनके लड़के का कोई दोष नहीं है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया कि उन्हें इस सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध, केवल सब इन्सपेक्टर श्री मोहम्मद असलम को छोड़कर, कोई शिकायत नहीं है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा व उनके लड़के को तत्काल घर जाने के लिये कहा।

3---उसी दिन सायंकाल उरई बार के कुछ वरिष्ठ सदस्य, जिनमें श्री कौशल किशोर, सदस्य, विधान सभा भी सम्मिलित थे, पुलिस अधीक्षक से होली मिलने गये और उन्हें बताया कि सब-इन्सपेक्टर श्री मोहम्मद असलम ने श्री कुशवाहा एडवोकेट के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के उपरान्त उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच की गई और शिकायत की पुष्टि होना नहीं पाया गया। फिर भी सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर (मोहम्मद असलम) ने श्री कुशवाहा से मिल कर क्षमा मांग ली।

4---दूसरे दिन कुछ वकील जिलाधिकारी से होली मिलने आये तो उन्होंने भी सब-इन्सपेक्टर मोहम्मद असलम द्वारा श्री कुशवाहा के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत की। जिलाधीश ने भी असलियत का पता लगाकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। लेकिन इस सम्बन्ध में श्री कुशवाहा से कोई शिकायत जिलाधीश को आज तक प्राप्त नहीं हुई।

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

5—दिनांक 19 मार्च, 1979 को बार एसोसियेशन के सदस्यों ने एक मीटिंग की जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भर्त्सना की गयी और प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें श्री कुशवाहा एडवोकेट एवं उनके पुत्र के विरुद्ध जो असत्य जुर्म दस्तनदाजी कायम किया गया उसको वापस लेने की, सब इन्सपेक्टर श्री मोहम्मद असलम के निलम्बित किये जाने की और जिस पुलिस कर्मचारी ने दिनांक 14 मार्च, 1979 को श्री हरिश्चन्द्र सिंह व उनके लड़के क विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट लिखवाई उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग की गई और यह धमकी दी गई कि यदि ऐसा नहीं होता तो वह लोग न्यायालयों का बहिष्कार करेंग और महामहिम राज्यपाल के इस जिले में आगमन के समय दिनांक 22 मार्च, 1979 को अपनी मांगों के समर्थन में अपना एक प्रदर्शन करेंगे ।

6—उक्त प्रस्ताव की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट ए वं आयुक्त, झांसी मंडल को भी भेजी गई । जिला मजिस्ट्रेट ने आयुक्त, झांसी मंडल से वार्तालाप की और उन्हें बताया कि यद्यपि बार के वरिष्ठ सदस्यों ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, फिर भी युवा सदस्य महामहिम राज्यपाल की कार रोकने के लिये कटिबद्ध हैं और उनके सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन देना चाहते हैं । आयुक्त, झांसी मंडल ने जिला मजिस्ट्रेट को बताया कि महामहिम राज्यपाल महोदय मार्ग में अपनी कार रोककर किसी ज्ञापन को लेना पसन्द नहीं करेंगे । अत: बार के सदस्यों को ऐसा करने से मना कर दिया जाये । तदनुसार ही दिनांक 21 मार्च, 1979 को जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ वकीलों और बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, सचिव, एवं उपलब्ध पदाधिकारियों को बुलाया और अनुरोध किया कि आयुक्त महोदय ने इस मामले में एक निष्पक्ष जांच किसी मजिस्ट्रेट अथवा सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने का आश्वासन दिया है और यह अपेक्षा की है कि महामहिम राज्यपाल की कार मार्ग में न रोकी जाय क्योंकि महामहिम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलना पसन्द करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं जांच करने का भी आश्वासन दिया ।

7—दिनांक 22 मार्च, 1979 को पी0 ए0 सी0 के एक प्लाटून तथा सिविल पुलिस के कुछ अधिकारी एवं अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट, उरई राष्ट्रीय मार्ग पर जालौन क्रासिंग एवं पेट्रोल पम्प के पास 10, 10–30 बजे से ही नियुक्त कर दिये गये थे ताकि उक्त स्थान पर कोई अशोभनीय घटना न हो सके । लगभग 11 बजे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय मार्ग पर जिला जजी के सामने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लगभग 60–70 एडवोकेट सड़क के किनारे एकत्रित हैं । जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने वहां उपस्थित बार सदस्यों से पुन: निवेदन किया कि उन्हें वहां महामहिम राज्यपाल की कार रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये और अपना ज्ञापन उनके लिये पहले से निर्धारित साक्षात्कार क समय देना चाहिये किन्तु जिला प्रशासन के अनुरोध के बावजूद भी बार एसोसियेशन के सदस्य अपने पूर्व निश्चय पर दृढ़ रहे और जिला प्रशासन के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया । 20–25 मिनट के उपरान्त राज्यपाल महोदय की कार को पायलट करने वाली मोटर साइकिल 100 गज के फासले पर नजर आई । जब पायलट उस रोड क्रासिंग से जहाँ जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक खड़े हुये थे, कुछ गज दूर रह गया तो पुलिस अधीक्षक ने पायलट से कुछ आगे पुलिस की एक जीप इस आशय से करवा दी कि पायलट और राज्यपाल महोदय की कार बिना रोके निकल जाय । जीप वकीलों की पंक्ति को पार कर गयी और पायलट भी उसे लगभग पार कर गया था कि उसी बीच बहुत से वकील रास्ते के बीच में आ गये और उन्हों ने रास्ता रोक लिया । फलस्वरूप राज्यपाल महोदय की कार को रुक जाना पड़ा और वकीलों ने उसे तुरन्त घेर लिया तथा कुछ वकीलों ने खिड़की से ज्ञापन और एक प्लेकार्ड राज्यपाल के ए0 डी0 सी0 को जबरदस्ती पकड़ा दिया । ए0 डी0 सी0 ने ज्ञापन प्राप्त करने के उपरान्त वकीलों से निवेदन किया कि वह कार को बढ़ने के लिये रास्ता दें किन्तु वकीलों

[श्री बनारसी दास]
ने उनके निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया इसी बीच एस्कोर्ट कार से पुलिस तथा घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी दौड़कर वहाँ पहुंच गये और चूंकि कुछ वकील कार को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं द रहे थे। इसलिये उन्होंने उन्हें हाथ से किनारे कर रास्ता कर दिया। इस मामले में लाठी चार्ज करने का न तो कोई आदेश ही दिया गया और न लाठी चार्ज हुआ। राज्यपाल महोदय की कार को घेरने वाले वकीलों को धक्का देकर हटाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। धक्का देने में भी न्यूनतम बल का उपयोग किया गया।

थाना कोतवाली, उरई से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी वकील द्वारा कोई प्रथम सूचना इस सम्बन्ध में नहीं लिखाई गई है। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी करने पर विदित हुआ कि दिनांक 22 मार्च, 1979 से आज तक किसी भी वकील ने सरकारी अस्पताल में आयी चोटों की डाक्टरी जाँच नहीं कराई है।]

जहाँ तक दिनांक 14 मार्च, 1979 की घटना का प्रश्न है, मैजिस्टीरियल जांच के आदेश किये जा चुके हैं। यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण दिनांक 23 मार्च, 1979 से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। अधिवक्ता सर्वश्री रामाधार शर्मा, राजेन्द्र कुमार जायसवाल, अलोक कुमार मिश्रा और अम्बिका प्रसाद न 11 बजे से अनशन प्रारम्भ कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्मानित अधिवक्ताओं पर किये गये अत्याचार से संबंधित घटना के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही शासन द्वारा न किये जाने के विरोध स्वरूप जो अधिवक्ता अनशन पर बैठे हैं, उनकी माँगे क्या हैं और उन माँगों के संबंध में शासन का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, श्री हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा और उनके लड़के को पुलिस थाने में ले गयी पूछ-तांछ करने के लिये। कुछ व्यक्ति एस0 पी0 से होली मिलने के लिये गये। उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और श्री कुशवाहा को छोड़ दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए वहाँ पर जो मोहम्मद असलम, सब-इन्सपेक्टर थे, उनसे क्षमा भी मंगवा दी। उसके बाद यह मामला शान्त हो गया। लेकिन अधिवक्ताओं की मांग यह थी कि सब-इन्सपेक्टर और वहाँ के कांस्टेबिल जिसने रिपोर्ट लिखाई है उन सब को निलंबित किया जाय और निलंबित करके सजा दी जाय। यह उनकी माँग थी। उसके बाद में 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय वहाँ पर गये और बार एसोसियेशन ने पहले एक प्रस्ताव इस घटना की भर्त्सना का पास किया था और उन्होंने यह भी निर्णय किया था कि वह एक स्मृतिपत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को देंगे। वहाँ के अधिकारियों ने उनसे यह भी निवेदन किया था कि आप महामहिम राज्यपाल को अपना मेमोरेंडम जब वह डाक बंगले पर जायं तब दीजियेगा। लेकिन महामहिम राज्यपाल जब जा रहे थे और उनके आगे पाइलट चल रहा था तो पाइलट के आने पर वहाँ लोग नहीं हटे। कुछ नौजवान अधिवक्ता वहां पर सड़क पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल की गाड़ी को रोक लिया। मजिस्ट्रेट का कथन है कि उनके अनुरोध पर वह नहीं हटे। तब कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस पर वहाँ के अधिवक्ताओं में रोष है। इसकी मैजिस्टीरियल जांच करा दी है उसके बाद म जब इस घटना के संबंध में शिकायत की गयी तो मैंने कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह इस घटना की जाँच करे। अनशन पर जो बैठे हैं उनकी माँग यही है कि उन लोगों को निलंबित किया जाय।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान दैनिक जागरण, कानपुर के दिनांक 26 मार्च में प्रकाशित उस समाचार पर गया है जिसमें कहा

गया है कि चूंकि उरई के वकीलों ने वर्तमान जिलाधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायत शासन को की थी अतः जिलाधिकारी ने बदले की भावना से वहाँ वकीलों पर लाठी चार्ज कराया है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अनशनकारी वकीलों की मांग को ध्यान में रखते हुये और न्याय के तकाजे को ध्यान में रखते हुये सदन को आश्वासन देंगे कि वर्तमान जिलाधिकारी और एस0 पी0 का स्थानान्तरण करके न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री बनारसी दास ---

'जागरण' में क्या प्रकाशित हुआ है, अगर माननीय सदस्य पहले से मुझे इसकी सूचना देते तो मैं इसकी जानकारी प्राप्त करता। मुझे जागरण से नहीं, वैसे मालूम हुआ कि दो पक्ष वहाँ पर हो गये हैं। पहले कुछ लोग चाहते थे कि कलेक्टर और एस0 पी0 का ट्रांसफर किया जाय और दूसरे लोग नहीं चाहते थे। जालौन के एक संसद सदस्य और दूसरे सदस्य ने मुझे यह कहा कि क्योंकि वहाँ पर यह अधिकारी हरिजन हैं इसलिये कुछ लोग उनका स्थानान्तरण चाहते हैं। पत्र उन्होंने मुझे लिखकर दिया है।

एक सदस्य---

जिलाधिकारी हरिजन नहीं हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर आ जाय उसके बाद आप दूसरे को मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब आ गया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मान्यवर, मैंने 2 घंटे की चर्चा की मांग की थी। वकील घायल हुये हैं। मेरी कांस्टीटुयेंसी का मामला है। मैं जानकारी के लिये बता दूं कि जिलाधिकारी हरिजन नहीं है और शासन ने वकीलों की शिकायत पर कलेक्टर का स्थानान्तरण किया और उनके रिलीवर के पहुंचने पर 14 फरवरी को ट्रांसफर फिर रोका है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मान्यवर, एक बात वक्तव्य में कही गयी है पेज 4 के अंतिम पैरा में---कि थाना कोतवाली से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी वकील द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने पर विदित हुआ कि 22 मार्च को किसी वकील की डाक्टरी जाँच नहीं हुई है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान इस ओर भी गया है कि एक वकील, जिसको पाइलट ने मोटर साइकिल से कुचल दिया था, जब वह रिपोर्ट लिखाने गया तो उस देवेन्द्र नाथ वकील की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी और जब डाक्टरी जाँच के लिये अस्पताल गया तो उस समय सशस्त्र पुलिस वहाँ खड़ी थी और पुलिस ने उसको वहाँ से खदेड़ा इसलिये वह जाँच नहीं करा सके ? क्या इन तथ्यों की मुख्य मंत्री को जानकारी है ?

श्री बनारसी दास---

उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझको जिले से मिली है उसमें लिखा है कि वकीलों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी। माननीय सदस्य कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तो फिर एस0 पी0 से शिकायत करते और यदि वह न सुनते तो शिकायत यहाँ भेज सकते थे। माननीय सदस्य कहते हैं कि रिपोर्ट लिखी नहीं गयी तो इसकी जाँच मैं करा लूंगा।

[श्री बनारसी दास]

मान्यवर, दूसरा प्रश्न हुआ कि वहां लाठी चार्ज हुआ। तो जो रिपोर्ट है उसमें सी0 एम0ओ0 के कथन के अनुसार किसी व्यक्ति को चोट का विवरण रिपोर्ट में नहीं है और न वहाँ लाठी चार्ज का विवरण है। केवल जो लोग गाड़ी को रोक रहे थे उनको हटाया गया है। राज्यपाल महोदय गाड़ी में बैठे थे। मेरी उनसे भेंट नहीं हुई है। वह इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि वहाँ लाठी चार्ज हुआ कि नहीं और गाड़ी को रोका गया कि नहीं। श्रीमन्, आप सहमत होंगे कि कम से कम अधिवक्ताओं से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह हेड आफ स्टेट की गाड़ी को रोककर मेमोरेन्डम दें। वह तो कानून के जानने वाले हैं। वह मेमोरेन्डम जहाँ वह ठहरते, वहाँ जाकर दे सकते थे। कलेक्टर ने लिखा है कि हमने उनको आश्वस्त किया था कि वह अपना मेमोरेन्डम राज्यपाल को जब वह विश्राम करते तो दे सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या इस बात को देखते हुये कि जालौन जिले के बार एसोसियेशन की सर्वसम्मत राय यह है कि बुन्देलखंड मंडल और वहाँ के तमाम वकीलों में असंतोष व्याप्त है इसलिये क्या तथ्यों की सही जाँच कराने के लिये बोर्ड आफ रेवेन्यू के वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर आप जाँच करायेंगे ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन, कमिश्नर भी वरिष्ठ अधिकारी है। मैजिस्ट्रीयल जाँच नहीं बल्कि मैंने कमिश्नर को आदेश दिये हैं। नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वह जानते हैं कि आखिर एक पक्षीय बात को मान करके यदि यहाँ पर कोई एक्शन लेते हैं तो फिर शाँति व्यवस्था को कायम रखना मुश्किल हो जायेगा और अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। राज्यपाल महोदय वहाँ जब स्वयं मौजूद थे, बम्बई से आ जायं, तो उनसे जानकारी कर लेंगे लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वकीलों ने राज्यपाल की गाड़ी को रोका। जब यह तथ्य निर्विवाद है और उन्होंने अपना मेमोरेन्डम राज्यपाल के अधिकारियों के सुझाव के मुताबिक नहीं दिया तो वहाँ पर बोर्ड आफ रेवेन्यू के किसी अधिकारी को क्यों नियुक्त करूं। राज्यपाल से जानकारी करने के बाद यदि इस बात की संतुष्टि होगी कि प्राग्दर्शन में वहाँ पर आवश्यकता है तो मैं आपके सुझाव पर विचार कर सकता हूं।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोई ज्ञापन जालौन जिले के उरई के वकीलों से प्राप्त हुआ है और उसमें क्या यह लिखा है कि आज से एक महीना पहले जिलाधिकारी, जालौन का स्थानान्तरण हो गया था और उसमें कुछ लोगों की तरफ से शिकायत की गयी थी ? उनका रिलीवर भी पहुंच गया था लेकिन जिलाधिकारी ने चार्ज नहीं दिया और राजनैतिक दबाव से उनका स्थानान्तरण रद्द किया गया ? उसी को वजह से यह घटना हुयी। मान्यवर, माननीय कुशवाहा जी 70साल के नेता हैं, वे मीसा में भी बंद रहे है और उनका लड़का एडवोकेट है और वह भी जेल में बंद रहा है। बदले की भावना से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मान्यवर, 22 तारीख को उरई में माननीय राज्यपाल का कोई कार्यक्रम नहीं था। जब उरई में माननीय राज्यपाल महोदय का कोई कार्यक्रम नहीं था, तो उनको ज्ञापन देते कहाँ ? माननीय राज्यपाल को तो कालपी जाना था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, उरई में कार्यक्रम माननीय राज्यपाल का नहीं था। अतः 300 वकीलों ने ज्ञापन देना चाहा। इसके पहले जिलाधीश ने कह भी दिया कि ज्ञापन दिला दिया जायेगा।

इसके बावजूद बदले की भावना से लाठी चार्ज किया गया। तो क्या वकीलों की तरफ से उनको एसोसियेशन के सचिव से या अध्यक्ष की तरफ से इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? एक तो यह बात।

दूसरी बात इसी के साथ मान्यवर, यह है कि हम आश्वासन चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने, जैसा कि कहा, कमिश्नर को इन्क्वायरी के लिए दे दिया, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक वहाँ के जिलाधिकारी और एस0 पी0 को हटाया नहीं जाता, तब तक सही जाँच नहीं हो सकती तो जब इस मामले में जाँच हो रही है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री उनका स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, यह तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिन अधिवक्ताओं की एसोसियेशन में 14 तारीख को प्रस्ताव पास हो सकता है, वे जाँच में भयभीत हो सकते हैं और जिलाधिकारी और एस0 पी0 के स्थानान्तरण के बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, ऐसा उनके द्वारा कहना मेरी समझ में नहीं आता। सिद्धान्ततः मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि जहाँ इस प्रकार की शिकायतें आयें, वहाँ कलेक्टर और एस0 पी0 के स्थानान्तरण के बाद जांच हो और आज तो पहले से बड़ी चेतना है। माननीय शंकर सिंह और पालीवाल जी के रहते हुये किसकी मजाल है कि निष्पक्ष जांच को रोक सके ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

उसी की मजाल है जिसने 300 वकीलों पर लाठी चलवाया।

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, मैं माननीय श्याम सुन्दर जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो सूचना है क्योंकि मैं तो वहाँ गया नहीं, लाठी चार्ज के बारे में अधिकारियों का कथन है कि किसी तरह के बल का प्रयोग नहीं किया गया। कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था उनका मेमोरेन्डम दिला देंगे। महामहिम राज्यपाल की गाड़ी रोके नहीं, मेमोरैन्डम दिलाने की वह व्यवस्था करा देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया है, उसमें स्वीकार किया गया है कि अधिवक्ताओं का जो प्रस्ताव था, सर्वसम्मति से पारित हुआ था और उसमें स्पष्ट था कि बड़े ही शाँति पूर्ण ढंग से मूक प्रदर्शन की बात थी और ज्ञापन देने की बात थी। इसी से मालूम पड़ता है कि किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न करना या बलात उनकी कार रोक कर ज्ञापन देना, उनका लक्ष्य नहीं था। ऐसी स्थिति में जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है—दो पक्ष हैं। एक पक्ष में सारे अधिवक्ताओं का सर्वसम्मति से बयान है कि लाठी चार्ज हुआ है और उसकी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में है और दूसरी पार्टी जिलाधिकारी है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके सामने कौन सी बड़ी भारी कठिनाई है जिसके कारण वह न्यायिक जांच कराने में हिचकिचा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को संतुष्ट नहीं करना चाहते, निष्पक्ष जांच से ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, अधिवक्ताओं का बड़ा आदर है लेकिन जैसा मैंने कहा कि जाँच अगर निष्पक्ष होने में कोई आशंका हो और उसमें कहीं शहादत हो, अगर कोई रुकावट डाले तब तो अवश्य विचार करने का प्रश्न है। यह तो स्वयं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मानते हैं कि वकील लोग जब एक सर्वसम्मत प्रस्ताव कर सकते हैं तो कमिश्नर की इन्क्वायरी में क्या एतराज है ? आखिर कमिश्नर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है और बोर्ड आफ रेवेन्यू में, जैसा नेता विरोधी

[श्री बनारसी दास]

दल ने सुझाव दिया, उसमें भी कमिश्नर रैंक के ही व्यक्ति होते हैं इसलिये कोई कारण नहीं है कि कमिश्नर पक्षपात करेंगे। जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनको अवश्य दंडित किया जाएगा।

श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

मान्यवर, दिनांक 14 मार्च, 1979 को होली के दिन जब घटना घटी, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। मान्यवर, जब सिन्धी के दो गुटों में झगड़ा हो रहा था और जब कांस्टेबिल राम सिंगार राम की उंगली टूटी तो मैं चिकित्सालय गया, मैंने उसको देखा और फिर कोतवाली लौटकर आया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह बताया कि अपराध संख्या 148 जैरे जुर्म दफा 332/353/504 ता0 हि0 का अभियोग दर्ज किया गया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह अपराध जो दर्ज हुआ है इसमें अभी तक जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की और क्या यह गैर दस्तन्दाजी दर्ज किया गया है? अगर किया गया है तो उसका भी क्या कारण था ?

श्री बनारसी दास—

मैं तो समझा नहीं कि यह क्या पूछ रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कांस्टेबिल राम सिंगार राम ने दफा 332/353/504 में थाना कोतवाली उरई में एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए कि श्री हरिश्चन्द्र सिंह और महेन्द्र पाल ने उनकी उंगली तोड़ दी तो पुलिस प्रशासन ने इस अभियोग को गैर दस्तन्दाजी रखा इसका क्या कारण था ? अगर यह गर दस्तन्ताजी नहीं रखा गया, यह दस्तन्दाजी है तो अभी तक इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न का तो उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

जब मोहम्मद असलम, सब इन्सपेक्टर ने श्री कुशवाहा से बार-एसोसियेशन में जाकर क्षमा मांग ली थी तो अधिवक्तागण किस बात का ज्ञापन राज्यपाल महोदय को देने जा रहे थे ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, यह जो रिपोर्ट दर्ज की गई, इसकी जाँच हो रही है और उसी वक्त मैजिस्टीरियल जांच का आदेश दिया था लेकिन बाद में मेरे सामने कुछ विधायकों ने मामला रखा तो मैंने कहा कि कमिश्नर को जाँच के आदेश मैंने दे दिये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ये बतलाने की कृपा करें कि यह सलाह किस अधिकारी ने राज्य पाल महोदय को दी, किन परिस्थितियों में दी कि वे एक मिनट रुककर डाक बंगले में उरई बार एसोसियेशन के वकीलों से ज्ञापन न लें? क्या ऐसा भी कोई प्रयास हुआ है कि बार एसोसिएशन के लोगों को झांसी में बुलाकर उनका ज्ञापन लिया जाय ?

श्री बनारसी दास—

अधिकारियों की एक मिनट रोकने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी शिकायतें थी जिनके कारण जिलाधिकारी को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद कौन सा दबाव पड़ा जिसके कारण ट्रांसफर पुनः रोक दिया गया ?

श्री बनारसी दास—

जहाँ तक इस घटना का सवाल है इसमें प्रश्न यह नहीं था कि उनका स्थानान्तरण शिकायत पर किया गया। यह प्रशासनिक आधार पर होता। मैंने कहा मामला बड़ा विवादास्पद है। मुझसे एक संसद सदस्य भी मिले वहीं के। वह कहते थे कि वहाँ पर हरिजन अधिकारी है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं मुझसे मिल कर कहा और उन्होंने यह भी मुझे बताया स्वयं मिल करके कि यह घटना बिल्कुल निराधार है चूंकि वकीलों ने महामहिम राज्यपाल को रोका तब उनको हटा दिया गया। इसलिए इसमें विवाद तो किया गया। एक तो संसद सदस्य कहते है जो वहीं के हैं और दूसरी तरफ और लोग हैं। इसकी जाँच करनी है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी वी० आई० पी० को जाते हुये रास्ते में व्यवधान पहुंचाना और रोकना अवैधानिक और गलत तरीका है ?

श्री बनारसी दास—

इस पर श्री चौधरी साहब ने अपना मत दे दिया है। मैं समझता हूं कि उनका मत ठीक है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर मैं इजाजत नहीं देता। मुख्य मंत्री जी ने जब ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इनक्वायरी सुपुर्द कर दी कमीशन को तो फिर आगे इसके ऊपर मैं इजाजत नहीं देता।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.....

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब इस पर इजाजत नहीं देता.....

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि वक्तव्य के ऊपर स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मेरा यह कहना है कि नियम 29 के अन्तर्गत सूचना आपने ग्राह्य भी की। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 अप्रैल से समस्त प्रदेश के ट्रक ओनर्स और ट्रक चालक हड़ताल करने जा रहे हैं और हड़ताल इस प्वाइन्ट पर है कि सरकार के साथ 3 जनवरी को एक समझौता हुआ वह समझौता अब तक क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया। यह प्रश्न था। आपने स्वीकार भी किया। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं आप इस पर मुझे सूचना दे दें। प्रदेश का सारा कारोबार ठप्प हो जायगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसे स्वीकार किया था। मैं इसको शासन के पास भेज दूंगा कार्यवाही के लिए।

श्री अजीत सिंह सेठी—

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(मद 15 के पुकारे जाने पर)

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि क्रम संख्या 16 को पहले ले लें। वह छोटा सा, मासूम और निर्दोष विधेयक है और संशोधन भी नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं अपने विरोधी पक्ष के साथियों का कि प्रवर समिति को भेजने के लिए कोई संशोधन नहीं है। जो संशोधन हो तो उसे म स्वीकार कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की सहमति है तो ले लिया जाय।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर माननीय मंत्री जी को जल्दी है तो हमको भी जल्दी है। आइटम 15 पहले लिया जाय।

(कोई आपत्ति न होने पर)

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978†

श्री उपाध्यक्ष---

पहले मैं श्री गोविन्द सिंह नेगी जी का नाम पुकारता हूं। (कुछ ठहर कर) उनका संकल्प है लेकिन श्री नेगी हैं नहीं। अब माननीय आबकारी मंत्री अपना प्रस्ताव रख सकते हैं।

*आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय। 30 नवम्बर, 1978 को चूंकि सत्र नहीं चल रहा था और कुछ विधिक कारणों से यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा था। हाई कोर्ट में जो फैसले हुए थे उन फैसलों के तहत और मद्य निषेध की नीति ज्यादा कारगर बनाने के लिये इस आर्डिनेंन्स को लाया गया था और पिछले सत्र में उठ जाने के कारण यह विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सका था। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जो लोग शराब पिये हुए पाये जायंगे वे भी दंडित किये जा सकते हैं और तत्काल ही उन पर जुर्माना किया जा सकता है। दूसरे, शराब पकड़वाने में जो मदद करे, अधिकारी वर्ग के लोग शराब अगर पकड़े तो उनको पुरस्कार दिया जाय। अगर सम्मन किया जाय तो जिलाधीश उसको आधा पुरस्कार के रूप में दे दे और अगर जुर्माने के रूप में हो तो मैजिस्ट्रेट आधा जुर्माना उसे दे दे। इसके अलावा 1 रुपये 10 पैसा अल्कोहल पर ड्यूटी लगाई गयी थी जिसको चुनौती दी गयी थी। हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया तो दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गयी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गयी थीं जिनको उस समय एक विज्ञप्ति के जरिये से ठीक कर दिया गया था। उस कमी को दूर करने के लिये इसमें व्यवस्था की गयी है। चौथे, दूकान नीलाम होने के बाद भी अगर सरकार चाहती है कि उस स्थान पर मद्य निषेध लागू किया जाय तो उस नीलामी को निरस्त करने के लिये वह अधिकार एक्साइज कमिश्नर को दिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई संशोधन नहीं है सिवा खान गुफरान जाहिदी साहब के जिसे मैं स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, जितने भी विधेयक यह सरकार लाती है वह उनको अध्यादेश के रूप में लाती है। आवश्यकता पड़ती है तो विधान सभा क्यों नहीं बुलाती और विधेयक लाकर उसे

---

†दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यों नहीं पास कराती ? यह मेरा चार्ज है कि यह सरकार अध्यादेशों की सरकार है। दूसरे यह व्यवस्था की जा रही है कि पकड़वाने पर पुरस्कार दिया जायगा। एक बोतल शराब कोई पकड़वाता है जो चार रुपये की होती है तो कितना पुरस्कार आप देंगे ? आप कहते हैं कि मद्य निषेध लागू करने से 20 करोड़ का घाटा फिलहाल आपको हो रहा है तो यह पुरस्कार की व्यवस्था क्यों विधेयक में की जा रही है। फिर देखने में यह आया है कि एक्साइज विभाग जितनी शराब पकड़ता है उसमें वह आधा पी जाते है और आधा बेच लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप नशाबन्दी करना चाहते हैं या नहीं ? पिछली बार यह वक्तव्य दिया गया था कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में नशाबन्दी हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी का नाम क्यों लेते हैं और यदि लेते हैं तो उनके सिद्धान्तों पर चलें। जब तक आप पूरे प्रदेश में नशाबन्दी लागू नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है; तब तक शराब की स्मगलिंग भी होती रहेगी। केन्द्र को आप देखें, शराब के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। पता नहीं ये लोग महात्मा गांधी की क्यों चर्चा करते हैं। चर्चा भी करते हैं और बैठकर शराब भी पीते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश में नशाबन्दी लागू करने की घोषणा करें और तभी महात्मा गांधी का नाम लें, नहीं तो उनका नाम लेना छोड़ दें।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक का नाम पुकारे जाने पर)

कार्यसूची की मद 15 पहले न लिए जाने पर आपत्ति

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर आइटम नम्बर 15 के बारे में पहले चर्चा होनी चाहिए थी। आपने निर्देश दिया कि इसको छोड़ कर आगे का आइटम ले लिया जाय। यह औपचारिकता भी नहीं बरती गई कि मंत्री जी से यह निवेदन कराया गया होता कि हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो वह औपचारिकता भी नहीं निभाई गई। श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जब यह कार्यसूची में आ गया है तो हमें यह अधिकार प्राप्त हो गया कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सदन से पूछ लिया था।

श्री राजनाथ सिंह—

नहीं पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सदन से पूछ लिया था और किसी ने आपत्ति नहीं की थी तब मैंने मंत्री जी को बुलाया था।

श्री राजनाथ सिंह—

इसमें यह निश्चय हुआ था कि आधा घन्टे की चर्चा के बाद इसको लेंगे और 15 मिनट इस आइटम पर चर्चा होगी। लेकिन मान्यवर, आपके रहते हुये हमारे अधिकारों का हनन होगा तो वह ठीक नहीं है और इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, राजनाथ सिंह जी डर रहे है कि जब विधेयक पास हो जायेगा तो उनका यह आइटम नहीं आ सकेगा क्योंकि कोरम नहीं रहेगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यसूची में आइटम के अनुसार ही मैंने फैसला लिया है। उस पर चर्चा भी शुरू हो गयी है .....

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो रेनूकूट के बारे में इसमें चर्चा रखी हुई है उसके सम्बन्ध में जो आपत्ति माननीय राजनाथ सिंह जी ने की, वह तो अपनी जगह पर सही है लेकिन जब आपने मंत्री जी को उसे रखने के लिये समय दे दिया, सदन से पूछ भी लिया। एक माननीय सदस्य का उस पर व्याख्यान भी हो गया और अब आपने कौशिक जी को बुलाया है तब अब माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं तो कैसे यह व्यवस्था का प्रश्न उठ गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 (क्रमागत)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं आबकारी मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसके मूल में जो गम्भीर बातें हैं उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश बिहार में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी गई है। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश से यह अपेक्षा की है कि बिहार के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं जो 25 कि0 मी0 का क्षेत्र.....(व्यवधान) उनमें मद्य-निषेध लागू किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप पूरी नीति पर बोल रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं उसी संदर्भ में बोल रहा हूं। मैं विषयान्तर नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन कर रहा हूं 25 कि0 मी0 क्षेत्र में जब तक वह प्रभावी ढंग से मद्य निषेध लागू नहीं होगा जब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होगी और शराब पीना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा। मैं शासन का ध्यान विशेषकर आबकारी मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। दूसरी गंभीर बात इसमें यह है कि जो व्यक्ति शराब पिये होगा उसे दंडित किया जायेगा। तो उसमें व्यक्ति स्तर का भेद तो नहीं होगा। एक बड़ी गंभीर समस्या है जो अगुवा वर्ग है वह खुद मद्य पी रहा है चाहे वह एक विधायक हो, या संसद सदस्य हो या मंत्री ही क्यों न हो उस पर भी यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक श्री देवबहादुर सिंह जी ने कहा है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने नहीं कहा था कि एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में एक साथ यह लागू होगा। प्रतिबद्धता हम लाना चाहते हैं, चार वर्षों में इसे लागू करना है। इस वर्ष 7 बड़े कस्बों में किया गया और अभी दो दिन पहले घोषणा हुई है कि रायबरेली को भी इसमें ले लिया जाय। हम प्रदेश की राजधानी में प्रभावी ढंग से मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं।

मान्यवर, जहां तक हमारे साथी पुरुषोत्तम कौशिक जी ने अपनी बात रखी है वह सही है। वह एडमिनिस्ट्रेटिव बात है और उन्होंने जो कहा है वह हम करेंगे जो बिहार सरकार वाली बात है। लेकिन बिहार में जो मद्य निषेध है उस पर यहां टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने परमिट की बात भी रखी है ताड़ी भी खुली है।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या आप माँग पर से प्रतिबन्ध हटा रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

उसके संबंध में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग का एक सर्कुलर अखबार में पड़ा था। उसके लिए हमने टेलीफोन पर संपर्क करने की कोशिश की है। परसों टैलेक्स भी देखा है कि क्या स्थिति है। अगर भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग न यह बात कही है और वह कहते है कि हां भंग को अलग किया जाय जैसा कि अखबारों में आया है, करेंगे। दूसरे सब सूबों ने उसे लागू कर दिया है जैसा अखबार में है, हम अपने सूबे में भी लागू कर देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है इसे स्वीकार करें।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला सीतापुर)---

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अभी बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 10 तक

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2---संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ए) में सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए अंक और शब्द "2 रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर अंक और शब्द "4 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्---

"(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेण्डर आमन्त्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेन्स के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशतः निश्चित और अंशतः निर्धारित की जा सकती है।"

धारा 40 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 40 में; उपधारा (2) में, खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(ड) अधिनियम के अधीन वसूल की गयी शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा, और वसूल किये गये अर्थ दण्ड में से उस के पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारिकों, अधिकारियों या इत्तिला देने वालों को इनाम देने के लिये।"

धारा 41 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (ग) में,—

(एक) स्पष्टीकरण (1) के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को, समय समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस, जिसके अन्तर्गत विक्रय (वेण्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है।";

(दो) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(2) ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात्—

(1) नीलाम,

(2) टेण्डर आमन्त्रित करना,

(3) लाइसेन्स, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।"

धारा 60 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(3) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 72 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय और कलेक्टर का ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाय कि कोई अपराध किया गया है, जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन जब्त किये जाने योग्य हो गया है, वहाँ वह ऐसी वस्तु का या पशु को जब्त करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिए अभियोजन संस्थित किया गया हो या नहीं :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़ कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को विकल्प दिया जायगा कि वह वस्तु या पशु की जब्ती के बदले में उसके अभिग्रहण के दिनांक को उसका जो बाजारी मूल्य रहा हो उससे अनधिक ऐसा अर्थ-दण्ड दे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।

(3) जहाँ अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलेक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहाँ वह ऐसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु को नीलाम द्वारा या अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है।

(4) जहाँ कोई ऐसी वस्तु या पशु को उपयुक्त प्रकार से बेचा जाय, और—

(क) उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाय या न बना रहने दिया जाय, या

(ख) उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या

(ग) उस अपराध के लिये जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो,

वहाँ विक्रय-व्यय की कटौती करने के पश्चात विक्रय आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायगा।

(5) (क) इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहीत किया जाय, —

(1) ऐसे आधार सूचित करते हुए जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस;

(2) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और

(3) उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर ;

न दे दिया जाय।

(ख) किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोषानुसार यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग उसके स्वामी, अभिकर्त्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिषिद्ध माल को ले जाने क लिये किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वोपाय किये थे और इस उपबन्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खण्ड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेश से एक मास के भीतर कलेक्टर को, इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इन्कार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिगृहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसे अभिगृहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात् कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाय और उसे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर

सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की जाय, पुष्टि, परिष्कार या विखन्डन करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(8) जहां ऐसे अपराध के लिये जिसके संबंध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाय, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायगा ।

(9) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो ।"

नई धारा 73-क का बढ़ाया जाना

8---मूल अधिनियम की धारा 73 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

जब्त की गयी मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश

"73---क---जहां धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु जब्त की जाय, वहां कलेक्टर, किसी न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन हो, मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश दे सकता है, भले ही इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल बात दी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि मादक वस्तु को जब्ती के दिनांक से तीन मास की समाप्ति के पश्चात हो, और जहां पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र या जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो, वहां इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील पर दिये गये आदेश के अनुसार ही, नष्ट किया जायगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये परिरक्षित किया जायगा ।"

धारा 74 का संशोधन

9---मूल अधिनियम की धारा 74 में, उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

"(1-क) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, जहां अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि का, जिसे वह उचित समझे और जो पचास रुपये से कम नहीं होगी और जो तीन सौ रुपये तक हो सकती है, भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो ।"

धारा 77 का संशोधन

10---मूल अधिनियम की धारा 77 में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और

29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3514–ई/तेरह–331–78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227–ई/तेरह–332 78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन, 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 11

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979

11—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । — निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 नस 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1978 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरुप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर. मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उत्तर प्रदेश आध्यादेश संख्या 4, सन् 1979

"11—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्- द्वारा निरसित किया जाता है । — निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1)में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1978 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम क उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरुप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।"

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:—

निरसिन और अपवाद ।

"11—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1978 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयपर प्रवृत्त था ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1978

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि [यथा] संशोधित खण्ड 11 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) धारा 3 और 5 दिनांक 16 अगस्त, 1972 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2, 4, 6, 9 और 10 दिनांक 30 नवम्बर, 1978 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक 1978 के खण्ड 1 के उपखण्ड (1) के कोष्ठक शब्द तथा अंक "(ततीय संशोधन) अधिनियम, 1978" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक "(संशोधन) अधिनियम, 1979" रख दिया जाये ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में कोष्ठक शब्द तथा अंक "(ततीय संशोधन) अधिनियम, 1978" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक "(संशोधन)अधिनियम, 1979" रख दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमा शंकर कौशिक---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978, जैसाकि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, इधर जरा देख तो लिया करें, मैं अभी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था, आपने अवसर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरी नजर यदि पहले आप पर पड़ जाती तो मैने बुला लिया होता।

श्री गनेशीलाल चौधरी---

मैं खड़ा तो हो गया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सोचा, आप अब तक नहीं बोले, तो अब भी नहीं बोलेंगे ।

हिण्डालको, रेनुकूट, मिर्जापुर की विद्युत् आपूर्ति में कटौती के विषय में दिनांक 22 मार्च, 1979 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, हिन्डालको, मिर्जापुर का अल्म्यूनियम का कारखाना उत्पादन की दृष्टि से एशिया का एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय उससे देश और प्रदेश को बहुत बड़ी उम्मीदें थी और जैसे पिछड़े क्षेत्र में उसकी स्थापना हुई थी, उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को उससे विशेष उम्मीद थी। प्रबन्ध समिति के लोगों का कहना है कि हिन्डालको उत्पादन की क्षमता तीन सौ टन प्रति दिन है और जब श्री यादव मंत्रिमंडल में 85 मेगावाट विद्युत् आपूर्ति में कटौती कर दी गयी थी उसके बाद उनका उत्पादन घट कर 145 टन प्रति दिन रह गया और समय-समय विद्युत् आपूर्ति में कटौती की गयी थी। उसी समय 13–14 सौ मजदूरों की छंटनी भी कर दी गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनाथ सिंह]

और यह कहा गया था कि चंकि इस हिण्डालकों की उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि विद्युत् आपूर्ति में कटौती कर दी गयी है इसलिए 13–14 सौ मजदूरों की छटनी की जा रही है। जो कटौती की गई थी उसको एक प्रतिशत भी हिण्डालको को नहीं दिया गया उसके पहले ही उन्होंने 13–14 सौ मजदूरों मे से कुछ मजदूरों को नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया जो 13–14 सौ मजदूरों की छटनी की गयी थी वह केवल सरकार पर दबाव डालने के लिए की गयी। 85 मेगावाट की विद्युत् आपूर्ति में कटौती करने स विशेष उत्पादन में कमी नहीं हो सकती थी क्योंकि जिस समय 85 मेगावाट बिजली दी जा रही थी उसके पूर्व जैसा कि वहाँ के प्रबन्धकों का कहना है, 270 टन प्रति दिन का उत्पादन था।

मान्यवर, जिस समय कांग्रेसी हुकूमत थी, हिन्डालकों के साथ जो ओरिजिनल ऐग्रीमेंट था उसके अनुसार दो पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बात थी। उसके हिसाब से बिजली बराबर दी जाती रही। बिड़ला बहुत बड़े आदमी थे कोई विशेष कारण रहा होगा, उस पक्ष की सरकार पर कोई दबाव रहा होगा। इस कारण दो पैसे की दर से बिजली दी जाती रही और किसानों को बिजली जिस दर से दी जाती थी उससे नौ गुना अधिक थी। फिर केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर इस ऐग्रीमेंट को बदला गया, 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपूर्ति प्रारम्भ की गयी। जिस समय विद्युत् आपूर्ति में कटौती की गयी थी, उच्च न्यायालय में उन्होंने अपना केस दायर किया और उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि कटौती का 50 प्रतिशत हिंडालकों को दिया जाय। अब अपनी राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मेजा है कि जो पचास प्रतिशत वाला आदेश उच्च न्यायालय ने किया है उसको निरस्त किया जाना चाहिए।

मान्यवर, जिस समय प्रतिनिहित विधायन समिति के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हिंडालको को जब 85 मेगावाट बिजली दी जा रही थी तो राज्य सरकार को साढ़े तीन करोड़ प्रति वर्ष का घाटा होता था, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सिफारिश से 1971 तक कुल 39 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। श्री यादव मंत्रि-मंडल के समय जो विद्युत् आपूर्ति में कटौती की गयी थी, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ वहाँ के मजदूरों के हित में और देश और प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सरकार की तरफ से यह भी प्रयास होना चाहिए कि हिंडालको की उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की भी कमी न हो। जितनी उसकी प्रति दिन की क्षमता है उतनी वह कर सके। विद्युत् मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार वहाँ के प्रबन्धकों से वह बात करने की कोशिश करें और वैसे तो उनकी तरफ से यह माँग बराबर की जायगी कि हमको नौ पैसे, 11 पैसे, 16 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाय, बराबर कम रेट से माँग करेंगे लेकिन बीच का रास्ता निकाल कर पूरी विद्युत् आपूर्ति की जाय लेकिन साथ ही साथ किसानों के हितों का ध्यान रखना होगा, विद्यत् आपूर्ति किये जाने के बाद। इसलिए कि जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था तो विद्युत् मंत्री ने उत्तर दिया था कि विद्युत् उत्पादन पहले जितना था उससे अधिक बढ़ गया है ऐसा विद्युत् मंत्री ने बतलाया है कि वहाँ के किसानों को जितनी विद्युत् की आवश्यकता होती है उतनी विद्युत् उनको सप्लाई की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी को हिन्डालकों की प्रबन्ध समिति के साथ बैठकर एक हल निकालना चाहिए। जो ऐग्रीमेंट हुआ है वह पूरा होना चाहिए। बोर्ड ने जो टेरिफ लगाया है.....

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इस समय कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा बैठ जाइये।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष –

आप संक्षेप में कहें, दूसरों को भी कहना है।

श्री राजनाथ सिंह––

जहां तक मुझे मालूम है कि राज्य विद्युत् परिषद् ने एक कोल सरचार्ज के भुगतान के संबंध में इस्टीमेट बनाया था। वह लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये का था, लेकिन उस कोल सरचार्ज का भुगतान नहीं किया गया है। अगर सारी शर्तों को हिन्डालको पूरा कर दे तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके साथ बैठ कर एक एग्रीमेंट करें और कोई बीच का रास्ता निकाले। इससे वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भला होगा और इस राज्य सरकार का भला होगा और इसके साथ ही साथ इस देश का भी भला होगा। पिछली सरकार द्वारा संस्तुति केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी थी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मान्यवर, मैं राष्ट्रीय करण के पक्ष में नहीं हूं। हम चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल आवे। जो प्राइवेट प्रतिष्ठान होते हैं उनका उत्पादन अधिक होता है और साथ ही साथ मजदूरों के बीच अनुशासन भी होता है।

श्री उपाध्यक्ष––

दूसरों को भी बोलना है आप समाप्त करें।

श्री राजनाथ सिंह––

मैं बहुत ही जल्दी समाप्त कर रहा हूं। जब तक हिन्डालको राज्य सरकार का बकाया भुगतान नहीं करता है तब तक उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, वह उचित नहीं है। अन्त में मैं पुनः अपनी उसी बात को दुहराता हूं कि माननीय मंत्री जी हिन्डालको की प्रबन्ध समिति के साथ बैठ कर कोई बीच का रास्ता निकाल लें तो बहुत उत्तम होगा।

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह))––

मान्यवर, उसी दिन मैंने विस्तार पूर्वक सभी बातों पर, जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था, उत्तर दे दिया था। आज माननीय सदस्य, मिर्जापुर ने जो बातें कहीं उनमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिये जिससे कोई समझौता हो सके। हमने मान्यवर, वही किया है जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ और हमने 42.5 मेगावाट बिजली दी है, उससे ज्यादा नहीं दी है। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अल्युमीनियम प्रोडक्शन भी घट गया है और उसके कारण 5 हजार गांवों में विद्युतीकरण होने के लिए सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। केवल 700 गांवों में विद्युतीकरण हो पाया है। तो हमारी नीति कोई भेदभाव की नहीं है। यह सही है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा विद्युत् उत्पादन बढ़ गया है और हमें यह भी देखना होगा कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हम गांवों में, ट्यूबवेलों में, शहरों में और कल कारखानों में बिजली पहुंचायें। हमने एक साल में यह भी देखा कि इस अवधि में यह मामला बहुत पिछड़ गया।

जहां तक हिन्डालको से पैसा वसूल करने की बात है, उनसे 7 करोड़ रुपए के लगभग एक्साइज ड्यूटी का बाकी है। उसके लिए आने वाले अप्रैल माह की 14 या 18 तारीख को किसी भी एक तारीख में एक मीटिंग होगी जिसमें मुख्य सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् तथा हिन्डालको के प्रबन्धक लोग भी रहेंगे। हमारा प्रयास यह होगा कि यह जो बहुत बड़ी रकम बकाया पड़ी है इसे हम शीघ्र ही बातचीत के द्वारा वसूल करें और इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जैसा श्री राजनाथ सिंह ने कहा किसानों को बिजली के प्रति प्राथमिकता दी जा रही है। कनेक्शन्स सैंक्शन कर दिए

[श्री रेवती रमण सिंह]

गये हैं। यह भी बात सही है कि बहुत से कनेक्शन्स प्राइवेट ट्यूबवेल्स और सरकारी ट्यूबवेल्स के लिए सैक्शन कर दिए गए हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल पाई है। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि हमारे पास समुचित मात्रा में अल्युमीनियम का सामान उपलब्ध नहीं था और उसके कारण हम वांछित सामान नहीं दे पाए। परसों मैंने केन्द्रीय इस्पात मन्त्री, श्री बीजू पटनायक जी से भी वार्ता की थी। उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् की जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार हिन्डालको को अल्युमीनियम देना पड़ेगा, आवश्यक रूप से। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हिन्डालको को बिजली दे दी है। ऐसी कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है कि इसमें इतने विवाद की बात हो। माननीय शाही जी ने भी, जो भूतपूर्व विद्युत् मन्त्री थे, उन्होंने स्वयं ककड़ साहब, सोलिसिटर जनरल से कहा था इस बात को अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को सोलिसिटर जनरल, श्री एस0एन0 ककड़ साहब का पत्र दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि हिन्डालको को 7.5 मेगावाट बिजली दे देनी चाहिए थी। तो यह कहना ठीक नहीं है कि भूतपूर्व सरकार की नीति में और इस सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आया है इस सम्बन्ध में। हमारी बिजली की उपलब्धता जैसे-जैसे बढ़ेगी हम बड़े-बड़े उद्योगों को, किसानों को, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये, उसी हिसाब से बिजली अधिक देने की व्यवस्था करेंगे। कोई और स्पष्टीकरण यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

हिण्डालकों की बिजली कटौती के बाद अब तक कितने मजदूरों को निकाला गया है और क्या उनको अपने काम पर वापस ले लिया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

यह प्रश्न तो श्रम विभाग से सम्बन्धित है, लेकिन मेरी जहां तक सूचना है, वह यह है कि उन्होंने ले आफ को खत्म कर दिया है, अखबारों के माध्यम से मुझे यह सूचना है।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मन्त्री जी ने उस दिन भी और आज भी यह स्वीकार किया कि हिन्डालको पर 7 करोड़ रुपया बकाया है। यह भी बताया कि उस विषय में चीफ सेक्रेटरी, वित्त सचिव और बिजली बोर्ड के सचिव बैठकर आपस में बातचीत करके इसको तय करेंगे और पैसा वसूलने की कार्यवाही की जायेगी। माननीय मन्त्री जी के विभाग से सम्बन्धित अगर किसी किसान पर 600 रुपए की बकाया होती है तो उसके बैल कुर्क कर लिए जाते हैं, उससे समझौते द्वारा बातचीत नहीं होती, तो इस 7 करोड़ की रकम को वे बातचीत द्वारा क्यों वसूल करना चाहते हैं ? आपकी प्रतिनिहित विधायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार बिड़ला जी की इस फैक्टरी को जो आप 2 पैसे के हिसाब से पहले बिजली देते थे उस हिसाब से 39 करोड़ का आपको घाटा उठाना पड़ रहा था और जब 11 पैसे प्रति यूनिट कर दिए तो भी 6 करोड़ का आपको घाटा हो रहा है। आपने यह भी बताया कि केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल के सदस्यों के बीच बचाव से अब यह तय करा दिया है उनसे बातचीत करके कि बिड़ला अल्यूमीनियम की यह फैक्टरी हमको उतना अल्यूमीनियम देगी जितनी की हमारी आवश्यकता है। तो क्या यह बात सही है कि अब तक हिन्डालको ने उत्तर प्रदेश के लिए उसके खपत के अनुसार अल्यूमीनियम नहीं दिया और यदि हां, तो इस सरकार ने करोड़ों रुपयों का घाटा क्यों उठाया ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय सदस्य, जालौन ने दो प्रश्न उठाए हैं एक तो किसान की बैलों की कुर्की वाला, तो मैं उनको बता दूं कि जब से मैं इस पद पर आया हूं तब से एक भी किसान के बैल की कुर्की नहीं की गयी ह ।

दूसरी बात यह है कि यह जो एक्साइज ड्यूटी हिन्डालकों पर लगाई गयी थी यह 1970 में लगी थी, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने उसे इन्वेलिड करार दे दिया। हमारे नियम में जो कमी रह गयी थी उसे हमने ठीक किया और उच्च न्यायालय में उस पर फिर 1974 में निर्णय हुआ। उसके बाद से उनके प्रार्थना पत्र पर विचार हुआ और जो पोरशन इन्वेलिड हुए थे, उसके लिए एल0 आर0 और ऐडवाइजर, गवर्नमेंट आफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने आख्या ली और उसके बाद हमने सुधार किया और अब हिन्डालको वाले इस बात पर राजी हैं कि वे सुलह से इस बात को निपटा लें। दो माह से 500-500 टन उन्होंने अल्यूमीनियम दिया है विद्युत् परिषद् को, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार प्राथमिकता के अनुसार भी अल्यूमीनियम उत्तर प्रदेश को देंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों का जो बकाया है, नलकूप की विद्युत का उसको तो वसूल कर रहे हैं और बिड़ला जी का जो 7 लाख का बकाया पड़ा हुआ है, क्या इस पर वह इन्टरेस्ट लगाने जा रहे हैं कि नहीं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी तो यह मामला विवादग्रस्त है। वह जब तय होगा, उसके बाद उस पर निर्णय होगा। अभी तो विवादग्रस्त वह पैसा है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने जो यह बताया कि 7 करोड़ रुपया बाकी है, अभी उन्होंने यह बताया कि वह बिजली का बकाया नहीं है, टैक्स या इन्टरेस्ट का बकाया है। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अधिकतम हिण्डालको को कितनी बिजली दी गयी थी, क्या यह बात सही है कि 55 या 65 मेगावाट बिजली दी गयी थी और उसमें 35 मेगावाट अभी तक दी जा रही है और 7 मेगावाट बढ़ाई गयी है और मैं साथ ही साथ यह जानना चाहता हूं कि जब एक बिजली घटाई गयी, 55 से, तब बिजली की पैदावार कितनी थी और अब बिजली की पैदावार कितनी है ? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य अखबारों में बराबर देख रहा हूं कि जो जितनी बिजली मांग रहा है, उसे उतनी बिजली दी जा रही है। तो ये बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं ?

श्री रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, जिस समय बिजली में कटौती की गयी थी, उस समय बिजली का उत्पादन 1900 मेगावाट के लगभग था और इन्स्टाल्ड कैपिसिटी 2700 थी, इस समय हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी 3200 है, उस समय 1100 थी. अब 1900 है, उस समय के मुकाबिले आज उत्पादन में काफी फर्क हो गया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) —

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बिड़ला का अपने पास खुद वर्किंग कैपेसिटी में एक रेनू सागर पावर हाउस है, उसकी बिजली अल्मोनियम फैक्ट्री को आती है ? दूसरे उसको बढ़ाने के लिए बिड़ला ने लाइसेन्स मांगा था

[श्री ऊदल]

और भारत सरकार ने उनको लाइसेन्स दे दिया ? यदि हां, तो बिड़ला को बिजली न दे कर और उद्योगों को कृषि के लिए सरकार बिजली देने के लिए सहमत है ?

श्री रेवतीरमण सिंह --

मान्यवर, उनको लाइसेन्स वहां से मिल गया था, लेकिन यहां से उत्तर प्रदेश सरकार से क्लीयरेन्स नहीं दी गयी थी, वह प्लान्ट लगाना चाहते थे, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वह चाहते हैं कि हम उनकी दिक्कतें हल कर दें, जो हमारे लिए सम्भव नहीं है कि हम तत्काल उन्हें दूर कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय राजनाथ सिंह जी, 5 मिनट बाकी हैं, आप 2 मिनट में प्रश्न कर लें और 3 मिनट में माननीय मन्त्री का उत्तर हो जायगा ।

श्री राजनाथ सिंह---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो भी उत्तर दिया आज सदन में, वह अत्यन्त सन्तोष-प्रद है और मैं उनके इस वक्तव्य का हार्दिक स्वागत करता हूं । साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि चूंकि विद्युत् विभाग के लिए अल्यूमिनियम की आवश्यकता हुआ करती है तो हमारा आग्रह है कि उसे आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत लेने का कष्ट करें । क्योंकि विद्युत् भी एसेन्शियल कमोडिटीज के अन्तर्गत आती है इसलिए अल्यू-मिनियम को भी एसेन्शियल कमोडिटीज के अन्तर्गत लेने का कष्ट करें । अन्त में मैं इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं ।

श्री रेवतीरमण सिंह---

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद्युत् परिषद को, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जितनी भी अल्यूमिनियम की आवश्यकता होगी, वह पूरी करेंगे, तो इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता और अगर वह पूरी नहीं करेंगे तो जो माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर हम विचार करेंगे ।

बस्ती जिले में गुण्डों द्वारा नर्सों के साथ सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष---

बस्ती जिले में गुण्डों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश और कई अन्य माननीय सदस्यों ने सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहा था और उस पर एक घण्टे की चर्चा के लिए समय निश्चित किया गया था । आज प्रातःकाल इसके बारे में मैंने कहा था कि सरकार के पास उत्तर आ जाय तो वह चर्चा के लिए रख दें । (माननीय आबकारी मन्त्री) से, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, इसका उत्तर अभी नहीं आ पाया है । उसके लिए मुझे खेद है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसे स्थगित कर दिया है ।

सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 4 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
27 मार्च, 1979

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29(4) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 971 पर]

घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची

क्रम-सं0	उपक्रम/निगम का नाम	वर्ष 1977-78 के अन्त तक कुल संचित घाटा (लाख रु0 में)	
1	उ0 प्र0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ . .	1759.47	
2	उ0 प्र0 स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चुर्क (मिर्जापुर)	355.59	
3	यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ . .	13.73	
4	उ0 प्र0 पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद . .	11.37*	
5	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून . .	6.52*	
6	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गोरखपुर . .	17.00*	
7	यू0पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ . .	26.87*	
8	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ . .	29.96*	(1975-76 के लेखों के अनुसार)†
9	उ0 प्र0 चल चित्र निगम लिमिटेड, लखनऊ . .	4.61	
10	उ0 प्र0 पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ . .	0.45	(1975-76 के लेखों के अनुसार)†
11	यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।	351.61*	
12	यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, आगरा।	2.82*	
13	यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	446.00	
13अ	यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड। (सहायक इकाई)।	414.12*	
14	उ0 प्र0 बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड, झांसी . .	20.89*	
15	उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ . .	15,303.47	
16	उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ . .	7.13*	
17	उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ	187.35*	(1975-76 के लेखों के अनुसार)†

*अनुमानित तथा असंपरीक्षित।

†अनुवर्ती वर्षों के लेखे तैयार नहीं हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 977 पर)

संलग्नक

मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री को दी जाने वाली सुविधायें एवं उन पर होने वाला अनुमानित मासिक व्यय

मन्त्री तथा राज्य मन्त्री

1—वेतन .. 1000 रु0 प्रति माह। इस पर आय-कर शासन द्वारा वहन किया जाता है।

2—निर्वाचन क्षेत्र भत्ता .. 500 रु0 प्रति मास विधायक के नाते।

3—आवास .. निःशुल्क सुसज्जित आवास के लिए प्रारम्भ में साज-सज्जा के लिए 20,000 रु0 अनुमन्य है जिसका रख-रखाव सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें आवास, सफाई, बिजली-बिल तथा विद्युत् साज-सज्जा का अनुरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसका औसत व्यय 840 रु0 मासिक आता है।

4—वाहन .. एक स्टाफ कार ड्राइवर सहित लखनऊ में स्थानीय प्रयोगार्थ। इसका रख-रखाव एवं पेट्रोल व्यय की सीमा 150 लीटर तथा मोबिल आयल 5 लीटर प्रति माह अनुमन्य है जिस पर औसत व्यय 1521 रु0 प्रति माह दिनाँक 1-1-78 से 30-6-78 तक के आँकड़ों पर आधारित है।

5—टेलीफोन .. कार्यालय में एक डाइरेक्ट तथा एक आन्तरिक टेलीफोन स्थानीय आवास तथा क्षेत्रीय आवास में एक-एक टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। इस मद पर औसत व्यय 2,454 रु0 प्रति माह दिनाँक 1-1-78 से 30-6-78 तक के आँकड़ों पर आधारित है।

7—चिकित्सा सुविधा .. सरकारी व्यय पर उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार के कार्य सम्पादन से सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं, अनुमन्य है। इस मद पर व्यय का अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

8—यात्रा भत्ता .. सरकारी कार्य में की गयी यात्राओं पर यात्रा भत्ता, नियमों के प्राविधानानुसार देय है। इस मद में व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा दिनाँक 1-1-78 से 30-6-78 तक के आँकड़ों के अनुसार प्रति माह औसत व्यय 1865 रु0 है।

उप मन्त्री

1—वेतन .. 650 रु0 प्रति माह। इस पर आय कर शासन द्वारा वहन किया जाता है।

2—निर्वाचन क्षेत्र भत्ता .. 500 रु0 प्रति मास विधायक के नाते।

3—परिवहन भत्ता .. 150 रु0 प्रति मास।

4—आवास	..	निःशुल्क सुसज्जित आवास के लिए प्रारम्भ में साज सज्जा के लिए 10,000 रु0 तक का व्यय अनुमन्य है। इसका रख-रखाव सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें बिजली बिल तथा विद्युत् साज सज्जा के अनुरक्षण का व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और जिस पर प्रति माह औसत व्यय 225 रु0 है।
5—टेलीफोन	..	कार्यालय में एक डाइरेक्ट तथा एक आन्तरिक टेलीफोन तथा स्थानीय आवास में एक टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। दिनाँक 1-1-78 से 30-6-78 तक के आँकड़ों के अनुसार औसत व्यय 1110 रु0 प्रति माह है।
6—चिकित्सा सुविधा	..	सरकारी व्यय पर उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार के कार्य सम्पादन से सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं, अनुमन्य हैं। इस मद पर व्यय का अनुमान लगाया नहीं जा सकता।
7—यात्रा-भत्ता	..	सरकारी कार्य में की गयी यात्राओं पर यात्रा भत्ता नियमों के प्राविधानानुसार देय है। मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के सिलसिले में सरकारी वाहन की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। दिनाँक 1-1-78 से 30-6-78 तक के आँकड़ों के अनुसार औसत व्यय 1131 रु0 प्रति माह है।

नत्थी, 'ग'

तालिका

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 987 पर)

मुख्य मन्त्री, प्रत्येक मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री के यात्रा भत्ता पर 23-6-77 से 31-3-78 तक कुल व्यय की गयी धनराशि का विवरण

नाम	धनराशि
1	2
मुख्य मन्त्री	
1—श्री राम नरेश यादव	1,01,648.26
मन्त्री	
2—श्री राम प्रकाश	32,164.83
3—श्री बलवीर सिंह	36,430.25
4—श्री रवीन्द्र किशोर शाही	57,671.03
5—श्री राजेन्द्र सिंह	34,529.20
6—श्री शोबन सिंह जीना	20,862.00
7—श्री मधुकर दिघे	31,966.02
8—श्री जमुना प्रसाद बोस	27,599.40
9—श्री हरिश्चन्द्र	59,852.89
10—श्री गणेश दत्त बाजपेयी	39,340.01
11—श्रीमती चन्द्रावती	37,476.71
12—श्री मुलायम सिंह यादव	27,320.50
13—श्री राम सिंह	33,157.95
14—श्री काली चरण	27,498.56
15—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	47,861.23
16—श्री शारदा भक्त सिंह	29,748.30
17—श्री मोहम्मद मसूद खां	28,896.75
18—श्री आबिद अली	27,285.05
19—श्री कल्याण सिंह	24,021.60
20—श्री श्रीचन्द्र	41,204.58
21—श्री ओम प्रकाश सिंह	48,379.05
22—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (भूतपूर्व मन्त्री)	43,759.25
राज्य मन्त्री	
1—श्री लक्ष्मण सिंह	38,015.30
2—श्री अवधेश प्रसाद	23,498.65
3—श्री धीरेन्द्र सहाय	26,396.70
4—श्री सूबेदार प्रसाद	26,268.45
5—श्रीमती शकुन्तला नायर	19,988.75
6—श्री रेवती रमण सिंह	36,256.75

नाम				घनराशि
1				2
7—श्री सत्यदेव त्रिपाठी	..	..	..	29,021.95
8—श्री अब्दुल रऊफ लारी	..	..	..	21,484.39
9—श्री शारदा प्रसाद रावत	..	..	..	15,331.39
10—श्री कुंवर सत्यवीर	..	..	..	14,332.47
11—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	..	..	..	22,034.53
12—श्री चन्द्र शेखर सिंह	..	..	..	15,881.19
13—श्री मुख्तार अनीस	..	..	..	16,431.20
उप मन्त्री				
1—श्री भगवती सिंह	..	..	..	18,936.89
2—श्री बाबू लाल वर्मा	..	..	..	23,575.76
3—श्री शिवदास तिवारी	..	..	..	18,071.50
4—श्री छोटे लाल यादव	..	..	..	11,790.29
5—श्रीमती मालती शर्मा	..	..	..	10,644.52
6—श्री तेज सिंह	..	..	..	24,899.62

नत्थी 'घ'।

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 997 पर)

1978 में प्रदेश में थानाध्यक्षों की जिलेवार संख्या तथा उनमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के थानाध्यक्षों की प्रतिशत संबंधी सूचना

जिले का नाम	थानाध्यक्षों की जिलेवार सं0	हरिजन वर्ग के थानाध्यक्षों की संख्या	पिछड़ी जाति के थानाध्यक्षों की संख्या	हरिजन वर्ग के थानाध्यक्षों का प्रतिशत	पिछड़ी जाति के थानाध्यक्षों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(1) मेरठ परिक्षेत्र					
1—मेरठ	24	3	6	12%	25%
2—मुजफ्फरनगर	17	2	6	11%	35%
3—सहारनपुर	23	3	3	13%	13%
4—गाजियाबाद . ..	17	1	3	6%	18%
5—बिजनौर	19	3	..	15%	..
6—बुलन्दशहर	20	3	1	15%	5%
(2) आगरा परिक्षेत्र					
1—आगरा	33	3	2	10%	6%
2—मथुरा	17	2	1	11%	6%
3—एटा	17	2	1	11%	6%
4—अलीगढ़	23	2	8	9%	35%
5—मैनपुरी	19	1	1	6%	5%

1	2	3	4	5	6
(3) बरेली परिक्षेत्र—					
1—बरेली	24	3	3	12%	13%
2—बदायूं	18	2	1	11%	6%
3—मुरादाबाद	24	3	..	12%	..
4—पीलीभीत	10	1	1	10%	10%
5—शाहजहांपुर	18	1	1	6%	6%
6—रामपुर	11	1	..	9%	..
(4) लखनऊ परिक्षेत्र —					
1—लखनऊ	24	3	4	12%	17%
2—सीतापुर	21	1	1	5%	5%
3—हरदोई	18	1	3	6%	17%
4—खीरी	18	1	4	6%	22%
5—रायबरेली	17	2	..	12%	..
6—उन्नाव	17	2	2	12%	12%
(5) कानपुर परिक्षेत्र					
1—कानपुर	38	5	5	13%	13%
2—फतेहपुर	17	1	6	6%	35%
3—इलाहाबाद	34	3	4	9%	12%
4—इटावा	20	2	4	10%	20%
5—फतेह गढ़	17	2	..	12%	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(6) वाराणसी परिक्षेत्र—

1—वाराणसी	.. ..	30	2	6	7%	20%
2—मिर्जापुर	.. ..	23	4	5	17%	22%
3—गाजीपुर	.. ..	17	1	1	6%	6%
4—जौनपुर	.. ..	19	3	2	16%	10%
5—बलिया	.. ..	18	1	2	6%	11%

(7) गोरखपुर परिक्षेत्र—

1—गोरखपुर	.. ..	28	3	6	10%	22%
2—आजमगढ़	.. ..	23	..	4	0%	17%
3—बस्ती	.. ..	28	2	5	7%	18%
4—देवरिया	.. ..	23	1	6	4%	26%

(8) फैजाबाद परिक्षेत्र—

1—फैजाबाद	.. ..	23	2	3	9%	13%
2—बहराइच	.. ..	18	2	..	11%	..
3—बाराबंकी	.. ..	18	2	1	11%	6%
4—गोण्डा	.. ..	24	2	5	8%	20%
5—प्रतापगढ़	.. ..	13	..	..	..	..
6—सुल्तानपुर	.. ..	16	2	..	12%	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
(9) झांसी परिक्षेत्र—					
1—झांसी	20	2	5	10%	25%
2—बाँदा	19	2	3	10%	16%
3—हमीरपुर	20	3	..	15%	..
4—जालौन	14	2	2	14%	14%
5—ललितपुर	12	1	..	8%	..
(10) कुमाऊं परिक्षेत्र—					
1—नैनीताल	17	..	..	..	..
2—अल्मोड़ा	3	1	..	33%	..
3—पिथौरागढ़	4	..	..	..	..
(11) गढ़वाल परिक्षेत्र					
1—पौड़ी गढ़वाल	5	..	..	..	..
2—टेहरी गढ़वाल	4	..	..	25%	..
3—चमोली	5	1	..	20%	..
4—उत्तरकाशी	2	..	..	..	..
5—देहरादून	11	1	1	9%	9%
योग ..	1031	100	123	9.07%	11.9%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ.'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1002 पर)

जिला बहराइच के पुलिस फोर्स का पदवार तथा थानेवार स्वीकृत नियतन

थाने का नाम	इन्स0	स0इ0	हेड-कान्स0	कांस-टेबिल
शहरी थाना—				
1—कोतवाली	1	14	3	30
देहाती थाना—				
2—नानपारा		5	2	21
3—कैसरगज		5	2	21
4—पयागपुर		5	1	19
5—भिन्गा		3	1	18
6—इकौना		4	1	19
7—सोंनावा		3	1	18
8—फखरपुर		4	1	19
9—हजूरपुर		3	1	18
10—हर्दी		4	1	19
11—खैरीघाट		2	1	14
12—मल्हीपुर		2	1	16
13—मोतीपुर		4	1	17
14—रमईडोहा		3	1	18
15—सुजौली		2	1	12
16—कोतवाली देहात	1	7	2	21
17—सिरसिया		2	1	14
18—गिलोला		2	1	14
विशेष ग्रामीण चौकी —				
1—जरवल		..	1	4
योग ..	2	74	24	332
ब्रांच एवं वार्ड स्टाफ—				
1—कोतवाली		..	18	106
2—नानपारा		..	3	19
3—भिन्गा		..	1	6
4—केसरगंज		..	2	12
योग ..		..	24	143
थाना डियूटी तथा ब्रांच एवं वार्ड के लिए स्वीकृत पदों का योग ..	2	74	48	475

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1104 पर।)

आरोप--

1--थानाध्यक्ष, श्री डी0 के0 सिंह क्षेत्रीय ठाकुर परिवार के रिश्तेदार हैं तथा अवधेश पाण्डेय के विरुद्ध षड़यन्त्र करने, उनके विरोधियों को सहयोग दे रहे हैं।

2--दिनाँक 28-10-78 को थानाध्यक्ष श्री पान्डे के घर रात में आये तथा उनके आदमियों को जगा कर धमकाए तथा अपशब्दों का प्रयोग किया।

3--थानाध्यक्ष श्री डी0 के0 सिंह ने श्री पाण्डे की बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त करने के लिए उनका नाम बदमाशों के साथ जोड़ने लगे।

4--थानाध्यक्ष ने बदले की भावना से प्रेरित होकर अपने रिश्तेदार श्री राम बहादुर निवासी बरियारपुर के माध्यम से एक रिपोर्ट थाना, कोठीभार में धारा 395 भा0द0वि0 के अन्तर्गत श्री अवधेश पाण्डेय तथा श्री दामोदर मिश्रा के विरुद्ध दिनाँक 7-12-78 को अंकित कराया।

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 32 विधान सभा--(54)--1979--835।